त्रयोदश माला, खंड 11, अंक 6

सोमवार, 27 नवम्बर, 2000
6 अग्रहायण, 1922 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 51
Date 11/10/01

(खण्ड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

यशपाल कृष्ण अबरोल
मुख्य सम्पादक

डॉ॰ राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)

अंक 6, सोमवार, 27 नवम्बर, 2000/6 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	101 से 103	3-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर		40-352
तारांकित प्रश्न संख्या	104 से 120	40-81
अतारांकित प्रश्न संख्या	1145 से 1374	81-352
सभा पटल पर रखे गए पत्र		352-355
राज्य सभा से संदेश		355-356
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		356
नौवां प्रतिवेदन		
समिति के लिए निर्वाचन		356
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
सरकारी विधेयक - *पुर:स्थापित*		364-370
(एक) भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद विधेयक		364-368
(दो) केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक		369
(तीन) संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक		370
(अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 330 और 332 का संशोधन)		
भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद अध्यादेश के बारे में विवरण - *सभा पटल पर रखा गया*		369
केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश के बारे में विवरण - *सभा पटल पर रखा गया*		370
नियम 377 के अधीन मामले		371-377
(एक) भारत नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पुलिस को सुदृढ़ करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता		
श्री बृज भूषण शरण सिंह		371

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	उज्जैन और रामगंज मंडी बरास्ता घाटिया - झालावाड़ के बीच रेलवे लाइन शीघ्र बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्री थावरचन्द गेहलोत	371
(तीन)	बिहार के छपरा में सोनपुर मेले में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजीव प्रताप रूडी	372
(चार)	सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थानों में निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भर्ती किए गए कर्मियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राधा मोहन सिंह	372
(पांच)	कर्नाटक में दक्षिण कन्नड में सुपारी की खेती करने वाले किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विनय कुमार सोराके	372-373
(छह)	इराक के लोगों के प्रति सद्भावना के रूप में एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री पवन कुमार बंसल	373
(सात)	कर्नाटक में गडग और बीजापुर के बीच आमान परिवर्तन कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आर॰ एस॰ पाटिल	373-374
(आठ)	आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा विमान पत्तन पर धावनपट्टी संबंधी कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम मोहन गड्डे	374
(नौ)	उत्तर प्रदेश में निरन्तर आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	374
(दस)	बिहार में समुचित जल प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नवल किशोर राय	374-375
(ग्यारह)	पूरे देश में खाद्यान्नों की समुचित खरीद किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	375
(बारह)	सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने वाले विधान को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री होलखोमांग हौकिप	375-376

विषय	कॉलम
(तेरह) बिहार के सीवान में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
मोहम्मद शहाबुद्दीन	376
(चौदह) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	376-377
कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक	377-452
विचार करने के लिए प्रस्ताव	377
श्री अरूण जेटली	377-380, 414-422
श्री शिवराज वि॰ पाटील	380-389
श्री किरीट सोमैया	389-396
श्री रूपचन्द पाल	396-401
डा॰ संजय पासवान	401-403
डा॰ बी॰ बी॰ रमैया	403-407
श्री जी॰ एम॰ बनातवाला	407-412
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	412-413
डा॰ नीतिश सेनगुप्ता	413
खण्ड 2 से 224 और 1	423-452
पारित करने के लिए प्रस्ताव	452

लोक सभा

सोमवार, 27 नवम्बर, 2000/6 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा) : महोदय, आज दिल्ली बंद है .... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली बंद है, दिल्ली को तबाह होने से बचा लीजिए। मेरा निवेदन है कि आज दिल्ली पूरी तरह से बंद हो रही है और लोग सड़कों पर आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप लोकसभा भी बंद करना चाहते हैं?

श्री मदन लाल खुराना : मैं लोकसभा बंद करना नहीं चाहता हूं। उस दिन भी बात हो रही थी, मेरा यह कहना है कि आप दिल्ली को बचा लें।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोगों को भी पहचान है। इसकी गंभीरता कितनी है, वह हम सब को मालूम है। इसलिए आप प्रश्न-काल के बाद इस पर बोलिए।

.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ : महोदय, यह एक असामान्य स्थिति है....*(व्यवधान)* महोदय, तीन दिन पहले इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था और मंत्री महोदय ने कहा था कि वे संबंधित मुद्दे पर बातचीत करेंगे .... *(व्यवधान)* लेकिन स्थिति बिगड़ रही है .... *(व्यवधान)* स्थिति शांत नहीं हो रही है .... *(व्यवधान)* क्या आप प्रश्न काल जारी रखना चाहते हैं? .... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमलनाथ, मैं आपकी इच्छा को दबाऊंगा नहीं।

.... *(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ : महोदय, आपको दिल्ली की गंभीर स्थिति को कम करके नहीं देखना चाहिए .... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम मैं तो दिल्ली की स्थिति की गंभीरता का आंकलन कम नहीं करना चाहता। मैं आपसे केवल यह अनुरोध कर रहा हूं कि प्रश्न काल को चलने दीजिए और इसके बाद निश्चित रूप से आपको इस मामले को सभा में उठाने का अवसर मिलेगा।

.... *(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : महोदय, प्रश्न काल के बाद इस मामले को सबसे पहले उठाया जाए .... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देखते हैं।

अब प्रश्न सं॰ 10। डा॰ वी॰ सरोजा।

.... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, दिल्ली में गंभीर स्थिति बनी हुई है। .... *(व्यवधान)* जब वी॰ पी॰ सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी ऐसा होता था। .... *(व्यवधान)* महोदय, दिल्ली के अंदर इस तरह से हो रहा है। .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ : महोदय, यह असामान्य स्थिति है .... *(व्यवधान)* यह देश की राजधानी है और हम यहां लोक सभा का सत्र चला रहे हैं .... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अगर आज दिल्ली में कुछ हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? .... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल के बाद बोलिए।

.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, हमारे चार समर्थक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में मारे गए हैं ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.... *(व्यवधान)* *

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कमलनाथ : हम इस मामले के प्रति इतने संवेदनहीन नहीं हो सकते है .... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमें पहले प्रश्न काल शुरू करना चाहिए। मैं आपकी आवाज को नहीं दबाऊंगा और विशेषरूप से उन सभी को बोलने का अवसर मिलेगा जिन्होंने सूचनाएं दी हैं।

.... *(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ : महोदय, मैं केवल इस मामले के महत्त्व को बता रहा हूं .... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमलनाथ, आपको बोलने का मौका मिलेगा अब, प्रश्न सं॰ 101 डा॰ वी॰ सरोजा।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिडनी ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन

+

*101. **डा॰ वी॰ सरोजा:**
योगी आदित्यनाथ:

[अनुवाद]

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में आयोजित सिडनी ओलंपिक में भारतीय दल के खराब प्रदर्शन के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य देशों की तुलना में सिडनी में प्रतिस्पर्द्धा-वार कितने खिलाड़ी तथा विभाग-वार कितने अधिकारी भेजे गऐ थे तथा उन पर कितना व्यय हुआ और जिन-जिन स्रोतों से यह धनराशि जुटाई गई थी उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ अधिकारियों ने सिडनी की निरुद्देश्य यात्रा की थी;

(च) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या इस पूरे प्रकरण की जांच कराने का कोई विचार है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) भारतीय खेलकूद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप लाने हेतु तैयार की गई भविष्य की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ञ) गत वर्ष पुणे स्थित सैन्य अस्पताल के हृदय और वक्ष केन्द्र में खेलकूद के संबंध में किए गए 'जीन' अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले और इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ञ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सिडनी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने के मामले में भारतीय दल का प्रदर्शन निराशाजनक था। तथापि, अटलांटा ओलंपिक में किए गए पिछले प्रदर्शन की तुलना में, अनेक खेल विधाओं जैसे मुक्केबाजी, भारोत्तोलन (महिला), जूडो और निशानेबाजी में भारत का प्रदर्शन बेहतर था।

(ग) यह एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय दल के प्रदर्शन पर विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई है और भारत में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न अभ्युपायों पर विचार किया गया है।

(घ) भारतीय दल में 123 व्यक्ति शामिल थे जिसमें 71 खिलाड़ी; प्रशिक्षक, चिकित्सक, प्रबंधक, मालिश करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में 50 अधिकारी और 2 युवा शिविरवासी शामिल हैं। खिलाड़ियों और अधिकारियों का प्रतियोगिता-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है। अधिकारियों को खेल विधा-वार अनुमति प्रदान की गई थी न कि विभाग-वार ।

अन्य सहभागी देशों के दलों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

जहां तक व्यय, नि:शुल्क हवाई यात्रा, भोजन और आवास का सबध है, यह सुविधा आयोजकों द्वारा प्रत्यायित दलों को उपलब्ध करायी गयी थी। भारत सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) को 64,40,175/- रुपये की धनराशि स्वीकृति की और प्रथम किस्त के रूप में 58.00 लाख रुपये जारी किए।

(ङ) सरकार ने केवल उन्ही अधिकारियों के दौरों को अनुमति प्रदान की जिनकी सिडनी में उपस्थिति उपयुक्त समझी गई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) खेलों का संवर्धन व विकास एक सतत प्रक्रिया है। भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से निम्नलिखित कदम उठा रही है:-7

1. विस्तृत आधार प्रदान करना - विशेषत: प्रतियोगी खेलों के लिए।
2. उन्नत अवस्थापना - राष्ट्रीय टीमों के लिए।
3. हमारे प्रशिक्षण समुदाय के ज्ञान को सुधारना।
4. हमारे खेल वैज्ञानिकों के व्यावहारिक ज्ञान को सुधारना ताकि उन्हें खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रशिक्षकों के साथ योगदान देने योग्य बनाया जा सके।
5. खेल परिसंघों के प्रबंधन में सुधरी हुई कार्य प्रणाली और व्यावसायिकता।
6. खेल अवस्थापना के विकास में राज्यों की अधिक भागीदारी तथा खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण।
7. वैयक्तिक/विशिष्ट खेल विधाओं को अपनाने और प्रायोजित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी।
8. खेल गतिविधियों में अधिक भागीदारी के लिए जन सामान्य में जागरूकता पैदा करना।

(ञ) मिलिट्री हास्पीटल कार्डिएक एण्ड थोरेसिक सेंटर, पुणे में खेलों के लिए किए गए आनुवंशिक अध्ययन की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जब भी यह प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध-I

खेल विधा	खिलाड़ी		प्रशिक्षक	डाक्टर	मालिश करने वाले व्यक्ति	फिजियो	प्रबंधक	अन्य	कुल
	पुरुष	महिला							
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एथलेटिक्स	14	15	4	2	1	0	2	0	38
बैडमिंटन	1	1	1	0	0	0	0	0	3
मुक्केबाजी	4	0	2	1	0	0	1	0	8
घुड़सवारी	1	-	-	-	-	-	-		1
हाकी	16	0	2	1	0	0	1	1	21
जूडो	0	1	1	0	0	0	0	0	2
रोइंग	2	0	1	0	0	0	1	0	4
निशानेबाजी	2	1	2	0	0	0	0	1	6
तैराकी	1	1	1	0	0	0	0	0	3
टेबल टेनिस	2	1	1	0	0	0	0	0	4
टेनिस	2	2	1	1	0	0	0	0	6
भारोत्तोलन	1	2	2	1	0	0	1	0	7
कुश्ती	1	0	1	0	0	0	0	0	2
भा. ओ. सं. (11)**						1		10	11
कुल	47	24	19	6	1	1	6	12	116
अन्य									
तकनीकी अधिकारी									4
ओलंपिक सहचारी									1
युवा शिविर सहभागी									2
सकल योग									123

अनुबंध-II

एन. ओ. सी. नाम	एन. ओ. सी. कोड	एथलीट			अधिकारी			शिष्टमण्डल कुल
		पु॰	महिला	कुल	पु॰	महिला	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अल्बानिया	एल. एल. बी.	2	2	4	7		7	11
अल्जीरिया	ए. एल. जी.	38	11	49	34		34	83
अमरीकन समोआ	ए. एस. ए.	3	1	4	8	1	9	13
एण्डोरा	ए. एन. डी.	3	2	5	5	1	6	11
अंगोला	ए. एन. डी.	15	16	31	22	2	24	55
एंटीगुआ व बरबूडा	ए. एन. टी.	2	1	3	4	3	7	10
अर्जेन्टीना	ए. आर. जी.	100	45	145	78	5	83	228
आर्मीनिया	ए. आर. एम.	25	2	27	24	2	26	53
अरूबा	ए॰ आर॰ यू॰	3	2	5	4	2	6	11
आस्ट्रेलिया	ए. यू. एल.	348	283	631	290	107	397	1028
आस्ट्रिया	ए. यू. टी.	55	38	93	62	14	76	169
अजरबेजान	ए॰ जेड॰ ई॰	25	6	31	26	2	28	59
बहमास	बी॰ ए॰ एच॰	18	10	28	16	3	19	47
बेहरीन	बी. आर. एन.	2	2	4	6	2	8	12
बंगलादेश	बी. ए. एन.	2	3	5	3		3	8
बारबडोस	बी. ए. आर.	12	7	19	16	3	19	38
बेलास्स	बी. एल. आर.	73	67	140	63	15	78	218
बेल्जियम	बी. ई. एल.	37	32	69	48	6	54	123
बेलीज	बी. आई. जेड	1	1	2	3	2	5	7
बेनिन	बी. ई. एन.	3	1	4	8		8	12
बरमूडा	बी. ई. आर.	4	2	6	10	3	13	19
भूटान	बी. एच. यू.	1	1	2	4	1	5	7
बोलीविया	बी. ओ. एल.	3	2	5	8	1	9	14
बोस्निया तथा हरजेगोविना	बी. आई. एच.	7	2	9	9	2	11	20
बोत्सवाना	बी. ओ. टी.	8		8	8		8	16
ब्राजील	बी. आर. ए.	111	94	205	126	15	141	346
ब्रिटिश विर्जिन द्वीप समूह	आई. वी. बी.	1		1	5		5	6
ब्रूनई दारूसलाम	बी. आर. यू.	2		2	5		5	7
बुल्गेरिया	बी. यू. एल.	55	40	95	48	12	60	155
बुरकीना फासो	बी. यू. आर.	3	1	4	6	2	8	12
बुरन्डी	बी. डी. आई.	5	1	6	6	1	7	13
कम्बोडिया	सी. ए. एम.	2	2	4	6		6	10
कैमरून	सी. एम. आर.	26	12	38	21	5	26	64
कनाड़ा	सी. ए. एन.	152	156	308	156	85	241	549
केपवर्डी	सी. पी. वी.	1	1	2	6		6	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कैमान द्वीप समूह	सी. ए. वाई.	1	2	3	7		7	10
सैंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	सी. ए. एन.	1	2	3	7		7	10
चाड	सी. एच. ए.	1	1	2	4		4	6
चिली	सी. एच. आई.	45	7	52	46	6	52	104
चाइनीज टाइपेई	टी. पी. ई.	21	34	55	39	5	44	99
कोलम्बिया	सी. ओ. एल.	25	21	46	35	4	39	85
कोमोरास	सी. ओ. एम.	1	1	2	5	1	6	8
कांगो	सी. जी. ओ.	3	2	5	7	2	9	14
कुक द्वीप समूह	सी. ओ. के.	1	1	2	2	4	6	8
कोस्टारिका	सी. आर. सी.	5	2	7	12		12	19
कोट डी आइवरी	सी. आई. वी.	9	9	18	16	1	17	35
क्रोशिया	सी. आर. ओ.	69	27	96	49	5	54	150
क्यूबा	सी. यू. बी.	152	87	239	116	7	123	362
साइप्रस	सी. वाई. पी.	19	5	24	14	2	16	40
चैक रिपब्लिक	सी. जेड. ई.	91	37	128	68	6	74	202
पी.डी.आर. कोरिया	पी. आर. के.	14	17	31	27	4	31	62
डी पी कांगो	सी. ओ. डी.	2	1	3	8		8	11
डेनमार्क	डी. ई. एन.	54	44	98	53	12	65	163
डीजिबउडी	डी. जे. आई.	1	1	2	5		5	7
डोमीनिका	डी. एम. ए.	2	2	4	4	1	5	9
डोमीनिकन रिपब्लिक	डी. ओ. एम.	11	2	13	15	1	16	29
इकवेडोर	ई. सी. यू.	8	3	11	13	2	15	26
मिस्र	ई. जी. वाई.	76	16	92	54	6	60	152
अल माल्वाडोर	ई. एस. ए.	4	4	8	12	2	14	22
ईक्वेटोरियल गुयाना	जी. ई. क्यू.	2	2	4	5		5	9
इरिट्रीया	ई. आर. आई.	2	1	3	5		5	8
एस्टोनिया	ई. एस. टी.	30	2	32	28	1	29	61
इथोपिया	ई. आई. एच.	19	12	31	16	1	17	48
एफ एस माइक्रोनेसिया	एफ. एस. एम.	3	2	5	6	4	10	15
फिजी	एफ. आर. जे.	6	4	10	10	4	14	24
फिनलैंड	एफ. आई. एन.	43	32	75	45	9	54	129
एफ वाई आर मेसाडोनिया	एम. के. ओ.	6	4	10	12	1	13	23
फ्रांस	एफ. आर. ए.	214	129	343	240	26	266	609
गाबोन	जी. ए. बी.	3	2	5	11	1	12	17
जाम्बिया	जी. ए. एम.	1	1	2	5	1	6	8
जार्जिया	जी. ई. ओ.	27	9	36	27	3	30	66
जर्मनी	जी. ई. आर.	243	191	434	234	39	273	707
घाना	जी. एच. ए.	22	8	30	19		19	49
ग्रेट ब्रिटेन	जी. बी. आर.	188	133	321	156	61	217	538
ग्रीस	जी. आर. ई.	92	62	154	73	14	87	241
ग्रेनाडा	जी. आर. एन.	2	1	3	3	4	7	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुआम	जी. यू. एम.	5	2	7	9	3	12	19
ग्वाटेमाला	जी. यू. ए.	14	1	15	14	3	17	32
गिनी	जी. यू. आई.	3	3	6	8	1	9	15
गिनी-बिसुआ	जी. बी. एस.	2	1	3	5	2	7	10
ग्वाना	जी. यू. वाई.	3	1	4	6	2	8	12
हैती	एच. ए. आई.	3	2	5	8	1	9	14
हांडूरास	एच. ए. एन.	19	2	21	14	2	16	37
हाँगकाँग, चीन	एच. ओ. एन.	19	12	31	23	7	30	61
हंगरी	एच. यू. एन.	118	74	192	105	13	118	310
आईलैंड	आई. एस. एल.	9	9	18	15	3	18	36
भारत	आई. एन. डी.	48	25	73	46	2	48	121
आई ओ. ए.	आई. ओ. ए.	3	1	4	5		5	9
इण्डोनेशिया	आई. एन. ए.	28	20	48	25	10	35	83
ईराक	आई. आर. क्यू.	2	2	4	4		4	8
आयरलैंड	आई. आर. एल.	45	26	71	37	13	50	121
आई. आर. ईरान	आई. आर. आई.	34	1	35	30	1	31	66
इजराइल	आई. एस. आर.	30	10	40	45	5	50	90
इटली	आई. टी. ए.	259	126	385	230	20	250	635
जमैका	जे. ए. एम.	24	29	53	22	6	28	81
जापान	जे. ए. पी.	158	110	268	157	23	180	448
जोर्डन	जे. ओ. आर.	4	4	8	13	3	16	24
कजाकिस्तान	के. ए. जेड	87	44	131	71	6	77	208
केन्या	के. ई. एन.	35	23	58	26	7	33	91
कोरिया	के. ओ. आर.	177	106	283	142	14	156	439
कुवैत	के. यू. डब्ल्यू.	32		32	25		25	57
किरगिस्तान	के. जी. जेड.	36	13	49	28	4	32	81
एल. पी. डी. आर.	एल. ए. ओ.	2	1	3	6	1	7	10
लाटाविया	एल. ए. टी.	30	15	45	28	6	34	79
लेबनान	एल. आई. बी.	4	2	6	12		12	18
लेसीथो	एल. ई. एस.	4	2	6	8	3	11	17
लाइबेरिया	एल. बी. आर.	6	2	8	7	1	8	16
लीबियन अरब जमाहीरिया	एल. बी. ए.	3		3	7		7	10
लीचतोन्स्टीन	एल. आई. ई.	1	1	2	4		4	6
लिथुआनिया	एल. टी. यू.	40	22	62	37	5	42	104
लक्जमबर्ग	एल. यू. एक्स.	2	5	7	9	1	10	17
मेडागास्कर	एम. ए. डी.	5	7	12	9		9	21
मालावी	एम. ए. डब्ल्यू.	1	1	2	4		4	6
मलेशिया	एम. ए. एस.	22	9	41	25	4	29	70
मालद्वीप	एम. डी. वी.	3	2	4	4		4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
माली	एम. एल. आई.	3	2	5	7	3	10	15
माल्टा	एम. एल. टी.	4	3	7	12		12	19
मारीतानिया	एम. आई. एन.	1	1	2	4	2	6	8
मारीशस	एम. आर. आई.	19	4	23	17	1	18	41
मैक्सिको	एम. ई. एक्स.	69	10	79	73	7	80	159
मोनाको	एम. ओ. एन.	3	1	4	5	2	7	11
मंगोलिया	एम. ओ. एल.	12	8	20	18	2	20	40
मोरक्को	एम. ए. आर.	49	10	59	38	1	39	98
मोजाम्बिक	एम. ओ. जेड.	2	3	5	8	2	10	15
म्योमार	एम. वाई. ए.	1	6	7	3	1	4	11
नामीबिया	एन. ए. एम.	11	2	13	13	2	15	28
नोरू	एन. आर. यू.	2	1	3	5	1	6	9
नेपाल	एन. ई. पी.	2	3	5	9	1	10	15
नीदरलैंड	एन. ई. डी.	152	88	240	117	21	138	378
नीदरलैंड एन्टीलीस	ए. एन. ओ.	6	2	8	12	4	16	24
न्यूजीलैंड	एन. जेड. एल.	80	70	150	74	29	103	253
निकारागुआ	एन. सी. ए.	5	2	7	11	1	12	19
नाइजर	एन. आई. जी.	2	2	4	7	1	8	12
नाइजीरिया	एन. जी. आर.	46	44	90	47	12	59	149
नार्वे	एन. ओ. आर.	50	50	100	57	15	72	172
ओमान	ओ. एम. ए.	8		8	9		9	17
पाकिस्तान	पी. ए. के.	26	1	27	16		16	43
पलायू	पी. एल. डब्ल्यू.	2	3	5	7	2	9	14
पेलेस्टाइन	पी. आई. एल.	1	1	2	3		3	5
पनामा	पी. आई. एन.	4	2	6	8	2	10	16
पपुआन्यूगिनी	पी. एच. जी.	2	3	5	6	4	10	15
परागवे	पी. ए. आर.	2	3	5	8		8	13
पी आर चाइना	सी. एच. एन.	96	187	283	138	29	167	450
पेरू	पी. एल. आर.	8	14	22	17	3	20	42
फिनीपीन्स	पी. एच. आई.	11	9	26	22	2	24	44
पोलैंड	पी. ओ. एल.	133	60	193	107	9	116	309
पुर्तगाल	पी. ओ. आर.	59	20	79	41	7	48	127
पोर्टोरिको	पी. यू. आर.	25	7	32	26	3	29	61
कतर	क्यू. ए. टी.	22		22	18	1	19	41
मालढोवगम	एम. डी. ए.	29	5	34	24	2	26	60
रोमानिआ	आर. ओ. एम.	26	79	155	75	13	88	243
रूस फेडरेशन	आर. यू. एस.	254	200	454	261	47	308	762
रवोडा	आर. डब्ल्यू. ए.	3	2	5	7		7	12
सेंट किटस व नेवीसी	एस. के. एन.	1	1	2	5	1	6	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सेंट लुसिया	एल. जी. ए.	3	2	5	7	1	8	13
सेंट किन्सटे एण्ड ग्रेनाइन्स	वी. आई. एन.	2	2	4	7	1	8	12
समोआ	एस. ए. एम.	4	1	5	9	1	10	15
सान मेरीना	एल. एम. आर.	3	1	4	7	1	8	12
साओ टीम एण्ड प्रिन्सिंश	एस. आई. पी.	1	1	2	4	2	6	8
सऊदी अरब	के. एस. ए.	23		23	22	1	23	46
सेनेगल	एस. ई. एन.	10	21	31	24	1	25	56
सिन्वेलस	एस. ई. वाई.	6	3	9	10	2	12	21
सायरा लियोन	एस. एल. ई.	7	1	8	5	2	7	15
सिंगापुर	एस. आई. एन.	6	6	14	11	3	14	28
स्लोवाकिया	एस. वी. के.	85	27	112	63	2	65	177
स्लोवेनिया	एस. एल. ओ.	57	21	78	44	2	46	124
सोलीमान द्वीप	एस. ओ. एल.	1	1	2	4		4	6
सोमालिया	एस. ओ. एम.	1	1	2	4		4	6
दक्षिण अफ्रीका	आर. एस. ए.	92	38	130	58	17	75	205
स्पेन	ई. एस. पी.	236	113	349	181	24	205	554
श्रीलंका	एस. आर. आई.	10	9	19	16	1	17	36
सूडान	एस. यू. डी.	2	1	3	7		7	10
सूरीनाम	एस. यू. आर.	2	2	4	6	1	7	11
स्वाजीलैंड	एस. डब्ल्यू. जेड.	4	2	6	9	2	11	17
स्वीडन	एस. डब्ल्यू. एल.	99	56	155	89	27	116	271
स्विटजरलैंड	एस. यू. आई.	66	39	105	67	14	81	186
सीरियन अरब रिप.	एस. वाई. आर.	5	2	7	11	1	12	19
ताजिकिस्तान	टी. जे. के.	2	2	4	8	2	10	14
थाइलैंड	टी. एच. ए.	38	21	59	35	5	40	99
टोगो	टी. ओ. जी.	2	1	3	5		5	8
टोंगा	टी. जी. ए.	2	1	3	4	3	7	10
ट्रिनिडाड व टोबागो	टी. आर. आई.	17	6	23	16	1	17	40
ट्यूनिसिया	टी. यू. एन.	41	7	48	30	2	32	80
तुर्की	टी. यू. आर.	44	15	59	36	4	40	99
तुर्कमेनिस्तान	टी. के. एम.	4	4	8	10	1	11	19
युगांडा	यू. जी. ए.	9	4	13	14	1	15	28
उक्रेन	यू. के. आर.	143	94	237	145	17	162	399
संयुक्त अरब अमीरात	यू. ए. ई.	4	1	4	6	1	7	11
यू.आर. तंजानिया	टी. ए. एन.	3	1	4	6		6	10
संयुक्त राज्य अमरीका	यू. एस. ए.	338	265	603	304	101	405	1008
उरूग्वे	यू. आर. यू.	12	3	15	17	3	20	35
उजबेकिस्तान	यू. जेड. बी.	55	22	77	46	8	54	131
वनौतू	वी. ए. एन.	2	1	3	6	1	7	10
वेनेजुएला	वी. ई. एन.	37	14	51	39	5	44	95
वियतनाम	वी. आई. ई.	3	4	7	11	1	12	19
विरजिन द्वीप समूह	आई. एस. वी.	6	3	9	8	5	13	22
यमन	वाई. ई. एम.	1	1	2	2	1	3	5
यूगोस्लाविया	वाई. यू. जी.	94	18	112	57	2	59	171
जाम्बिया	जेड. ए. एम.	6	2	8	6	1	7	15
जिम्बाबे	जेड. आई. एम.	11	5	16	15	2	17	33
कुल		6862	4254	11116	6763	1215	7978	19094

आंकड़े 21 सितम्बर, 2000 को प्रातः 06.00 बजे ठीक किए गए।

[अनुवाद]

डा॰ वी॰ सरोजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्यों और अपनी ओर से करणम मल्लेश्वरी को बधाई देता हूं जो हाल ही में हुए सिडनी ओलम्पिक 2000 में एकमात्र पदक विजेता रही है। मैं आशा करता हूं कि उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करने में यह सभा मेरे साथ है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

डा॰ वी॰ सरोजा : महोदय, पदक जीतने की संभाव्यता के आधार पर अर्हर मानकों के अनुसार भारत के केवल छह प्रतियोगिताओं अर्थात् एथलेक्टिस, मुक्केबाजी, हॉकी (पुरुष और महिला) शूटिंग, टेनिस तथा भारोत्तोलन (महिला) में भाग लेने की आशा थी।

महोदय, भारतीय ओलम्पिक दल में 121 व्यक्ति थे जिनमें से 71 खिलाड़ी, 28 व्यक्तियों में कोच, डॉक्टर और नर्सें थी, तथा 22 व्यक्तियों में प्रबंधक वर्ग के लोग थे। यह दु:ख की बात है कि हॉकी के आशीश बलाल और साबू वरके तथा भारोत्तोलक कुंजरानी देवी जैसे श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से भारतीय ओलम्पिक संघ के कार्यों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बारीकी से जांच करवाने की मांग कर सकता हूं? मैं इसकी इसलिए मांग कर रहा हूं क्योंकि संघ के कुछ सदस्य भी खेलों को बढ़ावा देने की बजाय अपने कार्यों में रुचि थी।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सर, मैं सबसे पहले माननीय सदस्या को तथा इस सदन को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने करणम मल्लेश्वरी को जो बधाई दी है, साधुवाद दिया है, मैं करणम मल्लेश्वरी तक उनकी बधाई पहुंचा दूंगी। ओलम्पिक में भाग लेने के लिए जो भी खिलाड़ी हमारे देश से गये, चाहे वे किसी भी डिसिप्लिन के हों, उन्होंने जब क्वालिफाइंग स्टेंडर्ड के अनुरूप प्रदर्शन किया, उसके बाद ही उन्हें आलम्पिक में भाग लेने के लिए भेजा गया।

इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन के बारे में मानीय सदस्या ने जो कहा है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि जितनी जानकारियां मांगने का हमें अधिकार है, वे जानिकारियां मांगने के लिए हमने एक पत्र उन्हें भेजा हुआ है। जब जानकारियां एकत्रित हो जायेंगी तो उनसे हम सदन को अवगत करा देंगे। सदन की और माननीय सदस्या की यह भावना है और यह ठीक भी है कि ओलम्पिक में हमारा प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं होता है। ....*(व्यवधान)* इतना बड़ा देश होते हुए भी हमारी स्थिति जो ओलम्पिक में होती है उससे हमें कोई प्रसन्नता नहीं होती है। फिर भी हम खेलों के एक-एक डिसिप्लिन एक-एक विभाग की समीक्षा कर रहे हैं और सारे विवरण एकत्रित कर रहे हैं। जो त्रुटियां रह गयी हैं उनमें सुधार का प्रयत्न करेंगे जिससे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है वे और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसमें हम उन्हें सहयोग करेंगे। बाकी सी. बी. आई. के बारे में जो बहन सरोजा ने पूछा है तो सी. बी. आई. इंक्वायरी की आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। हमने पूरे विवरण मांगे हैं और हम उनकी कार्य-प्रणाली की समीक्षा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा॰ वी॰ सरोजा : महोदय, यह मेरा निजी विचार है कि भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलम्पिक संघ और संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ के बीच कोई समन्वय, सहयोग और समुचित तालमेल नहीं है। उन्होंने भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों के कौशल, आधुनिक उपकरणों, वैज्ञानिक सहायता और सम्बद्ध खेल कार्मिकों की अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का उपयोग किया। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार खेल विषय को सघ सूची के अंतर्गत लाने, खेल संघों और परिसंघों को विनियमित करने हेतु कानून बनाएगी और जब तक ऐसा नहीं किया जाए तब तक खेल संघों और परिसंघों को जारी होने वाले सभी अनुदान रोक दिया जाएं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : बहन सरोजा जी ने दो सवाल किय हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को और उनको यह जानकारी देना चाहती हूं कि आज उन्होंने सवाल पूछ कर मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया है कि मैं सदन के सामने यह बात रख दूं कि खेल समवर्ती सूची में नहीं है। इसके कारण हमको दिक्कत होती है। अगर खेल समवर्ती सूची में आ जाएं तो अच्छा है। दो वर्ष पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की मीटिंग में हमने यह प्रस्ताव रखा था जिससे फैडरेशन की कार्यप्रणाली में और पारदर्शिता आ सके तथा खिलाड़ियों को और अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा सके व खेलों के स्तर में और बेहतरी लाई जा सके। इसलिए बहन सरोजा जी ने जो सवाल किया है उसका उत्तर देते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि दो वर्ष पहले जो बैठक स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की हमने बुलाई थी और दो-तीन साल के प्रयत्नों का फल यह निकला है कि अधिकाशं राज्य खेलो को समवर्ती सूची में लाने को तैयार हैं।

सभी राजनीतिक दलों के साथ परामर्श अभी बाकी है। यदि सभी राजनीतिक दलों की राय इसके पक्ष में हो जाए और खेल कनक्रैंट लिस्ट में आ जाएंगे तो निश्चत रूप से हम और ट्रांसपैरेंसी ला सकेंगे। यदि हम स्पोर्ट्स में रिफार्म्स लाने के लिए कहीं कुछ कड़ाई का बर्ताव करना चाहें तो उसे ठीक तरीके से कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इनका सवाल है कि यह बात भारत सरकार के माइंड में है या नहीं?

कुमारी उमा भारती : वह है। मैं उनका सवाल समझ गई थी। हमें अभी राज्यों की सहमति मिल गई है लेकिन राजनीतिक दलों की सहमति नहीं मिली है। तब तक राजनीतिक दलों की सहमति नहीं मिलती, तब तक हम इसे ला नहीं सकते। मैं तो चाहूंगी कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहां संसद सदस्य की हैसियत से मौजूद हैं, वे लोग इसमें हमारा सहयोग करें और जब भी इस तरह की बाते हों, उसमें अपनी राय हमारे पक्ष में दें ताकि हम इसे ला सकें।

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा गया था कि क्या इस पूरे प्रकरण की जांच का कोई विचार है? इसमें मानीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कोई प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय: इन्होंने उत्तर में बताया है कि अभी जांच हो रही है।

योगी आदित्यनाथ : लिखित जवाब के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। सिड्नी ओलम्पिक में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन था। मात्र एक कांस्य पदक हमारी एक खिलाड़ी जीत पाई थी और कांस्य पदक भी वह खिलाड़ी जीती, जो टीम वहां गई. उससे भारतीय ओलम्पिक ने उसे अलग करने की कोशिश की थी । आज पूरे देश की करोड़ों जनता की भावनाओं को आहत करके क्रिकेट जैसे खेलों में कुछ शीर्ष खिलाड़ियों द्वारा सौदेबाजी में लिप्त होते पाया गया। हमारे खिलाड़ियों का जो निराशाजनक प्रदर्शन सिड्नी में था, इसकी सी. बी. आई. जांच या उच्च स्तरीय जांच भारत सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है?

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, योगी जी ने बात पूछी, उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि सी. बी. आई. जांच सम्भव नहीं है लेकिन हम इसकी निश्चित रूप से पूरी समीक्षा कर रहे हैं और इस बात के लिए दृढ़ निश्चयी हैं कि खिलाड़ियों की अच्छी परफॉरमेंस में अगर कोई अच्छी चीज बाधक बनती है तो उसे बाधक न बनने दिया जाए। हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। योगी जी ने जो बात कही है, जैसा पहले सरोजा जी के उत्तर में बताया कि जितने भी डिसिप्लिन के खिलाड़ी, उनके कोचिज और मैनेजर वहां भाग लेने के लिए गए थे, उन सब की समीक्षा हो रही है कि किस खेल में उनकी कैसी परफॉरमेंस रही और उसके क्या कारण रहे? भविष्य में जब भी अवसर आएगा तो हम उस समीक्षा को सदन के साथ शेयर करेंगे। सी. बी.आई. जाच इसमें सम्भव नहीं हो सकती।

[अनुवाद]

प्रो॰ ए॰ के॰ प्रेमाजम : महोदय, अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं यह बताना चाहता हूं कि सिडनी ओलम्पिक में खेलों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक और खराब रहा।

इस पृष्ठभूमि में पुन: मेरा प्रश्न यह है। क्या भारत सरकार का विचार युवा एथलीट और खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण देने और उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं के लिए उपयुक्त बनाने का है?

मैं कतिपय समाचार पत्रों में छपी कुछ रिपोर्टों के बारे में माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि कुछ प्रतिभावान एथलीटों और खिलाड़ियों को पक्षपात के आधार पर दरकिनार किया गया। क्या समाचार पत्रों की इन रिपोर्टों में कुछ सच्चाई है?

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक स्पोर्ट्स पालिसी बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं जिस में यही उपाय निकाल रहे हैं कि हम कैसे खिलाड़ियों को कैच दैम यंग के अन्तर्गत बहुत छोटे से खिलाड़ियों को तैयार करें और कैसे हम खेल में इस तरह के ग्लैमर पैदा करें कि माता-पिता भी अपने बच्चों को खेल कैरियर के रूप में अपनाने में कोई संकोच न करें और उनहें कोई परेशानी न हो। इसके लिए हम बहुत जल्दी स्पोर्ट्स पालिसी के माध्यम से सभी बातों को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने दूसरी बात पूछी कि अखबारों के माध्यम से जो बातें आई हैं कि कुछ खिलाड़ियों को जाने नहीं दिया गया और कुछ को जाने दिया गया, मैं उसके बारे में जानकारी दे दूं कि सिड्नी ओलम्पिक जो हुए इस ओलम्पिक में दूसरे ओलम्पिक से एक अलग विशेषता रही है कि सिडनी ओलम्पिक आर्गनाइजर्स ने खिलाड़ियों के रहने, उनके आने-जाने का सारा खर्चा किया और उसके साथ टीम के मैनेजर्स, कोचेज और डाक्टर्स थे, उनका भी खर्चा दिया है। इस सब के लिए उन्होंने खिलाड़ी की मैरिट देखी। हमने जो मैरिट उन्हें भेजी, उन्होंने देखी और तब ओ. के. किया। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मैच कर रहा था, उन्होंने उस मैचिंग को देखा और जिन लोगों के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, वे लोग ही वहां जा सके, बाकी लोग वहां नहीं जा सके। इस प्रकार अन्याय की बात कहीं नहीं हो पाई। अगर ऐसी कोई विशेष बात हमारे ध्यान में आयेगी तो निश्चित रूप से उसके एक-एक पहलू की जांच करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि हमेशा की तरह एक महिला ने ही इस देश के सम्मान की रक्षा की।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए माननीय महिला सदस्यों को अवसर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : करणम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता है; इससे पहले पी॰ टी॰ ऊषा थी। जिसने देश की इज्जत बचायी और एक-दो मैडल लेकर आई, वह अलग बात है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि स्पोर्ट के लिए एक नई पालिसी लेकर आयेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अब तक इतनी पालिसीज रही है, आप्रेशन एक्सीलेंस ली थी जिसमें यह तय किया गया था कि 10 डिस्पिलिन्स को सिलैक्ट करेंगे ताकि देश के लिए कोई विनिंग चांस हो, 20-25 डिस्पिलिन्स पर कांसंट्रेट न करें। उस बात को छोड़ दिया गया और 5-6 सौ लोग जाते हैं लेकिन केवल ऐ ब्रौंज मैडल लेकर आते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी पूछना चाहती हूं कि क्या आपने 'आप्रेशन एक्सीलेंस' के अंतर्गत अपनाए गए दृष्टिकोण को छोड़ दिया है? हम लोगों ने पहले कहा था कि स्पोर्ट को कनकरंट लिस्ट में लायें। राज्य सहमत हो गए हैं और प्रारूप विधेयक संसद में पुर:स्थापित हो गया है। अब पालिटिकल पार्टीज से बात करने का क्या मतलब है जब मेजौरिटी स्टेट गवनर्नमेंट्स एग्री कर रहीं हैं, कांस्टीटयूशन अमंडमेंट लाने में काई मुश्किल नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आप इसको जल्दी इंट्रोडयूस करेंगे। यदि फैडरेशन के हाथ में फोर्ट छोड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप इसे कनकरंट लिस्ट में लायें, गाइडलाइन्स को इंपलीमेंट करें, तभी कुछ हो सकता है। उमा जी, अगर आप नहीं कर पायेंगी तो कोई नहीं कर पायेगा।

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मारग्रेट दीदी को याद दिलाना चाहती हूं कि वे स्वंय भी इस विभाग में मंत्री रही हैं और इसलिए उन्हें इस बात का पता है कि विभाग में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वे पुराने डायलाग कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, जब हम नहीं सुधरे हैं तो बाकी को हम क्या सुधार पायेंगे। उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से महिलाओं को सवाल करने के लिए प्रश्रय दिया है और वे लगातार ओलम्पिक में किसी भी स्तर पर सही मैडल लेकर आ रही हैं। मैं मारग्रेट दीदी को बता दूं कि जिस प्रकार से महिलायें हर क्षेत्र में बाजी मार रहीं हैं, उसे देखते हुये कुछ समय बाद ऐसी हालत होने वाली है कि पालिटिक्स में रिजर्वेशन की मांग की बात पुरुषों की तरफ से उठेगी। अगले 30-40 सालों में ऐसी स्थिति हो सकती है। जहां तक मारग्रेट दीदी ने सैंटर फार एक्सीलेंस की बात उठायी है मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि उनके समय में तो 10 डिस्पिलन्स सिलैक्ट करते थे लेकिन कुछ समय पूर्व स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया के माध्यम से महिलाओं के लिए और सभी वर्गों के खिलाड़ियों के लिये सैंटर फार एक्सीलैंस हमने खोले हैं। हम पुरानी परम्परा को बनाये रखने की कोशिश कर रहें हैं। बीच में एक समय ऐसा आया था कि इसे समवर्त्ती सूची में ले लें लेकिन तब सभी राज्य सहमत नहीं थे। इसका कारण यह रहा कि राज्यों में सरकारें बदलती रहती हैं और उसी मुताबिक उन राज्यों के व्यू बदलते रहते हैं। इसलिए बीच में दिक्कत आई थी लेकिन एक-दो साल के प्रयास से यह हो गया। अगर इस सदन में ऐसी स्थिति बन गई और समवर्त्ती सूची में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत जल्दी हमें इसे लाना चाहेंगे। मारग्रेट दीदी अच्छी तरह से जानती हैं और उन्हें विभाग का पूरा पता है कि समवर्त्ती सूची के अभाव में जो तड़प उनके अंदर थी, जो आग उनके मन में थी कि स्पोर्ट्स में रिफार्मस लाये जायें तो उस आग की एक चिंगारी मेरे मन में भी है। अगर समवर्त्ती सूची में खेल आ जाये तो इससे हमें काफी हैल्प मिलेगी। अगर यह स्थिति बन गई है जो जल्दी ही निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे ताकि खिलाड़ियों की आशायें पूरी हो सकें, उनकी परफार्मेंस बेहतर बन सके और हम भारत की शान बढ़ा सकें।

श्री कीर्ति झा आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा की ऑफीशियल डेलीगेशन के अलावा क्या 80 लोगों का दल मियां-बीवी बच्चों सहित एशियन बिड्स कमेटी के नाम से सिडनी में गया था। यदि वह दल गया था तो उस सिडनी बिड्स में जो लोग गये थे उसके हमें कितने वोट प्राप्त हुए, उस एशियन गेम्स का क्या हुआ और क्या यह भी सही है कि उसके लिए 11 सितम्बर को खेल मंत्रालय की ओर से कुछ पैसा उस बिड कमेटी को दिया गया, जिसके लिए फाइनेन्स मिनिस्ट्री या आर. बी. आई. से परमीशन नहीं ली गई थी और उसका फॉरेन एक्सचेंज कहां से आया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि विदेशों से जो कोच बुलाये जाते हैं, जब ये लोग जकार्ता या दूसरी जगह पर गये थे तो वहां पर ड्रग टैस्टिंग उतनी ज्यादा नहीं थी और उनका परफारमेन्स एनहान्स करने के लिए ये ड्रग्स उन्हें दिये गये थे, जिसका प्रयोग ये लोग सिडनी में नहीं कर सके। क्या यह सच नहीं है कि जब लोग कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी जकार्ता में पीक पर गये थे लेकिन सिडनी ओलम्पिक वैसा नहीं कर सके। मैं इन दो प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं। मैंने एकदम सीधे प्रश्न पूछे हैं।

कुमारी उमा भारती : सर, माननीय सदस्य के दोनों सवाल बिल्कुल ही अलग दिशाओं में हैं, लेकिन मैं दोनों के उत्तर दूंगी।

श्री मोहन रावले : दोनों स्पोर्ट्स से संबंधित हैं।

कुमारी उमा भारती : हां, दोनों स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, लेकिन इस प्रश्न की परिधि का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं दोनों के उत्तर दूंगी। पहली बात यह है कि उन्होंने जो कहा है कि भारत का जो ओलम्पिक एसोसिएशन है, उन्होंने हमसे बिडिंग के लिए, कैम्पेन के लिए खर्चा मांगा था, उसमें हमने उन्हें 75 लाख रुपये दिये थे और उस 75 लाख रुपये का हमने उनसे ब्यौरा मांगा था। उन्होंने उस पैसे को खर्च करने का जो ब्यौरा हमारे पास भेजा है, उसमें हमने उन्हें जो अनुमति दी कि वह किस-किस में खर्च कर सकते हैं और किस-किस में खर्च नहीं कर सकते हैं, उसका ब्यौरा उन्होंने हमारे पास भेजा है, जिसे हमने ऑडिट कराने के लिए भेज दिया है। ताकि वास्तव में जिसके नाम पर उन्होंने हमसे पैसा मांगा था वह उसी हिसाब से खर्च हुआ है या उन्होंने इसे कहीं और भी खर्च किया है। वह हमने ऑडिट कराने के लिए भेजा है। उसकी रिपोर्ट आ जायेगी।

उन्होंने एक दूसरी बात पूछी है कि जकार्ता में जैसा परफार्मेन्स था, वह हम सिडनी में क्यों नहीं दिखा पाये ...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : हमने पूछा है कि दल में मियां-बीवी-बच्चे और सब लोग गये थे, उसकी लिस्ट होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जांच करने के लिए भेजा है।

कुमारी उमा भारती : आप ओलम्पिक के दल की बात कर रहे हैं या बिडिंग के लिए कह रहे हैं।

श्री कीर्ति झा आजाद : बिडिंग के लिए भारत सरकार ने जो पैसा दिया है जब वह परिधि में आता है, आपसे पूछा गया कि ब्यौरा कितना था। सिडनी में सब देश वहां पर थे, इस कारण से उसका फायदा लेने के लिए गये थे, उस पर पैसा खर्च हुआ। एक तरफ कहते हैं कि पैसा नहीं मिलता और दूसरी तरफ कहते हैं .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह बात समझ गये हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : बिडिंग के लिए उन्होंने जो हमसे पैसा मागा था वह एशियाड की बिडिंग के लिए मांगा था। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि उन्हें कितने वोट मिले। हमने उन्हें 75 लाख रुपये रिलीज किये थे। उन्होंने हमें जो हिसाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक तो फिल्म बनाने के लिए, पब्लिसिटी मैटीरियल बनाने के लिए और इस तरह की चीजों के लिए खर्चा किया है। उन्होंने जो ब्यौरा भेजा है वह हम ऑडिट करवा रहे हैं। बिडिंग में हमें दो वोट मिले हैं। ओलम्पिक में जो

लोग खेलने के लिए गये थे, उसमें गवर्नमैंट का एक दल गया और एक ओलम्पिक एसोसिएशन का अपना दल गया। गवर्नमैंट का जो दल गया था, उसमें नौ लोग गये थे। उसका पूरा ब्यौरा हमारे पास आ गया है और जो थोड़े बहुत छोटे-छोटे ब्यौरे रह गये हैं, वे आने वाले हैं। ओलम्पिक एसोसिएशन की तरफ से जो वहां गये थे, उनमें से अधिकतर का खर्चा जैसा मैंने आपको बताया कि खिलाड़ियों का उनकी टीम का सबका खर्चा सिडनी ओलम्पिक के लोग आर्गेनाइजर्स ने दिया था। अब ऐसी कुछ और भी बातें आई हैं और माननीय सदस्य ने यहां जानकारी दी है, ऐसी और भी जानकारियां आई हैं कि कुछ ऐसे लोग भी गऐ थे, जिकी हमारे पास जानकारी नहीं थी कि वे लोग भी गये हुए हैं। ऐसे लोग अपनी स्टेट की फैडरेशंस की तरफ से या स्टेट के संघ की तरफ से गऐ हुए थे। उनकी जानकारियां हमने मंगाई हैं। जब ये जानकारियां एकत्रित हो जायेंगी तो हम उन्हें सदन के साथ शेयर करेंगे।

श्री कीर्ति झा आजाद : आपने परफार्मेन्स का नहीं बताया, वहां ड्रग्स देते हैं। एक 32 साल का नौजवान लड़का वहां मरा है। चूंकि ड्रग्स लेने के कारण उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। आपके खिलाड़ियों को इस प्रकार से ड्रग्स दी जा रही है।

कुमारी उमा भारती : एक तो यह सवाल इस प्रश्न की परिधि से बाहर था। इन्होंने जो पूछा है वह सवाल एक कोने में खड़ा हुआ सवाल है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद : यहां प्रदर्शन की बात है और इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें सभी बातों पर चर्चा करनी होगी।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : इन्होंने जो जानकारी मांगी है वह एकदम नई जानकारी मांगी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखित रूप से भिजवा दीजिए।

कुमारी उमा भारती : हां मैं निश्चित रूप से भिजवा दूंगी।

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदय, मुख्य प्रश्न में पुणे स्थित मिलिट्री अस्पताल के कार्डिक एंड थोरेसिक सेंटर में खेलकूद के लिए किये गये आनुवंशिक अध्ययन की बात की गई है। क्या मैं उन दवाओं के बारे में नहीं पूछ सकता जिसने 32 वर्ष के व्यक्ति को प्रभावित किया ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि अभी इनफॉर्मेशन रेडिली एवेलेबल नहीं है। आपको लिखित रूप में भेज दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद : लेकिन मैंने अस्पताल के बारे में पूछा था।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम खेल नीति बनाएंगे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सिर्फ ओलम्पिक नहीं बल्कि जितने भी खेल हैं, क्या उनमें गांव के लोगों को प्राथमिकता दी गई है? मूल सवाल यह है कि हमारे जितने राष्ट्रीय खेल हैं और बार-बार लोक सभा में भी मैंने कई बार कहा असली कारण यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं, उनकी उपेक्षा लगातार हो रही है और जितने ऐसे खेल हैं जैसे क्रिकेट ही है, क्रिकेट के बारे में बार-बार हम कह रहे हैं कि गुलाम देशों में ही खेला जा रहा है, उसको बंद करना चाहिए, उससे हमारे देश का सम्मान गिरा है, लेकिन अभी तक उस पर प्रतिबंध नहीं लगा। उससे हमारा सम्मान नहीं बढ़ रहा है। क्या मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों में स्विमिंग पूल, स्टेडियम जैसे वे सारी सुविधाएं देंगे, जो शहरों में दी जा रही हैं? असली खिलाड़ी तो गांवों में ही है। उन गांवों के खिलाड़ियों को क्या प्राथमिकता आपके द्वारा दी जा रही है? जो चयनित बोर्ड है, उसकी चयन समिति में गांवों के कितने लोग हैं? उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में समुद्रों या नदियों के किनारे बसने वाली जातियों को केवट, निषाद या मल्लाह कहते हैं, उनका मुकाबला तैराकी में दुनिया में कोई नहीं कर सकता। समुद्र और नदियों के किनारे जो 14-16 साल के लड़के जो केवट, निषाद या मल्लाह जाति के हैं, उसमें से कितने तैराकी के लिए चयनित किये गए? अगर नहीं किये गए तो क्यों नहीं किये गए? वे भले ही गरीब हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर तैराकी के लिए चयनित किया जाएगा तो हिन्दुस्तान का मुकाबला तैराकी में कोई नहीं कर सकता है। क्या आप इस पर विचार करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, यह सवाल सिडनी में हमारी टीम की क्या पोजीशन रही, उसके बारे में था। आप थोड़ा उससे अलग चले गए।

श्री मुलायम सिंह यादव : जब असली गांवों का सवाल आया तो आप भी यह बात कहने लगे? माफ कीजिएगा, जब गांव का सवाल आया जिसको गंभीरता से लिया जाना है तो उसका तो जवाब हो जाने दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को उत्तर देने का अवसर दें।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, मैं उन्हें आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके माध्यम से तैराकी या अन्य खेलों के लिए चयन किया जाता है। कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें गांव के लोगों की ही ऐक्सेलेन्स रह गई है जैसे कबड्डी, हॉकी, खो-खो और तैराकी है, और इसलिए हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं। मगर खिलाड़ियों से जाति नहीं पूछी जाती है कि वे कौन सी जाति के हैं या नहीं हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : कुश्ती में बताइए।

कुमारी उमा भारती : कुश्ती में तो मुलायम सिंह जी, आप ही बहुत भारी पहलवान रहे हैं। यह बात अलग है कि आजकल राजनैतिक अखाड़े की कुश्ती में ज्यादा पहलवानी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी कुश्ती में?

कुमारी उमा भारती : जी हां उपाध्यक्ष जी, आप पूछिये।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर तो हमें संभलकर रहना पड़ेगा।

कुमारी उमा भारती : उन्होंने जो कांग्रेस को पटकनी दी थी, वह भी उसी राजनैतिक कुश्ती का हिस्सा थी।

उपाध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूं कि सदन में और भी माननीय सदस्य हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, जो पिछड़े वर्गों के हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं मगर जिन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाई। आपने जो बात कही है, जब से मैं खेल मंत्री बनी हूं, मेरे मन में यह बात है और मैं स्वयं इस बात की फिक्र करती हूं और मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्सेलेन्स सेन्टर्स खुलते हैं, उसमें तैराकी वगैरह के खेलों में मछुआरों के बच्चे आ सकें इस बारे में विशेष हिदायत दे रखी है। आपने जो कहा है, वह सत्य बात है कि वास्तव में सोशल कंपोजीशन का खेलों में ध्यान रखना जरूरी नहीं है लेकिन यह जान-बूझकर लापरवाही हो तो जान-बूझकर ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। यद्यपि खिलाड़ियों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान तो हम निश्चित रूप से रख रहे हैं कि आदिवासी वनवासी पिछड़े, दलित, शोषित और गरीब तबके के गांवों के बच्चे, जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, उन तक खेलों की सुविधाएं हम पहुंचाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन खेलों में उन्हें पूरी महारत हासिल है, उन खेलों में उन्हें पूरी तरह ट्रेंड करने और पूरी सफलता प्राप्त कराने में हमारे विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इस बात का आश्वासन मैं आपके माध्यम से सदन में देती हूं।

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सदन में अच्छी कुश्ती कर लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में कुश्ती भी हमारे थ्रू होनी चाहिए।

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हमारे रैफरी हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला : उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे देश के खेल मंत्री एक अच्छे खिलाड़ी बन गए हैं, तो मैं आशा कर सकता हूं कि हमारे देश के खेल जगत का अच्छा भाग्य रहेगा।

कुमारी उमा भारती : धन्यवाद बापू जी।

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी हमारी सदस्या, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा जी ने कहा, यह बड़े शर्म की बात है कि खेलों में इतना भेदभाव होता है। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की घटना, बड़े शर्म की बात है, बेचारी महिला, वेट लिफ्टर, उसको सिर्फ कांस्य पदक मिल कर रह गया, बड़े शर्म की बात है।

कुमारी उमा भारती : बापू, महिला को आप "बेचारी" कह कर संबोधित न करें।

श्री शंकर सिंह वाघेला : ठीक है। मैं क्षमा चाहता हूं। आपको देखने के बाद तो मैं महिला के बारे में इस शब्द को प्रयोग बिलकुल नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि इंटरनैशनल स्टेंडर्ड के अनुसार हिन्दुस्तान में हम अपने खिलाड़ियों को तैयार करने पर कितना खर्च करते हैं और आजकल इतने सांइटीफिक इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, तो भारत सरकार इंटरनैशनल स्टेंडर्ड के इक्विपमेंट के माध्यम से भारत के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कितना खर्च कर रही और इसको इम्पलीमेंट कब तक कर दिया जाएगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानदंडों के अनुरूप खिलाड़ियों को तैयार करने में सरकार कितना व्यय करेगी, यह सारी जानकारी हमें बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी जानना चाहता हूं कि हमारे देश में वर्तमान में खिलाड़ियों के चयन की जो घटी और गन्दी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत एक अच्छे और स्वाभिमानी खिलाड़ी का चयन तब तक नहीं होता जब तक कि सरेंडर न करे और यदि कोई महिला खिलाड़ी है, तो उसका मरना ही हो जाता है। इस प्रक्रिया को समाप्त कर, चयन प्रक्रिया को बिलकुल सांइटीफिक ढंग से बनाने एवं इसमें दखलदाजी समाप्त करने, इसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या कारंवाई कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया, बिलकुल संक्षेप में जवाब दें।

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एग्जैक्ट फिगर्स देने में इसलिए असमर्थ हूं कि अलग-अलग खिलाड़ियों की अलग-अलग डाइट और प्रशिक्षण का खर्च अलग-अलग होता है। इसलिए हर डिसिप्लिन के मुताबिक भिन्न-भिन्न खर्च हो के कारण इस समय इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे कठिनाई है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे, तो मैं उन्हें बाद में भिजवा दूंगी।

हम इस बात का प्रयास करते हैं कि खेलों में हमारे खिलाड़ियों को जो भद्द पिटती है उससे हम बचें। सबसे ज्यादा हल्ला अधिकतर राजनेताओं की तरफ से ही होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम स निवदन करता चाहती हूं कि हमारा विभाग इस बात के लिए डिटरमिन है कि स्पोर्ट स्प्रिट में रिफार्म लाएं। मार्ग्रेट आल्वा जी ने जब से यह बात कही है तब से हमारा डिपार्टमेंट खिलाड़ियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए व्याकुल है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज खिलाड़ियों की जो स्थिति है वह ठीक नहीं। कभी-कभी तो मैंने देखा है कि खिलाड़ियों को सुविधाएं कम मिल रही हैं और खिलाड़ियों को सुविधाएं मुहैया कराने वाले जो अधिकारी हैं वे ज्यादा

सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। मैंने यहां तक देखा है कि अधिकारी या हम तो कारों में जा रहे हैं और हमारे खिलाड़ी ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं। हमारे अधिकारी तो ए. सी. में बैठे हैं और खिलाड़ी के कमरे में कूलर तक नहीं हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि खिलाड़ियों के बाथरूम तक साफ नहीं हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला : इसीलिए मंत्री महोदय, मैंने इंटरनैशनल स्टेंडर्ड के बारे में पूछा है। आप कृपया अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानदंडों के बारे में अपने खिलाड़ियों को तैयार करने एवं सुविधाएं प्रदान करने के ऊपर आने वाले खर्च के बारे में बताएं?

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के फिगर्स जैसा मैंने प्रारंभ में कहा तत्काल मेरे पास नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगी। अलग-अलग खेलों के अनुसार भिन्न-भिन्न खानपान एवं प्रशिक्षण पर व्यय होता है जो प्रत्येक खेल के हिसाब से अलग हैं। इसके लिए मुझे अभी पूरा पोथा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने प्रारंभ में ही मुझे निर्देश दिया था कि मैं प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दूं। इसलिए मैं इस पोथे को पूरा नहीं पढ़ूंगी।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ..... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सिडनी ओलम्पिक से संबंधित इस प्रश्न के लिए 33 मिनट का समय लिया है। क्योंकि मेरे विचार से यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न पूछकर आप मुद्दे को उचित नहीं ठहरा सकते। यदि माननीय मंत्री जी सहमत हैं तो हम इस पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

कुमारी उमा भारती : महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा करने की अनुमति दी जाये। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, जो खिलाड़ी नहीं हैं, उनको तो आपको बोलने का मौका दिया है लेकिन हमारे कीर्ति आजाद के सिवाय *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : रावले जी, अब आप आधे घंटे की चर्चा हेतु सूचना दीजिए।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : इतनी बार आपसे मिलने की कोशिश की लेकिन आप मिलती नहीं।...*(व्यवधान)*

दलहनों का उत्पादन

*102. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्य-वार दालों की प्रत्येक किस्म का पृथक पृथक कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया ;

(ख) असिंचित क्षेत्रों में दलहनों और अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ; और

(ग) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में दलहनों के उत्पादन पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में वर्ष 1998-99, 1999-2000 के दौरान उत्पादित दलहनों की किस्मवार मात्रा निम्नवत है:

(लाख मी॰ टन उत्पादन)

	1998-99	1999-2000 (अनुमानित)
अरहर	27.7	26.5
अन्य खरीफ दलहन	23.9	21.5
चना	66.8	50.8
अन्य रबी दलहन	29.6	31.8
कुल खरीफ दलहन	51.6	48.0
कुल रबी दलहन	96.4	82.6
कुल दलहन	148.0	130.6

1998-99, 1999-2000 वर्षों के दौरान राज्यवार दलहन-उत्पादन संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

(ख) गैर-सिंचित क्षेत्रों में दलहनों तथा अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कीमें नीचे दी गई है:-

(1) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

(2) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

(3) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम

(4) समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (मोटे अनाज)

(ग) इन स्कीमों पर वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान किया गया व्यय नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये)

स्कीम का नाम	1998-99	1999-2000 (अनुमानित)
1. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	3600.00	3417.50
2. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	10230.00	9996.50
3. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	495.00	510.00
4. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (मोटे अनाज)	2584.42	1680.25

अनुबंध

दलहनों का राज्यवार उत्पादन

(लाख मी॰ टन)

क्रम सं॰	राज्य	उपलब्धि 1998-99	उपलब्धि (अनुमानित) 1999-2000
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7.63	8.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.07	-
3.	असम	0.70	0.60
4.	बिहार	6.97	7.01
5.	गोवा	0.09	-
6.	गुजरात	6.33	4.11
7.	हिमाचल प्रदेश	0.13	0.18
8.	हरियाणा	3.53	0.95
9.	जम्मू और कश्मीर	0.18	0.26
10.	कर्नाटक	7.22	6.75
11.	केरल	0.27	0.23
12.	मध्य प्रदेश	35.73	38.05
13.	महाराष्ट्र	22.55	21.88
14.	मणिपुर	-	
15.	मेघालय	0.03	-
16.	मिजोरम	-	
17.	नागालैण्ड	0.14	
18.	उड़ीसा	2.64	2.84
19.	पंजाब	0.51	0.44
20.	राजस्थान	24.40	8.99
21.	सिक्किम	0.06	-
22.	तमिलनाडु	4.17	3.72
23.	त्रिपुरा	0.04	-
24.	उत्तर प्रदेश	22.69	23.30
25.	पश्चिम बंगाल	1.26	2.51
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	
27.	दिल्ली	0.01	-
28.	अन्य	0.15	0.55
	कुल	148.09	130.65

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल देश में हरित क्रांति आई है और खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत बढ़ा है, ऐसा कहा जाता है। जहां तक चावल और गेहूं का सवाल है, तो उसमें हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन मंत्री जी द्वारा इस सवाल के जवाब में जो आंकड़े वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दिये गये हैं, उनमें दलहनों का उत्पादन बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। 1998-99 में 148 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था जो 1999-2000 में 130.6 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार इन योजनाओं पर प्रोत्साहन के लिए जो राशि व्यय की गई थी, उसमें भी कमी आई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन वर्षों में हमारा लक्ष्य क्या था और लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ति क्या हुई? इसके अलावा यह जो गेप रहा, उसके लिए कितने माल का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि दलहन के उत्पादन में पिछले वर्ष कमी आई है, उसके पहले वर्ष तुलना में। लेकिन हम प्रारम्भ से देखें तो उत्तरोतर दलहन के उत्पादन में वृद्धि होती गयी है। लेकिन अभी तक हम दलहन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाये हैं। हरेक साल इसके उत्पादन में फ्लक्चुएशन रहा है। उत्पादकता भी पहले की तुलना में बढ़ी है लेकिन उसमें हमें जितना लक्ष्य चाहिए, उतना लक्ष्य हम

प्राप्त नहीं कर पाये हैं। यही कारण है कि सन् 1989-90 से दलहन के उत्पादन को टेक्नोलॉजी मिशन में डाला गया है। तब से प्रगति है लेकिन ऐसा प्रगति ऐसी नहीं है कि हम आत्मनिर्भर बन पायें। दलहन में आत्मनिर्भर न होने के कारण बाहर से दलहन का आयात होता रहता है और अलग-अलग वर्षों में इसके लिए अलग-अलग मात्रा में दलहन का आयात करना पड़ा है। जहां तक इन्होंने आंकडे मांगे हैं कि अलग-अलग वर्षों में क्या आंकड़े थे तो पिछले तीन वर्षों का यह देखें तो 1997-98 में हमारा अपना उत्पादन 129.79 लाख टन हुआ था और आयात 10.08 लाख टन हुआ था। 1998-99 में 148.10 उत्पादन हुआ और आयात 3.13 लाख टन हुआ। 1999-2000 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से उत्पादन 130.65 लाख टन हुआ और आयात 2.04 लाख टन हुआ।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या सरकार दलहन का उत्पादन करने वाले काश्तकारों के लिए कोई विशेष योजना ले रही है जिसके द्वारा जो किसान इसका उत्पादन ज्यादा करेंगे, उनको इंसेटिव के रूप में कोई बोनस की राशि दी जायेगी, अच्छे बीज दिये जाने के लिए कोई इंतजाम किया जाऐगा और फर्टिलाइजर ऑफ पेस्टीसाइड को सब्सीडाइज करके सरकार उनको देना चाहेगी तथा इसके लिए क्या सरकार का कोई विशेष रिसर्च सैंटर खोलने का क्या इरादा है?

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, दलहन पर अनुसंधान का कार्य जारी है और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी रिसर्च के संस्थान हैं, अन्य जगहों पर उसके केन्द्र हैं। दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम टैक्नोलौजी मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम नैशनल पल्सेस डैवलपमैंट प्रोजैक्ट है। इस प्रोजैक्ट के अन्तर्गत किसानों को कई प्रकार की सहायता दी जाती है, मिनी किट से लेकर उनके अन्य उपक्रमों में राइजोबियम कल्चर न्यूट्रिएंट्स के लिए भी कई प्रकार की सहायता दी जाती है। स्प्रिंकल आदि में भी उसमें सहायता का प्रावधान है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, मूंग, उड़द, मसूर और चना ऐसी दालें हैं जो कम समय में तैयार होती हैं। उनकी सिंचाई के लिए अलग प्रबन्ध नहीं करना पड़ता क्योंकि मूंग, उड़द खरीफ की फसल है और दूसरी फसलों के साथ उगाई जाती है जबकि चना और मसूर रबी की फसल है लेकिन उसके लिए भी सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन दालों में कम सिंचाई की आवश्यकता है और जो दूसरी फसलों के साथ उगाई जाती हैं, क्या ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्पादकों या जिस क्षेत्र में उनका उत्पादन ज्यादा होता है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे या विशेष योजना बनाएंगे?

श्री नीतीश कुमार : जैसी मैंने पहले सदन को जानकारी दी कि नैशनल पल्सेस डैवलपमैंट प्रोजैक्ट के सिलसिले में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना चल रही है और दलहन उत्पादन करने वाले इलाकों में यह योजना लागू है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जो प्रगति होनी चाहिए थी यानी इसमें अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं कर पाए। अगर इसके कारणों में जाएंगे तो एक प्रमुख कारण यह है कि इसमें कीड़ों का प्रकोप बहुत होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें रैमुनरेटिव प्राइस इस ढंग से नहीं है जिस ढंग से गेंहू या चावल में प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके चलते लोग मार्जीनल, सब-मार्जीनल लैंड में इसे उपजाते हैं। कई प्रकार की दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सीड का रिप्लेसमैंट रेट दलहन में कम है। आज दो से तीन प्रतिशत सीड का रिप्लेसमैंट है। इसे बढ़ा कर रिप्लेसमैंट रेट दस प्रतिशत करना चाहते हैं। उसको लेकर तत्काल क्रैश प्रोग्राम सीड के प्रोडक्शन के लिए शुरू किया गया है ताकि किसानों की क्वालिटी सीड उपलब्ध कराई जा सके।

श्री शिवराज वि॰ पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में हमें दो बातें बताई हैं - एक बात यह है कि दलहन के उत्पादन में फ्लकचुएशन है, उतर-चढ़ाव है और दूसरी बात यह बताई कि मूंग जैसे दलहन की कीमतें रैमुनरेटिव नहीं हैं। उसके ऊपर पैस्ट भी ज्यादा आता है जिसकी वजह से उत्पादन नहीं होता। हमें यह बात समझनी होगी कि एक साल में जब दलहन का उत्पादन बढ़ जाता है या कृषि का उत्पादन बढ़ जाता है तो बाजार में उन चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं जिसकी वजह से काश्तकार को नुकसान होता है। नुकसान होता है इसलिए काश्तकार दूसरे साल वे चीजें पैदा नहीं करता जो बाजार में उन्हीं चीजों की कीमतें बढ़ जाती है जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। यह दुष्चक्र होने की वजह से हम दलहन का उत्पादन भी ज्यादा नहीं कर सक रहे हैं और कृषि का उत्पादन भी जितने पैमाने में करना चाहिए, उतना नहीं कर सक रहे हैं। इसकी वजह से उत्पादन करने वालों को भी न्याय नहीं दे रहे हैं, कन्ज्यूमर्स को भी न्याय नहीं दे रहे हैं। यह दुष्चक्र में कृषि बंधी हुई है, दलहन बंधा हुआ है, खाद्यान्न बंधा हुआ है। इस दुष्चक्र से निकलने के लिए सरकार को कुछ करना जरूरी है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम है जिसकी वजह से एक साल उत्पादन बढ़े तो उसके भाव कम न हों?

अगर दूसरे साल उत्पादन कम हुआ तो उसके भाव ज्यादा न हों, जिससे कृषक और उपभोक्ता को न्याय मिले, उनके ऊपर अन्याय न हो। टैक्नोलोजी के साथ-साथ ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम, साइंटिफिक स्कीम, प्राइस फ्लक्चुएशन की स्कीम मोर्केट फोर्सेज को नये तरीके से अमल में लाने की कोई स्कीम आपके पास है?

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिवराज पाटिल जी के आब्जर्वेशन से सहमत हूं। यह कृषि क्षेत्र की समस्या है कि हमारी जितनी जरूरत है, हम अभी उतना भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा भी ओर पूरे कृषि क्षेत्र की समस्या की जो उन्होंने चर्चा की, उस पर तो मैंने सहमति जताई। दलहन के मामले में अभी चार ही दलहन के प्रकार हैं, जिनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है। मसूर और मटर जैसे दलहन को अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में नहीं लाया गया है। एक तो सरकार विचार कर रही है कि मसूर और मटर को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में लाया जाये, इसको भी बढ़ाया जाये। इसमें कठिनाइयां आती हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाते हैं, उसके लिए हमें कुछ आंकड़ों की जरूरत होती है। हमने इस बात के लिए भी निर्देश दिये हैं कि इसके लिए कार्रवाई की जाये और मसूर और मटर को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाये। इसके अलावा भी बहुत कुछ दलहन के मामले में करना होगा। आज जो किसान को कीमत नहीं मिल रही है, उसका उल्लेख हमने इसलिए किया कि जिस प्रकार से चावल को और गेहूं को कीमत मिल रही है, उसके साथ दलहन आदि चीजों की पैरिटी नहीं है। सबसे पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मकेनिज्म है, उस तंत्र के अन्दर दलहन जैसे खाद्यान्नों को पैरिटी पर लाने

की जरूरत होगी और इसको ध्यान में रखकर अन्य वर्षों की तुलना में पिछले वर्ष मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाया गया और उस दिशा में सी. ए. सी. पी. को भी सोचने के लिए कहा जा रहा है। गेहूं और चावल का भाव जिस ढंग से बढ़ता है, उसी ढंग से इसका भाव भी बढ़े। जब उसके ऊपर रैम्यूनरेटिव प्राइस की सम्भावना होगी तो आम तौर पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दलहन में घोषित होता है, वह बाजार भाव से नीचे रहता है, इसलिए मार्केट इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य में चावल और गेहूं की तुलना में पैरिटी लाने की कोशिश करें तो यह सम्भव है कि और ज्यादा किसान इसके उत्पादन पर ध्यान देंगे। आज वे मार्जिनल और सब मार्जिनल लैंड पर इसका उत्पादन करते हैं, तब वे इसका उत्पादन बेहतर जमीन पर कर पाएंगे। उसमें ज्यादा इनपुट का प्रयोग कर पाएंगे। जो टैक्नोलोजी आज तक विकसित हुई है, उसका वे इस्तेमाल कर पाएंगे और पंजाब जैसे इलाकों में, जहां गेहूं और चावल को लेकर समस्याएं हैं, तब इन इलाकों में इन चीजों के अलावा जो डाइवर्सीफिकेशन की बार बार बात होती है, अगर इस ढंग के मकेनिज्म पर हम ध्यान देकर करने में कामयाब होते हैं तो इन जगहों पर जो डाइवर्सीफिकेशन होगा, उसमें दलहन जैसी वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जायेगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह किसानों से सम्बन्धित बात है, आप किसानों को तो सवाल पूछने दीजिए। इन सब को भी पूछने दीजिए पर किसानों से भी प्रश्न पुछवाइये। जिसने कभी खेत नहीं देखा, वे सवाल पूछते हैं और किसान बैठे रहते हैं।

[अनुवाद]

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि हर साल उत्पादन में कमी आ रही है। हालांकि पिछले सालों के आरम्भ में कुल उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई थी। प्रति व्यक्ति उपभोग में कमी आई है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गये उत्तर से यह पता चलता है कि वर्ष 1998-99 के दौरान स्वदेशी उत्पादन और आयात करीब 152 लाख टन था। वर्ष 1999-2000 में स्वदेशी उत्पादन और आयात केवल 123 लाख रह गया। इस तरह प्रति व्यक्ति उपभोग में काफी गिरावट आई है। इस गिरावट से इस वास्तविकता का पता चलता है कि दलहन से संबंधित अनुसंधान कार्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अधिकतर दलहन धान के खाली पेड़ खेतों के सूख जाने के बाद इन्हीं खेतों में उगाई जाती है। जहां तक धान के खेतों में दलहन उगाने का प्रश्न है, पूरे देश में ऐसा कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं है जो धान के खाली पड़े खेतों में दलहन उगाने का विकास करे तथा उसकी उन्नत किस्मों का विकास करे।

आन्ध्र प्रदेश में ऐसा काफी हिस्सा है जो ऐसी धान के खाली खेतों में दलहन का उत्पादन करता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री महोदय देश में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नैशनल राईस फैलो पल्सेस रिसर्च स्टेशन की स्थापना करने का इरादा रखते हैं?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्य महोदय, यह उनका एक सुझाव है, उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, यह सही है। रिसर्च आदि के काम हो रहे हैं। अगर हम शुरू से आंकड़ों को देखते हैं तो पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हर साल कम होता चला जा रहा है। 1950 से तुलना करते हैं तो एरिया में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन प्रोडक्टीविटी और प्रोडक्शन में परिवर्तन हो रहे हैं। विकास भी हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। दलहन के क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संसद की स्थाई समिति ने विशेषज्ञ समिति के गठन करने का सुझाव दिया था। हमने उसका गठन किया है। उस समिति की पल्सेज पर रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। उसके आधार पर हम आगे कार्यक्रम चलाएंगे और सुधार लाने की कोशिश करेंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह किसानों की समस्याओं को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा हुई थी। सभी माननीय सदस्यों की आम धारणा यह थी कि सरकार की उपेक्षा के कारण किसानों के उत्पादन में निरंतर गिरावट आती जा रही है। मुझे खुशी है कि सरकार की तरफ से आज जो उत्तर आया है, वह हमारी उस बात की पुष्टि करता है। 1998-99 में दालों को टोटल उत्पादन 148 लाख टन हुआ, लेकिन 1999-2000 में वह गिर कार 130.6 लाख टन पर आ गया। यह क्यों हुआ, इसका भी जवाब आपके उत्तर में निहित है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें हम देखें तो एन॰ पी॰ डी॰ पी॰ पर 1998-99 में 3600 लाख रुपए खर्च किए गए। इस वर्ष उस राशि को घटा कर 3417.5 लाख रुपए कर दिया। इसी प्रकार ओ. पी. पी. में पिछले वर्ष 10230 लाख रुपए खर्च किए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : पिछले दो वर्षों में लगातार शासन की ओर से किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो परियोजनाएं बनाई गई थीं उन पर लागत घटाई गई है, खर्च में कटौती की गई है। यही बात सदन निरंतर कहता रहा है कि किसानों की कार्यों से, उत्पादन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को उपेक्षा सरकार कर रही है। आपने स्वयं स्वीकार किया कि लाभकारी मूल्य जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। आज मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उस दिन आशा के अनुरूप जवाब नहीं दे रहे थे। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन कार्यक्रमों में क्यों खर्च कम किया, पिछले वर्ष की तुलना में इन उत्पादनों में कमी क्यों आई और आने वाले वर्ष में जो एलोकेशन क्या वह पर्याप्त होगा, वह कितना होगा, कितनी आवश्यकता है और कितना आवंटन करने जा रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : मैं माननीय सदस्य के साथ कोई आंकड़ों के विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आपके ही दिए हुए आंकड़े हैं और सबको वितरित किए गए हैं।

श्री नीतीश कुमार : हमने प्रश्न से ज्यादा आपकी आब्जर्वेशन सुनी है। दो साल के आंकड़ों के आधार पर दलहनों के बारे में जनरल इम्प्रैशन बना नहीं करना चाहिए। मैंने बार-बार कहा, जहां तक दलहनों का सवाल है, उसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इसके आधार पर पूरी कृषि के बार

में राय जाहिर करना सही नहीं है। मैंने खुद बताया है चावल और गेहूं की तुलना में, उसके साथ पैरिटी बिठाते हुए, उसका समर्थन मूल्य नहीं दिखता है। यह आज से नहीं है, लम्बे काल से यह सिलसिला चला आ रहा है। दस साल पहले ही इसको टेक्नोलॉजी मिशन में डाला गया है। तब से कुछ प्रगति हुई है। मैंने शुरू में कहा है कि इसमें उतार-चढ़ाव आते हैं। दलहनों का जो उत्पादन होता है, वह अधिक से अधिक रेन फैड कंडीशन पर निर्भर करता है।

पिछली बार को जो असर है, प्रकृति का सबसे अधिक असर दलहन, तिलहन और मोटे अनाज इत्यादि इन चीजों पर ज्यादा पड़ता है। असर तो सब चीजों पर पड़ता है लेकिन रेन-फैड कंडीशन में इन चीजों पर असर ज्यादा पड़ता है। इसके लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों के जरिये जहां 1950-51 में हमारा 19.09 मिलियन हेक्टेअर एरिया था और प्रोडक्शन 8.41 था।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि विभिन्न कार्यक्रमों में जो आपने आबंटन किया, वह इस वर्ष कम क्यों किया? मैं उस बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं और जवाब कुछ और दिया जा रहा है और ऐसा केवल पल्सेज के मामले में नहीं है, बल्कि पल्सेज डैवलपमेंट, ऑयल-सीड डैवलपमेंट इत्यादि के मामले में भी कम पैसा दिया है।...*(व्यवधान)* चारों प्रोग्राम्स में कम पैसा दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैंने तो खुद दलहन, तिलहन और मोटा अनाज कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभी में कम दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : हमने खुद ही कहा है कि ये चीजें जिन इलाकों में उपजाई जाती हैं, रेन-फौड कंडीशन में खेती ज्यादा होती है।... *(व्यवधान)* स्वयं सरकार की तरफ से आपको बताया जा रहा है और यह बार-बार बताया जा रहा है कि इनकी खेती रेन-फैड कंडीशन में होती है और आपके देश की दो तिहाई खेती रेन-फैड कंडीशन में है और उधर ज्यादा थ्रस्ट देने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखकर जो कृषि नीति आई है, उसमें यह आग्रह किया गया है और उसके लिए रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटजी एडाप्ट करनी होगी और इन चीजों में व्यय बढ़ाना होगा। किसानों को प्रोत्साहित करना होगा ताकि अच्छी सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़े, उसके लिए सीड्स के लिए क्रैश प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि जल्दी-जल्दी रेट बढ़ जायें और बेहतर सीड्स हों तथा उन पर कीड़ों का अटैक कम हो। उसमें कुछ ब्रेक-थ्रू हो, लोगों को उसमें प्राइस अधिक दिखे तो इन सब चीजों से इस क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और कुल मिलाकर एक समेकित नीति अपनाई जाये। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं. 103 ।

...(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : महोदय असिंचित कृषि वाले राज्यों (ड्राईलैंड स्टेट्स) के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आज हमने केवल दो प्रश्न लिए हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री जी सहमत हैं तो हम आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह : असिंचित (ड्राईलैंड) कृषि के लिए कृपया विशेष चर्चा की अनुमति दीजिए। यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। इस पर हमें चर्चा अवश्य करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत देर से हाथ उठाए हुए था और आपने मेरी तरफ नजर तक नहीं डाली...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह खत्म हो गया, अब इसमें सवाल पूछिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, वे आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं।

तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन का गठन

***103. श्री रमेश चेन्नितला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तिलनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रोद्योगिकी मिशन का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रौद्योगिकी मिशन में कौन-कौन से तिलहन शामिल किए गए हैं और क्या नारियल को भी इसमें शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल कितना आंवटन किया गया और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। खाद्य तेल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी ताकि देश खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर न रहे। यह कार्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, आदान सेवा सहायता एवं भंडारण, विपणन तथा प्रसंस्करण सहायता इत्यादि की दिशा में समेकित और मिशन किस्म का दृष्टिकोण अपनाकर किया जाना था।

(ग) प्रौद्योगिकी मिशन के तहत तिलहनों में मूंगफली, तोरिया-सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, रामतिल, अलसी, आयल पाम तथा अरंडी शामिल हैं। नारियल को प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल नहीं किया गया है, किन्तु मूल्य समर्थन स्कीम में इसे शामिल किया गया है।

(घ) नारियल के महत्व के मद्देनजर इसकी खास देख-रेख नारियल विकास बोर्ड कर रहा है। बोर्ड केरल में नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पिछले तीन वर्षों से निम्नलिखित स्कीमें चला रहा है :

1. गुणवत्ता रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण।
2. नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार।
3. उत्पादकता सुधार के लिए नारियल की जोतों में समेकित कृषि।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में किए गए व्यय के साथ-साथ इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए किया गया कुल आबंटन निम्नवत है :

(लाख रुपये)

वर्ष	कुल आबंटन	व्यय
1997-98	840.675	1027.734
1998-99	1040.890	1053.140
1999-2000	814.675	799.952

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं॰ 103, श्री रमेश चेन्नितला।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिणी राज्यों के नारियल उत्पादक कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : उपाध्यक्ष जी, मैं इतनी देर से हाथ उठाए हुए था और आपने मेरी तरफ नजर तक नहीं डाली। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, केन्द्र सरकार का रवैया सहायतापटक नहीं है। 1989 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री वी॰ पी॰ सिंह ने घोषणा की थी कि नारियल को तिलहन संबंधी औद्योगिकी मिशन में सम्मिलित किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। मैं प्रश्न सं॰ 103 पर आ चुका हूँ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उत्तर दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नारियल को तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चेन्नितला के कथन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री रमेश चेन्नितला : इसमें, नारियल उत्पादक इस मिशन से मिलने वाले लाभों से वंचित रह गए हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौबे मैंने आपसे कहा है कि कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री रमेश चेन्नितला : मैं नारियल को तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन में सम्मिलित न किए जाने का कारण जानना चाहूँगा...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रमेश चेन्नितला : यह कहा गया है कि नारियल को मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत रखा गया है...*(व्यवधान)* समर्थन मूल्य काफी नहीं है...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, वे अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह प्रश्न नारियल से संबंधित है... *(व्यवधान)* क्या मंत्री महोदय आधे घण्टे की चर्चा के लिए सहमत होंगे?

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : माननीय सदस्य ने कहा है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समय श्री वी॰ पी॰ सिंह जब प्रधान मंत्री थे, उस समय कोकोनट को ऑयलसीड और ट्री-ओरिजन घोषित किया गया और इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मेकेनिजम में लाया गया। माननीय सदस्य ने सवाल पूछा कि इसे क्यों नहीं टैक्नोलॉजी मिशन और ऑयलसीड में शामिल करते हैं। कोकोनट डेवेलपमेंट के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसे टेक्नोलॉजी मिशन और ऑयलसीड से एलोकेशन मिल सकता है। अगर हम उसका हिसाब लगाएं तो उससे कई गुना कोकोनट डेवेलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मिलता है। नारियल का एक-तिहाई, जो टोटल कोकोनट का प्रोडक्शन है, उसका एक-तिहाई तेल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जितना भी तेल के लिए इस्तेमाल होता है उसमें दो-तिहाई तेल निकलता है। अगर इस हिसाब से हम डीएमओपी का आयलसीड प्रोडक्शन प्रोग्राम का आउट-ले देखें तो वह 92 करोड़ है। कोकोनट आयल का टोटल आयल में कंट्रीब्यूशन छः प्रतिशत है। उस हिसाब से आपका एलोकेशन पांच करोड़ के आसपास संभव है, जहां कि इसमें कोकोनट डेवेलपमेंट बोर्ड के द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च किया जाता है। इसलिए कोकोनट को डीएमओपी में डालने से फायदा होगा, लेकिन कोकोनट के रास्ते में कई कठिनाईयां हैं। माननीय सदस्य ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कहा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश सीएसीपी के द्वारा आती है और हम लगातार कोपरा का, जो कोकोनट उपजाने वाले राज्य हैं, वहां प्रक्योरमेंट करते चले जा रहे हैं और अब तक डेढ़ लाख टन के आसपास कोपरा का प्रक्योरमेंट हो चुका है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, शुक्रवार को शून्य काल के दौरान नारियल उत्पादक राज्यों के सदस्यों ने यह मामला उठाया था। संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि वे इसे आपके ध्यान में लाएंगे। आप सभा में इन सदस्यों में असन्तोष देख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि इन नारियल उत्पादक राज्यों के सदस्यों, वाणिज्य मंत्री और अन्य संबंधित मंत्रियों की इस संबंध में एक बैठक बुलाई जाए और जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकाला जाय।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया है ...*(व्यवधान)* इस बारे में हम माननीय सांसदों की बैठक इसी सत्र में अगले सप्ताह या उससे अगले सप्ताह लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुलाएंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ज्वार-भाटा ऊर्जा का उत्पादन

*104. **डा॰ ए॰ डी॰ के॰ जयशीलन** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी ज्वार-भाटा ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) इस संबंध में भावी कार्यक्रम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में तिरूचेन्डिर में और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी और इसकी सहायक नदियों पर ज्वार भाटीय लहरों पर आधारित परियोजनाओं की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ कन्नप्पन): (क) ज्वारीय विद्युत से विद्युत से उत्पादन की उच्च लागत की वजह से, देश में किसी ज्वारीय विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) सुन्दरवन क्षेत्र में दुर्गाद्वानी खाड़ी में 3 मेगावाट के ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उपर्युक्त परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर, देश में ज्वारीय ऊर्जा कार्यक्रम के विकास के लिए भावी कार्रवाई का निर्धारण किया जाएगा। तमिलनाडु में तिरूचेन्डिर में ज्वारीय लहर विद्युत की कोई संभाव्यता नहीं है। तथापि, पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में लगभग 25 मेगावाट की संभाव्यता का आकलन किया गया है।

[हिन्दी]

वनों का सुधार

*105. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वनों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक जिलों में वन नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन जिलों में वनों की स्थिति में सुधार करने का है;

(च) यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी, हां। भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से उपग्रह आंकड़ा का प्रयोग करते हुए देश के वन आवरण का हर दो वर्ष में मूल्यांकन करता है।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा इस प्रकार है:

(I) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा अपने निजी संसाधनों और भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(II) वनों के विकास और संरक्षण हेतु विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।

(III) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार हेतु ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(IV) गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(V) सुरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क की स्थापना की गई है।

(VI) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन संसाधनों के विकास और संरक्षण में बढ़े हुए निवेश के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्थायित्व और लोक-केन्द्रित विकास के लिए वानिकी और वृक्ष संसाधनों का योगदान बढ़ाने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वन स्थिति रिपोर्ट 1999 के अनुसार राज्यवार वन आवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल वन आवरण (वर्ग कि॰ मी॰)	वनस्थिति रिपोर्ट 1999 के अनुसार विवेचन रहित वन आवरण वाले जिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	44,229	शून्य
अरुणाचल प्रदेश	68,847	शून्य
असम	23,688	शून्य
बिहार	4,830	15
छत्तीसगढ़	56,693	शून्य
दिल्ली	88	शून्य
गोवा	1,251	शून्य
गुजरात	12,965	शून्य
हरियाणा	964	शून्य
हिमाचल प्रदेश	13,082	शून्य
जम्मू और कश्मीर	20,441	शून्य
झारखण्ड	21,644	शून्य
कर्नाटक	32,467	1
केरल	10,323	शून्य
मध्य प्रदेश	75,137	1
महाराष्ट्र	46,672	शून्य
मणिपुर	17,384	शून्य
मेघालय	15,633	शून्य
मिजोरम	18,338	शून्य
नागालैण्ड	14,164	शून्य
उड़ीसा	47,033	शून्य
पंजाब	1,412	शून्य
राजस्थान	13,871	शून्य
सिक्किम	3,118	शून्य
तमिलनाडु	17,078	शून्य
त्रिपुरा	5,745	शून्य
उत्तरांचल	23,260	शून्य
उत्तर प्रदेश	10,756	2
पश्चिम बंगाल	6,362	3
अण्डमान और निकोबार	7,606	शून्य
चण्डीगढ़	7	शून्य
दादरा एवं नागर हवेली	202	शून्य
दमन एवं दीव	3	शून्य
लक्षद्वीप	0	1
पांण्डिचेरी	0	4
कुल	637,293	27

* विवेचन योग्य कोई वनावरण नहीं है।

किसानों को लाभ

* 106. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के विश्व में सब्जियों और फलों का प्रमुख उत्पादक होने के बावजूद किसानों को अपने उत्पादों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों के लिए पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों को हटाने हेतु कोई प्रणाली बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) अधिक्य वाले मौसमों को छोड़कर किसानों को सामान्यत: अपने फलों और सब्जियों से लाभ प्राप्त हो रहा है। अधिक उत्पादन की स्थिति में किसानों के हितों की रक्षा के लिए, भारत सरकार मंडी हस्तक्षेप स्कीम चलाती है जिसमें राज्य सरकारों के अनुरोध पर अभिज्ञात विपणन अभिकरणों के माध्यम से विपणन-प्रचालन किया जाता है। सरकार फलों और सब्जियों के रख-रखाव, विपणन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा भी प्रदान कर रही है। यह एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

महानगरों में वायु प्रदूषण

*107. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन नगरों में वायु प्रदूषण कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) महानगरों में आर्थिक कार्यकलापों, शहरीकरण और औद्योगीकरण में वृद्धि होने के कारण वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानीटरन कार्यक्रम के अंतर्गत मानीटरन केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से परिवेशी वायु गुणता को मानीटर किया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई के चार प्रमुख नगरों में मानक वायु प्रदूषकों की वार्षिक औसत निम्नलिखित है:

(माइक्रोग्राम में प्रति घन मीटर वार्षिक औसत)

प्रमुख नगर	सल्फर डाइ आक्साइड		नाइट्रोजन डाइ आक्साइड		निलम्बित विविक्त पदार्थ	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999
दिल्ली	15.8	16.3	28.6	26.5	341	351
मुंबई	16.1	14.4	22.1	29.9	212	247
चेन्नई	10.5	8.2	22.3	14.0	116	77
कलकत्ता	31.0	31.5	30.9	29.2	275	268

(घ) सरकार ने देश में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

2. उद्योगों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे अपने संयंत्रों को प्रारंभ करने से पहले आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं।

3. उद्योगों से यह अपेक्षा की गई है कि वे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अपने-अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से सहमति लें।

4. राज्य सरकारों के परिवहन विभागों द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत सड़कों पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक और नए वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

5. संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) युक्त वाहनों की पूर्ति के लिए दिल्ली और मुंबई में कुछ खुदरा दुकानों के माध्यम से सी एन जी की आपूर्ति की जाती है।

6. पूरे देश में 1.2.2000 से सीसा रहित पैट्रोल की आपूर्ति की जा रही है और पूरे देश में 1.1.2000 से 0.25 प्रतिशत अधिकतम अंश वाले सल्फर युक्त डीजल की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली में बहुत कम सल्फर (0.05 प्रतिशत) वाले ईंधन (पैट्रोल और डीजल) की शुरूआत भी की गई है।

[अनुवाद]

क्रिकेट मैच फिक्सिंग पर सी. बी. आई. की रिपोर्ट

*108. **डा॰ विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को क्रिकेट मैच फिक्सिंग प्रकरण पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें दोषी पाए गए क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम क्या हैं तथा सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस संबंध में कतिपय अन्य मंत्रालयों और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के क्या विचार हैं और इस मामले पर क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा गत दो वर्षों के दौरान क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार दिए जाने के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार इसकी जांच कराने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने मैच फिक्सिंग मामले के संबंध में दक्षिण अफ्रीका सरकार से संपर्क किया है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(झ) भविष्य में इस प्रकार के मैच फिक्सिंग प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (घ) और (झ) सी. बी. आई. ने दिनांक 30.10.2000 को मैच फिक्सिंग और संबंधित कदाचारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सी. बी. आई. ने कुछ बुकीज, पंटरों, कुछ विदेशी खिलाड़ियों और 5 भारतीय खिलाड़ियों अर्थात अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर, अजहरूद्दीन, अजय जडेजा, नयन मोगिया और डा॰ अली ईरानी, भौतिक चिकित्सक को आरोपित ठहराया है। तथापि, सी. बी. आई. ने भारत के सालिसिटर जनरल सहित विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि इस संबंध में कानून की अस्पष्ट स्थिति तथा पर्याप्त कानूनी साक्ष्य प्राप्त करने में जाँचकर्त्ता एजेंसी की असंभाव्यता के कारण धोखाधड़ी अथवा जुआ अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। तथापि, जन सेवक होने के कारण मो॰ अजहरूद्दीन और अजय शर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की संभावना का सी. बी. आई. द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। अगामी कार्रवाई के बारे में उनकी सलाह मांगने के लिए रिपोर्ट की प्रति संबंधित मंत्रालयों को भेज दी गई है। विधि मंत्रालय की सलाह प्राप्त हो गई है और उन्होंने आरोपी खिलाड़ियों को दण्ड दिए जाने की संभावना पर समान विचार व्यक्त किए हैं जैसा कि सी. बी. आई. रिपोर्ट में दर्शाया गया है। बी.सी.सी.आई. को आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध अपनी नियमावली और आचार संहिता के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट की एक प्रति दे दी गई है। बी.सी.सी.आई. ने सभी खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है और यह नवम्बर, 2000 के अंत तक रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां भेज देगा तथा रिपोर्ट की जांच के बाद अंतिम कार्रवाई का निर्णय करेगा। सभी संबंधित एजेंसियों से परामर्श प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) और (च) सी. बी. आई. ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाया है कि टेलीविजन अधिकार प्रदान करने के मामले पर अलग से कार्रवाई की जा रही है। इस समय सी. बी. आई. ने सूचित किया है कि हाल ही में इसने दूरदर्शन अधिकारियों व अन्य लोगों के खिलाफ 5 मामले दर्ज किए हैं, इनमें से तीन मामले क्रिकेट से 2 टेनिस से संबंधित हैं।

(छ) और (ज) विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, दोनों देशों के बीच घनिष्ठ व सौहार्दपूर्ण संबंधों के अनुरूप मैच फिक्सिंग में उनकी क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावना के बारे में दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों को सूचना दी जाती रही है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इस मामले में कानून की पर्याप्त प्रक्रिया के परिणामों का पालन करने के अपने निर्णय को पुन: दोहराया है।

[हिन्दी]

बिजली की चोरी

*109. **श्री पी. आर. खूंटे :**
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में राज्य-वार बिजली की चोरी के कारण सरकार को कितना अनुमानित वार्षिक नुकसान हुआ;

(ख) क्या सरकार ने हाल में बिजली की चोरी की गहराई से समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ङ) उन राज्य विद्युत बोर्डों का ब्यौरा क्या है जो बिजली की चोरी, विशेष रूप से औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा चोरी रोकने में विफल रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों से परामर्श किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो बिजली की चोरी को पूर्ण रूप से रोकने के लिए सरकार की नीति क्या है?

विद्युत मंत्री(श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) वर्ष 1995-98 के दौरान पारेषण एवं वितरण की राज्य-वार हानियां, चोरी के कारण वाणिज्यिक हानियां समेत, जैसा कि राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा सूचित किया गया है, दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

राज्य विद्युत युटिलिटियों को चोरी के कारण हुई हानियों का अलग से मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है तथापि, जिन राज्यों (उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक) ने अपने प्रचालन कार्यों का विकेन्द्रीकरण और पुनर्संरचना कर ली है, उनका अनुभव यह इंगित करता है कि पारेषण एवं वितरण हानियां (चोरी के कारण वाणिज्यिक हानियों समेत) 40-50 प्रतिशत है। मोटे अनुमान के आधार पर यह इंगित होता है कि चोरी के कारण विद्युत यूटिलिटियों की वार्षिक हानियां 20000-25000 करोड़ रुपये तक हैं।

पारेषण व वितरण हानियां दो प्रकार की हैं : तकनीकी और गैर-तकनीकी। तकनीकी हानियां विद्युत के पारेषण, रूपातंरण एवं वितरण में प्रयुक्त कंडक्टरों और उपस्कर में ऊर्जा के अपव्यय के कारण होती है। वाणिज्यिक हानियां बिजली की चोरी, दोषपूर्ण मीटरों के प्रयोग, गलत मीटर रीडिंग तथा ऊर्जा की गैर-मीटरीकृत आपूर्ति का अनुमान लगाने में होने वाली अशुद्धियों के फलस्वरूप होती है।

(घ) से (छ) पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुपालना हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :

(i) वितरण प्रणाली का सुधार/सशक्तीकरण।

(ii) अतिरिक्त सब-स्टेशनों की अधिष्ठापना/वितरण सब-स्टेशनों के पुनर्आबंटन द्वारा एलटी लाईन की लम्बाई कम करना।

(iii) व्यापक प्रणाली सुधार स्कीमों को तैयार करना।

(iv) ऊर्जा की चोरी से बचने/रोकने के लिए सतर्कता दल का गठन करना।

(v) मीटरों की सील के साथ छेड़छाड़ करने के लिए विभिन्न दंड लगाना।

(vi) विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वितरण हेतु जिम्मेवार कार्यपालक अभियंताओं पर ऊर्जा और बिल में अंकितऊर्जा की गणना की जिम्मेवारी निर्धारित करना।

(vii) टैम्परप्रूफ मीटरों की अधिष्ठापना।

(viii) मीटरों की जांच करने और दोषपूर्ण मीटरों को बदलने के लिए समय कार्य योजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन करना।

26 फरवरी, 2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पारेषण एवं वितरण हानियों (वाणिज्यिक हानियों समेत) में कमी लाने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की चर्चा की गई थी और सर्वसम्मति से यह प्रस्तावित किया गया था कि राज्य/संघ शासित सरकारें निम्नलिखित उपायों को अपनायेंगे।

(i) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा आरंभ करना।

(ii) चरणबद्ध तरीके से दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग करना। कार्यक्रम में चरण-1 के अंतर्गत एचटी उपभोक्ताओं और 11 के. वी. तक के फीडर की मॉनीटरिंग मार्च, 2001 तक पूरी की जाएगी और कार्यक्रम चरण-2 के अंतर्गत उपभोक्ता स्तर तक की मीटरिंग दिसम्बर, 2001 तक पूरी की जाएगी।

(iii) निर्धारित समय-सीमा के भीतर विद्युत की चोरी में कमी और चोरी को निर्मूल करना।

(iv) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली निधियों का समुपयोजन करते हुए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का उच्चीकरण एवं सशक्तीकरण।

इन उपायों के क्रियान्वयन के साथ ही राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए चोरी के कारण होने वाली हानियों समेत टी एंड डी हानियों में पर्याप्त कमी करना संभव होगा।

(ज) राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों को कानूनी प्रावधानों को लागू करना होता है जो कि पहले से ही उपलब्ध हैं और जिनके अंतर्गत विद्युत की चोरी करने में शामिल व्यक्तियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था है। विद्युत की चोरी को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है। विद्युत की चोरी को रोकने के लिए राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों को एक ठोस प्रवर्तन तंत्र बनाना होता है और कानूनी शक्तियों का लाभ उठाना होता है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों में रूपातंरण, पारेषण एवं वितरण हानियों (वाणिज्यिक हानियां जैसे चोरी इत्यादि समेत) का प्रतिशत

क्षेत्र	रा. वि. बो./विद्युत विभाग	1995-96	1996-97	1997-98*
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	32.39	32.77	33.04 *
	2. हिमाचल प्रदेश	16.09	18.02	19.20
	3. जम्मू और कश्मीर	47.52	48.27	47.48 $
	4. पंजाब	18.49	19.10	17.90

क्षेत्र	रा. वि. बो./विद्युत विभाग	1995-96	1996-97	1997-98*
	5. राजस्थान	29.27	26.28	26.06
	6. उत्तर प्रदेश	21.84	24.84	25.00
	7. चण्डीगढ़	33.72	21.88	14.95
	8. डीवीबी (दिल्ली)	48.57	49.08	46.86#
पश्चिमी	1. गुजरात	20.08	17.14	19.66
क्षेत्र	2. मध्य प्रदेश	17.84	19.24	19.08
	3. महाराष्ट्र	16.95	16.55	17.73
	4. दादरा व नगर हवेली	9.31	8.80	एन.ए.
	5. गोवा	26.06	23.50	23.39
	6. दमन व दीव	12.80	8.15	11.27
दक्षिणी क्षेत्र	1. आंध्र प्रदेश	19.34	33.19	31.76
	2. कर्नाटक	19.06	18.73	18.56
	3. केरल	21.12	20.59	17.87
	4. तमिलनाडु	16.19	17.65	17.00
	5. लक्षद्वीप	17.23	15.11	15.83
	6. पाण्डिचेरी	16.54	17.38	13.79
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	15.91	25.31	25.41
	2. उड़ीसा (ग्रिडको)	24.17	50.15	एन. ए.
	3. सिक्किम	16.47	29.24	20.13
	4. पश्चिम बंगाल	19.26	18.01	20.34
	5. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह			
उत्तर-पूर्वी	1. असम	26.91	25.97	30.05
क्षेत्र	2. मणिपुर	24.85	22.95	21.50 $
	3. मेघालय	12.55	19.75	17.93
	4. नागालैंड	35.17	26.81	29.50 $
	5. त्रिपुरा	30.86	30.11	29.75
	6. अरुणाचल प्रदेश	37.12	32.62	30.99
	7. मिजोरम	25.18	34.35	47.00 $
अखिल भारत यूटिलिटी		22.27	24.53	24.44

स्रोत : डीएमएलएफ प्रभाग, के. वि. प्रा. (सामान्य समीक्षा)

*आंकड़ा अंनतिम है जैसा कि रा. वि. बो./विद्युत विभाग ने सूचित किया है।

परिकलित आंकड़े।

$ जैसा कि योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए वार्षिक योजना संसाधन पत्र में सूचित है।

एनए - राविबो/विद्युत विभाग द्वारा अब तक सूचित नहीं किया गया है।

कृषि क्षेत्र में निवेश

*110. श्री भेरूलाल मीणा :
श्री धावरचन्द गेहलोत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आज की तारीख तक कृषि क्षेत्र में निवेश की स्थिति क्या रही;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कृषि क्षेत्र में निवेश में आ रही गिरावट को रोकने और इसे प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गए तात्कालिक अनुमान के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान पशुपालन सहित कृषि क्षेत्र में वर्तमान मूल्यों 25243/- करोड़ रुपये का निवेश किया गया। वर्ष 1999-2000 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में किये गये निवेश का अनुमान अभी तैयार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) वर्तमान मूल्यों के आधार पर विगत तीन वर्षों के दौरान पशु पालन सहित कृषि क्षेत्र में किये गये सकल पूंजी निर्माण का ब्यौरा निम्नवत है:

(इकाई रुपये करोड़ में)

वर्ष	कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान मूल्यों पर)
19996-97	21824
1997-98	23228
1998-99*	25243

* तात्कालिक अनुमान।

(घ) कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित स्कीमें चला रही है:

(i) चुनिन्दा बड़ी और बहु उद्देश्यीय सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए राज्यों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए० आई० बी० पी०) शुरू किया गया।

(ii) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर० आई० डी० एफ०) का गठन किया गया।

(iii) वर्षा सिंचित विस्तृत क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र पनधारा विकास परियोजना शुरू की गयी।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश

*111. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण नेटवर्क में गैर-सरकारी निवेश आकृष्ट करने के लिए विद्युत क्षेत्र में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) निजीकरण नीति की घोषणा के बाद योजना आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत गैर-सरकारी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितना वास्तविक निवेश हुआ;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में पूरी की गई और चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत और क्षमता कितनी है और परियोजना-वार कितनी प्रगति हुई है;

(घ) सरकार को प्राप्त नये प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) निजी विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति तथा विद्युत क्षेत्र में और अधिक कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण और विकेन्द्रीकरण के लिए सरकार द्वारा कुछ निम्नलिखित उपाय किए गये हैं: -

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के. वि. प्रा.) द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली स्वीकृतियों की संख्या को कम से कम करना।
- चुनिंदा श्रेणियों में विदेशी इक्विटी के लिए स्वत: अनुमोदन मुहैया करवाकर तथा इस प्रकार की परियोजनाओं के स्वत: अनुमोदन के लिए प्रावधानों को बढ़ाकर विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड की भूमिका को कम से कम करना। तदनुसार, बिना किसी परिसीमा से स्वत: अनुमोदन माध्यम पर 100% विदेशी इक्विटी भागीदारी पर विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण के लिए परियोजनाओं को अनुमति दी जाएगी।
- पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान करना।
- विद्युत परियोजनाओं, जिनके लिए के. वि. प्रा. से अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है, की परिसीमा बढ़ाना।
- परियोजनाओं का शीघ्र निष्पादन सुलभ करवाने तथा प्रतिपादन के समय में कमी लाने के लिए परियोजनाओं की एक सूची तैयार करना।
- शीघ्र मंजूरी प्राप्त करने, रुकावटों को हटाने तथा वित्तीय संवृत्ति प्राप्त करने में अंतिम समय पर आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन।
- विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का विधेयन किया गया जिससे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना हुई।
- एक अलग क्रियाकलाप के रूप में संचारण को संस्थापित करने के लिए विद्युत कानून संशोधन अधिनियम, 1998 का विधेयन किया गया था ताकि निजी क्षेत्र में निवेश में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिले।
- तीव्र गति से विस्तृत जल विद्युत शक्यता के दोहन, निजी निवेश को बढ़ावा, लघु तथा मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से जल विद्युत विकास की गति त्वरित करने के लिए जल विद्युत विकास पर एक नीति बनाई गई।
- दूसरे क्षेत्रों को विद्युत की निकासी हेतु पारेषण सुविधाओं सहित सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में खान के पिट-हैडों और तटीय स्थान में वृहत् विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित किया गया था।

(ख) भारत सरकार की निजी विद्युत नीति के प्रादुर्भाव से लेकर अब तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के. वि. प्रा.) द्वारा 122008.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कुल 29362.3 मे. वा. क्षमता के साथ 57 परियोजनाओं, जिनके लिए सम्पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई थी, को तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन (टीईसी) प्रदान किया जा चुका है। योजना आयोग निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए निवेश, प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं करता है। के. वि. प्रा. द्वारा टीईसी प्रदत्त परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिये गए हैं। समाविष्ट वास्तविक निवेश का तभी पता चलता है जब निर्माण पूरा होगा तथा पूर्णता लागत/निश्चित वित्तीय पैकेज (एफएफपी) को के. वि. प्रा. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। टी.ई.सी. प्रदत्त 57 परियोजनाओं में से के.वि.प्रा. द्वारा 5 परियोजनाओं के संबंध में एफएफपी अनुमोदित किया गया जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण II में दर्शाए गए हैं।

(ग) के. वि. प्रा. द्वारा जिन निजी विद्युत परियोजनाओं को टी. ई. सी. प्रदान की गई है उनमें से पूर्ण तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण III और IV में दिए गए हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची विवरण IV में उल्लिखित जोजोबेरा विद्युत परियोजना भी अंशत: चालू की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) देश में निजी क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्कीमों, जिनके लिए टी. ई. सी. के लिए विचारार्थ के. वि. प्रा. में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, के ब्यौरे, उनकी अनुमानित पूर्णता लागत, परियोजना प्रवर्तक, क्षमता, लम्बित निवेश/मंजूरी तथा के. वि. प्रा. द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण V में दर्शाई गई है।

विवरण-I

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं जो कि पूर्णत: चालू हो चुकी हैं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा.)	लागत (रु. करोड़)
1	2	3	4
	हिमाचल प्रदेश		
1.	बास्पा चरण-2 एचईपी (मै॰ जेपीआईएल)	300	949.23
2.	मलाना एचईपी (मै॰ राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि॰)	86	341.911
	उत्तर प्रदेश		
3.	विष्णुप्रयाग एचईपी (मै॰ जेपीआईएल)	400	1614.6
4.	रोजा टीपीपी (मै॰ इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर)	567	2432.10
5.	श्रीनगर एचईपी (मै॰ डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि॰)	330	1699.12
	राजस्थान		
6.	धौलपुर सीसीजीटी (मै॰ आरपीजी धौलपुर पावर कं. लि.)	702.7	2294.078
7.	बरसिंगसर टीपीपी (मै॰ हिन्दुस्तान विद्युत कार्पोरेशन लि॰)	500	2106.635
	मध्य प्रदेश		
8.	महेश्वर एचईपी (मै॰ एस॰ कुमार्स लि॰)	400	1500
9.	कोरबा (पूर्व) टीपीपी) मै॰ डेवू पावर)	1070	4690.00
10.	बीना टोपीपी (मै॰ बीना पावर सप्लाई कं. लि.)	578	2443
11.	नरसिंहपुर सीसीपीपी (मै॰ जीबीएल पावर)	166	531.24
12.	कोरबा (पश्चिम) विस्तार (मै॰ आईटीपीएल)	420	1766.78
13.	गुणा सीसीजीटी (मै॰ एसटीआई पावर इंडिया लि॰)	330	1079.39
14.	पेंच टीपीपी (मै॰ पेंच-पावर लि॰)	500	2183.50
15.	भिलाई टीपीपी (मै॰ भिलाई पावर सप्लाई कम्पनी)	574	2489.71
16.	रायगढ़ टीपीपी (मै॰ जिन्दल पावर लि॰)	550	2411.80
17.	मांडेर सीसीजीटी (मै॰ मांडेर पावर लि॰)	342	1048.072
18.	पीठमपुर डीजीपीपी (मै॰ शपूरजी पलोनजी पावर कं॰ लि॰)	119.7	442.096
19.	रतलाम डीजीपीपी (मै॰ जीवीके पावर रतलाम) लि॰	118.63	451.294
20.	खण्डवा सीसीजीटी (मै॰ मध्य भारत एनर्जी कं कार्पोरेशन लि.)	171.17	550.667
	गुजरात		
21.	पगुथन सीसीजीटी (मै॰ गुजराज टोरेंट)	654.7	2298.14
22.	हजीरा सीसीजीटी (मै॰ सस्सार पावर लि॰)	515.0	1666.56
23.	बड़ौदा सीसीजीटी (मै॰ जीआईपीसीएल)	167.0	368.22
24.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै॰ जी आईपीसीएल)	250.0	1167.189
25.	जामनगर टीपीपी (मै॰ रिलायंस पावर लि.)	500.00	2550.741
	महाराष्ट्र		
26.	डाभोल सीसीजीटी (मै॰ डाभोल पावर कं.)	2015	9051.27
27.	भद्रावती टीपीएस (मै॰ सेंट्रल इंडिया पावर)	1072	4630.90
28.	पातालगंगा सीसीजीटी (मै॰ रिलायंस पातालगंगा पावर)	447.1	1379.181
	आंध्र प्रदेश		
29.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (मै॰ जीवीके इंडस्ट्रीज)	216	816
30.	गोदावरी सीसीजीटी (मै॰ स्पैक्ट्रम टैक्नॉलाजी)	208	748.43
31.	विजाग टीपीएस (मै॰ एचएनपीसीएल)	1040	4628.11
32.	रामागुंडम विस्तार (मै॰ बीपीएल ग्रुप)	520	2384.57
33.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (लेनको इंडस्ट्रीज लि.)	350	1035.471
34.	कृष्णापट्नम "बी" टीपीपी (बीबीआई पावर कृष्णापट्टनम कं.)	520	2221.329
35.	वेमागिरि सीसीजीटी (इस्पात पावर लि.) आईसीबी रूट पर	492	1679.907
	कर्नाटक		
36.	तोरांगल्लू टीपीएस (मै॰ जिंदल ट्रैक्टेबल)	260	1093.86
37.	मंगलौर टीपीएस (मै॰ कोर्जेट्रिक्स)	1013.2	4253.399
38.	नागार्जुन टीपीपी (मै॰ नागार्जुन पावर कार्पोरेशन लि॰)	1015	5495.99
39.	बंगलौर सीसीजीपी (मै॰ पीन्या पावर)	107.6	390.593

1	2	3	4
	तमिलनाडु		
40.	नैवेली टीपीएस-जीरो यूनिट (मै॰ एसटी-सीएमएस)	250	1200
41.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (मै॰ पीपीएन पावर)	330.5	1121.70
42.	नॉर्थ मद्रास टीपीएस-2 (मै॰ वीडियोकोन पावर)	1050	4423.80
43.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै॰ जीएमआर वासवी)	200	756.77
44.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (मै॰ स्पिक)	525	2324.10
45.	समयानल्लूर डीजीपीपी (मै॰ बालाजी पावर कार्पोरेशन लि॰)	106	384.221
46.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै॰ समलपट्टी पावर कं.)	106	391.863
47.	नार्थ मद्रास टीपीपी (मै॰ त्रि-शक्ति एनर्जी प्रा. लि.)	525	2246.77
48.	कुड्डालोर टीपीपी (मै॰ कुड्डालोर पावर कंपनी)	1320	6379.157
49.	वेम्बर सीसीजीटी (मै॰ इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स लि.)	1873	5060.165
	केरल		
50.	विप्पीन सीसीजीटी (मै॰ सियासिन एनर्जी प्रा. लि.)	679.2	1964.3
51.	कन्नूर सीसीजीटी (मै॰ कन्नूर पावर प्रोजेक्ट्स लि॰)	513	1470
	उड़ीसा		
52.	इब वैली टीपीएस (यूनिट-5 व 6) एईएस इब वैली कार्पो.)	500	2369.48
53.	डुबरी टीपीपी यूनिट-1 व 2 (कॉलिंग पावर कार्पोरेशन)	500	2191.534
	पश्चिम बंगाल		
54.	बालागढ़ टीपीएस (मै॰ बालागढ़ पावर कं.)	500	2234.69
55.	बक्रेश्वर टीपीपी (बक्रेश्वर पावर जेनरेशन कं.)	420	1621.558
56.	गौरीपुर टीपीपी (गौरीपुर पावर कंपनी)	150	659.442
	बिहार		
57.	जोजोबेरा टीपीपी (मै॰ जमशेदपुर पावर कं.)	240	1025.19

विवरण II

क्र. सं.	परियोजना का नाम/प्रवर्तक	क्षमता (मे. वा.)	राज्य (जिला)	चालू होने का कार्यक्रम	एफएफपी अनुमानित लागतानुसार
1.	पी. पी. नल्लूर सीसीपीपी, मै॰ पीपीएन पावर जनरेशन कं.	330.5	तमिलनाडु (तंजावुर)	3/2001	177.48 मिलियन अमरीकी डॉलर 524.81 करोड़ रु.
2.	कोंडापल्ली सीसीपीपी मै॰ कोंडापल्ली पावर कार्पोरेशन	355.0	आ. प्र. (कृष्णा)	जीटी-1: 1/2000 जीटी-2: 3/2000 एसटी-3 : 8/2000	178.636 मिलियन अमरीकी डॉलर 384.441 करोड़ रु. (1 अमरीकी डॉलर = 36/- रुपये)
3	समलपट्टी डीजीपीपी. मै॰ समलपट्टी पावर कं.	106.0	तमिलनाडु (धर्मपुर)	14-17 माह वित्तीय समापन से	55.978 मिलियन अमरीकी डॉलर 172.508 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डॉलर=39/- रुपये)
4	महेश्वरी एचईपी, मै॰ एसएमएवपीसीएल	400	म. प्र. (खरगौन)	2003-04	211.68 मिलियन अमरीकी डॉलर (1अमरीकी डॉलर=35.5 रुपये)
5	मलाना एचईपी, मै॰ मलाना पावर कं. लि.	86	हि. प्र. (कुल्लू)	वित्तीय समापन के 5 वर्ष बाद	332.711 करोड़ रुपये

संकेताक्षर:
सीसीपीपी : कंम्बाइड साइकिल पावर प्रोजेक्ट
डीजीपीपी : डीजल-जेनरेटिंग पावर प्रोजक्ट
एसएमएवपीसीएल : श्री महेश्वर हाईडल पावर कार्पोरेशन लि.
जीटी : गैस टरबाईन
एसटी : स्टीम टरबाईन
एफसी : वित्तीय समापन

विवरण III

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं जो कि पूर्णत: चालू हो चुकी हैं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा.)	के. वि. प्रा. की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अनुसार अनुमानित संपूर्ण लागत
गुजरात			
1.	पगुथन सीसीजीटी (मै॰ गुजरात पावर जैन एनर्जी कार्पोरेशन लि.)	654.7	2298.14 करोड़ रुपये
2.	हजीरा सीसीजीटी (मै॰ एस्सार पावर लि॰)	515.0	284.35 मिलियन अमरीकी डॉलर+770.87 करोड़ रुपये (ईआर 31.50/-रु॰ 1 अमरीकी डॉलर)
3.	बडौदा सीसीजीटी (मै॰ गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कार्पोरेशन लिमिटेड)	167.0	368.22 करोड़ रुपये
4.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै॰ गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कार्पोरेशन लिमिटेड)	250.0	44.538 मिलियन अमरीकी डॉलर+4.92 मिलियन डी एम (ईआर 1 अमरीकी डॉलर =35/-रु., 1 डीएम=23/-रूपये)
महाराष्ट्र			
5.	डाभोल सीसीजीटी चरण-1 (मै॰ डाभोल पावर कं.)	740	9051.27 करोड़ रुपये (1440 मे. वा. के चरण-1 व चरण-2 दोनों चरणों के लिए)
आंध्र प्रदेश			
6.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (मै॰ जीवीके इंडस्ट्रीज लि.)	216	827.0 करोड़ रुपये
7.	गोदावरी सीसीजीटी (मै॰ स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि.)	208	748.43 करोड़ रुपये
कर्नाटक			
8.	तोरागल्लू टीपीएस (मै॰ जिन्दल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लि.)	260	106.87 मिलियन अमरीकी डॉलर+725.16 करोड़ रुपये
तमिलनाडु			
9.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै॰ जीएमआर वासवी पावर कार्पोरेशन लि.)	200	125.82 मिलियन अमरीकी डॉलर+328.99 करोड रुपये
10.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (मै॰ लेनको कोंडापल्ली पावर कार्पोरेशन)	350	180.616 मिलियन अमरीकी डॉलर+385.254 करोड रुपये

विवरण IV

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं जो कि निर्माणाधीन हैं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा.)	राज्य	प्रवर्तक	अभ्युक्ति
निजी क्षेत्र परियोजनाएं					
1.	डाभोल सीसीजीटी चरण-2	1440	महाराष्ट्र	मै॰ डाभोल पावर कं.	
2.	जोजोबेरा टीपीपी	240	बिहार	मै॰ जमशेदपुर पावर कंपनी	आंशिक रूप से चालू (120 मे. वा.)
3.	महेश्वर एचईपी	400	मध्य प्रदेश	मै॰ श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन लि.	
4.	बास्पा-2 एचईपी	300	हिमाचल प्रदेश	मै॰ जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि.	
5.	पिलाईपेरुमलनल्लूर सीसीजीटी	330.5	आंध्र प्रदेश	मै॰ पीपीएन पावर जेनरेटिंग कंपनी	
6.	वेमागिरि सीसीजीटी (नेपथा)	492	आंध्र प्रदेश	मै॰ इस्पात पात पावर लि.	
7.	नैवेली टीपीपी	250	तमिलनाडु	मै॰ एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी	
8.	मलाना एचईपी	86	हिमाचल प्रदेश	मै॰ राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स लि.	
9.	समयानल्लूर डीजीपीपी	106	तमिलनाडु	मै॰ बालाजी पावर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	
10.	समलपट्टी डीजीपीपी	106	तमिलनाडु	मै॰ समलपट्टी पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	
11.	रतलाम डीजीपीपी	118.63	मध्य प्रदेश	जीवीके पावर (रतलाम) लि॰	
12.	रामागुंडम टीपीपी	520	आंध्र प्रदेश	बीपीएल पावर प्रोजेक्ट्स	

विवरण V

वे विद्युत परियोजनाएं, जिनके संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हो गई है

क्र. सं.	परियोजना/प्रवर्तकों/राज्य का नाम	क्षमता	अनुमानित संपूर्ण लागत (करोड़ रु. में)	निवेश लंबित है	सीईए के द्वारा कार्रवाई की गई
1	2	3	4	5	6
1.	धामवाड़ीसुण्डा एचईपी (मै. धर्मवारी पावर कं. लि. हिमाचल प्रदेश	70	563.03	I. अनंतिम वित्तीय पैकेज II. पारेषण लाइनों के लिए वन स्वीकृति III. मलिआना सब स्टेशन से आगे विद्युत निकासी IV. कानूनी पहलुओं पर टिप्पिणियों की अनुपालना	सिद्धान्त रूप में स्वीकृति 31.3.96 को जारी हो गई थी, 9/99 में प्राप्त लागत अनुमान के. वि. प्रा./सी. डब्ल्यू सी में जांचाधीन है। 13.3.2000 को स्थाई परियोजना योजना मूल्यांकन समित द्वारा इस पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना की टीईसी हेतु सिफारिशें करने से पहले कई मुद्दों का समाधान कर लिया जाएगा।
2.	जवाहरपुर टीपीपी (मै. जवाहरपुर पावर इंडिया लि. उत्तर प्रदेश)	800	3810.14	I. डीपीआर/लागत पर राज्य सरकारी की सिफारिशें II. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 29 (2) के अन्तर्गत लागत हेतु शुद्धिपत्र III. अंनतिम वित्तीय पैकेज पर स्पष्टीकरण	आईपीसी 16.8.95 को जारी की गई। टीईसी हेतु प्रस्ताव के संबंध में सिफारिशें नहीं की गई हैं। लंबित मुद्दों का समाधान करने और लागत को पर्याप्त रूप से कम करने के उपरान्त इस पर विचार किया जायेगा।
3.	राजगढ़ सीसीजीटी (मै. जलपाइन पावर सिस्टम लि.) मध्य प्रदेश	343.48	1128.78	I. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 29 (2) की अनुपालना, संशोधित क्षमता व लागत के लिए शुद्धिपत्र तथा धारा 29 (3) के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रतीक्षित है। II. संशोधित क्षमता के अनुमोदन हेतु धारा 18 ए के अन्तर्गत राज्य सरकार की सम्मति III. स्विचयार्ड में कई आउटलेट और विद्युत निकासी प्रणाली। IV. पुन:वैधीकृत ईंधन संवहन स्वीकृति V. 343.48 मे. वा. संशोधित क्षमता हेतु ईंधन लिंकेज।	लम्बित निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित हो जाने के बाद टीईसी हेतु विचार किया जाना है।
4.	इबुआ सीसीजीटी मै. केडिया पावर लि. मध्य प्रदेश	360	1365.768	I. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 29 (2) की अनुपालना, संशोधित क्षमता व लागत के लिए शुद्धिपत्र तथा धारा 129 (3) के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रतीक्षित है।	12.11.1991 को आईपीपी के साथ बैठक आयेजित की गई। कंपनी ने परियोजना क्षमता 330 मे. वा. रखे जाने की सूचना दी है। कंपनी को 31.12.2000 तक संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।

1	2	3	4	5	6
				II. संशोधित क्षमता के अनुमोदन हेतु धारा 18 (ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार की सहमति III. 194.33 है॰ भूमि की जलमग्नता के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति IV. 8.63 क्यू मी जल खपत की निकासी हेतु मध्य प्रदेश सरकार से दुबारा अनुमोदन V. जीओएमपी विद्युत खपाये जाने की पुष्टि।	
5.	हासन सीसीपी (मै॰ हसन पावर सप्लाई कं. लि.) कर्नाटक	189	715.62	I. अन्तरराज्यीय दृष्टिकोण से सीडब्ल्यूसी द्वारा जल उपलब्धता का प्रस्ताव।	के. वि. प्रा. द्वारा टीईसी हेतु 28.5.99 को विचार किया गया। आईपीपी द्वारा पहले से ही स्थिर लागत में 20 करोड़ रुपये की कमी करने के अतिरिक्त 5। करोड़ रुपये की और कमी करने और परिवर्तनशील लागत में युक्तिसंगत स्तर तक कमी करने के बाद स्कीम पर पुनर्विचार किया जाएगा।
6.	नंजन गुड सीसीपीपी (टी) मै. आईपीएस पावर कं.	96.7	52.26 मिलियन अमेरिकन डालर+ 154.916 करोड़ रु.	I. अन्तरराज्यीय दृष्टिकोण से सीडब्ल्यूसी द्वारा जल उपलब्धता का प्रस्ताव II. स्थिर लागत को अंतिम रूप प्रदान करना।	आईपीसी 31.3.96 को जारी कर दी गई है। टीईसी हेतु के. वि. प्रा. द्वारा 26.2.99 को इस पर विचार किया गया है।
7.	मांड्या सीसीपीपी (मेसर्स मांड्या पावर पार्टनर्स प्रा॰ लि॰)	164.4	674.775	I. धारा 29 (2) का अनुपालन-राजपत्र में संशोधित क्षमता और लागत के लिए शुद्धि पत्र II. जल उपलब्धता (केन्द्रीय व राज्यीय) III. विद्युत उत्पादन कंपनी के हित में ईंधन लिंकेज का हस्तांतरण और ईंधन लिंकेज की वैधता का विस्तार IV. ईंधन संवर्द्धन V. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति-संशोधित क्षमता के लिए पुनः वैधीकरण VI. वित्तीय पैकेज VII. विद्युत निकासी प्रणाली	वांछित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में के. वि. प्रा. द्वारा प्रस्ताव 1.5.2000 को लौटा दिया गया।
8.	तेलगी (बीजापुर) टीपीपी (मै॰ केईआई एनर्जी प्राइवेट लि.)	350	1597.7	30.3.1996 को आईपीसी जारी। 16.3.1999 के एसपीएसी द्वारा विचार किया गया। तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए सिफारिश नहीं की गई क्योंकि लागत उचित तरीके से व्यवस्थित नहीं है और उपस्कर एवं सेवा लागतों को उचित अनुपात में नहीं दर्शाया गया है।	

1	2	3	4	5	6
9.	श्री मुशनम लिग्नाइट टीपीपी (मै॰ टीआईसी एपीसीओ)	250	1451	I. जल उपलब्धता II. डीपीआर एवं लागत पर राज्य सरकार की सिफारिश III. खनन योजना के लिए कोयला मंत्रालय का अनुमोदन	16.11.1999 को पूर्व एसपीएसी बैठक में विचार किया गया।
10.	कृष्णापटनम -"क" टीपीपी (मै॰ जीवीके पावर कृष्णपटनम लि॰)	520	377.56 मिलियन अमेरिकन डालर 1089.729 करोड़ रु.	I. कोयला लिंकेज एवं परिवहन II. संशोधित क्षमता के लिए पुन: वैधीकृत एमओएफ स्वीकृति III. धारा 29 (2) एवं 29 (3) का अनुपालन IV. सुनिश्चित पूर्णता लागत V. धारा 18 (ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार की मंजूरी VI. प्रस्तावित जेटी के लिए पर्यावरण (एस पीसीबी) स्वीकृति VII. भारतीय विमान प्राधिकरण लि॰ का पुन: वैधीकृत अनापत्ति प्रमाणपत्र VIII. सीडब्ल्यूसी की स्वीकृति।	लंबित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में सीइए द्वारा 20.4.2000 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।
11.	अपर कृष्ण एचईपी (मै॰ चामुंडी पावर कारपोरेशन)	1146	213.9 मिलियन अमेरिकन डालर +941 करोड़ रु॰	I. ई(एस) अधिनियम 1948 की धारा 18 ए का अनुपालन। II. उक्त अधिनियम की धारा 29 का अनुपालन। III. भूमि एवं जल उपलब्धता के संबंध में राज्य प्राधिकारियों का प्रमाणपत्र IV. वन पर्यावरण, पुन: स्थापना एवं पुनर्वास योजना की पुष्टि से एमओई-एण्ड एफ से स्वीकृति। V. अंत:राज्यी जल समस्याओं के संबंध में सीडब्ल्यूसी से अंतिम स्वीकृति V. अंतिम लागत अनुमान की प्रस्तुति VII. नारायणपुरबांध एवं तमानाकल के बीच 849 मे. वा. की संस्थापित क्षमता वाले शेष विद्युत केन्द्र चरण-II के लिए संपूर्ण डीपीआर एवं पूंजीगत लागत तथा अनंतिम वित्तीय पैकेज की प्रस्तुति।	लंबित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में सीईए द्वारा 20.4.2000 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।
12.	अलाइन दुहागन एचईपी (मै॰ राजस्थान स्पीनिंग एंड विवींग मिल्स)	192	730.33	एमओएफ स्वीकृति/विद्युत लाभार्थी विद्युत निकासी, वित्तीय पहलुओं, क्रियान्वयन समझौता को अंतिम रूप देना डीडब्ल्यूसी धारा "एप्रोच को	लंबित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में सीईए द्वारा 23.3.2000 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।

1	2	3	4	5	6
				स्वीकृति धारा 18 (ए) के अंतर्गत राज्य सरकार की मंजूरी। अभिकल्पन दृष्टि से स्वीकृति तथा लागत अनुमान की स्वीकृति।	
13.	करछाम वाग्चू एचईपी (मै॰ जयप्रकाश इंडस्ट्रिज लि॰)	1000	3875.11	एमओईएफ स्वीकृति राज्य वन विभाग स्वीकृति, आरएण्डआर कार्यक्रम, अंनतिम वित्तीय पैकेज, भूमि उपलब्धता जल उपलब्धता (एसएंड सी) (ई) (एस) अधि-नियम की धारा 29 (2) एवं 3 का अनुपालन।	लंबित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में सीईए द्वारा 5.7.2000 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।
14.	नई दिल्ली टीपीएस (मै॰ अपोलो एनर्जी कं. प्राईवेट लि॰)	350	468.61 मिलियन अमेरिकन डालर+ 156.98 करोड़ रु॰	भूमि उपलब्धता धारा 18 ए के अन्तर्गत राज्य सरकार की सहमति। लागत/डीपीआर के लिए राज्य सरकार की सिफारिश धारा 29 (2) का अनुपालन-संशोधित क्षमता एवं लागत की शुद्धि, एसपीसीबी का अनापत्ति प्रमाणपंत्र, एमओइएच स्वीकृति विद्युत निकासी प्रबंध एवं धारा 29 (3) के अन्तर्गत एस/याड रिपोर्ट में आउटलेर की प्रतीक्षा।	लंबित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में सीईए द्वारा 19.11.1998 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।
15.	सूरत लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट विस्तार चरण-II/मै॰ जीआईपीसीएल	250	1145.29	स्वीकृतियां है-भूमि उपलब्धता, ईंधन लिंकेज, जल उपलब्धता (एसएंड सी), एसपीसीबी का अनापत्ति प्रमाणपत्र, राज्य पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र, एनएए का अनापत्ति प्रमाणपत्र	लंबित निवेशों/ स्वीकृतियों के अभाव में सीईए द्वारा 23.10.2000 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।
16.	कोरबा (पश्चिमी) टीपीपी (मै. आरपीजी कोरबा पश्चिमी पावर कं. लि॰)	520	2137.14	स्वीकृतियां हैं: जल उपलब्धता पर सीडब्ल्यूसी की स्वीकृति, ईंधन लिंकेज धारा 18 ए के अन्तर्गत राज्य सरकार की सहमति	लंबित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में सीईए द्वारा 21.5.1997 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।
17.	बंगलौर टीपीपी (मै. पावर कं.)	500	2372.55	डीपीआर/लागत ईंधन लिंकेज/ परिवहन के लिए राज्य सरकार की सिफारिश, धारा 29 (2) का अनुपालन, एसपीसीबी का अनापत्ति प्रमाण पत्र एमओईएफ स्वीकृत, सुनिश्चित पूर्णता लागत, विद्युत निकासी प्रणाली, जल उपलब्धता (एस एण्ड सी), एनएए का अनापत्ति प्रमाण पत्र धारा 18 एके अंतर्गत राज्य सरकार की मंजूरी।	लंबित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में सीईए द्वारा 18.12.1997 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।

1	2	3	4	5	6
18.	गिन शिवपुर कन्नूर एलएनजी सीसीपीपी आधारित (मै॰ वस्कापावर जन. लि॰)	500	1659.2	डीपीआर/लागत के लिए राज्य सरकार की सिफारिश एमओडी से स्वीकृति, धारा 29 (2) का अनुपालन, एमओईएफ स्वीकृति, सुनिश्चित पूर्णता लागत, अंतिम वित्तीय पैकेज, जल उपलब्धता (एसएंडसी) एनएए का एनओसी धारा 18ए के अन्तर्गत राज्य सरकार की मंजूरी।	लंबित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में सीईए द्वारा 6.9.1999 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।
19.	कासरगोड़ सीसीजीटी (मेसर्स पिनोलेक्स इनर्जी कॉर्पोरेशन)	459	1398.43	भूमि उपलब्धता, ईंधन उपलब्धता/ परिवहन, स्थानीय समाचार पत्र में धारा 29 (2) का अनुपालन, संशोधित क्षमता के लिए धारा 18ए के अंतर्गत राज्य सरकारी की मंजूरी, सुनिश्चित पूर्णता लागत, डीपीआर/ लागत के लिए राज्य सरकार की सिफारिश, नाफ्था के बदले कन्डेनसेट को ईंधन के रूप में उपयोग एवं आयात करने हेतु राज्य सरकार की सहमति, विद्युत निकासी प्रणाली।	लंबित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में सीईए द्वारा 19.6.197 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।
20.	कट्टपल्ली सीसीपीपी (मेसर्स चेन्नई पावर जेन. लि॰)	1000	662.21 मि॰ अमरीकी डॉलर+ 1513.14 करोड़ रुपये	स्वीकृतियां हैं:-ईंधन उपलब्धता/ परिवहन, धारा 29 (2) का अनुपालन धारा 18 ए के अंतर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति, सुनिश्चित पूर्णता लागत, विद्युत निकासी प्रणाली, कन्डेन्सेट का वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए एसपीसीबी का एनओसी, एमओईएफ की स्वीकृति।	लंबित निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में सीईए द्वारा 27.3.2000 को प्रस्ताव वापस कर दिया गया।

बकाया धनराशि का भुगतान करने हेतु राज्य विद्युत बोर्डों के लिए पैकेज

*112. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उन राज्यों, जिनके राज्य विद्युत बोर्ड अपनी बकाया धनराशि का भुगतान करने के इच्छुक हैं, को कोई पैकेज दिए जाने की घोषणा की है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में वित्त मंत्री, विद्युत मंत्री, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच कोई बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिए गए; और

(ङ) राज्य विद्युत बोर्डों के इस पैकेज से किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) जुलाई, 000 में सरकार ने विद्युत मंत्रालय और कोयला विभाग के केन्द्रीय विद्युत ात्र उपक्रमों की तरह राज्य विद्युत बोर्डों की देय राशियों के प्रत्याभूतिकरण तु एक स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत :

(i) संबंधित चूककर्त्ता रा. वि. बो. विद्युत मंत्रालय और कोयला विभाग के सीपीएसयू को बॉण्ड जारी करेंगे ताकि 31.12.1999 अथवा अन्य किसी पारस्परिक रूप से सहमत तिथि तक की बकाया मूल राशि को शामिल किया जा सके।

(ii) इन बॉण्डों को राज्य सरकार की गारंटी प्रदान की जाएगी जिसमें रा. वि. बो. द्वारा इनका भुगतान न किए जाने की स्थिति में संबंधित राज्य सरकार के बजट में इसके भुगतान के लिए विशिष्ट आवंटन किए जाऐंगे।

(iii) बॉण्ड धारकों को और सुविधा प्रदान करने के लिए, केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा गारंटी देयता को पूरा न करने की स्थिति में बॉण्डों के विमोचन के लिए संबंधित राज्य के सीपीए आवंटन की 15% तक की कटौती करने के लिए विद्यमान प्राधिकार का प्रयोग करेगी।

(iv) यह बॉण्ड कर-मुक्त होंगे।

(v) उपरोक्त विशेषताओं के कारण इन बॉण्डों का गौण बाजार में विनिमय किया जा सकेगा और केन्द्रीय पीएसयू के पास गौण बाजार में इन बॉण्डों को बेचकर अपनी राशि की वसूली करने का विकल्प होगा।

(vi) प्रत्याभूत कर मुक्त बॉण्डों की उपर्युक्त सुविधा केवल उन्हीं रा. वि. बो./राज्य सरकारों को उपलब्ध होगी जो एक ठोस सुधार पैकेज को क्रियान्वित करने समेत वर्तमान बकाया राशियों के भुगतान के लिए तथा चालू देय राशि के 105% की सीमा तक एलसी खोलने के लिए सहमत हों जिसके अंतर्गत उन्हें विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार सुधार मानदंडों का पालन करना होगा और संबंधित राज्यों में त्वरित गति से एसईआरसी की स्थापना करनी होगी, आदि।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसा कि पैरा (क) और (ख) में कहा गया है राज्य बिजली बोर्ड, सीपीएसयू को बॉण्ड जारी करके अपनी बकाया राशियों को कम कर सकेंगे जिससे बाजार में उनकी साख-दर में वृद्धि होगी। रा. वि. बो. भी इस तथ्य से लाभ उठायेंगे कि बॉण्ड जारी होने की तिथि के पश्चात् तत्काल ही नकदी का बाह्य प्रवाह नहीं होगा, कर में छूट के कारण बॉण्ड के विनिमय की दर कम होगी तथा अधिभार न लगने के कारण भी बचत होगी।

बाढ़ के कारण हुई क्षति

*113. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश के कई राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में बाढ़ के कारण राज्यवार जान-माल, फसलों और पशुओं की कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को हुई क्षति का आकलन करने हेतु वहां कोई केन्द्रीय दल भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन राज्यों को उनकी मांगों के अनुसार आपदा राहत कोष के अतिरिक्त दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उन्हें बाढ़ सहायता के लिए दी गई पूरी धनराशि को अनुदान के रूप में माने जाने की मांग की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ज) सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस वर्ष जून से नवम्बर के दौरान केन्द्रीय दलों ने अरूणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक राज्यों का दौरा किया।

(ङ) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(च) और (छ) प्राकृतिक आपदाओं की दशा में लोगों को राहत मुहैया कराने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्यों की है। केन्द्र सरकार राज्यों के प्रयासों में केवल संपूरण का कार्य करती है। राज्य सरकार कई बार केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में पुन: निर्माण/पुनर्वास के लिए उनके द्वारा मांगी गई पूर्ण सहायता के लिए अनुरोध करती है। तब आपदा राहत कोष से सहायता के अतिरिक्त जहां व्यवहार्य है अन्य शीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

(ज) जलाशयों के निमार्ण, तटबंदी, कटाव रोधी कार्य तथा बाढ़ रोधिता जैसे संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक दोनों तरह के उपायों समेत बाढ़ नियंत्रण के उपाय किए गए हैं।

विवरण I

बाढ़ के कारण 2000 के दौरान नुकसान/क्षति का ब्यौरा

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	प्रभावित जिलों की सं॰	इंसानी (संख्या)	मृत मवेशी (संख्या)	क्षत-विक्षत मकान (लाख)	नष्ट कृषि फसल क्षेत्र (लाख है॰)
1.	आन्ध्र प्रदेश	18	257	5368	1.04	4.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	26	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
3.	असम	18	32	सूचित नहीं	सूचित नहीं	2.24
4.	बिहार	33	273	1815	1.81	3.90
5.	गुजरात	10	116	406	0.24	सूचित नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश	3	100	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
7.	कर्नाटक	सूचित नहीं	152	690	0.55	0.57
8.	केरल	14	75	सूचित नहीं	0.09	सूचित नहीं
9.	मध्य प्रदेश	6	13	147	0.03	नगण्य
10.	पंजाब	7	7	सूचित नहीं	नगण्य	सूचित नहीं
11.	सिक्किम	1	11	सूचित नहीं	नगण्य	सूचित नहीं
12.	उत्तर प्रदेश	39	400	871	0.34	4.35
13.	पश्चिम बंगाल	9	1320	836.30	21.95	19.20

विवरण II

राज्यों को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार विवरण

	राज्य का नाम	2000-01 के दौरान निर्मुक्त आ॰ रा॰ को॰ केन्द्रीय अंश (करोड़ रुपये)	अन्य प्रदत्त सहायता
1.	आन्ध्र प्रदेश	148.54	राजमार्ग की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपये
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.40	संसाधन के गैर-व्ययगत केन्द्रीय पूल के रूप में 34.89 करोड़ रुपये निर्मुक्त
3.	असम	15.66	
4.	बिहार	शून्य	
5.	गुजरात	131.14	
6.	हिमाचल प्रदेश	8.44	50.00 करोड़ रु॰ अर्थोपाय अग्रिम तथा 50.00 करोड़ रु॰ सामस्य अग्रिम केन्द्रीय सहायता
7.	कर्नाटक	13.11	
8.	केरल	17.34	
9.	मध्य प्रदेश	31.99	
10.	पंजाब	16.95	
11.	सिक्किम	2.95	
12.	उत्तर प्रदेश	39.18	
13	पश्चिम बंगाल	75.83	422.43 करोड़ रु॰ राजस्व घाटा अनुदान पेयजल आपूर्ति विभाग से 58.90 करोड़ रु॰ भूतल परिवहन विभाग से 7.00 करोड़ रु॰ ग्रामीण विकास विभाग से 18.51 करोड़ रुपये।

उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त, थल और वायु सेना ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने, खाद्य सामग्री की हवाई जहाज से पहुंचाने तथा राहत सामग्री पहुंचाने जैसे राज्य सरकारों के राहत उपायों में सहायता की। राज्य सरकारों, विशेषतौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल, को खाद्यान्न गरीबी रेखा से नीचे (बी॰ पी॰ एल॰) दरों पर आपूर्त किए गए। प्रभावित राज्यों को दवाइयां, रोगाणु नाशक ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टैबलेट इत्यादि भी दिए गए।

नई राष्ट्रीय खेल नीति

*114. श्री पी. एस. गढ़वी :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खेल नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसकी घोषणा कब तक किए जाने तथा इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती:) (क) नई राष्ट्रीय खेल नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

(ख) नीति के मसौदे की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

1. खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना;
2. अवस्थापना का उन्नयन तथा विकास;
3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उपयुक्त निकायों को सहायता प्रदान करना;
4. खेलों को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना तथा प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना;
5. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;
6. महिलाओं, जनजातीय लोगों तथा ग्रामीण युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना;
7. निगमित क्षेत्रों को खेल संवर्धन में शामिल करना; तथा
8. लोगों में बड़े पैमाने पर खेल भावना के संवर्धन के लिए अधिक जागरूकता सृजित करना।

(ग) नई राष्ट्रीय खेल नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नीति को अंतिम रूप से अनुमोदित करने की तारीख से ही इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा

*115. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोक्ताओं को टेलीफोन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके संबंध में वर्तमान लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग उपभोक्ताओं को डीईएल (सीधी एक्सचेंज लाइनों) तथा गांवों में वीपीटी (ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों) क रूप में टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। डीईएल के लक्ष्य न केवल पूरे कर लिए जाते हैं, बल्कि लक्ष्य से अधिक डीईएल भी प्रदान किए जाते हैं।

तथापि, वीपीटी के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रही है। इस कमी के मुख्य कारण एमएआरआर (मल्टि एक्सेस रेडियो रिले) को समाप्त करने के निर्णय के बाद उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पता लगाने का आवश्यकता, अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति तथा अन्य संभारतंत्रीय (लाजिस्टिकल) कठिनाइयां आदि हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण डीईएल में उपलब्धि और वीपीटी में कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2000-01 के दौरान, छोटी और दरमियानी क्षमता वाले एक्सचेंजों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 14.20 लाख डीईएल प्रदान करने की योजना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, विद्युत संयंत्र, बैटरी, एमडीएफ (मुख्य वितरण फ्रेम) और भूमिगत केबल जैसे एक्सचेंज उपकरणों तथा अन्य अनिवार्य उपांगों की आपूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

वर्ष 2000-01 के लिए 1,00,000 वीपीटी का लक्ष्य है। केबल, सीडीओटीटीडीएमए/पीएमपी, डब्ल्यू एलएल प्रणलियां और उपग्रह टर्मिनल जैसी अनिवार्य मदों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के लिए ग्रामीण डीईएल तथा वीपीटी के संदर्भ में लक्ष्य/उपलब्धि

ग्रामीण डीईएल

वर्ष	लक्ष्य डीईएल (लाख)	उपलब्धि डीईएल (लाख)
1998-99	8.44	10.03
1999-2000	12.73	14.11

वीपीटी

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1998-99	45000	37058
1999-2000	45089	33965

राज्य सरकारों को "प्री-कूलिंग" और शीतागर संबंधी परियोजनाओं के लिए सहायता

*116. श्री अशोक ना॰ मोहोल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को एन॰सी॰डी॰सी॰ के माध्यम से आलू और अन्य फलों व सब्जियों का सहकारी-समितियों द्वारा भंडारण करने हेतु "प्री-कूलिंग" और शीतागार संबंधी परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित किये गये मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक महाराष्ट्र को अन्य राज्यों की तुलना में इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में "प्री-कूलिंग" और शीतागारों की स्थापना करने के संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा दी गई धनराशि के उचित उपयोग पर निगरानी रखी है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त 65% ऋण के रूप में तथा 25% राजसहायता के रूप में कुल ब्लॉक लागत का 90% उपलब्ध कराता है। शेष 10% लाभभोगी सहकारी समितियों द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने इस स्कीम को सहकारी समितियों द्वारा शीतागार सुविधाएं स्थापित करने के लिए पश्चवर्ती पूंजी राजसहायता से संबंधित भारत सरकार की अन्य स्कीम के साथ भी समन्वित कर दिया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी शीतागारों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण के लिए भी राजसहायता दी जा रही है।

(ग) (लाख रुपये)

	अन्य राज्य	महाराष्ट्र
1997-98	574.56	-
1998-99	269.57	-
1999-2000	1137.90	-
अद्यतन (31.3.2000 तक)	10429.85	1715.96

(घ) कुल स्वीकृत 32 पूर्वशीतन-सह-शीतागार इकाइयों में से 25 इकाइयां पूर्ण हो चुकी हैं तथा बाकी अन्यों का निर्माण कार्य जारी है। आलू के लिए भी 2 शीतागार बनाए गए हैं।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्र निरीक्षणों, राज्य स्तरीय मानीटरन समिति तथा क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय में प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना

*117. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री वाई॰ जी॰ महाजन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत देश में किसानों को राज्यवार क्या राहत प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि का व्यय होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम इसके पहले चल रही वृहद फसल बीमा स्कीम के स्थान पर रबी 1999-2000 मौसम से क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर किसानों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत खरीफ 2000 मौसम में कवर किये गये किसानों का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है:

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कवर किये गये किसान
1.	आंध्र प्रदेश	1213552
2.	असम	100
3.	बिहार	40158
4.	गोवा	953
5.	गुजरात	1113453
6.	हिमाचल प्रदेश	77
7.	कर्नाटक	226264
8.	केरल	12218
9.	मध्य प्रदेश	533927
10.	महाराष्ट्र	1352705
11.	मेघालय	221
12.	उड़ीसा	442169
13.	तमिलनाडु	18753
14.	उत्तर प्रदेश	218235
15.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	47
16.	पाण्डिचेरी	373

(ग) क्रियान्वयन अभिकरण दावों का भुगतान फसल मौसम के अंत में करते हैं। वर्ष 2000-2001 के दावों के भुगतान हेतु 139.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

विवरण

1. यह स्कीम जोतों के आकार को आधार न मानते हुए सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।

2. यह स्कीम ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

3. बीमित राशि घर पहुंच फसल के मूल्य के बराबर होगी। यह क्षेत्र की औसत आय के 150% तक बढ़ायी जा सकती है।

4. इसमें खाद्यान्न फसलें (अनाज, कदन्न और दलहन), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें आती हैं जिनके पिछले कई वर्षों के उपज आंकडे उपलब्ध हैं। इस समय इस स्कीम के अन्तर्गत वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में 7 फसलें यथा-गन्ना, आलू, कपास अदरक, प्याज, हल्दी तथा मिर्च कवर की गयी हैं।

5. अन्य बागवानी और वाणिज्यिक फसलों को तीन वर्ष में कवर कर लिया जाएगा बशर्ते उनके पिछले वर्षों के उपज आकडे उपलब्ध हों।

6. प्रीमियम दरें बाजरा और तिलहन के लिए 3.5 प्रतिशत और अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5 प्रतिशत गेहूं के लिए 1.5 प्रतिशत और अन्य रबी फसलों के लिए 2 प्रतिशत है। बीमांकिक आंकडों के आधार पर निर्धारित दरें विनिर्दिष्ट प्रीमियम दर से कम होने पर निम्नदर ही लागू होगी।

7. वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में बीमांकित दरें स्कीम के शुरू से ही प्रभावित होंगी।

8. इस स्कीम की सततता सुनिश्चित करने के लिए पांच वर्षों में "एक्चुरियल ऐजीम" हो हासिल कर लिये जाने का प्रस्ताव है।

9. छोटे और सीमांत किसान अपने प्रभारित प्रीमियम की 50% राजसहायता के हकदार हैं।

10. तथापि, प्रीमियम राजसहायता को 5 वर्षों की अवधि में समाप्त कर दिया जाएगा।

11. यह स्कीम क्षेत्रगत दृष्टिकोण के आधार पर क्रियान्वित की जाती है। आपदा प्रभावित एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सभी किसान उस क्षेत्र के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति की दर से बीमा दावों का भुगतान पाने के हकदार हैं।

12. तथापि, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में, प्रभावित किसानों के वैयक्तिक दावों का निपटान अलग से किया जायेगा। स्थानीय आपदाओं में ओला वृष्टि, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ आदि शामिल हैं।

13. इस स्कीम को फिलहाल भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा। इसे क्रियान्वित करने के लिए अलग से भारतीय कृषि बीमा कम्पनी नामक एक संगठन की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है।

14. दावों के निपटान की जिम्मेदारी बीमा अभिकरण की होगी।

15. इस स्कीम को सतत रूप से जारी रखने के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुन: बीमा करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

16. इस स्कीम में यथावश्यक वार्षिक समीक्षा और संशोधन का भी प्रावधान है।

17. यह स्कीम रबी मौसम 1999-2000 से क्रियान्वित की जा रही है जिसमें 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भाग ले रहे हैं।

[अनुवाद]

'बायोमास' ऊर्जा का विकास

*118. **श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नौवीं योजना अवधि के दौरान देश में 'बायोमास' ऊर्जा उत्पादन का विकास करने के लिए नई प्रौद्योगिकी को लागू करने को कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में 'बायोमास' ऊर्जा का विकास करने के लिए अत्यधिक संभावनाएं हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में विशेषकर उड़ीसा राज्य के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। कृषिगत, वाणिकी और कृषि-औद्योगिक अवशिष्टों जैसी बायोमास सामग्रियों के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी पद्धतियों यथा गैसीकरण, दहन और सहउत्पादन का सक्रिय रूप से विकास किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) देश में लगभग 19,500 मेगावाट की कुल बायोमास विद्युत की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय बायोमास विद्युत/सहउत्पादन और बायोमास गैसीफायर कार्यक्रमों के अंतर्गत, देश में अब तक 290 मेगावाट की कुल बायोमास विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी अथवा ब्याज सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें भी करों तथा शुल्कों से राहत, त्वरित अवमूल्यन आदि सहित राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। अब तक 14 राज्यों ने वाणिज्यिक परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की वहीलिंग, बैंकिंग, तीसरे पक्ष को बिक्री तथा खरीद-वापसी के लिए सवर्धनात्मक नीतियों की घोषणा कर दी है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से उदार श्रृण उपलब्ध कराए जाते हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी, व्यापारिक/पारस्परिक सम्पर्क बैठकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(च) उड़ीसा राज्य के लिए 50 किवा. कि एक गैसीफायर परियोजना मंजूर की गई है। उड़ीसा राज्य के तीन तालुकाओं में बायोमास संसाधन मूल्याकंन अध्ययन किए गए हैं। इस राज्य के दस और तालुकाओं में ऐसे अध्ययन आरंभ किए गए हैं।

अंतर्राज्यीय बिजली विवादों के निपटान हेतु न्यायाधिकरण का गठन

*119. **कर्नल (सेवा निवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राज्यीय विवादों के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है जिससे जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत ताप परियोजनाओं की तुलना में काफी कम होती है;

(ग) क्या सरकार को अंतर्राज्यीय विवादों के शीघ्र निपटान हेतु अन्तर्राज्यीय न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे न्यायाधिकरण का गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री(श्री सुरेश प्रभु) : (क) अंतर्राज्यीय विवादों के कारण नई जल विद्युत परियोजनाएं विलम्बित हो रही हैं। इस समय, देश के विभिन्न भागों में अंतर्राज्यीय पहलुओं के कारण 6627.4 मे.वा. की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाली 37 स्कीमें रुकी पड़ी हैं।

(ख) ऊर्जा उत्पादन के अन्य स्रोतों की तुलना में जल विद्युत केन्द्र से उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत कम है क्योंकि जल विद्युत उत्पादन लागत न केवल मुद्रास्फीति से मुक्त है बल्कि यह समय के साथ कम भी होती है। जल विद्युत परियोजनाओं का काफी उपयोगी कार्यकाल है जो 50 वर्षों से अधिक होता है।

(ग) से (च) अंतर्राज्यीय विद्युत विवादों में फंसी जल विद्युत परियोजनाओं को आरंभ करने की आवश्यकता को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1998 में अनुमोदित जल विद्युत विकास संबंधी नीति अन्य बातों के साथ-साथ जल विद्युत परियोजनाओं के बेसिन-वार इष्टतम विकास हेतु प्रावधान करती है जिसके बेसिन वाले राज्य के दावों पर कोई पक्षपात अथवा विद्यमान परियोजनाओं के लाभों पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। इस संबंध में विद्युत मंत्रालय ने कावेरी विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए संबंधित राज्यों के मध्य समझौता करने के लिए कदम उठाए हैं। उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय विद्युत विवादों के संबंध में इसी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं।

साथ ही, अंतर्राज्यीय विद्युत विवादों के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद् तथा मंडलीय परिषदों को उपयुक्त मंच समझा जा रहा है। अंतर्राज्यीय विद्युत विवादों का समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय ट्रिब्यूनल का गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एल्युमिनियम संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

*120. **श्री पी॰ डी॰ एलानगोवन** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के एल्युमिनियम-उत्पादक संयंत्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक संयंत्र द्वारा अर्जित लाभ/घाटे तथा एल्युमिनियम के उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) घरेलू उद्योग-जगत में एल्युमिनियम की मांग और खपत कितनी है और देश में एल्युमिनियम की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान, कम राख वाले कोयले (नॉन-कुकिंग/कुकिंग) के आयात के लिए प्रमुख एल्युमिनियम कम्पनियों ने कितनी धनराशि खर्च की?

खान मंत्री (श्री सुन्दरलाल पटवा) : (क) और (ख) देश में एल्युमिनियम के उत्पादन की मासिक आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के एल्युमिनियम संयंत्रों के समग्र निष्पादन की सरकार द्वारा तिमाही आधार पर, विस्तार से समीक्षा की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एल्युमिनियम धातु के सभी घरेलू प्राथमिक उत्पादकों द्वारा किया गया उत्पादन और एल्युमिनियम का निर्यात एवं अर्जित लाभ का ब्यौरा निम्नवत है:

	एल्युमिनियम का उत्पादन (मीट्रिक टन में)			एल्युमिनियम का निर्यात (मीट्रिक टन में)			लाभ (करोड़ रु॰ में)		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
नालको	200162	146206	212663	55475	39865	95185	547	248	611
बालको	88198	91844	91345	1700	शून्य	116	80	76	56
हिन्डालको	200304	240926	248930	26207	25740	46369	496	566	612
इंडाल	38790	42193	43458	शून्य	शून्य	शून्य	71	76	84
मालको	25140	20290	23345	शून्य	शून्य	शून्य	50	33	30

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में एल्युमिनियम धातु का उत्पादन तथा खपत निम्नवत है:

वर्ष	एल्युमिनियम की खपत (मीट्रिक टन में)*	उत्पादन (मीट्रिक टन में)
1997-98	542647	552594
1998-99	567000	541459
1999-2000	588000	619741

*आंकड़े अनुमानित हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम उद्योग को अनिवार्य लाइसैंसिंग के प्रावधानों से छूट दी गई है। शत प्रतिशत तक इक्विटी भागीदारी के विदेशी निवेश की भी स्वचालित मार्ग पर अनुमति दे दी गई है। एल्युमिनियम के दो प्रमुख उत्पादक यानी नालको और हिन्डालको अपना-अपना उत्पादन क्रमश 1,15,000 मी॰ टन तथा 1,00,000 मी॰ टन प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए प्रमुख विस्तारपरक कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं।

(घ) कम राख अंश वाले आयातित गैर-कोकिंग/कोकिंग कोयले का प्रयोग करने वाली एकमात्र कंपनी मालको द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया खर्च निम्नवत है:

वर्ष	रू॰ (करोड़ में)
1997-98	शून्य
1998-99	6.15
1999-2000	73.96

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियां

1145. श्री बृजलाल खाबरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा॰ अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति ने वर्ष 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियां को भरने की सिफारिश की थी और इसका क्या परिणाम निकला;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बकाया रिक्तियों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) आपके मंत्रालय तथा इसके स्वायत्त/सांविधिक/संबद्ध कार्यालयों में 1-1-97 की तिथि के अनुसार श्रेणी I, II, III और IV में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित थे जो नहीं भरे गये और इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) 29-8-1997 की तिथि के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणी I, II, III और IV की कितनी रिक्तियां बकाया थी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी।

औद्योगिक अपशिष्टों की निकासी

1146. डा॰ जसवंतसिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा की औद्योगिक इकाइया इंदिरा गांधी फीड नहर में अपशिष्टों की निकासी कर रही है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा इंदिरा गांधी फीडर नहर के पानी में औद्योगिक अपशिष्टों को छोड़ने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चर्म शोधन शालाओं पर छापे

1147. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में चर्म शोधन शालाओं पर छापे मारे गऐ थे, जिसमें वन्यजीवों के चमड़े की वसूली हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अक्टूबर, 2000 में वारंगल में चर्मशालाओं पर मारे गए छापों के दौरान दो चीतल की खालें, एक बाघ की खाल और एक तेंदुए की खाल बरामद हुई थी।

(ग) चर्मशाला के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ मुकद्दमा चलाया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन

1148. श्री जी. एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने तिपहिया वाहनों में एल. पी. जी. लगाने हेतु मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने जल्द ही संशोधन करने हेतु मार्च 2000 में भी याद कराया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों में वांछित सीमा तक संशोधन कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सड़कों हेतु कोष

1149. श्री सुरेश चन्देल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-भूतल परिवहन मंत्रालय सड़क निर्माण के लिए अधिक कोष प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने सड़कों हेतु दी गई विदेशी सहायता का ढंग से उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सड़क निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं हेतु यह ऋण इस आश्वासन पर दिए गए थे कि कोष से धन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही निकाले जाएंगे;

(ङ) किन राज्यों ने इन कोषों का उपयोग नहीं किया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(च) क्या आपके मंत्रालय ने संबंधित परियोजनाओं हेतु कोष प्राप्त करने के बाद ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास इस समय हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में 306 मिलियन अमरीकी डालर के विश्व बैंक ऋण में से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही 4 लेन बनाने और सुदृढ़ करने से संबंधित छह परियोजनाएं चालू हालत में हैं। सितम्बर, 2000 तक 247 मिलियन अमरीकी डालर की राशि उपयोग में लाई जा चुकी है। यह ऋण जून, 2001 में समाप्त होगा। हालांकि सभी मामलों में कुछ विलंब हुआ है, परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं और समाप्ति तारीख तक इनके पूरा होने की संभावना है।

(च) और (छ) विदेशी एजेंसियां ऋण करार पर हस्ताक्षर होने के बाद ही निधियां उपलब्ध कराती हैं। विभिन्न विदेशी एजेंसियों से प्राप्त चल रहे ऋण इस प्रकार हैं :

(i) 245 मिलियन अमरीकी डालर का एशियाई विकास बैंक ऋण पैकेज-III

(ii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक - 32060 मिलियन जापानी येन के चार ऋण पैकेज।

(iii) 516 मिलियन अमरीकी डालर का विश्व बैंक ऋण पैकेज-III

(iv) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 180 मिलियन अमरीकी डालर का एशियाई विकास बैंक ऋण।

इन ऋणों के तहत सभी परियोजनाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

बैलों की मांग में गिरावट

1150 डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ट्रैक्टरों का उपयोग किए जाने के कारण बैलों की मांग में और कमी आई है क्योंकि बैलों का स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया है, बछड़ों को बेचा जा रहा है या वे भूख से मर रहे हैं जैसकि दिनांक 26 जनवरी, 2000 के "बिजनस स्टैण्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या एल॰ डी॰ ए॰ की कार्यसूची की मद संख्या-4 में गाय तथा उसकी प्रजातियों के विकास की इच्छा प्रकट की गई थी : और

(ग) यदि हां, तो बहुमूल्य संसाधनों को जानबूझकर जब्त किए जाने से बचाने तथा ट्रैक्टरों और कम मूल्य के डीजल पर राजसहायता समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जबकि अन्य देशों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में समानता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) देश में टैक्टर आने से पहले भी बछड़ों के बेचे जाने अथवा उन्हें भूख से मरने देने की पृथा प्रचलित थी। सांडों की मांग में गिरावट यांत्रिकृत कृषि में वृद्धि के अनुरूप है। देश में यांत्रिकरण की प्रगति से सांडों की मांग बिल्कुल खत्म होने की संभावना नहीं है, न ही यह एन॰ डी॰ ए॰ की कार्यसूची की मद संख्या-4 के अनुरूप है।

(ग) सरकार ने गोपशु और भैंसों के अनुवांशिक उन्नयन तथा भारवाही और दोहरे प्रयोजन की नस्लों वाले पशुओं सहित नस्लों के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना शुरू की है।

ट्रैक्टर और डीजल पर राजसहायता वापिस लेने का प्रश्न एक नीतिगत मामला है जो कई मंत्रालयों से संबंधित है और इस पर सूचना एकत्र की जा रही है। इसका उत्तर बाद में सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

कृषि विपणन के संबंध में स्थिति रिपोर्ट

1151. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
डा॰ जसवंतसिंह यादव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि विपणन के संबंध में स्थिति रिपोर्ट तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पादों के विपणन का विकास वैज्ञानिक नहीं है ;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा बाजारों के वैज्ञानिक विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में कृषि विपणन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन और विस्तार करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों और कृषि उत्पाद, विपणन समितियों, जिनकी स्थापना संबंधित राज्य कृषि विपणन विनियम अधिनियम के अंतर्गत की गयी है, पर होती है। फिर भी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, जो इस मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, देश में कृषि उत्पादों के विपणन के समेकित विकास के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी॰ एम॰ आई॰) के मुख्य क्रियाकलाप कृषि उत्पादों के स्तरोन्नयन और ग्रेडिंग, विपणन संबंधी अनुसंधान, सर्वेक्षण और नियोजन, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के कर्मचारियों को कृषि उत्पाद विपणन के विनियमन और प्रबन्धन में प्रशिक्षण देने से संबंधित है। बाजार में संबंधित सूचनाओं/आकंडों के शीघ्र संकलन और उनके प्रचार-प्रसार के लिए हाल ही में कृषि विपणन सूचना नेटवर्क की स्थापना संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को स्वीकृति दे दी गयी है ताकि इन आंकड़ों का कुशलता पूर्वक और समय से उपयोग किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत देश के प्रमुख कृषि उत्पाद बाजारों और राज्य कृषि विपणन बोर्डों/विभागों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया जायेगा। अन्य बातों के साथ-साथ यह स्कीम किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होगी।

[हिन्दी]

ट्रांसपोर्टरों द्वारा किराया भाड़ा बढ़ाना

1152. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांसपोर्टरों द्वारा बढ़ाये गए किराये की दर पेट्रोल और डीजल के मूल्य में की गयी वृद्धि के अनुपात से ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) से (घ) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 67 के तहत भाड़ा दर नियत करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं न कि केन्द्र सरकार के पास। व्यावहारिक तौर पर ये दरें बाजारू ताकतों द्वारा संचालित की जाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास ट्रांसपोर्टरों पर डीजल मूल्य वृद्धि के प्रभाव के आकलन की कोई क्रिया विधि नहीं है।

[अनुवाद]

दूध और मक्खन की उपलब्धता

1153. **श्री टी॰ गोविन्दन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का अन्य देशों से आयात के जरिए लोगों को दूध, मक्खन और दुग्ध उत्पादों को उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्र के भवन का निर्माण

1154. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के वाशिम और बिहार के पलामू और गोण्डा जिलों में बहुतेरे ऐसे दूरभाष केन्द्र हैं जो किराये के निजी भवनों में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन जिलों में उक्त दूरभाष केन्द्रों के लिए भवनों तथा कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। किराया आधार पर निजी भवनों में चल रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नानुसार है :-

1.	जिला वाशिम महाराष्ट्र	-	39
2.	जिला पलामू बिहार	-	29
3.	जिला गोड्डा बिहार	-	07

(ख) जी, हां। इस समय टेलीफोन एक्सचेंजों को किराए पर लिए गए निजी भवनों में इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि विभागीय भवनों के निमार्ण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि के अधिग्रहण के बाद भवनों और कर्मचारियों की रिहायश के लिए निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1. जिला वाशिम (महाराष्ट्र) में मालेगांव स्थित छः स्टाफ क्वार्टरों तथा वाशिम में सात स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है।

2. जिला पलामू (बिहार) में छत्तरपुर, मणिका, कुटुमू, बड़वाडीह, नगरूतड़ी में विभागीय भवनों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है।

3. गोड्डा जिला (बिहार) में पठारगामा में टेलीफोन एक्सचेंज भवन आयोजना स्तर पर है तथा गोड्डा में मुख्य एक्सचेंज भवन निर्माणाधीन है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1155. श्री पुष्प जैन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की अनुपलब्धता के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई संचार परियोजनाएं क्रियान्वित नहीं की जा सकीं;

(ख) यदि हां, तो इसमें अंतर्ग्रस्त लागत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी भी परियोजना का कार्यान्वयन निधियों की अनुपलब्धता के कारण ठप्प नहीं हुआ था।

[अनुवाद]

पोवई झील

1156. श्री किरीट सोमैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोवई झील को बचाने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पोवई झील, मुम्बई को राष्ट्रीय संरक्षण योजना में शामिल किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस विषय को महाराष्ट्र सरकार और मुम्बई नगर निगम के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो पोवई झील परियोजना का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) इस परियोजना हेतु किन स्रोतों से धन का प्रबंध किए जाने की संभावना है;

(च) क्या स्थानीय अतिक्रमण और मलजल व गन्दे पानी के गिरने से पोवई झील क्षेत्र का तकरीबन एक तिहाई भाग पट सा गया है ;

(छ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इसकी क्षति को रोकने तथा वहां अतिक्रमण हटाने और इसी तरह की अन्य अड़चनों को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और मुम्बई नगर निगम को आदेश जारी किए हैं;

(ज) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार और मुम्बई नगर निगम ने इन आदेशों को क्रियान्वित किया है; और

(झ) यदि हां, तो पोवई झील परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू॰) : (क), (ख) और (झ) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत संरक्षण के लिए पोवई झील 10 अभिनिर्धारित शहरी झीलों में से एक है। सरकार द्वारा अभी यह योजना अनुमोदित नहीं कि गई है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने 10.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पोवई झील के संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें से, झील के संरक्षण के लिए लगभग 6.0 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है तथा 4.5 करोड़ रुपए की शेष राशि झील के सौंदर्यकरण के लिए है।

(ङ) क्योंकि इस परियोजना को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है, अतः निधियन के स्रोत का प्रश्न नहीं उठता है।

(च) जी, हां।

(छ) महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिसम्बर, 1998 में कहा गया था कि वे पोवई झील के प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल निवारक एवं उपचारी उपाय उठाएं। राज्य सरकार से झील के कैचमैंट क्षेत्र से अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के लिए भी कहा गया था।

(ज) कलेक्टर संबर्बन, जिला, मुम्बई द्वारा पोवई क्षेत्र की परिधि में उत्खनन कार्य बंद कर दिया गया है। तथापि, उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार चंदीवली गांव में उत्खनन कार्य अभी भी चल रहा है। इस समय, पोवई झील वाटर शेड क्षेत्र के अन्दर कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ। झील में प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर ली गई है तथा ग्रेटर मुम्बई के नगर निगम द्वारा उपशमन कार्य शुरू किए गए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं

1157. **श्री अनन्त नायक:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना कब से शुरू की गई थी और इसमें परियोजना-वार अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) चार महानगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कारीडोरों में निम्नलिखित रूटों के साथ-साथ 13,252 कि. मी. लम्बाई में चार/छह लेन मानकों तक स्तर बढ़ाने का कार्य शामिल है:

(i) स्वर्णिम चतुर्भुज खंड जो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई-दिल्ली को जोड़ता है। 5952 कि. मी.

(ii) सलेम-कोचीन मुख्य सड़क सहित जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर-दक्षिण कारीडोर और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्व-पश्चिम कारीडोर 7300 कि. मी.

जोड़: 13,252 कि. मी.

राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) कुछ परियोजनाएं पहले के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही हैं। तथापि, रा. रा. वि. प. औपचारिक रूप से जनवरी, 1999 में शुरू हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज की 588 कि. मी. और कारीडोरों 628 कि. मी. लम्बाई पूरी हो चुकी है।

(ग) और (घ) स्वर्णिम चतुर्भुज को 2003 और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कारीडोरों को 2007 की समाप्ति तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की राज्यवार लम्बाई के ब्यौरे

(लम्बाई कि॰ मी॰)

क्रम सं॰	राज्य का नाम	स्वर्णिम चतुर्भुज	कारीडोर		कारीडोर की सकल कुल लम्बाई जोड	
			उत्तर-दक्षिण	पूर्व-पश्चिम		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1011	753	-	753	1764
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	
3.	असम	-	-	758	758	758
4.	बिहार	396	-	517	517	913
5.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-
6.	दिल्ली	25	34	-	34	59
7.	गोवा	-	-	-	-	-
8.	गुजरात	510	-	654	654	1164
9.	हरियाणा	175	180	-	180	355
10.	हिमाचल प्रदेश	-	14	-	14	14

1	2	3	4	5	6	7
11.	जम्मू और कश्मीर	-	405	-	405	405
12.	कर्नाटक	690	125	-	125	815
13.	केरल	-	160	-	160	160
14.	मध्य प्रदेश	-	524	142	666	666
15.	महाराष्ट्र	506	232	-	232	738
16.	मणिपुर	-	-	-	-	-
17.	मेघालय	-	-	-	-	-
18.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-
19.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-
20.	उड़ीसा	442	-	-	-	442
21.	पंजाब	-	296	-	296	296
22.	राजस्थान	688	32	480	512	1200
23.	तमिलनाडु	263	851	-	851	1114
24.	उत्तर प्रदेश	777	268	548	816	1593
25.	पश्चिम बंगाल	469	-	366	366	835
	जोड़	5952	3874	3465	7339	*13291

* संरक्षणों के कारण लघु समायोजनों के आदि के पश्चात् 13,252

लेखा परीक्षा की टिप्पणियां

1158. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1997 से दूरसंचार विभाग (डी. ओ. टी.) के पास 161.18 करोड़ रुपये की संलिप्त राशि वाली करीब 8234 लेखा परीक्षा टिप्पणियां निपटान हेतु लंबित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इन्हें तुरन्त निपटाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जून, 1997 की स्थिति के अनुसार 161.18 करोड़ रु. की संलिप्त राशि की 8234 लेखा परीक्षा टिप्पणियां लंबित थीं। ये मुख्य रूप से समूचे देश में फैले 43 सर्किलों (स्पेंडिंग यूनिटें) से संबंधित शाखा लेखा परीक्षा टिप्पणियां हैं। लेखा परीक्षा टिप्पणियां प्राप्त होना और उनका निपटान कार्य एक सतत प्रक्रिया है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों को निपटाने के लिए फील्ड यूनिटों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे मामलों का निपटान प्राथमिकता आधार पर करें। इन मामलों को निपटाने के लिए फील्ड यूनिटों के लिए विभाग द्वारा लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। मंत्रालय में वरिष्ट स्तरों पर ऐसे मामलों के निपटान की प्रगति को मॉनिटर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लाइनमैन को पेजर्स

1159. **श्री जय प्रकाश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य के मुख्यालयों में तैनात लाइनमैनों को पेजर्स उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) तीव्र गति से दोष सुधार करने एवं ग्राहक सन्तुष्टि के लिए राजस्व जिला मुख्यालय स्तर पर पेजिंग सेवाएं उपलब्ध होने पर लाइन-स्टाफ (लाइन मैन/फोन मैकेनिक) को चरणबद्ध तरीके से पेजर प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) राज्यों की राजधानियों और हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ अन्य शहरों में लाइन स्टाफ को पेजर पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं।

[अनुवाद]

आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ की नई योजनाएं

1160. **श्री समर चौधरी***: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ की नई योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के प्रत्येक राज्य में आठ नई पहलों का विस्तार किया गया है तथा उन पहलों हेतु निधियां उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 में प्रचालन के लिए संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, परियोजना निदेशालयों तथा अन्य योजनाओं सहित आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ में किन-किन परियोजनाओं को इन प्रत्येक राज्यों में लागू किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो नई शुरूआत की गई है वह देश की विशिष्ट जरूरतों पर आधारित है जैसे फसलों की सुधरी हुई किस्मों का उत्पादन और विभिन्न कृषि-जलवायु की दशाओं के लिए पशुओं की प्रजातियां आदि। अत: इनका विस्तार सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों तक पहुंचाना व्यावहारिक नहीं है। फिर भी वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्रमों के लिए 56.31 करोड़ रुपये (वार्षिक

बजट का लगभग 10 प्रतिशत) निर्धारित किए गए हैं जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों में परिषद की गतिविधियों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना शामिल है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में निम्नलिखित संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र और अन्य "प्लान-प्रोजेक्ट्स" चलाएं जा रहे हैं:

1. उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, शिलांग, मेघालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान परिसर
2. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर
3. राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, झरनापानी, नागालैण्ड
4. राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश
5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों के दस केन्द्र
6. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के 43 केन्द्र
7. 13 कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रशिक्षु प्रशिक्षण केन्द्र और आंचलिक समन्वित इकाई
8. असम कृषि विश्वविद्यालय को विकास अनुदान

पवन ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना

1161. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पवन ऊर्जा की राज्य-वार अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) देश में पवन ऊर्जा की राज्य-वार संभावना क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने संभावित क्षेत्रों से अधिक पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु कोई रणनीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा अपने-अपने राज्यों में अधिक पवन ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) देश में अब तक 1222 मेवा. की समग्र पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) देश में कुल 20,000 मेगावाट पवन विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत, उन संभाव्यता स्थलों की पहचान की जाती है जिन्हें पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक 192 स्थलों की पहचान की गई है। निधियां, सीमित प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें कर और शुल्क से छूट, त्वरित अवमूल्यन आदि सहित वाणिज्यिक और वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराती है। संभाव्यता वाले राज्यों ने वाणिज्यिक परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के वीलिंग, बैंकिंग, तृतीय पक्ष बिक्री और खरीद वापसी के लिए प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा की है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए, भातीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के द्वारा उदार ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

विवरण I

पवन विद्युत की राज्यवार संस्थापित क्षमता

राज्य	क्षमता (मे. वा.)
आंध्र प्रदेश	89.6
गुजरात	166.9
कर्नाटक	37.8
केरल	2.0
मध्य प्रदेश	22.6
महाराष्ट्र	112.9
राजस्थान	4.3
तमिलनाडु	784.6
अन्य	1.6
कुल	1222.3

विवरण II

राज्यवार पवन विद्युत संभाव्यता

राज्य	क्षमता (मे. वा.)
आंध्र प्रदेश	2200
गुजरात	3100
कर्नाटक	4120
केरल	380
मध्य प्रदेश	3000
महाराष्ट्र	1920
उड़ीसा	840
राजस्थान	1210
तमिलनाडु	900
पश्चिम बंगाल	180
अन्य राज्य	2150
कुल	20000

पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध

1162. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एक नवम्बर, 2000 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "मान्सूस हेयर पेंट्स ए ग्रिसूली" पिक्चर शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूर्व में इस पशु के शिकार तथा बिना लाइसेंस के इसके अंगों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैंगूज का शिकार वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत, डीलरशिप लाइसेंस जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैंगूज के बालों के मामले में कोई डीलरशिप लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। कुछ स्टेशनरी डीलरों द्वारा अवैध रूप से मैंगूज के बालों से ब्रश तैयार करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सभी राज्यों के मुख्य वन्यजीव संरक्षकों को निदेश जारी किए गए हैं कि वे ऐसे मामलों के प्रति सतर्क रहें और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

कोर्डलैस टेलीफोन सेवा

1163. श्री राधा मोहन सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोर्डलैस टेलीफोन सेवा आरम्भ करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) हालांकि इस प्रकार की कोई कॉर्डलेस टेलीफोन सेवा नहीं है, टेलीफोन प्रयोक्ता बाजार से कॉडलेस टेलीफोन लेकर उसे स्थिर टेलीफोन लाइनों से जोड़ सकते हैं।

डब्ल्यू.एल.एल.सी.डी.एम.ए. टर्मिनलों हेतु निविदा

1164. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमटीएनएल ने 60000 डब्ल्यू.एल.एल.सी.डी.एम.ए. टर्मिनलों की खरीद हेतु निविदा आमंत्रित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीआई) के दिशा निर्देशों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किन-किन पार्टियों की निविदाओं को सबसे कम माना गया था ; और

(ग) उक्त मामले की नवीनतम स्थिति क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स एचएफसीएल- हुंडई

(ग) प्रश्नगत निविदा बंद कर दी गई है।

उड़ीसा में डाकघर

1165. श्री खारवेल स्वाईं: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में उड़ीसा में कितने डाकरघर खोले गए ; और

(ख) चालू वित्त वर्ष की बाकी अवधि में उड़ीसा में जिले-वार कितने डाकघर खोले जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उड़ीसा में चालू वर्ष के दौरान अभी तक कोई नया डाकघर नहीं खोला गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं। प्रस्तावित डाकघर तभी खोले जा सकेंगे जब वे विभागीय मानदंडों को पूरा करें तथा वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पदों की मंजूरी मिल जाए।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की जिलेवार संख्या

जिले का नाम	खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या
कटक	1
बालासोर	1
केन्द्रपाड़ा	1
पुरी	1
खुर्दा	2
बोलनगीर	1
धेनकताल	1
सुन्दरगढ़	1
कोरापुट	1
कालाहांडी	1
नवापाड़ा	1

सड़क संबंधी आधारभूत विकास परियोजनाएं

1166. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दमन तथा दीव में क्रियान्वित किए जा रहे सड़क संबंधी आधारभूत विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की लागत क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी निधि उपलब्ध की गई है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार प्रमुख रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के विकास और अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आती है। दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए निधियां गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह निश्चित तौर पर पता लगाया गया है कि संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन ने अत्यधिक वाहन यातायात वाले क्षेत्र में 12.34 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर प्रमुख जिला सड़कों को चौड़ा करने से संबंधित कार्य शुरू किए हैं।

(ग) चालू वर्ष (2000-2001) के लिए गृह मंत्रालय की अनुदान-मांगों में सड़क और पुल शीर्ष के तहत प्रमुख कार्यों के लिए दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र के बजट में 7.34 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है।

(घ) कार्यों को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश में भूकम्प प्रभावित पर्वतीय जिलों के लिए पैकेज

1167. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पैकेजों की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य को कोई सहायता अनुदान प्रदान किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य को प्रतिपूर्ति सहायता अनुदान के भुगतान में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) भूकंप सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराने की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1999-2000 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को आपदा राहत कोष के अधीन 81.37 करोड़ रुपये तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 16.68 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी। निचले स्तर तक राहत वितरण करने का दायित्व राज्य सरकार का है।

[हिन्दी]

बेसिक टेलीकॉम आपरेटर्स

1168. श्री राजो सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेसिक टैलीकॉम ऑपरेटर्स की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन किए गए हैं ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टाटा टेलीकॉम का विचार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) बुनियादी दूरसंचार प्रचालकों को फिक्सड लाइसेंस शुल्क और डुयोपोली व्यवस्था से राजस्व हिस्सेदारी तथा मल्टीपोली व्यवस्था में माइग्रेट होने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। लाइसेंस-अवधि को 15 वर्ष से 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण

1169. श्री भान सिंह भौरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण तथा विकसित बीज सस्ते तथा रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण तथा बीज सस्ते तथा रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, आयल पाम विकास कार्यक्रम, कपास प्रौद्योगिकी मिशन तथा कृषि वृहत प्रबंधन जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत राजसहायता दी जा रही है। स्कीमों के तहत राजसहायता की दर और राशि मद-दर-मद भिन्न है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. का आवंटन

1170. **श्री चिंतामन वनगा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी के लिए उपकरण एमटीएनएल द्वारा कतिपय व्यवस्था के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है या उसे कुछ अनुमोदित स्त्रोतों से खरीदना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अधिक पैसा लिए जाने की शिकायतों को दूर करने हेतु उपकरणों के ठीक ठाक काम करने की जांच हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेन्टर (टीईसी) द्वारा अनुमोदित टेलीफोन उपकरण और कॉल लौगर के माडल अधिकृत डीलरों से खरीदने होते हैं।

(ख) और (ग) कनेक्शन देने से पहले क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा समुचित उपकरण की क्रास जांच की जाती है, पीसीओ ऑपरेटर द्वारा दर-कार्ड प्रदर्शित करना भी अपेक्षित होता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1171. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने हेतु वित्त मंत्रालय ने उनके मंत्रालय को सुझाव दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं,

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

1172. **श्री रामचन्द्र बैंदा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न खरीफ एवं रबी फसलों के उत्पादन हेतु उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितना प्राप्त हुआ;

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक कितना खरीफ फसल उत्पादन हुआ; और

(ग) देश में अगले तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) ब्यौरा नीचे दिया है:

वर्ष 1999-2000 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन

(मिलियन मीटरी टन)

	खरीफ		रबी	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
चावल	74.50	75.63	11.50	12.62
गेहूं	शून्य	शून्य	74.00	74.25
मोटा अनाज	27.00	23.46	7.50	6.88
दलहन	6.10	4.80	9.40	8.26
कुल खाद्यान्न	107.60	103.89	102.40	102.01

(ख) खरीफ 2000-2001 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रत्याशित उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि (मिलियन मी॰ टन)
चावल	76.30	74.07
मोटा अनाज	26.62	23.11
दलहन	6.00	5.50
कुल खाद्यान्न	108.92	102.68

(ग) आने वाले वर्षों में कृषि जलवायु अंचलों पर आधारित क्षेत्रीय वर्गीकृत नीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही वर्ष 2000-2001 से समझौता ज्ञापन आधारित कार्य योजना दृष्टिकोण के तहत राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क

1173. **श्री अरूण कुमार:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कम लागत वाले प्रभावी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क स्थापित करने हेतु अर्थोपाय निश्चित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाता (सीएमएसपी) अब नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अपना नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। तथापि, यह प्रौद्यागिकी अवश्य डिजिटल होनी चाहिए। अब वे जीएसएम (मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल प्रणाली) प्रौद्योगिकी से जुड़े नहीं हैं, जैसा कि पूर्व में उनके लिए निर्धारित था। इससे नेटवर्क की लागत में कमी आने की संभावना है, लेकिन सेवा की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

जहां तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 के संदर्भ में सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के लिए टैरिफ का संबंध है, अब टैरिफ का निर्धारण/विनियमन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(टीआरएआई) द्वारा किया जाता है। सीएमएसपी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ योजनाएं टीआरएआई को भेजी जाती हैं। टीआरएआई यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक कोई टैरिफ निर्धारित नहीं किया जाएगा।

सिडनी ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर समारोह

1174. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6, अक्तूबर, 2000 को *दैनिक जागरण* में "निराशाजनक प्रदर्शन पर भी 18 लाख की पार्टी दे डाली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हाँ।

(ख) समाचारों में मुख्यत: निम्नलिखित मुद्दे उठे हैं:

1. भारतीय दल में शामिल एथलीटों और अधिकारियों का अनुपात

   भारतीय ओलंपिक संघ (आई. ओ. ए.) ने सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एथलीटों के साथ अधिकारियों को भेजने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। इस प्रकार भारतीय ओलंपिक संघ की सिफारिश पर भारतीय दल की भागीदारी को अनुमति दी गई थी।

2. सरकारी शिष्टमंडल की विलंब से प्रतिनियुक्ति

   भारत सरकार ने सिडनी में 12 सदस्यीय सरकारी शिष्टमंडल की दो बैचों में प्रतिनियुक्ति को अनुमोदित किया था। तथापि, अंत में एक 9 सदस्यीय सरकारी शिष्टमंडल (दो बैचों में) ओलंपिक खेलों के लिए सिडनी गया था। सरकारी शिष्टमंडल भेजने का उद्देश्य भारतीय दल के उत्साह को बढ़ाना; उनकी कमियों को नोट करना; तथा भाग लेने वाले अन्य देशों द्वारा अपनाई गई नई तकनीकों को सीखना था ताकि भारतीय खिलाड़ियों के भावी प्रदर्शन को सुधारा जा सके। जहां तक व्यय का संबंध है, सरकारी शिष्टमंडल के दौरे पर 31.02 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। तथापि, कुछ बिल अभी भारतीय उच्चायोग से प्राप्त होने हैं।

3. ओलंपिक खेलों के दौरान पार्टी का आयोजन

   सिडनी ओलंपिक खेलों के दौरान भारतीय उच्चायोग की सलाह पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा स्वागत-समारोह के आयोजन को सरकार ने काफी समय पूर्व-अनुमोदित कर दिया था।

4. भारतीय ओलंपिक संघ के शिष्टमंडल का सिडनी दौरा

   भारत सरकार द्वारा पूछताछ करने पर, भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित शिष्टमंडल भेजने की सूचना दी है:

   1. राष्ट्रीय खेल परिसंघ का 7 सदस्यीय शिष्टमंडल।
   2. 2006 के एशियाई खेलों के प्रचार के लिए दो बैचों में (एक बैच में 10) 20 सदस्यीय शिष्टमंडल।
   3. एफ्रो-एशियाई खेल समन्वय समिति का 8 सदस्यीय शिष्टमंडल।

(ग) इस समय, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसे कोई ठोस तथ्य सरकार के नोटिस में नहीं आए हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्रों में रिक्त पद

1175. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ नेहरू युवा केन्द्रों में इस समय अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) कुछ ऐसे केन्द्र हैं जहाँ पदों की स्वीकृति न होने के कारण युवा समन्वयक तथा लेखालिपिक-सह-टंकक नहीं हैं। जिन केन्द्रों में युवा समन्वयक नहीं हैं, उनकी सूची विवरण के रूप में दी गई है।

(ग) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पदों की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही पदों को भरा जा सकता है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	केन्द्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर
		2. कुडप्पा
		3. महबूबनगर
		4. श्रीकाकुलम
		5. आदिलाबाद
		6. विजियानगरम
2.	अरुणाचल प्रदेश	7. सियांग (आलोंग)
		8. लोअर सुबानसीरी (जीरो)
		9. अपर सुबानसीरी (डपोरिजो)
		10. लोहित (तेजू)
3.	असम	11. डिब्रूगढ़
		12. धुबरी
		13. उत्तर लखीमपुर
		14. तेजपुर
		15. हाफलौंगा (एन. सी. हिल्स)
		16. बारपेटा
		17. कोकराझार
4.	बिहार	18. पश्चिम चम्पारण
		19. धनबाद
		20. कटिहार
		21. डाल्टनगंज (पलामू)
		22. पटना
		23. औरंगाबाद
		24. खगड़िया (हाजीपुर उत्तर)
		25. जहानाबाद
		26. चतरा
		27. गरवा
		28. जमूई
5.	गोवा, दमन और दीव	29. दीव
6.	गुजरात	30. मेहसाना
		31. भावनगर
		32. अमरेली
7.	हरियाणा	33. भिवानी
		34. सिरसा
		35 सोनीपत
		36. जींद
8.	हिमाचल प्रदेश	37. चम्बा
		38. धर्मशाला (कांगडा)
		39. हमीरपुर
		40. किन्नौर
		41. कुल्लू
9.	जम्मू व कश्मीर	42. पुंछ
		43. राजौरी
10.	कर्नाटक	44. चिकमंगलूर

क्र० सं०	राज्य	केन्द्र
		45. गुलबर्गा
		46. कारवाड़
		47. माण्डया
		48. धारवाड़
11.	केरल	49. कन्नौर
		50. मालापुरम
		51. त्रिचूर
		52. कसारगौड
12.	लक्षद्वीप	53. कावारत्ती
13.	मध्य प्रदेश	54. दमोह
		55. सतना
		56. सिवनी
14.	महाराष्ट्र	57. अमरावती
		58. धुले
		59. लातूर
15.	मणिपुर	60. तामेंगलोंग
16.	मेघालय	61. पश्चिम खासी हिल्स (मांगस्टोन)
17.	मिजोरम	62. छिमुतुईपुरी (सेहा)
18.	नागालैंड	63. मोकोकचुंग
		64. जुन्हेबोटो
		65. मोन
		66. वोका
19.	नई दिल्ली	67. नांगलोई (नई दिल्ली)
20.	उड़ीसा	68. गंजम (बरहामपुर)
		69. धेनकनाल
		70. फुलबनी
		71. पुरी
		72. सम्बलपुर
		73. नौदसा
21.	पांडिचेरी	74. कराईकल
		75. माहे
		76. येनाम
22.	पंजाब	77. भटिंडा
		78. गुरदासपुर
		79. कपूरथला
		80. लुधियाना
		81. पटियाला
23.	राजस्थान	82. बीकानेर
		83. बूंदी
		84. चुरू
		85. डूंगरपुर
		86. जालौर
		87. सिरोही
		88. उदयपुर
		89. पाली
		90. धौलपुर
		91. राजसमन्द
24.	सिक्किम	92. मोनगोन (उत्तरी जिला)
25.	तमिलनाडु	93. पुडुकोट्टाई
		94. वैल्लोर
		95. मिरूवेल्लूर
		96. तिरूचरूर
		97. नामक्कल
26.	उत्तर प्रदेश	98. अल्मोड़ा
		99. फतेहपुर
		100. गाजीपुर
		101. लखीमपुर खीरी
		102. मुरादाबाद
		103. पिथौरागढ़
		104. रायबरेली
		105. उत्तरकाशी
		106. जालौन (उरई)
		107. हरदोई
		108. बस्ती
		109. सोनभद्र

18 युवा समन्वयक हैं जो या तो परियोजनाओं पर लगे हैं अथवा प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा आंचलिक कार्यालयों आदि के साथ सम्बद्ध हैं। अतः जिन युवक समन्वयकों वाले स्थानों की प्रभावित संख्या 91 होगी।

[अनुवाद]

जंगलों में सक्रिय दस्यु गिरोह

1176. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चन्दन के तथा अन्य घने जंगलों में बाघों तथा हाथियों के लिए आरक्षित विभिन्न वनों तथा अभयारण्यों में सक्रिय दस्यु गिरोहों को समाप्त करने हेतु कोई रणनीति तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) कानून और व्यवस्था बनाए रखना और डाकुओं सहित गैर कानूनी तत्वों से निपटना राज्य सरकार का मूल अध्यादेश है। तथापि, इस स्थिति से निपटने के लिए जब कभी सहायता मांगी जाती है, भारत सरकार अर्द्ध सैनिक बलों की सहायता उपलब्ध कराती है। जहां तक अवैध शिकार और गैर-कानूनी तौर पर चन्दन की लकड़ी काटने की समस्या है, उसे दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) सरकार द्वारा सचिव (पर्यावरण एवं वन) की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति का गठन किया गया है और वन्यजीव अपराधों की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को शक्तियां प्रदान करने का निर्णय किया गया है।

(ii) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों ने गैर कानूनी व्यापार, तस्करी, वन्यजीवों और उसके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए राज्य स्तर/जिला स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है।

(iii) वन्यजीवों की सुरक्षा और प्रभावी संरक्षण हेतु वायरलेस सिस्टम, वाहन, हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(iv) वन्यजीव अधिकारियों के लिए सरदार वल्लभभाई पुलिस अकादमी में विशेष प्रशिक्षण और आसूचना संग्रह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(v) सशस्त्र दस्तों एवं अर्ध सैनिक बलों तथा राज्य सशस्त्र कान्स्टेबुलरी से लिए गए प्रहार बलों को शामिल करके विशेष रूप से बाघ तथा हाथी रिजर्वों के लिए अवसंरचना सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

(vi) राज्य वन एवं वन्यजीव अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं तथा चोरी-छिपे शिकार एवं अवैध व्यापार पर अधिक सतर्कता रखने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

इन्टरनेट सुविधा

1177. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल तथा इन्दौर जिलों को "इन्टरनेशनल गेटवे हब" से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इंदौर का वी.एस.एन.एल. केंद्र पहले ही "इंटरनेशनल गेटवे हब" से जुड़ा हुआ है। भोपाल को "इंटरनेशनल गेटवे हब" से जोड़ने की किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) इन्दौर से एक एफ-1 उपग्रह केन्द्र पहले ही प्रचालन में है। यह वी.एस.एन.एल. के विक्रम अर्थ स्टेशन पर "इंअरनेशनल गेटवे" से जुड़ा हुआ है।

(ग) "भोपाल गेटवे" के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह निर्णय वाणिज्यिक व्यावहारिकता के आधार पर लिया जाएगा।

(घ) उपरोक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादकों को वैकल्पिक रोजगार

1178. श्री शिवाजी माने: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का तम्बाकू उत्पादन में लगे कृषकों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारत सरकार के पास तम्बाकू की फसल उगाने वाले किसानों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अनुसंधान प्रणाली तंत्र द्वारा अलग-अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों में मूंगफली, कपास, मिर्च, मक्का, प्याज, आलू, अरन्ड, दालें, तिलहन, सब्जियों तथा अलग-अलग कृषि जलवायु स्थितियों अन्य फसलें जैसी वैकल्पिक फसलों को उगाने की सिफारिश की गई है।

एल॰ पी॰ जी॰ ऑटो किट

1179. श्री मोहन रावले: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "मैसर्स गैस पाइंट" ने एल॰ पी॰ जी॰ ऑटो किट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उत्पाद को बाजार में उतारने हेतु अनुमति देने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) इस मंत्रालय को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

धूम्र-प्रदूषण

1180. श्री के॰ ई॰ कृष्णमूर्ति: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दीवाली पर्व के समय पटाखों और आतिशबाजी के कारण उत्पन्न हुए धुंए के खतरे के फलस्वरूप और विशेषत: शाम के समय, विमान चालकों के लिए विमान उड़ाना जोखिमपूर्ण हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कई विमान चालकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काजू का उत्पादन

1181. श्री राम मोहन गाद्दे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल उत्पादन की तुलना में आंध्र प्रदेश में कच्चे काजू के उत्पादन का प्रतिशत कितना है;

(ख) आंध्र प्रदेश से काजू के निर्यात का प्रतिशत कितना है;

(ग) आंध्र प्रदेश में काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए काजू और कोको विकास निदेशालय की योजनाएं/स्कीमें क्या हैं;

(घ) क्या काजू का उत्पादन बढ़ाने और विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से सरकार का वर्तमान भूमि-हदबन्दी कानूनों को हटाने और काजू की खेती को बागान-कृषि का दर्जा देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1999-2000 के दौरान लगभग एक लाख मी. टन काजू का उत्पादन हुआ है जो कि देश के कुल काजू उत्पादन का 19% है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान, विशाखापट्टनम पोर्ट से 3330 टन काजू गिरी का निर्यात किया गया जो कि भारत के कुल काजू गिरी निर्यात् का लगभग 3.6% है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना से आन्ध्र प्रदेश में काजू का समेकित विकास कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलायी जा रही है। आठवीं योजना के सहायता प्रतिमानों के आधार पर ही इस स्कीम को नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में जारी रखा गया। वर्ष 2000-01 से काजू विकास की इस स्कीम को कृषि में वृहत प्रबंधन पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में मिला दिया गया है जो कि कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों का एक पूरक प्रयास है।

(घ) और (ङ) देश में काजू के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने काजू उत्पादक राज्य सरकारों से काजू को पौध रोपण का दर्जा देने, काजू की खेती के लिए भूमि हद बंदी कानून में छूट देने और काजू उत्पादकों को बंजर पड़ी भूमि को दीर्घकाल के लिए पट्टे पर देने के लिए अनुरोध किया है।

राजसहायता समाप्त करना

1182. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002 तक अनुदान और राजसहायता को क्रमिक रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी ली गई है;

(ग) क्या विशेषकर कृषि उत्पादन पर राजसहायता को क्रमिक रूप से समाप्त करने के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के विषय में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राजसहायता समाप्त किए जाने के फलस्वरूप कितना अनुमानित घाटा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार और झारखण्ड क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण के अवसर

1183. **श्रीमती रेनु कुमारी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और झारखण्ड क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार का इन दोनों क्षेत्रों के विकास में निवेश हेतु कोई कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) से (घ) कृषि-बागवानी उत्पादों की भरमार को ध्यान में रखते हुए देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की काफी संभावनाएँ हैं। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर बिहार और झारखण्ड क्षेत्र समेत पूर्वी क्षेत्र में लीची, आम, टमाटर, चीकू, केले आदि की खाद्य प्रसंस्करण केंद्रीय इकाइयाँ स्थापित करने की गुजांइश है। झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद के अनुरोध पर केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.) द्वारा किए गए एक तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन में कहा गया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में फल और सब्जी पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने की काफी गुंजाइश है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए नवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु विभिन्न योजना स्कीमें बनाई हैं और उन्हें चला रहा है। इन योजना स्कीमों के तहत गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों को आसान शर्तों पर ऋण एवं सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। हमारी स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य या क्षेत्र विशेष। विभाग स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता।

[अनुवाद]

सुरक्षित रखे गए टेलीफोन कनेक्शन

1184. **श्री सवशीभाई मकवाना :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय सुरक्षित रखे गए टेलीफोन कनेक्शनों को इस प्रकार रखने के लिए क्या मानदण्ड तय किए गये हैं;

(ख) क्या म०टे०नि०लि० संप्रति सुरक्षित रखे गए टेलीफोन नम्बरों को बिना किसी सूचना या कारणों के अन्य व्यक्तियों को आबंटित कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात में भी दूरसंचार विभाग संप्रति सुरक्षित रखे गए टेलीफोन नबंरों को अन्य व्यक्तियों को आंबटित कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान और आज तक इस राज्य में उक्त मानदण्डों के उल्लंघन के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उपभोक्ताओं के अनुरोध पर टेलीफोनों की सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी) दो तरह की हैं:

(i) अल्पावधि सुरक्षित कस्टडी : अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए, जिसमें केबल पेयर और इंडीकेटरी को आरक्षित रखा जाता है और पूरा किराया वसूल किया जाता है।

(ii) दीर्घावधि सुरक्षित अभिरक्षा : 40 प्रतिशत किराए का भुगतान करने पर न्यूनतम छः माह की अवधि के लिए। ऐसे मामलों में, केबल पेयर और इंडीकेटर आरक्षित नहीं रखे जाते। तथापि, जिन मामलों में इंडीकेटर और केबल पेयर को आरक्षित रखा जाता है वहां पूरा किराया वसूल किया जाना होता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। एमटीएनएल में, दीर्घावधि सुरक्षित अभिरक्षा के अंतर्गत केवल वही टेलीफोन अन्य पार्टियों को आबंटित होते हैं जहां केवल पेयर और इंडीकेटर को आरक्षित नहीं रखा जाता है।

(घ) गुजरात दूरसंचार सर्किल में दीर्घावधि सुरक्षित अभिरक्षा के मामलों में यदि उपभोक्ता 40 प्रतिशत किराए की सुविधा प्राप्त करता है और जहां टेनीफोन नम्बर और केबल पेयर को आरक्षित नहीं रखा जाता, ऐसे दीर्घावधि सुरक्षित अभिरक्षा के अंतर्गत आने वाले टेलीफोन नम्बरों को अन्य टेलीफोन उपभोक्ताओं को आबंटित कर दिया जाता है।

(ङ) अभी तक पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

पुम्पुहर नागपट्टिनम में मत्स्यकी केन्द्र

1185. **श्री मणिशंकर अय्यर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागापट्टिनम जिले के पुम्पुहर में एक मत्स्यकी केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय मत्स्य, अनुसंधान संस्थान (बंगलौर) के विचाराधीन एक प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की शीघ्र मंजूरी और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां। केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर द्वारा प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा जारी निदेशों के आधार पर केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर ने पूम्पुहार में एक छोटे मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए प्रस्तावित स्थान की इंजीनियरी एवं आर्थिक जांच की है। क्षेत्रीय आंकड़ों तथ अन्य इंजीनियरी पहलुओं की जांच करने के बाद संस्थान राज्य सरकार की मौजूदा दरों के आधार पर विस्तृत लागत आंकलन तैयार करने के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की तथा उसे तमिलनाडु सरकार को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार से विस्तृत लागत प्राप्त होना है। इसके प्राप्त होने पर बंगलौर स्थित केन्द्रीय संस्थान द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों में अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ के लिए निदेशकों के पद

1186. **श्री वनलाल जावमा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भरतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ सभी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों में निदेशकों के कुल कितने पद हैं और 1 जनवरी, 1996 व 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार, इन पदों पर अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ श्रेणी के कितने व्यक्ति कार्यरत थे, साथ की उक्त सभी पदों की तुलना में उनकी संख्या का प्रतिशत क्या था; और

(ख) अ॰ जा॰ / अ॰ ज॰ जा॰ श्रेणियों के व्यक्तियों को नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों में निदेशकों के 91 पद हैं जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा परियोजना निदेशालय शामिल हैं। दिनांक 1-1-96 को स्थिति के अनुसार दो अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति इन पदों पर कार्य कर रहे थे तथा दिनांक 1-1-2000 की स्थिति के अनुसार दो अनुसूचित जाति श्रेणी के व्यक्ति इन पदों पर कार्य कर रहे थे। तदनुसार इनका प्रतिशत नीचे दिया गया है:

1-1-96	-	3.3 प्रतिशत
1-1-2000	-	2.2 प्रतिशत

(ख) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार संबद्ध सेवाओं में ग्रुप 'ए' तथा उसके निचले ग्रेड तक में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू होता है। इन अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक (रू॰ 8000-13500) के स्तर से ऊपर के वैज्ञानिक पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए किए गए आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के निदेशकों के पदों सहित सभी वैज्ञानिक पदों पर चयन/भर्ती भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भर्ती एजेन्सी नामत: कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर की जाती है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

1187. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:**
श्री प्रभात सामन्तराव:
श्री पी॰आर॰ खूंटे:
श्री टी॰ गोविन्दन:
श्री वी॰ एस॰ शिवकुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना और नौवीं योजना की अवधि के दौरान देश में विद्युत के उत्पादन का राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इन योजनाओं की अवधि में, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्यवार क्या वास्तविक उपलब्धियां हासिल की गई;

(ग) प्रत्येक राज्य में विद्युत की कुल कितनी मांग है;

(घ) क्या इस परिप्रेक्ष्य में निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि के बीच बड़ा अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार इसके क्या कारण हैं;

(च) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(छ) चालू वर्ष के दौरान इस सम्बंध में सरकर द्वारा क्या कार्य-नीति अपनाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) आठवीं और नौवीं योजना (प्रथम तीन वर्ष) अवधि के लिए निर्धारित वार्षिक विद्युत उत्पादन का अखिल भारतीय/राज्यवार लक्ष्य एवं इनसे जुड़ी वास्तविक उपलब्धियों को क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिया गया है। अक्तूबर, 2000 एवं अप्रैल-अक्तूबर, 2000 के दौरान राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति संलग्न विवरण III दर्शायी गई है। अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन लक्ष्यों एवं वास्तविक उपलब्धियों में ज्यादा अंतर नहीं है।

(च) और (छ) विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का त्वरित क्रियान्वयन।

(ii) मौजूदा पुराने विद्युत उत्पादन यूनिटों को नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार।

(iii) त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत पावर फाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा ताप विद्युत केन्द्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुधार करने के लिए ऋण संवितरण।

(iv) गैर-मौजूदा पारेषण लिंकों के निर्माण के जरिए अंत:राज्यीय एवं अंत:क्षेत्रीय विद्युत अंतरण में वृद्धि।

(v) क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में जल, ताप, नाभिकीय एवं गैस टरबाईन विद्युत केन्द्रों का समन्वित प्रचालन

(vi) देश के ताप विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(vii) ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए ओ एंड एम कार्मिकों को प्रोत्साहन भुगतान की स्कीम।

(viii) नवीन रूप से चालू की गई यूनिटों का शीघ्र स्थायीकरण।

विवरण I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा उत्पादन (मि॰ यू॰)

राज्य/प्रणाली	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धता	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धता	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धता	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धता	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धता
बीबीएमबी	11,010	12,471	113.3	10,760	10,657	99	9,505	12,232	128.7	10,020	12,004	119.8	11,600	12,058	103.9
दिल्ली	6,905	7,331	106.02	7,150	6,994	97.8	7,565	7,034	93	7,552	8,524	86.4	7,080	8,336	89.5
ज. एवं क.	2,960	2,905	98.1	3,070	2,745	89.4	3,300	2,837	88	3,148	2,950	93.8	4,070	3,170	77.9
हि. प्र.	1,875	1,899	101.3	2,261	1,566	69.3	3,475	4,257	122.5	3,792	4,431	114.5	4,150	3,612	87
हरियाणा	3,790	3,800	100.3	3,940	3,133	79.5	3,970	3,425	88.3	3,900	3,300	84.6	3,610	3,873	101.7
राजस्थान	8,680	8,487	97.8	8,188	9,438	115.3	9,255	8,489	91.5	9,325	9,244	99.1	9,180	9,914	108
पंजाब	10,390	9,974	96	11,090	11,419	103	12,800	11,505	89.9	11,925	11,381	95.4	12,010	12,787	106.5
उ. प्र.	47,720	47,268	99	48,941	50,958	104.1	58,085	54,214	96.7	62,260	63,457	101.9	84,357	85,779	102.2
गुजरात	24,100	24,548	101.9	27,590	27,012	97.9	30,470	28,849	94.7	31,030	33,706	108.6	34,858	35,802	102.7
महाराष्ट्र	42,280	40,425	95.7	43,395	43,125	99.4	47,590	47,871	100.6	52,145	52,121	100	54,150	54,559	100.8
म. प्र	34,030	33,034	97.1	33,620	37,752	112.3	39,155	39,701	101.4	41,130	42,869	104.2	42,495	44,003	103.7
आ. प्रदेश	30,335	31,036	102.3	30,630	34,809	113.6	35,525	35,891	101	39,010	37,533	96.2	40,201	41,738	103.8
कर्नाटक	12,935	12,753	98.6	13,670	14,154	103.5	13,870	16,352	117.9	15,455	14,915	96.5	14,800	12,339	83.4
केरल	5,350	6,195	115.8	5,800	5,823	100.4	5,800	6,573	113.3	6,220	6,701	107.7	7,250	5,491	75.7
तमिलनाडु	25,785	27,228	105.7	28,420	28,385	99.4	31,595	33,210	105.1	31,910	35,626	111.6	35,359	37,607	106.4
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	4,375	2,963	67.7	3,825	2,988	78.1	5,288	3,286	62.4	8,020	4,698	78	7,835	6,078	77.6
उड़ीसा	5,080	5,187	102.1	5,410	5,117	94.6	5,750	5,555	98.6	7,630	7,437	97.5	10,800	8,136	75.3
प. बंगाल	15,295	15,262	99.8	18,590	17,344	93.3	19,887	19,597	98.5	22,240	20,678	93	23,505	20,994	89.3
डीवीसी	6,350	5,201	81.9	6,805	6,918	101.7	7,500	6,915	92.2	7,970	6,837	85.8	8,125	6,673	82.1
सिक्किम	45	30	86.7	65	34	52.3	50	55	110	50	49	98	70	64	91.4
असम	1,660	1,070	64.5	1,623	908	55.9	1,655	1,255	75.8	1,668	1,434	86	1,585	1,362	85.9
नीपको	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	1,052	67.9	1,705	1,389	81.5
मेघालय	1,215	1,290	108.2	1,240	1,490	120.2	1,293	1,241	96	475	539	113.5	450	480	106.7
त्रिपुरा	150	166	110.7	180	145	80.6	175	166	94.9	262	193	73.7	290	244	84.1
मणिपुर	410	545	132.9	425	817	145.2	450	515	114.4	450	480	106.7	450	497	110.4
अरुणाचल प्रदेश	15	0	0	12	0	0	12	20	166.7	15	15	100	15	17	113.3
अखिल भारत	302,700	301,088	99.5	316,700	323,531	102.2	352,000	351,025	99.7	377,150	380,084	100.8	400,000	394,800	98.7

विवरण II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा उत्पादन (मि॰ यू॰)

राज्य/प्रणाली	1997-98			1998-99			1999-2000			2000-01 (अप्रैल-अक्टूबर 2000)		
	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धता	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धता	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धता	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धता
बीबीएमबी	11,000	10,695	97.2	10,650	14,106	132.5	10,760	12,067	112.1	7,283	7,450	102.3
दिल्ली	7,100	6,984	96.4	7,230	6,931	95.9	6,800	7,555	114.5	4,135	4,756	115
ज. एवं. क.	5,675	6,120	107.8	6,141	8,477	105.5	6,387	5,810	91	5,236	4,428	84.6
हि. प्र.	3,960	3,956	99.9	3,804	4,570	120.1	4,015	3,748	93.3	3,362	3,368	100.2
हरियाणा	3,825	3,782	98.9	3,825	3,754	98.1	3,997	5,100	127.6	3,638	3,195	87.8
राजस्थान	10,800	11,157	105.3	12,510	12,820	102.5	12,797	14,570	113.9	8,200	8,978	109.5
पंजाब	14,530	12,993	89.4	15,780	14,393	91.2	18,483	17,057	103.5	10,444	10,798	103.4
उ. प्र.	88,180	87,489	99	690,00	69,818	101.1	69,650	72,914	104.7	41,362	44,044	106.4
गुजरात	40,060	39,711	99.1	50,220	44,845	89.3	46,953	48,386	98.7	27,439	26,896	98
महाराष्ट्र	57,785	55,997	96.9	61,580	59,097	99.6	65,774	64,263	97.7	38,181	36,284	95
म. प्र.	44,545	44,598	100.1	44,675	46,709	104.6	47,875	48,291	100.9	28,279	29,080	102.8
आ. प्रदेश	43,000	45,911	106.8	48,965	47,820	97.7	52,797	52,066	98.6	30,604	29,705	97.1
कर्नाटक	16,440	17,093	104	17,205	17,087	99.2	21,298	20,931	98.3	13,134	12,192	92.8
केरल	7,155	5,071	70.9	7,450	7,829	105.1	9,833	8,899	92.4	6,594	5,285	80.1
तमिलनाडु	37,045	38,090	102.8	40,280	37,908	94.1	39,450	40,562	102.8	23,818	24,576	103.2
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	200	132	66	124	141	113.7
बिहार	7,930	7,093	89.4	6,790	8,212	120.9	7,490	7,906	105.8	3,913	4,781	122.2
उड़ीसा	11,500	11,991	104.3	11,365	12,772	112.4	13,858	16,443	118.7	9,186	9,706	105.7
पं. बंगाल	24,825	20,502	82.6	20,250	21,212	104.8	20,238	23,223	114.7	14,017	14,993	107
डीवीसी	8,570	7,299	85.2	7,085	7,706	108.8	7,730	8,140	105.3	4,861	4,495	92.5
सिक्किम	40	43	107.5	45	26	57.8	195	37	19	232	236	101.7
असम	1,780	1,072	60.2	1,350	939	69.6	1,040	920	88.5	788	605	76.8
नीपको	2,230	1,527	68.5	2,415	1,921	79.5	2,464	2,214	89.9	1,914	1,498	78.3
मेघालय	450	598	132.9	490	544	111	488	834	135.5	332	453	136.4
त्रिपुरा	515	302	58.6	390	344	88.2	380	312	82.1	224	185	82.6
मणिपुर	450	535	118.9	450	531	118	450	506	112.4	298	315	105.7
अरुणाचल प्रदेश	10	13	130	15	18	106.7	20	14	70	11	7	63.6
अखिल भारत	429,000	420,622	98	450,000	448,387	99.6	469,000	480,880	102.5	287,629	288,448	100.3

विवरण III

वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अक्टूबर, 2000				अप्रैल, 2000-अक्टूबर, 2000			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़	88	88	0.0		681	680		0.10
दिल्ली	1560	1517	2.8		11645	11201		3.80
हरियाणा	1550	1522	1.8		10340	10226		1.10
हिमाचल प्रदेश	260	256	1.5		1802	1781		1.20
जम्मू एवं कश्मीर	500	469	6.2		3480	3107		10.70
पंजाब	2250	2154	4.3		18055	17744		1.70
राजस्थान	2080	2045	1.7		13955	13600		2.50
उत्तर प्रदेश	4030	3523	12.6		26580	22907		13.80
उ.क्षे.	12318	11574	6.0		86538	81246		6.10
पश्चिमी क्षेत्र								
गुजरात	4865	4471	8.10		30328	27893		8.00
मध्य प्रदेश	3600	3151	12.50		21261	19482		8.40
महाराष्ट्र	6958	6086	12.50		45198	40287		10.90
गोवा	148	136	8.10		1036	901		13.00
प. क्षे.	15571	13844	11.10		97823	88563		9.50
दक्षिणी क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	4168	3988	4.30		27075	25141		7.10
कर्नाटक	1960	1826	6.80		16172	14542		10.10
केरल	1119	1063	5.00		7733	7186		710
तमिलनाडु	3324	3168	4.70		24299	22356		8.00
द. क्षे.	10571	10845	5.00		75279	69225		8.00
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	793	745	6.10		5202	4914		550
डीवीसी	728	747	-2.60		4994	5109		-2.30
उड़ीसा	1056	1086	-2.80		6710	7019		-460
पं॰ बंगाल	1600	1628	-1.80		11109	11286		-1.60
पू. क्षे.त्र	4177	4206	-070		28015	28327		-1.10
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र								
अरुणाचल प्रदेश	-10.5	11.1	-5.70		73.9	75.6		-2.30
असम	261	327.3	-25.00		1778.8	1925.8		-8.30
मणिपुर	37.2	39.6	-6.50		257.1	257.1		0,00
मेघालय	44.9	48.3	-7.60		299.8	334.7		-11.60
मिजोरम	19.7	21	6.60		134	138.9		-3.70
नागालैंड	17.8	19.1	-7.30		123.1	127.8		-3.80
त्रिपुरा	50.8	54.5	-7.30		323.6	345.9		-6.90
उ. पू. क्षे.	441.9	520.9	-18.80		2,990.3	3,205.8		-7.20
अखिल भारत	43079	40190	6.70		290.647	270.567		6.90

[अनुवाद]

"स्पीड-पोस्ट" से भेजी जाने वाली सामग्री

1188. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि "स्पीड-पोस्ट" से भेजी जाने वाली सभी सामग्री अगले दिन ही पहुँच जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या "स्पीड-पोस्ट" की सुपुर्दगी सेवा अधिक दक्ष नहीं है;

(ग) आंध्र प्रदेश में कौन-कौन से केन्द्र "स्पीड-पोस्ट" सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं;

(घ) क्या "स्पीड-पोस्ट" से भेजी जाने वाली सामग्री की सुपुर्दगी में विलम्ब होना एक आम बात हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में "स्पीड-पोस्ट" सेवा को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) डाक विभाग ने, परिवहन संपर्कों की उपलब्धता के आधार पर सभी स्पीड पोस्ट केन्द्रों के लिए वितरण मानदंड निर्धारित किए हैं। सभी उपलब्ध उड़ानों और रेलगाड़ियों को असरदार ढंग से जोड़कर तथा रातोंरात हब-एण्ड-स्पोक नेटवर्क प्रदान करके, सभी स्पीड पोस्ट मदों का त्वरित पारेषण और वितरण सुनिश्चित किया जाता है। जिन केन्द्रों के लिए रात में उड़ान/रेलगाड़ी/परिवहन संपर्क उपलब्ध होते हैं, वहां स्पीड पोस्ट अगले दिन वितरण कर देता है। शेष मामलों में परिवहन संपर्कों के अभाव में, स्पीड पोस्ट मदों का प्रकाशित वितरण मानदंडों के भीतर वितरण किया जाता है।

(ख) हम स्पीड पोस्ट की वितरण दक्षता को निरंतर मॉनीटर कर रहे हैं और इससे यह पता चलता है कि स्पीड पोस्ट का वितरण प्रभावशील है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सर्किल में पांच शहर पोस्ट सेवा के राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और 57 अन्य शहर/कस्बे राज्य स्पीड पोस्ट नेटवर्क सेवा से जुड़े हुए हैं। सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) डाक विभाग ने देश में स्पीड पोस्ट प्रणाली में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. भार सीमा को 35 कि.ग्रा. प्रति प्रेषण तक बढ़ाना।
2. घर-घर वितरण सेवाओं की व्यवस्था करना।
3. ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली की व्यवस्था करना।
4. स्पीड पोस्ट नेटवर्क का कम्प्यूटरीकरण।
5. स्पीड पोस्ट प्रचालन कार्यों का विस्तार।
6. स्पीड पोस्ट मानीटरिंग प्रणाली।
7. स्पीड पोस्ट मार्केटिंग।
8. स्पीड पोस्ट ग्राहक सेवा।
9. लेखा प्रबंधन सुविधाएं।

विवरण

राष्ट्रीय/राज्य स्पीड पोस्ट नेटवर्क पर नगरों/शहरों की सूची

राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्पीड पोस्ट केन्द्र

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	पिन कोड
आन्ध्र प्रदेश (सर्किल)		
1.	हैदराबाद	500001
2.	कुर्नूल	518001
3.	तिरुपति	517501
4.	विजयवाड़ा	520001
5.	विशाखापटनम	530004

राज्य नेटवर्क पर स्पीड पोस्ट केन्द्र

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	पिन कोड
आन्ध्र प्रदेश (सर्किल)		
1.	आदिलाबाद	504001
2.	अदोनी	518301
3.	अल्लागड्डा	518543
4.	अनन्तपुर	515001
5.	अरमूर प्रधान डाकघर	503224
6.	भोंगीर प्रधान डाकघर	508116
7.	बोधान	503185
8.	चन्द्रगुरी	517101
9.	चित्तूर	517001
10.	कुड्डपाह	516001
11.	एलुरू	534001
12.	गडवाल	509125

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	पिन कोड
13.	गुंटकल	515801
14.	गुंटूर	522002
15.	हिन्दुपुर	515201
16.	हुजूराबाद	505468
17.	जगतियाल प्रधान डाकघर	505327
18.	जनगांव प्रधान डाकघर	506167
19.	ककतिया मेडिकल कालेज (वारंगल)	506007
20.	काकीनाडा	533001
21.	कल्याणखानी	504231
22.	कामारेड्डी प्रधान डाकघर	503111
23.	करीमनगर	505001
24.	काजीपेट	506003
25.	खम्माम	507001
26.	कोडाड	508206
27.	कोठागुदेम	507101
28.	मछलीपटनम	521001
29.	महबूबाबाद प्रधान डाकघर	506101
30.	महबूबनगर	509001
31.	मन्छेरियत	504208
32.	मेडक प्रधान डाकघर	502110
33.	मिरयालगुडा	508207
34.	नातगोंडों	508001
35.	नन्दयाल	518501
36.	नेल्लोर	524001
37.	निर्मल	504106
38.	निजामाबाद	503001
39.	ओंगोल	523001
40.	आर्डिनेन्स फैक्टरी	502205
41.	पार्कल प्रधान डाकघर	506164
42.	पेड्डापल्ली प्रधान डाकघर	505172
43.	प्रशान्तिल्लियाम	515134
44.	प्रोद्दातूर	518350
45.	पूलीवेडला	516390
46.	रोजामुन्दरी	533101
47.	राजमपेठ	516115
48.	संगारेड्डी प्रधान डाकघर	502001

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	पिन कोड
49.	शक्करनगर	503188
50.	सिद्दीपेट प्रधान डाकघर	502103
51.	स्टेशन अड्डचेलरा प्रधान डाकघर	509301
52.	सूर्यापेट प्रधान डाकघर	508213
53.	तानुकू	534211
54.	तेनाली	522201
55.	वानाप्रथी प्रधान डाकघर	509103
56.	वारंगल	506002
57.	जहीराबाद प्रधान डाकघर	502220

विद्युत परियोजनाओं के लिए नैप्था का पुन: आवंटन

1189. श्री दिलीप संघाणी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिसम्बर, 1999 में गुजरात सरकार की ओर से नैप्था के पुन: आवंटन विषयक कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त पुन: आवंटन की मांग की गई थी और इनमें से प्रत्येक विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा कुल कितनी मात्रा के नैप्था का पुन: आवंटन किया गया;

(घ) क्या पुन: आवंटन नैप्था की मात्रा, प्रस्तावित मात्रा से कम है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) कुल 289.5 मे. वा. क्षमता रखने वाली तीन विद्युत परियोजनाओं के लिए नैफ्था का पुनर्आबंटन करने से संबंधित गुजरात सरकार का एक प्रस्ताव उनके दिनांक 3.7.1999 और 25.10.1999 के पत्रों द्वारा प्राप्त किया गया है।

(ख) उन विद्युत परियोजनओं का ब्यौरा नीचे उल्लिखित है जिनके लिए कथित पुनर्आबंटन का अनुरोध किया गया था।

क्र॰ सं॰	परियोजना/परियोजना विकासकर्ता का नाम	क्षमता (मे. वा.)
1.	गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि॰	114.5
2.	मै॰ को पैरेन्टल हेल्थ केयर का विस्तार कैप्टिव पावर प्लांट	65
3.	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन का धुवरन में विद्युत परियोजना	110

(ग) से (च) नेफ्था आवंटन हेतु लंबित विभिन्न अनुरोधों, जिसमें गुजरात का अनुरोध भी शामिल है, पर विचार करने के बाद 4 परियोजनाओं के लिए विद्यमान नाफ्था लिंकेज के विस्तार संबंधी अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। इनमें गुजरात सरकार द्वारा अनुशंसित तीन परियोजनाओं में से केवल एक परियोजना अर्थात् मै॰ कोर पेरेन्टल हेल्थ केयर का 65 मे. वा. का विस्तार कैप्टिव संयंत्र शामिल है। कथित चार परियोजनाओं को प्रदान किया गया बढ़ाया हुआ आवंटन संबंधित राज्यों को आवंटित नैफ्था कोटे के भीतर है। नैफ्था की विश्व स्तरीय कीमत में अधिक वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए इसे नई विद्युत परियोजनाओं के आवंटन हेतु व्यवहार्य और मितव्ययी ईंधन नहीं समझा गया है।

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

1190. **श्री होलखोमांग हौकिप:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार के क्षेत्र में राज्यवार, विशेषकर मणिपुर में, कितनी धनराशि का निवेश किया जाना है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास हेतु निवेश करने में निजी क्षेत्र और दूरसंचार क्षेत्र में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने रुचि दिखाई है;

(ग) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यवार निधि का आवंटन शामिल नहीं है। तथापि, योजना आयोग ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) हेतु 46442.02 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ख) और (ग) अभी तक दो निजी कंपनियों ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अपना प्रचालन-कार्य शुरू किया है। तथापि, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए और अधिक ऑपरेटरों का प्रवेश भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर होना है, जिनकी प्रतीक्षा है।

(घ) सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन एवं विनिवेश नीतियां शुरू की हैं। कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

1. दूरसंचार निर्माण परियोजनाओं में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के स्वत: अनुमोदन हेतु कार्यविधियों को तैयार किया गया।
2. दूरसंचार उपस्कर के लिए निर्माणकारी इकाइयों की स्थापना करने हेतु कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।
3. बेसिक, सेल्यूलर मोबाइल, पेजिंग, मूल्यवर्धित सेवाओं और उपग्रह द्वारा "ग्लोबल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स" में 49 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी की अनुमति है।
4. गेटवेज (उपग्रह और समुद्री केबल दोनों के लिए) प्रदान न कर रहे इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपीज), डार्क फाइबर प्रदान कर रहे अवसंरचना प्रदाताओं (आईपी श्रेणी), इलैक्ट्रानिक मेल, वायस मेल में 100% तक की एफडीआई की अनुमति है।

हॉकी में सुधार

1191. **श्री विजय याेयल:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय हाकी टीम को अपने प्रदर्शन से बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चुनौती का सामना करने के लिए एक नई कारगर टीम को संगठित करने, मजबूत बनाने अथवा एक प्रभावशाली टीम तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी विशिष्ट खेल-विधा का संवर्धन करना संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की जिम्मेदारी होती है। भारतीय हाकी परिसंघ (आई. एच. एफ.) ने हाकी के संवर्धन के लिए दीर्घावधिक विकास योजना (एल. टी. डी.पी.) तैयार की है तथा सरकार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत दीर्घावधिक विकास योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्वीकार्य सहायता देकर इसके प्रयासों को बढ़ावा दे रही है।

[हिन्दी]

वनों की कटाई

1192. **श्री धर्मराज सिंह पटेल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन माफिया, वन-अधिकारियों की मिली भगत से वनों की कटाई करके वनाच्छादन कम करने की गतिविधियों में लिप्त हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वन-माफिया के लोगों के विरुद्ध पुलिस में दर्ज कराए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को उस दशा में जबकि वे वृक्ष उपयोगी न रह जाएं निजी-उपयोगार्थ वृक्ष काटने का प्राधिकार दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) भारत सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वन माफिया, वन-अधिकारियों के साथ मिलकर वनों की कटाई करके वनाच्छादन कम करने की गतिविधियों में लिप्त हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस समय प्रवृत्त सम्बद्ध अधिनियमों और नियमों द्वारा निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई को नियंत्रित किया जाता है। सांविधिक प्रावधानों के अध्यधीन किसानों को पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न की नहीं उठता।

[अनुवाद]

मंगलौर, कर्नाटक में गैस आधारित विद्युत संयंत्र

1193. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर में एक एल. एन. जी. ईंधन विद्युत संयंत्र लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को उक्त संयंत्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संयंत्र की अधिष्ठापन-क्षमता सहित अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उक्त संयंत्र को स्थापित करने में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में मंगलोर में 2000 मे. वा. गैस आधारित परियोजना की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन करवाए जाने का अनुरोध किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से एलएनजी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई क्योंकि एलएनजी की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान एलएनजी कीमत पर उत्पादन की लागत 4 रुपये प्रति यूनिट से अधिक होने की आशा है जिससे इस तरह के विद्युत संयंत्रों से टैरिफ को वहन करना कठिन हो जाएगा।

इसीलिए एनटीपीसी का एलएनजी की दर पर विचार-विमर्श करने की सलाह दी गई है जिसे पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस मंत्रालय तथा मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी के साथ दीर्घकालीन एलएनजी कीमत के आधार पर 20-25 वर्षों की अवधि में प्राप्त किए जाने की संभावना है। तत्पश्चात् एनटीपीसी संशोधित टैरिफ को तैयार करेगा और लाभभोगी राज्यों के स विद्युत क्रय करार पर विचार-विमर्श करेगा। परियोजना की तकनीकी-आर्थि व्यवहार्यता के आधार पर एनटीपीसी आगे की कार्रवाई आरंभ करेगा।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्र उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में नीम

1194. प्रो॰ दुखा भगत: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बत की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नीम के वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) नीम व राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में वृक्षारोपण

1195. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या पर्यावरण और वन मं यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने क्षेत्रफल भूमि पर और कितनी संख्या में 198 से 1999 की अवधि के दौरान वृक्षारोपण किया गया;

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ग) अगले वर्ष के लिए वनीकरण का क्या लक्ष्य रखा गया है और

(घ) इस पर कितना व्यय आएगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ 1989-90 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान देश में लगभ 17.53 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया था और इसके लि लगभग 3506 करोड़ पौधे रोपित किए गए। 1989-90 से 1996-97 दौरान वृक्षारोपण पर लगभग 5526.78 करोड़ रुपए का व्यय हुआ थ योजना आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1997-98 से 1999-200 की अवधि के दौरान वानिकी और वन्यजीव क्षेत्र में 3,874.78 करोड़ रु का परिव्यय हुआ था। 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि लिए केवल वृक्षारोपण गतिविधियों पर ही किए गए व्यय के बारे में रा सरकारों द्वारा सूचित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2000-01 के लि

93 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण और वनीकरण करने का लक्ष्य ॥ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित वनीकरण स्कीमों के न्तर्गत वर्ष 2000-01 के लिए परिव्यय 160.12 करोड़ रुपए का है और ह राशि इस प्रयोजन हेतु संबंधित राज्य योजनाओं में उपलब्ध वार्षिक रिव्ययों के अतिरिक्त है।

अनुवाद]

वैकल्पिक गैर-कीटनाशकों को प्रोत्साहन

1196. **श्रीमती निवेदिता माने:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वैकल्पिक गैर-कीटनाशकों का उपयोग करके कृषि करने की प्रविधि को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय पादप-उत्पादों सहित कौन से जैव-अधिकारक उपलब्ध हैं और कुल कितनी एकड़ भूमि तथा किन फसलों पर इनका उपयोग किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) जी, हां। सरकार समेकित कीट प्रबंध प्रौद्योगिकी की परिधि के अंतर्गत खेती करने के लिए वैकल्पिक गैर कीटनाशकी दृष्टिकोण करने की प्रविधि को प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे वैकल्पिक गैर-कीटनाशकों का उपयोग करने की प्रविधि में कल्चरल, यांत्रिक और जैविक नियंत्रण उपाय शामिल हैं।

(ख) देश में उपलब्ध महत्वपूर्ण जैविक एजेंट तथा पौध उत्पाद निम्नवत हैं:

(i) *जैविक एजेंट:* ब्रिचोग्राम, क्रीसोपेरला, लेडी बर्ड बीटल्स, ब्रिचोडेरमं, न्यूक्लीयर पोलीहेड्रोसिस वायरस (एन. पी. वी) तथा बैकिलस थुरिजिसस।

(ii) *पौध उत्पाद:* कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन पंजीकृत नीम आधारित प्रतिपादन, अर्थात् 300 पीपीएम, 1500 पीपीएम और 50,000 पीपीएम सर्केंद्रण के अजडिराटटिन। ये जैव नियंत्रण एजेंट निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की 356 जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं के माध्यम से देश में उपलब्ध हैं। ऐसे जैव नियंत्रण एजेंटों के अधीन कवर फिर गए कुल क्षेत्रफल के बारे में स्पष्ट आकलन उपलब्ध नहीं है, फिर भी, चावल, ज्वार, कपास, वनस्पतियों, दलहल, तिलहन तथा गन्ना की फसलों में लगने वाले कीट तथा रोगों के नियंत्रण में ये लोकप्रिय हो रहे हैं।

प्रतिभूति-जमा पर ब्याज

1197. **श्री राम प्रसाद सिंह:**
मोहम्मद अनवारूल हक:
डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार, दूरसंचार के क्षेत्र में देश भर में, सेल्यूलर-फोनों के लिए म॰ टी॰ नि॰ नि॰ के पास तथा इन्टरनेट कनेक्शनों के लिए वि॰ सं॰ नि॰ लि॰ के पास, प्रतिभूति-जमा की कुल राशि कितनी है साथ ही सेल्यूलर-फोनों के लिए निजी-सेवा प्रदाता एजेंसिया के पास यही राशि कितनी है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को उनके प्रतिभूति-जमा पर ब्याज देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रतिभूति जमा एवं उसके ब्याज की स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. *एमटीएनएल के सेल्यूलर टेलीफोन*

सीडीएमए डब्ल्यूआईएलएल प्रौद्योगिकी पर आधारित मोबाइल टेलीफोनों के लिए एमटीएनएल के पास कुल प्रतिभूति राशि 137.20 लाख रुपए है। प्रतिभूति जमा पर ब्याज देने के लिए मांग की गई है।

इन टेलीफानों के प्रत्येक पंजीकरण कराने वालों को 10000/- रुपए की जमा राशि में से 7000/- रुपए (ब्याज सहित) वापस करने का निर्णय किया गया है। मोबाइल टेलीफोन की व्यवस्था होने की तारीख तक सामान्य टेलीफोन के लिए आवेदन-पत्र जमा करने पर लागू दर के हिसाब से शेष 3000/- रुपए की राशि पर ब्याज भी अदा किया जाएगा।

2. *विदेश संचार निगम लि॰ की इन्टरनेट सेवा*

विदेश संचार निगम लि॰ द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही इंटरनेट सेवाओं के लिए उनसे कोई प्रतिभूति जमा राशि वसूल नहीं की जा रही है।

3. *सेल्यूलर टेलीफोन के लिए प्राइवेट सेवा प्रदाता*

प्राइवेट आपरेटरों के मामलों में, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (सीएमटीएस) के प्राइवेट सेवा प्रदाताओं द्वारा संकलित प्रतिभूति जमा राशि का रिकार्ड सरकार द्वारा नहीं रखा जाता। सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) से

प्राप्त सूचना के अनुसार सभी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस आपरेटर टैरिफ तथा प्रतिभूति जमा के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) टैरिफ आदेश, 1999 का अनुपालन कर रहे हैं। अतएव सभी टैरिफ तथा प्रतिभूति जमा टीआरएआई टैरिफ आदेश के निर्धारित दायरे में है। प्रतिभूति जमा कर काई ब्याज अदा नहीं किया जाता है। आपरेटरों द्वारा ली गई प्रतिभूति जमा राशि प्रतिदेय होती है।

वानिकी के लिए विदेशों से निधि

1198. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वानिकी के लिए विदेशों से निधि प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वनाच्छादन बढ़ाने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यथा अधिदेशित अनुसार देश के वनावरण में 33 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि करने के लिए अगले 20 वर्षों के लिए एक व्यापक कार्यनीति योजना अर्थात् राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना तैयार की है। ऐसा अनुमान है कि राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए अगले 20 वर्षों में 133903 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं:

1. मौजूदा वन संसाधनों की सुरक्षा
2. वन उत्पादकता में सुधार
3. कुल मांग में कमी
4. नीतिगत व संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना
5. वन क्षेत्र का विस्तार

वानिकी क्षेत्र के लिए आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता अपर्याप्त है। आंतरिक संसाधनों से संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए वानिकी क्षेत्र के लिए बाह्य सहायता मांगी जाती है। देश में वानिकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बाह्य वित्तपोषण होता रहा है। अब तक 14 राज्यों में 16 परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इस समय वानिकी क्षेत्र में 16 राज्य क्षेत्र की तथा 2 केन्द्रीय क्षेत्र की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, बाह्य वित्तपोषण के लिए 12 परियोजनाएं तैयार की गई हैं।

दलहनों के अधिकतम बिक्री मूल्य में वृद्धि

1199. श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समीति ने दलहनों के अधिकतम बिक्री मूल्य (एम.एस.पी) में बहुत अधिक वृद्धि करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन सिफारिशों के संबंध में आगे क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। दलहन संबंधी एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य दलहन उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है, क्योंकि दलहनों की खेती जैविक तथा अजैविक दबावों से संबंधित भारी जोखिम वाले कारकों के अधीन होती है अत: देश में दलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी सहायता की आवश्यकता है। अत: समिति ने सुझाव दिया है कि दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने संबंधी नीति में परिवर्तन करके दलहन उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त भारी जोखिम के पहलू को भी शामिल किया जाए।

(ग) दलहन से संबंधित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का ब्यौरा निम्नवत है:

1. मसूर, राजमा, मटर तथा मॉथबीन जैसी फसलें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के तहत शामिल की जाएं।
2. दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की नीति में परिवर्तन करके खास तौर से जोखिम हेतु प्रोत्साहन शामिल किए जाएं जो बहुत आवश्यक हैं।
3. तिलहन की तरह दलहन का सहकारी समितियों के माध्यम से विपणन भी वांछनीय है।

सरकार ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग न किया जाना

1200. श्री रामदास आठवले: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त 10319 करोड़ रु॰ की वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं किया गया है और जिसके परिणामस्वरूप मुआवजा प्रभार के रूप में बहुत अधिक राशि देनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) किसी भी दिए गए समय में अनापहरित शेष राशि निधियों के अंतर्प्रवाह समेत निधियों के "पूल" या "रिजर्व" को इंगित करता है। इस पूल द्वारा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव का लेखा भी रखा जाता है। ज्योंही किसी भी परियोजना के लिए ऋण के किश्त को किसी अंतर्राष्ट्रीय दाता द्वारा प्रभावी बनाया जाता है, सम्पूर्ण किस्त को इस पूल में जोड़ दिया जाता है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के साथ ही निधियों का इस पूल से आहरण किया जाता है। चूंकि एक विद्युत परियोजना को पूरा होने में पांच से सात वर्ष को समय लग जाता है, अत: खेपों में नियमित रूप से अभिवृद्धि होते रहने से पूल कभी समाप्त नहीं होता है। विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध प्रभार को कुछ दाताओं द्वारा किसी विशेष वर्ष में अनाहरित शेष राशि के आधार पर नियत किया जाता है।

31.3.99 की स्थिति के अनुसार, 41 परियोजनाओं को शामिल करने वाली अनाहरित राशि 10319 करोड़ रुपये थी इसमें से 23 परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिबद्ध प्रभार नहीं दिया गया था, जिनकी कुल अनाहरित शेष राशि 7263.11 करोड़ रुपये (कुल का लगभग 70%) है। प्रतिबद्ध प्रभार केवल 18 परियोजनाओं जिनकी कुल अनाहरित शेष राशि 3056.82 करोड़ रुपये है, के लिए दिया गया था।

(ग) सरकार सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं समेत उन सभी परियोजनाओं की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती है जो विभिन्न मॉनीटरिंग समितियों समेत अधिकार प्राप्त समिति एवं सेक्ट्रल टास्क फोर्स के माध्यम से विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा

1201. श्री अखिलेश यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध योजना की मौजूदा दूध/घी वितरण योजना कौन सी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को मौजूदा दुग्ध वितरण योजना के परिणामस्वरूप करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन और प्रतिमाह कितने रुपऐ का घाटा हो रहा है और इसके लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दुग्ध वितरण नीतियों को ठीक करने के लिए कठोर और त्वरित कार्रवाई तथा गलत नीतियों को तैयार करने के लिए दोषी अधिकारियों को दंडित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान): (क) दिल्ली दुग्ध योजना वितरकों के जरिए दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। दूध और घी निम्नलिखित दरों पर बेचा जाता है:

दूध-घी की किस्म	दर (रुपये/लीटर)
पूर्ण क्रीमयुक्त दूध	17.00
टोंड दूध	14.00
डबल टोंड दूध	11.00
घी	135.00

(ख) और (ग) मौजूदा वितरण योजना के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को करोड़ों रुपए का घाटा नहीं हो रहा है।

(घ) और (ङ) उक्त (ख) और (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-31क के लिए निधियां

1202. श्री भीम दाहाल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31क की मरम्मत करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इसके रखरखाव के संबंध में कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस राजमार्ग की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 31-क की मरम्मत पर क्रमश: 575.44 लाख रु॰ और 790.36 लाख रु॰ की राशि खर्च की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, निधियों की उपलब्धता के आधार पर मौजूदा मध्यम लेन सड़क का दोहरी लेन मानकों में विकास करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय पर्यावरणीय न्यायाधिकरण

1203. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक पर्यावरणीय अदालतों में राज्यवार कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या गुजरात की अदालतों में सबसे अधिक मामले लंबित पड़े है:

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय पर्यावरणीय अधिकरण का गठन किया जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार द्वारा कोई पर्यावरण न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, जल (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में पर्यावरण से संबंधित 30.9.2000 को लम्बित मामलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार है। लम्बित मामलों की सबसे अधिक संख्या गुजरात राज्य में है।

(ग) से (ङ) वर्तमान में जिन मामलों पर सामान्य विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है, उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है।

विवरण

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 30.9.2000 को विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले

1.	असम	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	आन्ध्र प्रदेश	2
4.	बिहार	214
5.	गोवा	शून्य
6.	गुजरात	1600
7.	हरियाणा	460
8.	हिमाचल प्रदेश	35
9.	जम्मू और कश्मीर	86
10.	केरल	4
11.	कर्नाटक	116
12.	महाराष्ट्र	120
13.	मध्य प्रदेश	137
14.	मेघालय	शून्य
15.	मणिपुर	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य
17.	नागालैण्ड	शून्य
18.	उड़ीसा	76
19.	पंजाब	296
20.	राजस्थान	239
21.	सिक्किम	शून्य
22.	तमिलनाडु	98
23.	त्रिपुरा	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	15
25.	पश्चिम बंगाल	2
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
27.	दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली	शून्य
28.	लक्षद्वीप	शून्य
29.	दिल्ली	उपलब्ध नहीं
30.	चण्डीगढ़	शून्य
31.	पाण्डिचेरी	शून्य

[हिन्दी]

हीरमा विद्युत संयंत्र, उड़ीसा द्वारा विद्युत का उत्पादन

1204. डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में हीरमा विद्युत उत्पादन परियोजना पूरी की जा चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त परियोजना द्वारा उत्पादित की जाने वाली विद्युत की प्रति यूनिट दर ₹ रुपये 22 पैसे निर्धारित की गई है, जबकि इस संयंत्र का भार-गुणक 85 प्रतिशत है;

(ग) क्या देश के दूसरे निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही विद्युत परियोजनाओं की तुलना में उत्पादित की जाने वाली विद्युत सस्ती पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निजी क्षेत्र के अंतर्गत दूसरी परियोजनाओं द्वारा उत्पादित की जाने वाली विद्युत की औसत दर कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) मै॰ सदर्न इलेक्ट्रिक एशिया (एसईएपी) लि. द्वारा उड़ीसा में प्रवर्तित 6x660 मे. वा. क्षमता वाली हिरमा ताप विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का प्रति यूनिट नियत प्रभार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अति महत्वपूर्ण बॉयलरों के साथ 85% सुनिश्चित उपलब्धता तथा 74% फ्रंट लोडिंग पर 1.3398 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। हालांकि परियोजना के प्रवर्तकों ने इस टैरिफ की समीक्षा करने हेतु के. वि. नि. आ. के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है।

(ग) और (घ) हिरमा ताप विद्युत परियोजना को एक वृहत् विद्युत परियोजना के रूप में अभिज्ञात किया गया है तो उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के पांच राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वर्ष 1998 में घोषित भारत सरकार की संशोधित बृहत् विद्युत नीति के अंतर्गत बृहत् विद्युत परियोजना के लिए पूंजीगत उपस्करों का आयात सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्त रहेगा। इसके अलावा प्रवर्तकों द्वारा प्रारंभिक 15 वर्षों के भीतर किसी सी 10 वर्ष के ब्लॉक में आयकर अवकाश लिया जा सकता है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बृहत् विद्युत परियोजनाओं को आपूर्ति की जा रही सामग्रियों को बिक्री कर एवं स्थानीय करों से मुक्त रखें। इन सभी उपायों एवं बृहत् परियोजनाओं में आर्थिक मानदंडों से टैरिफ में पर्याप्त कमी होगी।

(ङ) निजी क्षेत्र में चालू की गई विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत की औसत दर पर परिकलन व्यावहारिक या संभव नहीं है क्योंकि विद्युत की लागत विभिन्न तथ्यों जैसे परियोजना का प्रकार, अर्थात् जल विद्युत या ताप विद्युत, उपयोग किया जा रहा ईंधन, अर्थात् कोयला, तरल ईंधन, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ईंधन स्रोत से परियोजना की दूरी, प्रयुक्त तकनीक, वित्त पोषण का तरीका आदि पर निर्भर है।

ओ. बी. जारी करने के बाद टेलीफोन कनेक्शन

1205. श्री उत्तमराव पाटील: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ. बी. जारी करने के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन देने में 2 से 3 माह से अधिक का समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। अनुदेश है कि ओ. बी. जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर टेलीफोन कनेक्शन संस्थापित किए जाएं और चालू किए जाएं। तथापि, टेलीफोन प्रदान करने में कभी-कभी कुछ पाँकेटों/क्षेत्रों की तकनीकी रूप से अव्यवहार्यता या उपभोक्ताओं के कारण देरी हो जाती है।

(ग) तकनीकी रूप से अव्यवहार्यता के कारण देरी होने वाले मामलों में अविलंब टेलीफोन प्रदान करने के लिए उच्च स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में अविलंब टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए डब्ल्यू आई एल एल (विल) जैसी प्रौद्योगिकियां अपनाने का प्रस्ताव है।

डाक सेवा का आधुनिकीकरण

1206. श्री राम सिंह कस्वां: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में डाक सेवा का आधुनिकीकरण करने के लिए कुछ योजनाएं तैयार की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई थी; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितना प्रावधान किया गया था?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) जी हां, डाक विभाग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न स्कीमें तैयार की हैं और उनको कार्यान्वित किया है। इन स्कीमों में डाक प्रचालनों को सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से डाक विभाग द्वारा निष्पादित की जा रही अधिकांश सेवाओं को व्यापक रूप से कवर किया गया है ताकि कार्य में अधिकाधिक कुशलता लाई जाए और जनता की सेवा की जा सके तथा संगठन की कार्य संस्कृति को प्रेरक बनाया जाए और उसमें सुधार लाया जा सके।

लगभग 800 डाकघरों में 2660 कंप्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संस्थापना के साथ व्यापक स्तर पर प्रौद्योगिकी के समावेश और उन्नयन का कार्य शुरू किया गया था। इन मशीनों से कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित रसीदें प्राप्त हो जाती हैं और जनता को अपनी वस्तुओं की बुकिंग करते समय डाक टिकट चिपकाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति एक ही काउंटर पर सभी प्रकार की

डाक सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। उपग्रह के माध्यम से मनीआर्डरों और संदेशों को इलेक्ट्रानिक तरीके से पारेषित करने के लिए 1995 में वीएसएटी प्रौद्योगिकी की शुरूआत की गई थी। आठवीं योजना में देश भर में 74 वीएसएटी स्टेशनों की संस्थापना की गई थी। धन का अंतरण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अब अधिक सरल हो गया है और 8वीं योजना में 300 डाकघरों को फोन लाइन द्वारा वीएसएटी नेटवर्क के साथ जोड़ा गया था। डाकघर बचत बैंक के कम्प्यूटरीकरण का कार्य 100 डाकघरों में शुरू किया गया था। चुनिंदा डाकघरों में डाक जीवन बीमा से जुड़े कार्यों का कम्प्यूटरीकरण करने की शुरूआत की गई थी। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चौदह शहरों में पंजीकरण छंटाई कार्य के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया था।

डाकघरों में 40 फ्रैंकिंग मशीनें, 280 टाइंग एंड बंडलिंग मशीनें संस्थापित की गई थीं। मुंबई और चेन्नई में पूर्णतया मशीनीकृत छंटाई डाक कार्यालयों की स्थापना की गई थी। इन्हें आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्र कहा जाता है और ये एक दिन में 12 लाख से भी अधिक पत्र डाक की छंटाई करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वितरण और डाक पारेषण के आधुनिकीकरण में 284 मेल मोटर वाहन प्राप्त करना भी शामिल था। 20 रेल डाक सेवा वैनों की री-माडलिंग की गई। पोस्टमैनों के प्रयोग हेतु मोपेड भी ली गई।

डाक कार्यालयों की कार्यकुशलता और परिवेश में सुधार लाने के लिए आधुनिक फर्नीचर तथा आधुनिक प्रचालन उपकरण लिए गए। भारी मात्रा में डाक का निपटान करने वाले 46 डाकघरों को आधुनिकीकृत किया गया था। दो ट्रांजिट मेल आफिस तथा एक अंतर्राष्ट्रीय डाक कार्यालय को भी कम्प्यूटरीकृत किया गया था। कम्प्यूटीकृत फिलैटलिक ब्यूरो तथा जन शिकायतों के लिए ग्राहक सेवा केन्द्र स्थापित करके फिलैटली के विकास हेतु एक कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी।

डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल वित्तीय परिव्यय 205.59 करोड़ रुपए का था।

नौवीं पचवर्षीय योजना के दौरान डाक विभाग आठवीं योजना अवधि के दौरान शुरू किए गए नई प्रौद्योगिकी के समावेश के कार्यक्रम के माध्यम से विशिष्ट एजेंसी सेवाओं सहित डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र और कवरेज का चरणबद्ध रूप से विस्तार करना चाहता है। आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्व अर्जन में वृद्धि करने के साथ-साथ डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष ध्यान देना है। कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा प्रबंधन कार्यों को सरल और कारगर बनाने के लिए समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से मानक संसाधन विकास करना भी उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आता है जिन्हें आधुनिकीकरण की स्कीमों को बल प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। 507.25 करोड़ रु० के कुल योजना परिव्यय में से आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय परिव्यय 320.74 करोड़ रुपए है।

विश्व व्यापार संगठन का कृषि उत्पादों के आयात पर प्रभाव

1207. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद इसके प्रावधानों के अंतर्गत विदेशों से सस्ते मूल्य पर कृषि उत्पादों का उत्पाद करने के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संयुक्त समिति गठित करने का है जिसमें कृषि आधारित उत्पादों से संबंधित सभी विभागों का प्रतिनिधित्व होगा;

(घ) क्या सरकार देश में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात सब्सिडी को बढ़ा रही है और विशेषरूप से शीतागारों की संख्या को बढ़ा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) देश में सस्ते आयात से कृषि क्षेत्र एवं कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत द्वारा कुछ अपवादों को छोड़कर प्रथमत: कृषि उत्पादों, संसाधित कृषि उत्पादों, खाद्य तेलों पर क्रमश: 100%, 150% तथा 300% टैरिफ लगाया गया है। अतएव किसानों के हितों की रक्षा के लिए बंधित स्तरों के अन्तर्गत उपर्युक्त टैरिफ लगाकर भारत में कृषि जिन्सों के आयात का समुचित विनियमन किया जा सकता है। सरकार, जहां आवश्यक हो आयात को हतोत्साहित करने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए आयात टैरिफ का इस्तेमाल एक साधन के रूप में कर रही है। सरकार ने हाल ही में अनेक कृषि जिन्सों की मूल आयात दरों में निम्नानुसार वृद्धि की है:

क्र. सं.	मद	मूल सीमा शुल्क (प्रतिशत में)
1.	गेहूँ	50
2.	मक्का बीज	50
3.	भूसी सहित चावल	80
4.	भूसी सहित (ब्राऊन) चावल	80
5.	अर्ध संसाधित अथवा पूर्ण संसाधित चावल चाहे पॉलिस अथवा ग्लेज्ड हो या नहीं	70
6.	टूटे हुए चावल	80
7.	सोरघम दाना	50
8.	कदन्न	50
9.	चीनी	60(850/-रुपये प्रति टन के बराबर के शुल्क के अलावा)

क्रम सं.	मद	मूल सीमा शुल्क (प्रतिशत में)
10.	सोयाबीन का तेल, परिष्कृत	45
11.	आर. बी. डी. पामोलीन, परिष्कृत	65
12.	पाम आयल, परिष्कृत	65
13.	मूंगफली का तेल, परिष्कृत	45

(ग) विश्व व्यापार संगठन संबंधी कृषि पर समझौते से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन से बातचीत के लिए देश के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों, स्वैच्छिक संगठनों, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, राज्यों के कृषि तथा खाद्य मंत्रियों से विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत एक अन्तरराष्ट्रीय व्यापार सलाहकार निकाय तथा विश्व व्यापार संगठन, सचिवीय समन्वय दल द्वारा विश्व व्यापार समझौते से संबंधित उल्लेखनीय घटनाओं का नियमित जायजा लिया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा कोई निर्यात राजसहायता नहीं दी जाती। शीतागार/गोदामों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता संबंधी एक स्कीम पहले की कार्यान्वित की जा रही है। जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के माध्यम से प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों नामतः इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली, चैन्ने, बंगलौर, हैदराबाद, तिरूवनन्तपुरम में समेकित शीतागार तथा कार्गो हैण्डलिंग सुविधाओं की स्थापना की है।

रांची में उपमार्ग का निर्माण

1208. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के रांची जिले में किसी भी उपमार्ग का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रांची में उपमार्ग का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) धन की कमी के कारण बाइपासों के निर्माण को कम प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) रांची बाइपास के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी के लिए वार्षिक योजना 2000-2001 में 1.00 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान है। उनके अनुमानों की राज्य सरकार से प्राप्त होने के बाद स्वीकृति के लिए जांच की जाएगी।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लि. के करार की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1209. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री जी. एस. बसवराज:
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा भारतीय टेलीफोन उद्योगों को दिए गए 400 करोड़ रुपए के मोबाइल टेलीफोन उपस्करों के ठेके की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो इस संबंध में इसके लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकार को उक्त रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई

1210. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने आठवीं योजनावधि के दौरान विशेषरूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो जिन प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है और उनके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई और स्पष्टीकरण मांगा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और नौवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में भी राज्यों को राज्य-वार/वर्ष-वार राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) आठवीं योजनावधि के दौरान निधियों की कमी और संसाधनों के लगातार अभाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 609 कि.मी. की कुल लम्बाई के केवल दो प्रस्ताव जोड़े जा सके जिसमें आंध्र प्रदेश में 369 कि. मी. लम्बाई का रा. रा. -18 से संबंधित प्रस्ताव और क्रमशः उत्तर प्रदेश में 120 कि. मी. व बिहार में 120 कि. मी. लम्बाई का रा. रा. -19 से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। कर्नाटक से प्राप्त 14 प्रस्तावों तथा महाराष्ट्र से प्राप्त 11 प्रस्तावों सहित शेष प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका।

(ङ) और (च) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने मई, 1997 में नौवीं योजना के दौरान विचार करने के लिए सभी राज्य सरकारों से नए राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित प्रस्ताव आमंत्रित करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकारों की ओर से अब भेजे जाने वाले प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भेजे/किए गए सभी प्रस्तावों/अनुरोधों का अधिक्रमण करेंगे। इसलिए, राज्य सरकारों से नए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आठवीं योजना में आबंटित की गई निधियों के ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई निधियों के ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों का आबंटन दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2600.00	4524.00	5165.30	4864.00	3910.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	100.00	138.00	00.00	00.00
3.	असम	1275.00	1400.00	1485.00	1650.00	1257.39
4.	बिहार	1385.00	1920.00	2221.00	1980.00	1583.35
5.	चण्डीगढ़	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00
6.	दिल्ली	700.00	550.00	150.00	400.00	400.00
7.	गोवा	850.00	570.00	459.40	643.00	860.65
8.	गुजरात	4650.00	6200.00	7098.00	5458.00	3738.51
9.	हरियाणा	1870.00	3200.00	5160.00	5555.00	11245.87
10.	हिमाचल प्रदेश	1150.00	1200.00	1350.00	1600.00	1200.00
11.	जम्मू और कश्मीर	50.00	40.00	45.00	50.00	100.00
12.	कर्नाटक	1880.30	2707.00	3189.00	3319.00	3530.54
13.	केरल	1400.00	3089.00	3124.95	4310.00	6022.33
14.	मध्य प्रदेश	1915.00	1678.00	2347.39	2820.00	1792.21
15.	महाराष्ट्र	3280.00	2831.00	3262.52	3703.00	2933.00
16.	मणिपुर	250.00	300.00	331.93	501.00	363.52
17.	मेघालय	387.00	470.00	500.00	680.00	996.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	50.00	45.00	49.00	50.00	10.00
20.	उड़ीसा	1375.00	1221.00	3557.55	3600.00	5917.28
21.	पांडिचेरी	44.64	50.00	50.00	50.00	50.00
22.	पंजाब	2800.00	2200.00	3559.00	5910.00	5801.79
23.	राजस्थान	3095.00	4028.00	4720.00	6733.00	3638.00
24.	सिक्किम	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
25.	तमिलनाडु	1600.00	3064.00	2589.50	1276.00	2024.67
26.	त्रिपुरा	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
27.	उत्तर प्रदेश	4995.00	4579.00	7455.68	8842.00	7955.58
28.	पश्चिम बंगाल	2230.00	3500.00	3987.00	3810.00	3608.00

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए नौवीं योजना के प्रथम वर्षों में निधियों का आबंटन दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	5957.17	4879.82	5702.87
2.	असम	1860.80	2661.10	4239.32
3.	बिहार	1952.00	3417.35	6117.52
4.	चण्डीगढ़	30.00	82.00	100.00
5.	दिल्ली	800.00	1400.00	700.00
6.	गोवा	971.58	1100.00	1700.02
7.	गुजरात	4322.42	6628.54	8851.90
8.	हरियाणा	10040.00	7588.50	10000.00
9.	हिमाचल प्रदेश	11700.00	2500.00	4000.00
10.	जम्मू और कश्मीर	150.00	100.00	100.00
11	कर्नाटक	4238.78	3709.01	6487.42
12.	केरल	8042.48	7080.16	12568.12
13.	मध्य प्रदेश	4657.00	8247.73	12036.75
14.	महाराष्ट्र	8062.43	11382.63	17422.59
15.	मणिपुर	702.19	700.00	1010.75
16.	मेघालय	970.50	1060.50	1730.28
17.	मिजोरम	0.00	0.00	508.00
18.	नागालैण्ड	100.00	200.00	800.00
19.	उड़ीसा	6475.20	9726.82	9550.00
20.	पांडिचेरी	70.00	100.81	319.46
21.	पंजाब	5378.88	7148.88	5119.56
22.	राजस्थान	4315.83	4605.81	4750.30
23.	तमिलनाडु	2567.92	3921.37	6542.57
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	55.00
25.	उत्तर प्रदेश	12535.27	12649.35	12059.13
26.	पश्चिम बंगाल	7335.00	10150.94	8818.02

[हिन्दी]

दलहनों की किस्में विकसित करना

1211. **श्री मानसिंह पटेल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दलहनों की किस्में विकसित करने में वैज्ञानिक संगठनों/संस्थानों ने खास बढ़िया काम नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में किए गए विकास संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न दलहनी फसलों की सुधरी किस्मों के विकास पर अनुसंधान कार्य प्रगति पर है;

(1) जैविक और अजैविक दबावों के विरुद्ध प्रतिरोधिता का समावेशन करना

(2) बहुगुणन फसल प्रणाली के लिए परिपक्वता की अवधि में कमी लाना

(3) असहर में संकर किस्मों का विकास

(4) गैर-पारम्परिक क्षेत्रों और मौसमों के लिए किस्में।

इन अनुसंधान प्रयासों के परिणामस्वरूप बहुत सी सुधरी किस्में विकसित की गई हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई सुधरी किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई दलहनी फसलों की सुधरी किस्मों की सूची

किस्म/संकर का नाम	रिलीज करने का वर्ष	उपज क्विं./है०	अनुकूलन का क्षेत्र	टिप्पणी
1	2	3	4	5
चना				
डी सी पी 92-3	1997	18-20	उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	मुरझान के प्रति रोग रोधी
के डी जी 1168 (आलोक)	1997	20-25	उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	मुरझान तथा जड़ गलन के प्रति रोग रोधी
विशाल	1997	30-35	मध्य क्षेत्र	मुरझान के प्रति रोग रोधी

1	2	3	4	5
पी डी जी 3	1997	16-18	पंजाब	फली बेदक की सहिष्णु
सी एस जी 8962 (करनाल चना-1)	1997	18-20	उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	मुरझान के प्रति रोग रोधी। लवणीय स्थितियों के लिए उपयुक्त
जी सी पी 101 (गुजरात चना-1)	1999	18-22	मध्य क्षेत्र	मुरझान के प्रति रोग रोधी
पूसा 1003 (काबुली)	1999	18-20	उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र	मुरझान के प्रति रोग रोधी, मोटा दाना
बी जी डी-72 (पूसा प्रगति)	1999	20	मध्य क्षेत्र	मोटा दाना मुरझान और जड़ गलन के प्रति रोग रोधी, सूखा के प्रति सहिष्णु
बी जी 1053 (पूसा चमत्कार)	1999	20	उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	मोटा दाना और जड़ रोगों के प्रति मध्यम दर्जे का सहिष्णु
जे जी-11	1999	18-22	दक्षिणी क्षेत्र	फ्यूजेरिम मुरझान के प्रति रोग रोधी
जी सी पी 105	2000	18	उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र	मुरझान, गलन मुरझान के प्रति मध्यम दर्जे का सहिष्णु
अरहर				
सी ओ पी एच-2 (संकर)	1997	10	तमिलनाडु	अगेती परिपक्वता
अमर	1997	16-20	उत्तर प्रदेश	बंध्यता मोजेक के प्रति रोग रोधी, मुरझान के प्रति सहिष्णु
ए के पी एच 4101(संकर)	1997	20-22	मध्य क्षेत्र	पौधे के प्रति अपरिमित
नरेन्द्र अरहर-1	1997	20-22	उत्तर प्रदेश	एस एम डी के प्रति रोग रोधी, मुरझान के प्रति सहिष्णु
ए के पी एच 2022 संकर	1998	18-20	महाराष्ट्र	
पारस (एच 82-1)	1998	15-20	हरियाणा	
एम ए-3 (मालविया विकल्प)	1999	20-22	मध्य क्षेत्र	मुरझान और फली मक्खी के प्रति मध्यम सहिष्णु
दुर्गा (आई सी पी एल 84031)	1999	18-20	आन्ध्र प्रदेश	
मूंग				
पंत मूंग 4 (यू पी एम 92-1)	1997	7	उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पीले मोजेक विषाणु के प्रति सहिष्णु
एच यू एम-1	1999	9 (मध्य क्षेत्र) 8 (दक्षिण क्षेत्र)	मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र	पीले मोजेक विषाणु के प्रति सहिष्णु
को 6	1999	10	तमिलनाडु	पीले मोजेक विषाणु के प्रति सहिष्णु
पी बी एम-2	2000	6	उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पीले मोजेक विषाणु के प्रति सहिष्णु
पूसा 9531	2000	9	मध्य क्षेत्र	पीले मोजेक विषाणु के प्रति सहिष्णु और जैसिड तथा सफेद मक्खी सहिष्णु
पूसा बोल्ड-1 (विशाल)	2000	11	उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	पीले मोजेक विषाणु के प्रति सहिष्णु और जैसिड तथा सफेद मक्खी सहिष्णु
उड़द				
वम्बन-2	1997	8	तमिलनाडु	पीले मोजेक विषाणु के प्रति रोगरोधी एवं सूखे के प्रति सहिष्णु

1	2	3	4	5
शेखर-1 (के. यू. 301)	1997	13	दक्षिणी क्षेत्र	पीले मोजेक विषाणु के प्रति रोगरोधी एवं रबी मौसम के लिए उपयुक्त
टी. यू. 94-2	1999	15	दक्षिणी क्षेत्र	पीले मोजेक विषाणु के प्रति रोगरोधी, चूर्णी फफूद के प्रति साधारण प्रतिरोधी एवं रबी मौसम के लिए
आई. पी. यू. 94-1 (उत्तर)	1999	12	उ.प. मैदानी क्षेत्र, उ. पू. मै. क्षेत्र	पीले मोजेक विषाणु के प्रति रोग रोधी
के. यू. 92-1 (आजाद उड़द-1)	1999	10	उ. पू. मैदानी क्षेत्र	पीले मोजेक विषाणु के प्रति रोगरोधी, बसंत मौसम के लिए उपयुक्त
आर. बी. यू. 38(बरखा)	1999	12.5	मध्य क्षेत्र एवं उ.पू. मै. क्षेत्र	सरकोस्पोरा पत्ती धब्बे के प्रति रोगरोधी, मोटा दाना
डब्ल्यू बी. जी. 26	1999	9.5	दक्षिणी क्षेत्र	चूर्णी फफूंद एवं पीले मौजैक विषाणु के प्रति रोगरोधी
मसूर				
नरेन्द्र मसूर-1 (एन. डी. एल. 92-1)	1997	14	उत्तर प्रदेश	रतुआ के प्रति रोगरोधी, मुरझान के प्रति सहिष्णु एंव मोटा दाना
डी पी एल 62 (शेरी)	1997	17	उ.प. मैदानी क्षेत्र	रतुआ के प्रति रोगरोधी, मुरझान के प्रति सहिष्णु एंव मोटा दाना
जे. एल. 3	1999	14.5	मध्य क्षेत्र	मुरझान के प्रति रोगरोधी
आई. पी. एल. 81 (नूरी)	2000	12.5	मध्य क्षेत्र	रतुआ के प्रति सहिष्णु एवं मोटा दाना
मटर				
डी. एम. आर. 7 (अलंकार)	1996	23.5	उ.प. मैदानी क्षेत्र	चूर्णी फफूंद के प्रति रोगरोधी
उत्तरा (एच.एफ.पी. 8909)	1996	22	उ.प. मैदानी क्षेत्र	चूर्णी फफूंद के प्रति रोगरोधी
के.एफ.पी. 144-1	1997	18	उत्तर प्रदेश	चूर्णी फफूंद के प्रति रोगरोधी
एच.यू.डी.पी. 15 (मालवीय मटर 15)	1999	23-24	उ.प. मैदानी क्षेत्र	चूर्णी फफूंद के प्रति रोगरोधी
डी.डी.आर. 23	2000	15.5	उ.प. मैदानी क्षेत्र	चूर्णी फफूंद के प्रति रोगरोधी
खेसरी दाल				
बायो एल 212 (रतन)	1997	15	उ.प. मैदानी क्षेत्र	न्यून न्यूरोटोक्सिन, यूटेरा एवं सूखा प्रवण दशाओं के लिए उपयुक्त
प्रतीक	1999	13	मध्य प्रदेश	चूर्णी फफूंद के लिए रोगरोधी तथा फली बेधक के प्रति सहिष्णु एवं न्यून न्यूरोटोक्सिन (0.07%)
मोठ				
आर.एम.ओ.-225	1999	5-5.5	राजस्थान, गुजरात महाराष्ट्र	सूखा सहिष्णु
एफ.एम.एम.-96	1999	5-6	सभी मोठ उगाने वाले क्षेत्र	हल्की जलोढ से भरी मृदाओं एवं बारानी दशाओं के लिए उपयुक्त
काजरी मोठ-1	1999	5.5-6.5	सभी मोठ उगाने वाले क्षेत्र	सूखा सहिष्णु

1	2	3	4	5
लोबिया				
जी.सी. -3	1999	10-11	दक्षिणी क्षेत्र	अगेती परिपक्वता, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त
पूसा सम्पदा	1999	9	उ.प. मैदानी क्षेत्र	बारानी दशाओं के लिए उपयुक्त
कुल्थी				
पालेम-2	1996	8-9	आंध्र प्रदेश	अगेती परिपक्वता, बारानी दशाओं के लिए उपयुक्त
ए.के. -21	1999	8-8.5	उ.प. मैदानी क्षेत्र	एन्थ्रैक्नोज के प्रति सहिष्णु, बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त
ग्वार				
आर.जी.सी.-1003	1999	11	सभी ग्वार उगाने वाले क्षेत्र	बारानी दशाओं एवं अच्छी जल निकास वाली मृदाओं के लिए उपयुक्त
आर.जी.सी.-1002	1999	10	सभी ग्वार उगाने वाले क्षेत्र	बारानी दशाओं के लिए उपयुक्त
आर.जी.सी.-986	1999	10	सभी ग्वार उगाने वाले क्षेत्र	बारानी दशाओं के लिए उपयुक्त

दक्षिणी क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु

उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र : पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा

मध्य क्षेत्र : दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात

उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र : पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

संचार ढाबे

1212. **डा॰ रमेश चंद तोमर:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की/के सभी पंचायतों/गावों में संचार ढाबों को स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संचार ढाबों को स्थापित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा को बड़े पैमाने पर विकसित करने में किस हद तक मदद मिलेगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। देश के सभी पंचायत/गावों में "संचार ढ़ाबे" स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। सभी ब्लॉक मुख्यालयों में "इंटरनेट ढाबे" स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) देश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में "इंटरनेट ढाबे" फ्रेंचाइजियों के माध्यम से 31 मार्च, 2001 तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए चयन मानदंड वही हैं जो पीसीओ आबंटन के लिए लागू हैं। मौजूदा पी सी ओ फ्रेंचाइजियों को, मौजूदा सार्वजनिक टेलीफोनों (पीसीओ) को इंटरनेट सार्वजनिक टेलीफोनों (पीसीओ) में उन्नयन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है। ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालयों और शहरी ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबों के लिए मुफ्त "इंटरनेट एक्सेस" प्रदान करने की अनुमति दी जा रही है, प्रतिवर्ष 1500 घंटे के हिसाब से मुफ्त "इंटरनेट एक्सेस" की अनुमति दी गई है। ब्लॉक मुख्यालय के अलावा, यदि कोई फ्रेंचाइजी इंटरनेट ढाबा खोलना चाहता है तो उसे वही रियायतें प्रदान की जाती हैं।

(ग) सभी ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबों की स्थापना होने से आम जनता के बीच इंटरनेट सेवाओं का तेजी से प्रसार करने में मदद मिलेगी और जनता को बाजार, दरों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में अद्यतन सूचना उपलब्ध हो जाएगी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई छूट

1213. श्री टी॰एम॰ सेल्वागनपति: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उन चूककर्ता राज्य विद्युत बोर्डों को यदि वे अपनी पूर्ण देय राशि का भुगतान करते हैं, बकाया अधिभार राशि पर 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) 31 अगस्त, 2000 तक की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कुल कितनी धनराशि देय है; और

(ग) उन राज्य विद्युत बोर्डों का ब्यौरा क्या जिनकी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पेशकश छूट का लाभ उठाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) ने यूपीपीसीएल, एपट्रांस्को एवं ग्रिडको के साथ एक-कालिक समझौता किया है। जिसके अंतर्गत उन्हे समझौते की तारीख के अनुसार उनके द्वारा एनटीपीसी को भुगतान की जाने वाली कुल बकाया राशि (मूलधन एवं अतिरिक्त राशि) के एक-कालिक भुगतान के लिए अतिरिक्त भुगतान राशि में 25% की छूट दी गई है। एनटीपीसी ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा एनटीपीसी को भुगतान की जाने वाली भुगतान योग्य अतिरिक्त राशि में 25% की छूट देने पर केवल उन्हीं रा. वि. बो. पर विचार किया जाएगा जो समझौते की तारीख को एनटीपीसी को एक बार में तथा संपूर्ण बकाया राशि (मूलधन एवं अतिरिक्त राशि) के भुगतान के लिए सहमत होते हैं।

(ख) 31 अगस्त, 2000 की स्थितिनुसार रा. वि. बोर्डों द्वारा एनटीपीसी को भुगतान की जाने वाली कुल बकाया राशि 15307.39 करोड़ रु॰ है जिसमें 5588.53 करोड़ रु॰ का अधिभार शामिल है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यूपीपीसीएल, एपट्रांस्को एवं ग्रिडको के साथ हुए समझौते के अनुरूप की एनटीपीसी सभी चूककर्ता राज्य विद्युत बोर्डों के साथ भी एक-कालिक ऋण भुगतान के लिए सम्पर्क कर रहा है।

विवरण

31.8.2000 की स्थितिनुसार एनटीपीसी की बकाया देयताएं

(लाख रुपये में)

एसटीपीएस/एसईबी	आज तक बकाया		कुल बकाया
सिक्किम	2337	838	3175
पश्चिम बंगाल	82386	42297	124683
बिहार	165293	99877	265170
असम	2599	1121	3720
जम्मू व कश्मीर	24655	33512	58167
उड़ीसा	65723	18331	84054
उत्तर प्रदेश	202724	71375	274099
दिल्ली	135528	126903	262431
दामोदर वैली कार्पोरेशन	34560	28827	63387
कर्नाटक	17407	6921	24328
तमिलनाडु	26172	9416	35588
मध्य प्रदेश	54566	30911	85477
आंध्र प्रदेश	22447	6758	29205
राजस्थान	29623	8891	38514
पाण्डिचेरी	2332	796	3128
गुजरात	27088	19589	46677
महाराष्ट्र	38217	19816	58033
केरल	17421	4426	21847
हरियाणा	14913	25585	40498
हिमाचल प्रदेश	1638	930	2568
पंजाब	4306	1288	5594
गोवा (दक्षिणी क्षेत्र)	2	117	119
संघ शासित क्षेत्र	44	0	-44
चण्डीगढ़/दमन और दीव	-7	108	101
गोवा (पश्चिमी क्षेत्र)	0	220	220
दादरा व नगर हवेली	0	0	0
कुल	971886	558853	1530739

संकेताक्षर : एसटीपीएस - सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसईबी - राज्य बिजली बोर्ड

भारत और रूस के बीच परिवहन कॉरिडॉर

1214. श्री जी॰ गंगा रेड्डी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच ईरान के रास्ते भारत के साथ रूस को जोड़ने के लिए एक उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडॉर (राजमार्ग) बनाने के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के कार्य में आए व्यवधानों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी दूरसंचार कंपनियों द्वारा निवेश

1215. श्री रामपाल सिंह:
डा॰ अशोक पटेल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जापान की दूरसंचार कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सरकार ने जापान सहित सभी देशों को आमंत्रित करते हुए दूर संचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की उदार नीति की घोषणा की है। हाल ही में इन्फार्मेशन सोसाइटी पर एशिया-पैसिफिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, संचार मंत्री जी ने जापान के अपने दौरे के समय जापानी निवेशकों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की इस नीति का तथा विदेशी निवेशकों को अब भारत में दूर संचार क्षेत्र में निवेश करने के अवसर पर फायदा उठाने के लिए आमंत्रित किया।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नई विद्युत परियोजनाएं

1216. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विद्युत का उत्पादन करने और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अनुमोदित की गई नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त राज्य में किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान योजना आयोग और ग्रामीण विद्युतीकरण आयोग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्रदान की गई है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा.)
1.	पगुथन सीसीजीटी	654.7
2.	गांधी नगर विस्तार यूनिट-5	210
3.	वनाकबोरी विस्तार यूनिट-7	210
@4.	हजीरा सीसीजीटी	515
@5.	बड़ौदा में पैट्रो कैमिकल्स काम्प्लेक्स विद्युत संयंत्र	167
@6.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी	250
7.	कवास सीसीपीपी चरण-2	650
8.	झनोर-गांधार सीसीपीपी चरण-2	650
@9.	जामनगर पेटकॉक टीपीपी	500
10.	अकरीमोटा लिग्लाइट टीपीपी	250
11.	हजीरा सीसीपीपी	156

@ सुनिश्चित वित्तीय पैकेज प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए सिफारिश करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सरदार सरोवर परियोजना (6x200+5x500 मे. वा.) निमार्णधीन है जिससे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लाभांवित होंगे।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 94 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वाली एक नई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है जैसा कि गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा प्रायोजित किया गया है।

(ख) गुजरात में सभी गांवों को दिसम्बर, 1998 में विद्युतीकरण घोषित किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण का ब्यौरा निम्नवत है:

1997-98	-	9
1998-99	-	4
1999-2000		-

(ग) और (घ) चूंकि गुजरात राज्य में सभी बसे हुए गांवों (1991 की जनगणना) को पहले की विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है इसलिए गुजरात विद्युत बोर्ड ने वर्ष 1999-2000 के दौरान रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन के लिए नये गांवों के विद्युतीकरण संबंधी कोई स्कीम प्रस्तावित नहीं की है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

1217. डा॰ संजय पासवान: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से बिहार, असम और तर राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार न राज्य सरकारों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में उपयोग करने के लिए रित किए गए विभिन्न विकसित उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में कितने सौर ऊर्जा उपकरणों और अन्य उपकरणों की बिक्री की गई और इस संबंध में प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी, हां। बिहार, असम और पूर्वी राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास और संवर्द्धन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थापित अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बिहार में स्थापित सौर ऊर्जा और अन्य उपकरणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विभिन्न प्रणालियों/उपकरणों की वर्षवार संस्थापना

ा सं.	कार्यक्रम	असम			बिहार			उड़ीसा			पश्चिम बंगाल		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
	बायोगैस (सं.)	275	223	67	920	708	480	8128	6046	8420	11336	10010	16015
	*सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी (सं.)	2		-	-	-	-	-	-	-	10	10	10
	उन्नत चूल्हा (सं. लाख में)	0.24	0.14	0.22	0.32	0.42	0.41	1.32	1.02	1.50	1.92	1.71	3.76
	ऊर्जा पार्क (सं.)	1	7	1	9	1	-	-	-	-	2	-	
	एसपीवी कार्यक्रम (सं.)												
	सौर लालटेन (सं.)	-	125	175	4000	10085	7450	1693	1034	411	714	354	83
	घरेलू रोशनी (सं.)	200	450	252	1	249	201	37	579	192	1710	3585	2049
	सड़क रोशनी (सं.)	-	-	-	24	-	50	54	1014	2346	202	99	37
	लघु जल विद्युत (मे.वा.)	-	0.20	-	-	0.04	0.01	-	0.06	-	-	-	
	बायोमास गैसीफायर (कि.वा.)	-	-	-	-	-	-	10	-	-	500	-	30
	एसपीवी विद्युत (कि.वा.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25		
	एसपीवी जल पंपन (सं.)	-	-	-	15	7	4	1	-	1	2	-	-
	सौर कुकर (सं.)	-	-	-	-	-	-	51	400	51	175	523	802

ीबीपी/आईबीपी/एनबीपी-सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र, एसपीवी - सौर प्रकाशवोल्टीय, कि.वा. - किलोवाट, मे.वा. - मेगावाट।

[हिन्दी]

नई विद्युत नीति का प्रारूप

1218. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को नई विद्युत नीति के संबंध में जन प्रतिनिधियों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) पिछले एक वर्ष में केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निम्नलिखित पहल किए हैं:

1. 26 फरवरी 2000 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सुधार कार्यों को निश्चित रूप से शुरू किया जाए जिसके जरिए अगले 2-3 वर्षों में परिणाम प्राप्त हो सकें। सुधार नीति के मुख्य तत्व हैं:

(i) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

(ii) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं का 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम

(iii) विशिष्ट समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरियों को घटाना एवं कटौती करना

(iv) प्राथमिकता के आधार पर उप-केन्द्रों को एक यूनिट के रूप में लेते हुए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़/उन्नत करना

यदि उपरोक्त कार्यों को वर्तमान व्यवस्था में किया जाना असाध्य है तो वितरण का निगमीकरण/सहकारीकरण/निजीकरण करना होगा।

2. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए एक विशेष निधि बनाने हेतु एक स्कीम शुरू की गई है जिससे कि विद्युत क्षेत्र की सुधार प्रक्रिया को बल मिले। स्कीम के अंतर्गत नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार/विद्युत उत्पादन केन्द्रों (थर्मल एवं हाइड्रो दोनों) तथा उपपारेषण और वितरण प्रणाली समेत मीटरिंग का सुदृढ़ीकरण।

3. विद्युत मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन/प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत इन राज्यों को सुधारों के पारम्परिक रूप से स्वीकृत मानदंडों को पूरा करने के लिए सहायता देने की प्रतिबद्धता दी गई है। समझौतों की दृष्टि से राज्यों को कुछ कदम उठाने होंगे जैसे पारेषण-एवं वितरण को अलग-अलग करना, वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता, ऊर्जा ऑडिट, मीटरिंग एवं विनियामक आयोगों को पूर्ण सहायता। इसके बदले भारत सरकार ने सहायता देने की प्रतिबद्धता दी है जिसमें केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से अतिरिक्त विद्युत का आबंटन पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बढ़ाई गई वित्तीय सहायता ताकि पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी आ सके और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

4. वित्तीय संस्थानों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे नई विद्युत परियोजनाओं को एस्क्रो के आधार पर नहीं, बल्कि सहमत सुधार मानदंडों के आधार पर वित्तपोषण करें।

5. वितरित विद्युत की लागत में कमी करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति गठित की गई है।

6. एक मंत्री समूह ग्रामीण विद्युतीकरण की गति बढ़ाने के मामले तथा इससे संबंधित मौजूदा स्कीमों की समीक्षा कर रहा है।

विद्युत मंत्रालय विद्युत क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए व्यावहारिक हल ढूढ़ने हेतु सामाजिक एवं राजनीतिक आम सहमति तैयार करने हेतु आम भागीदारी करना चाह रहा है।

[अनुवाद]

हरियाणा में ग्रामीण खेलकूद केन्द्र

1219. डा० (श्रीमती) सुधा यादव: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय हरियाणा में कितने ग्रामीण खेलकूद केन्द्र हैं और वे किन-किन स्थलों पर स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक ग्रामीण खेलकूद केन्द्र के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में नए खेलकूद केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थल-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) द्वारा अपनी संचालन योजना के अंतर्गत कोई भी ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) इस समय, हरियाणा में भारतीय खेल प्राधिकरण के दो प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं जो कुरुक्षेत्र और भिवानी में स्थित हैं। अधिक केन्द्र खोलने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

खेल संबंधी कानून

1220. **श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: क्या युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मैच फिक्सिंग मामले के बाद खेल संबंधी कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयारी के रूप में क्या कार्य किया गया है और इस कानून को कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इससे पूर्व भी उक्त कानून बनाने के लिए कोई प्रयास किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अलावा, खेल राज्य का विषय है अत: केन्द्र सरकार के लिए तब तक खेलों से संबंधित मामलों पर कानून बनाना संभव नहीं है जब तक कि यह विषय समवर्ती सूची में नहीं लाया जाता।

[अनुवाद]

लाभ में गिरावट

1221. **श्री अनंत गंगाराम गीते:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान देश में टेलीफोन के उपयोग में 12 प्रतिशत कमी हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान प्रति लाइन राजस्व 843 रु॰ से घट कर 739 रु॰ रह गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे बीएसएनएल द्वारा तैयार की गई योजनाओं की लाभकारिता पर प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) वर्ष 1998-99 से 1999-2000 तक देश में टेलीफोन के इस्तेमाल में 9.54% तक की मंदी आयी है।

(ख) उल्लिखित अवधि के दौरान प्रति लाइन राजस्व 843.12 रुपए से घट कर 739 रुपए हो गया है।

(ग) उपर्युक्त के लिए कारण निम्नलिखित हैं-

लगभग 3-4% की यह कमी उक्त अवधि के दौरान टेलीफोन घनत्व में वृद्धि, ग्रामीण टैरिफ कम होने तथा सायंकाल की पीक अवधि के टैरिफ को कम करने के कारण आयी। अन्य 8 से 9% की कमी दिनांक 1.5.99 से लागू किए टैरिफ के पुनर्संतुलन के कारण हो सकती है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। विदेश संचार निगम लि॰ (वी एस एन एल) द्वारा बनायी गयी नई योजनाओं पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

तथापि, भारत संचार निगम लि॰ (बी एस एन एल) तथा एमटीएनएल के राजस्व में कमी आने की संभावना है।

(च) उपर्युक्त भाग (ख) में यथावर्णित राजस्व में कमी को पूरा करने तथा अतिरिक्त संसाधन सृजित करने के संबंध में भारत संचार निगम लि॰ तथा महानगर टेलीफोन निगम लि॰ अपनी इंटरनेट सेवाओं में विस्तार करने के साथ-साथ मोबाइल सेल्यूलर टेलीफोन सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में विविधीकरण ला रहे हैं।

वन्यजीवों का संरक्षण

1222. **श्री लक्ष्मण सेठ:**
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वन्यजीवों और उनसे बने उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए समुचित कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू): (क) और (ख) वन्यजीवों की सुरक्षा संबंधी कार्य का संचालन राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के मुख्य घटक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और प्रभावी कानून नामत: वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 विद्यमान है। उक्त अधिनियम में वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने, विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों की सुरक्षा, अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों और उनके उत्पादों के व्यापार के लिए सख्त विनियम तथा अधिकारियों को दोषी व्यक्तियों की तलाश करने, उन्हें गिरफ्तार करके बन्दी बनाकर रखने की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के मुख्य घटक

1. परिरक्षित क्षेत्रों का एक प्रतिनिधिक नेटवर्क स्थापित करना।
2. परिरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन और वास स्थलों का पुनरुद्धार।
3. बहुविधि प्रयोग वाले क्षेत्रों के संबंध में वन्यजीव सुरक्षा।
4. संकटापन्न और खतरे में पड़ी प्रजातियों का पुन: स्थापन।
5. बन्दी गृह प्रजनन कार्यक्रम।
6. वन्य जीव शिक्षा और निर्वचन।
7. अनुसंधान और मानीटरी।
8. घरेलू विधान और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
9. राष्ट्रीय संरक्षण कार्य नीति।
10. स्वैच्छिक निकायों के साथ सहयोग।

अवैध खनन

1223. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में लौह अयस्क और बाक्साइट के खनन के लिए दिए गए पट्टों में से कुछ की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है और पट्टाधारक अवैध खनन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप बहुमूल्य वन संपदा का क्षय हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अवैध खनन पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) खनन् पट्टाधारियों द्वारा राज्यों में (उड़ीसा राज्य सहित) खनन् पट्टों की समाप्ति के बाद भी खनन कार्य किए जाने के मामले समय-समय पर सरकार के ध्यान मे लाये जाते रहें हैं। खनिज रियायत नियामवली (एम सी आर) 1960 के नियम 24 ए के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि खनन् पट्टाधारी निर्धारित समय के भीतर ही खनन पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन करता है तो वह खनन पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद भी खनन कार्य जारी रख सकता है। वह ऐसा तब तक कर सकता है जब तक राज्य सरकार खनन पट्टा आवेदन के नवीकरण पर आदेश न जारी कर दे।

खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उड़ीसा में 22 लौह अयस्क/लौह एवं मैंगनीज अयस्क खनन पट्टों के पट्टाधारी खनन कार्य जारी रखे हुए हैं जिनकी खनन पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है।

अवैध खनन को रोकना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य सरकारों के हाथ मजबूत करने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 को हाल ही में संशोधित कर राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

उच्च दरों पर उपकरणों की खरीद

1224. **श्री रामजी मांझी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च दरों पर उपकरणों की खरीद के लिए दूरसंचार अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. जांच कार्इ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बेसिक टेलीकॉम आपरेटर्स

1225. **श्री एन.एन.कृष्णदास:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेसिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए कुल कितनी निजी कम्पनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं और उनमें से इस समय कितनी कार्य कर रही हैं; और

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए आज तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन बी॰ टी॰ पी॰ एस॰ के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और निजी कम्पनियों द्वारा कितने बी॰ पी॰ टी॰ उपलब्ध कराए गए?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) अब तक छह प्राइवेट कंपनियों को बुनियादी टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और ये सभी इस समय कार्य कर रही हैं।

(ख) अपने लाइसेंस के प्रथम तीन वर्षों के लिए लक्ष्यबद्ध ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) तथा वास्तव में उपलब्ध कराए गए वीपीटी की संख्या के संदर्भ में आज तक इन प्राइवेट कंपनियों द्वारा बताए गए अनुसार सूचना संलग्न विवरण में दी गई।

विवरण

प्राइवेट लाइसेंसधारकों द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) का प्रावधान (31.10.2000 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	लाइसेंस तथा लाइसेंसशुदा सर्किल	लाइसेंस की प्रभावी तारीख	प्रथम तीन वर्षों में वीपीटी के लिए प्रतिबद्ध लक्ष्य * (लाइसेंस करार की बाध्यताओं के [illegible])			प्रथम तीन वर्षों में प्रतिबद्ध वीपीटी की कुल संख्या	आज तक वास्तव में प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या
			पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष		
1.	मै. टाटा टेलीसर्विसेज (आंध्र प्रदेश)	30.9.1997	9635 (30.9.1998 तक)	(सभी गांव प्रथम वर्ष अर्थात् 30.9.1998 तक कवर किए जाने थे)		9635	शून्य
2.	मै. रिलायंस टेलीकॉम (गुजरात)	30.9.1997	8635 (30.9.1998 तक)	(सभी गांव प्रथम वर्ष अर्थात् 30.9.1998 तक कवर किए जाने थे)		8635	शून्य
3.	मै. एचएफसीएल इंफोटेल लि॰ (पंजाब)	30.9.1997	5442 (30.9.1998 तक)	(सभी गांव प्रथम वर्ष अर्थात् 30.9.98 तक कवर किए जाने थे)		5442	शून्य
4.	मै. ह्यूग्स टेलीकॉम (इंडिया) लि॰ (महाराष्ट्र)	30.9.1997	4000 (30.9.1998 तक)	21760 (30.9.1999 तक)	30.9.99 तक कोई गांव सुविधा रहित नहीं छोड़ना था	25760	शून्य
5.	मै. भारती टेलीनेट (मध्य प्रदेश)	30.9.1997	5500 (30.9.1999 तक)	5500 (30.9.1999 तक)	5500 (30.9.2000 तक)	16500	315
6.	मै श्याम टेलीलिंक (राजस्थान)	04.3.1998	7439 (04.3.1999 तक)	10629 (4.3.2000 तक)	13766 (4.3.2001 तक)	31834 (36727)**	51
	कुल		40651	37889	19266	97806	366

* सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) के लिए प्रतिबद्ध लक्ष्यों तथा निविदा में इंगित सुविधारहित गांवों की संख्या के आंकड़ों के मद्देनजर बोली/निविदा दस्तावेजों के आधार पर संपूर्ण अर्थों में।

** राजस्थान सेवा क्षेत्र में लाइसेंसधारक की 36727 की प्रतिबद्धता के मुकाबले केवल 31834 गांव ही सुविधारहित हैं।

नदियों में प्रदूषण

1226. डा॰ अशोक पटेल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने नदियों में संदूषित जल छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या मद्यनिर्माणशालाओं ने सभी नियमों और विनियमों की अनदेखी करते हुए भूजल को संदूषित करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे भूमि की उर्वरता खत्म हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यावरणीय प्रदूषण और भूमि कटाव को रोकने के उद्देश्य से ऐसी मद्यनिर्माणशालाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अनुसार, नदी में निर्धारित मानकों से अधिक बहिस्रावों के विसर्जन की अनुमति नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर इस आशय के आदेश भी पारित किए हैं।

(ख) से (घ) यह सच है कि कई डिस्टिलरियों ने भूमि पर शोधित बहिस्रावों का विसर्जन करना शुरू कर दिया है। भूमिगत जल के संदूषण तथा मृदा की उर्वरकता की क्षति को रोकने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डिस्टिलरी के शोधित बहिस्रावों का सिंचाई के लिए उपयोग वैज्ञानिक तरीके से करने के बारे में एक प्रोटोकोल तैयार किया है। यदि शोधित बहिस्रावों का सिंचाई के लिए उपयोग प्रोटोकल के अनुसार किया जाता है तो भूमिगत जल प्रदूषण तथा मृदा की उर्वरकता की क्षति की कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया गया है कि वे इसकी निगरानी करें और जहां उद्योगों द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक बहिस्रावों का विसर्जन किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डिस्टिलरी इकाइयों की निगरानी भी की जा रही है। 30 सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार, कुल 177 डिस्टिलरियों में से सूचना मिली है कि 134 डिस्टिलरियों में उत्सर्जन मानकों का पालन करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, 32 इकाइयों को बंद कर दिया गया है और शेष 11 दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

मशरूम की खेती

1227. श्री जी. वे. जावीया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आठवीं योजना के दौरान मशरूम की खेती की योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक पुष्प कृषि को योजना के अंतर्गत भी सहायता उपलब्ध करा रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान गुजरात को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15.68 करोड़ रुपये के परिव्यय से खुम्बी की खेती पर केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम शुरू की है। खुंबी की खेती में किसानों को प्रशिक्षण, तथा पास्चरीकृत कम्पोस्ट तथा पलाण्डक (स्पॉन) उत्पादन इकाइयों की स्थापना इस स्कीम के मुख्य घटक हैं।

(ग) और (घ) देश में खुंबी की खेती के विकास और पुष्पकृषि के लिए भारत सरकार अलग से स्कीमें चला रही है। पिछले दो वर्ष में इन स्कीमों के तहत गुजरात को दी गई सहायता निम्नवत् है।

(लाख रु०)

	पुष्पकृषि	खुम्बी
1998-99	0.0	0.0
1999-2000	6.65	29.80

जस्ते की खपत

1228. श्री प्रभात सामन्तराव: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जस्ते की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक देश में जस्ते की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ग) जस्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हां।

(ख) देश में, इस समय, जस्ते की प्रति व्यक्ति खपत 0.26 कि० ग्रा० प्रतिवर्ष होने का अनुमान है और इसके गत तीन वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष	प्रति व्यक्ति खपत किलाग्राम में
1997-98	0.242
1998-99	0.243
1999-2000	0.254

(ग) से (ङ) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच. जैड. एल.) आंध्र प्रदेश में विजाग प्रगालक और राजस्थान में देबारी प्रगालक प्रत्येक की मौजूदा संस्थापित क्षमताओं को 10,000 टन प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा रहा है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की कपासन, चितौड़गढ़ (राजस्थान) में 1,00,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एक नए जस्ता प्रगालक को स्थापित करने की योजना है।

[हिन्दी]

कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान

1229. डा० बलिराम: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली और मुम्बई में कार्यरत और सवानिवृत्ति के बाद दूरसंचार विभाग की पेंशन का विकल्प देने वाले समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों को पेंशन कौन-सा निकाय देगा; और

(ख) इन्हें पेंशन का भुगतान किस लेखे के अंतर्गत किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ग्रुप "ग" और "घ" के कर्मचारी जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में आमेलिज हो गए हैं और जिन्होंने सरकारी पेंशन का विकल्प दिया है, उन्हें पेंशन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी।

सरकारी कर्मचारी के एम टी एन एल में स्थानान्तरण की तारीख तक की सेवा के लिए, सरकार अपनी पेंशन संबंधी देयताओं का निर्वहन करेगी, अर्थात् सेवा के लिए प्रा-रैटा पेंशन/सेवा अनुदान/टर्मिनल अनुदान और डी सी आर जी के संबंध में एक बार में एक मुश्त धनराशि का भुगतान करेगी। उन कर्मचारियों के संबंध में जो एम टी एन एल में डीम्ड डेपुटेशन की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें सरकारी खातों से पेंशन प्रदान की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, दिल्ली और मुम्बई में स्थित संबंधित डॉट सैल द्वारा एक प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।

(ख) उन कर्मचारियों के संबंध में जिन्हें एम टी एन एल में आमेलित किया गया है, पेंशन का भुगतान एम टी एन एल द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, एम टी एन एल द्वारा पेंशन फंड का सृजन भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा।

उन कर्मचारियों के संबंध में जो एम टी एन एल में डीम्ट-डेपुटेशन की अवधि के दौरान सेवा निवृत्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार उनकी पेंशन का भुगतान सरकारी खातों से करेगी। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, जिस अवधि में कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवारत रहे हैं उस अवधि के संबंध में एम टी एन एल द्वारा आनुपातिक अंशदान किया जाएगा।

[अनुवाद]

दूरसंचार और डाक सेवाओं में सुधार

1230. **श्री पी॰ डी॰ एलानगोवन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दूरसंचार और डाक सेवाओं में सुधार हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार और विशेषकर तमिलनाडु में कितने तारघर, दूरसंचार केन्द्र ईएमटी सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं;

(घ) देश में इन सेवा केन्द्रों से राज्यवार कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान देश में नए तारघर और "वी एस ए टी" स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख)

दूरसंचार विभाग

जी हाँ। देश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के नवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में ये परिकल्पनाएं की गई हैं:

(1) मियाद समाप्त तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पुराने स्विचों को डिजिटल स्विचों से बदलना

(2) स्थानीय नेटवर्क में वायरलैस इन लोकल लूप, हाइब्रिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (एच डी एस एल) एसिमिट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (एडीएसएल) तथा ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी आरम्भ करना।

(3) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए बेहतर तथा विश्वसनीय प्रौद्योगिकियां आरंभ करना।

(4) सभी एक्सचेंजों के पास विश्वसनीय माध्यम होना चाहिए।

(5) इंटरनेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए पर्याप्त बैंड-विड्थ उपलब्ध करना।,

(6) पहले एस एस ए स्तर पर, तथा फिर डी एच क्यू स्तर पर इंटरनेट नोड स्थापित करना।

(7) आई एस डी एन (इंटिग्रेटिड सर्विसिज डिजिटल नेटवर्क) सुविधा प्रदान करना। डी एच क्यू स्तर तक आई एस डी एन सेवाएं आरंभ करने की योजना बनाई गई है, बशर्ते मांग उपलब्ध हो।

(8) पहले चरण में 9 प्रमुख शहरों का तथा दूसरे चरण से पूरे देश को आई एन (इंटेलिजैट नेटवर्क) सवाएं प्रदान करना।

डाक विभाग

(क) और (ख) जी हाँ। सरकार ने डाक विभाग में विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रयोग आरंभ कर दिया है जैसे सभी प्रकार के लेन-देन के लिए सिंगल विंडो कॉन्सैप्ट के साथ महत्वपूर्ण डाकघरों में कम्प्यूटर पर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित करना। मुम्बई और चेन्नई में ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 77 वी सैट संस्थापित कर दिए गए हैं और 62 और स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस समय मनी ट्रांस्फर के लिए वी सैट का प्रयोग किया जा रहा है और अंतत: वी सैट नेटवर्क डाक विभाग का इंटरनेट हो जाएगा।

(ग) टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीकॉम केन्द्र, ई एम टी सेवा केन्द्र तथा बी फैक्स क्रन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण I में दी गई हैं।

(घ) देश में इन सेवा केन्द्रों से प्राप्त राजस्व का उल्लेख संलग्न विवरण II में किया गया है।

(ङ) और (च)

दूरसंचार विभाग

टेलीकॉम नेटवर्क के विस्तार तथा एस टी डी और फैक्स सुविधाओं का आरम्भ होने के साथ, टेलीग्राफ की मांग धीरे-धीरे कम हो रही है। इसलिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। टेलीग्राफ सुविधा, मांग तथा औचित्य के अनुसार प्रदान की जाती है।

वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के लिए देश में स्थापित किए जाने के लिए योजित एम सी पी सी-वी सैट का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

डाक विभाग

जी हाँ। वर्ष 2000-2001 के दौरान 88 वैरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी सैट) संस्थापित किए जाने हैं। 2001-2002 के दौरान कोई वी सैट प्रस्तावित नहीं किए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 1999-2000 के दौरान कार्यरत तारघरों, दूरसंचार केन्द्रों, ईएमटी सेवा केंद्रों तथा बी फैक्स केंद्रों की संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	तारघरों का संख्या	दूरसंचार केन्द्रों की सं.	ईएमटी केन्द्रों की सं.	बी फैक्स केन्द्रों की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार	1	0	0	2
2.	आंध्र प्रदेश	117	199	53	167
3.	असम	29	12	0	27
4.	बिहार	59	43	0	83
5.	दिल्ली (एनटीआर)	27	23	0	33
6.	गुजरात (दादर नगर हवेली, दमन और दीव)	40	1	0	48
7.	हरियाणा	17	11	0	22
8.	हिमाचल प्रदेश	13	14	9	25
9.	जम्मू और कश्मीर	9	5	0	11
10.	कर्नाटक	69	27	0	82
11.	केरल	39	99	20	135
	1. लक्षद्वीप				
	2. पांडिचेरी (मेह)				
12.	मध्य प्रदेश	67	81	0	81
13.	महाराष्ट्र (गोवा)	99	42	43	121
14.	उत्तर पूर्व	13	14	0	13
	1. त्रिपुरा				
	2. मिजोरम				
	3. ए. पी.				
	4. मेघालय				
	5. मणिपुर				
	6. नागालैण्ड				
15	उड़ीसा	30	7	0	29
16.	पंजाब (चंडीगढ़)	27	18	0	36
17.	राजस्थान	47	50	0	94
18.	तमिलनाडु (पांडिचेरी)	108	100	40	213
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	69	132	0	75
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	49	81	0	75
21.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम)	44	19	0	56
	कुल	973	978	156	1428

विवरण II

वर्ष 1998-1999 में तारघरों, दूरसंचार केन्द्रों, ईएमटी सेवा केंद्रों तथा बी फैक्स केंद्रों से प्राप्त राजस्व

(रु. हजारों में)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	तारघर तथा दूरसंचार केन्द्र	ई एम टी केन्द्र	बी फैक्स केंद्र
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	629	-	214
2.	आंध्र प्रदेश	83621	6659	8826
3.	असम	11081		3110
4.	बिहार	13606	-	2655
5.	दिल्ली (एनटीआर)	38001	-	266
6.	गुजरात (दादर नगर हवेली, दमन और दीव)	22608		3666
7.	हरियाणा	6508	-	4331
8.	हिमाचल प्रदेश	3450	-	2922
9.	जम्मू और कश्मीर	5028	-	1355
10.	कर्नाटक	43611	-	8901

1	2	3	4	5
11.	केरल	18336	26	16351
	1. लक्ष द्वीप			
	2. पांडिचेरी (मेह)			
12.	मध्य प्रदेश	21890	-	4115
13.	महाराष्ट्र (गोवा)	92772	413	11230
14.	उत्तर पूर्व	5361	-	1713
	1. त्रिपुरा			
	2. मिजोरम			
	3. ए. पी.			
	4. मेघालय			
	5. मणिपुर			
	6. नागालैण्ड			
15	उड़ीसा	9798	-	3031
16.	पंजाब (चंडीगढ़)	15059	-	2674
17.	राजस्थान	23865	-	4538
18.	तमिलनाडु (पांडिचेरी)	99890	3136	17444
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	16679	-	3621
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	13803	-	5144
21.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम)	16285	-	6351
	कुल	561881	10234	112458

विवरण III

आयोजित एमसीपीसीवीएसएटी

क्र. स	सर्किल	2000-01	2001-02
1.	हिमाचल प्रदेश	18	13
2.	जम्मू और कश्मीर	12	32
3.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	7	25
4.	राजस्थान	20	
5.	आंध्र प्रदेश	20	
6.	केरल	6	4
7.	कर्नाटक	6	10
8.	महाराष्ट्र		28
9.	मध्य प्रदेश	24	5
10.	बिहार	5	11
11.	सिक्किम	1	5
12.	उत्तर पूर्व	45	57
13.	तमिलनाडु		3
14.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		5
	कुल	164	198

कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए सहायता

1231. **श्री अनादि साहू:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा के जनजातीय गांवों के कुटीर ज्योति कार्यक्रमों के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए जनजातीय उपयोजना में कितनी धनराशि मंजूर की गयी;

(ख) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान शेष जनजातीय गांवों में विद्युतीकरण के लिए उड़ीसा को पर्याप्त धनराशि को मंजूर करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों के घरों मे एकल-बिंदु बिजली का कनेक्शन प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों को अनुदान सहायता प्रदान करती है। आरईसी ने कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत 1997-98 के दौरान उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को 1.4 करोड़ रु० स्वीकृत किए हैं। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड/ग्रिडको ने 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आरईसी को वित्त-पोषण हेतु कोई स्कीम प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) चूंकि उड़ीसा एक एमएनपी राज्य है इसलिए आदिवासी गांवों सहित ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु निधियां चालू वित्तीय वर्ष से सीधे ही राज्य को प्रदान कर दी जाएगी। 2000-01 के दौरान इस उद्देश्य हेतु उड़ीसा के लिए 11.33 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव रखा गया है।

[हिन्दी]

दालों का उत्पादन

1232. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दालों की उत्पादन दर तत्संबंध में विश्व की औसत उत्पादन दर से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में दालों के उन्नत बीज विकसित नहीं किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने दालों के उन्नत बीज विकसित करने हेतु अनुसंधान संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) वर्ष 1998-99 में दलहन की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन दर 622 कि. ग्रा. हे. रही है, जबकि विश्व में यह उत्पादन दर 834 कि. ग्रा. थी। बहरहाल, पिछले कुछ वर्षों में दलहनों की कई उन्नत किस्में विकसित की गयी हैं। देश में दलहन उत्पादकता में वृद्धि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विकसित उन्नत किस्मों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना के दौरान, विभिन्न कृषि विद्यालयों में स्थित कई केन्द्रों में सुधार किया गया है ताकि दलहन की उन्नत किस्मों के विकास के प्रति शोध कार्यों पर प्रकाश डाला जा सके। इसके अलावा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर को आधारभूत और रणनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ किया गया है जिससे कि दलहन की उन्नत किस्मों के विकास में मदद मिल सके।

विवरण

दलहनों की विकसित रोग प्रतिरोधी किस्में

दलहनी फसल	रोग	रोग प्रतिरोधी किस्में
सफेद चना	विल्ट	जेजी-315, 6-82-2, अवरोधी, पल्स ज-5, केडब्लूआर 108, डीसीपी 92-3, जी 74, विजय, आईसीवी 10 जीपीएफ 2, विशाल, 11355, पूसा 212, जी 543, बीजी 244, आईसीसीसी 32
	ब्लाइट	गौरव, सी 235, जीएनजी 146, बीजी 261, पीबीजी 1
	रूट रोट	एच 355
अरहर	विल्ट	बीडीएन 1 और 2, सी 11, टीटी 6, आईसीपी 8863 (मारूथी), आशा, बीएसआर 736, डोए 11
	स्टरलिटि मोसाइक	बहार, डीए 11, एचवाई 3 सी, पूसा 9, आईसीपीएल 366
	अलटरनारिया ब्लाइट	डब्लू बी 20 (105), पूसा 9, डीए 11
	विल्ट+स्टरलिटिमोसिक	आशा (आईसीपी 87119)
मूंगबीन	येलो मोसिक वायरस	पन्त मूंग, 1,2,3,4 नरेन्द्र मूंग 1, पीडीएम 11, पीडीएम 54, एमएल 5, एमएल 131, एमएल 267, एमएल 337
	पाउडरी मिल्डयू	एमएलु 131, सीओजी 4, साबरमती, एचयूएम 1, टीएआरएम 1, पूसा 9072, पूसा 105 पंत मूंग 1 और 3, एमएल 131, पीसूएसए 105
उरदबीन	येलो मोसिक वायरस	पीडीयू-1, पंत यू-19, पंत यू 30, यूजी-218, नरेन्द्र उरद 1
	पाउडरी मिल्डयू	एलबीजी 17, एलबीजी-402, कोबीजी-5, डब्लूबीयू-108
मटर	पाउडरी मिल्डयू	रचना, पंत पी-5, एचएफपी-4, एचयूपी 2, डीएमआर-7 डीएमआर-11, सिखा, जेजी-885, एचएफपी-8909
मसूर	रस्ट	पंत एल-406, पंत एल-639, डीपीएल-15, डीपीएल-62, पंत एल-77-12, पंत एल-4
	विल्ट	पंत-72-12

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में खनिज भंडारों के लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) द्वारा सर्वेक्षण

1233. डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों के विशाल भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी आई सी) ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य मे खानों के समुचित दोहन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों के विशाल भंडार हैं और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) लम्बे समय से राज्य में खनिज गवेषण का कार्य कर रहा है।

(ग) मध्य प्रदेश में जी. एस. आई. द्वारा अनुमानित कुछ खनिजों के भण्डार निम्न प्रकार हैं:

खनिज	भण्डार
बेराइट्स	207000 टन
बाक्साईट	47 मिलियन टन
ग्रेनाइट	241,78,125 क्यूबिक मीटर
कैलसाइट	0.45 मिलियन टन
चाईना क्ले	18 मिलियन टन
कोल	14360.08 मिलियन टन
कॉपर	240.4 मिलियन टन
हीरा	1001146 कैरेट्स
डोलोमाइट	1283.39 मिलियन टन
फेल्सफार	45774 टन
फायर क्ले	102.205 मिलियन टन
फूलर्स अर्थ	0.117 मिलियन टन
गलेना	44000 टन
ग्रेफाइट	10128 टन
जिप्सम	686 टन
आयरन और	124.408 मिलियन टन
लाइम स्टोन	3089.05 मिलियन टन
मैंगनीज	25.65 मिलियन टन
रेल ओकर	235219 टन
येलो ओकर	256706 टन
फोसफोराइट	40.66 मिलियन टन
पाइरोफाइलाइट	1.32 मिलियन टन
क्वार्टज	0.6. मिलियन टन
जिंक ओर	3.61 मिलियन टन

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) मे यथापरिभाषित कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतगर्त बनाए गए नियमों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खनिज भण्डारों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

दलहनों का उत्पादन, मांग और आपूर्ति

1234. श्री जोरा सिंह मान:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दलहनों की मांग और आपूर्ति के बीच बड़े अन्तर को देखते हुए दलहनों का उत्पादन बढाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश को दलहनों में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दलहनों के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बना हुआ है। दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलायी जा रही है जिसमें 305 जिले कवर किये गये हैं। इस स्कीम में राज्यों को प्रमाणित बीजों का उत्पादन और संवितरण करने, बीज मिनी किट, राइजोबियम कल्चर, सिंप्रकलर सेट, और उन्नत फार्म उपस्करों आदि के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने की परिकल्पना है। इसके अलावा, देश में दलहनों के उत्पादन

को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत उत्पाद और संरक्षण प्रौद्योगिकी का किसानों के खेतों तक अंतरण करने के लिए किसानों के खेतों में प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है और किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नौवीं योजना में अर्थात् 2001-2002 में योजना आयोग ने 16.5 मिलियन मी. टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की गयी है। मुख्य जोर निम्नलिखित के माध्यम से दलहनों की उत्पादकता को बढ़ाने पर यथा-

(1) उच्च उत्पादक किस्मों के उन्नत बीजों का उपयोग

(2) सल्फर का प्रयोग

(3) समेकित पोषक एवं कीट प्रबन्ध और अरहर तथा चना में पाड बोरर पर नियंत्रण करने के लिए एन. पी. बी. का प्रयोग

(4) स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग।

[अनुवाद]

एग्रीकल्चर स्टेब्लाइजेशन फंड

1235. **श्री आर. एस. पाटिल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक मे डी.डी.सी. बैंकों की सहायता करने हेतु एग्रीकल्चर स्टेब्लाईजेशन फंड की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत ऋण और राजसहायता के रूप में दो सौ लाख रुपये मंजूर करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि स्कीम के अंतर्गत ऋण और अनुदान की स्वीकृति हेतु 8.9.2000 को 100.00 लाख रुपये का एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) कृषि ऋण स्थरीकरण निधि स्कीम को वर्ष 2000-2001 में 'मैक्रो मैनेजमेण्ट मोड' मे मिला दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत धन की निर्मुक्ति हेतु राज्य सरकारों को अपनी कार्ययोजना में इस घटक को शामिल करना जरूरी है।

केरल में नदियों में प्रदूषण

1236. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में बहुत सी नदियां औद्योगिक बहि:स्राव के कारण प्रदूषित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) केरल में नदियों/झीलों के निकट स्थित कुल 36 अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों को 1997 में दोषी पाया गया था। इन औद्योगिक इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:

मद्य निर्माणाशाला	5	रेयन	1
लुग्दी एवं कागज	5	तेल शोधक	1
रसायन	5	कीटनाशक	1
खाद्य पदार्थ एवं सब्जी	4	जिंक	1
वस्त्र	2	कास्टिक सोडा	1
उर्वरक	2	खनिज संसाधन	1
पेट्रो-रसायन	3	चीनी	1
चर्मशाला	2	मानव निर्मित फाइबर	1

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने दोषी उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में जल अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किए थे। कुल 36 उद्योगों में से 32 उद्योगों ने अपेक्षित बहि:स्राव शोधन सुविधाओं की व्यवस्था कर ली है और शेष चार इकाइयां बन्द पड़ी हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजी कारखानों द्वारा पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन

1237. **श्रीमती जसकौर मीणा:**
श्री वाई॰ जी॰ महाजन:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में निजी कारखाने पर्यावरण सबधी नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कितने कारखानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 2000 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों की श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले 11 निजी उद्योगों (बड़े और मध्यम) को दोषी इकाइयों के रूप में निर्धारित किया गया है। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

बिहार-1, गुजरात-1, हरियाणा-1, कर्नाटक-1, मध्य प्रदेश-4, उड़ीसा-1, उत्तर प्रदेश-1, और पश्चिम बंगाल-1

(ग) पर्यावण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान 168 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले बड़े और मध्यम आकार के उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दोषी इकाइयों की कड़ी निगरानी करने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने से पता चलता है कि अब केवल 57 इकाइयों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाना है।

(घ) और (ङ) उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम/अपनाए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(i) सरकार ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियां निर्धारित की हैं, जिन्हें नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है, जाकि वे निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त उपाय करें।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अचानक निरीक्षक हेतु एक "पर्यावरणीय चौकसी दस्ता" बनाया गया है।

(iii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दोषी इकाइयों की मानीटरी करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

[अनुवाद]

संयुक्त वन प्रबंध

1238. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने संयुक्त वन प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का कार्य ऐसे निकाय को सौंपा है जिसमें विश्व बैंक और पांच अन्य विदेशी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन प्रतिनिधियों में से कितने प्रतिनिधि प्रामाणिक पर्यावरणीक हैं अथवा जमीनी वास्तविकता से अभ्यस्त विशेषज्ञ हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, नहीं। संयुक्त वन प्रबंधन की मानीटरिंग मंत्रालय के संयुक्त वन प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है। व्यापक स्तर पर परामर्श तथा सभी "स्टेक होल्डरों" से सूचना प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक संयुक्त वन प्रबंधन नेटवर्क की स्थापना की है। इस नेटवर्क के सदस्य संयुक्त वन प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठन, शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषक संगठनों के प्रतिनिधि हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

खजुराहो में हीरे की खुदाई संबंधी गतिविधियां

1239. **श्री के॰ येरननायडू:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के खजुराहो में हीरे की खुदाई संबंधी गतिविधियाँ आरम्भ हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खजुराहो मंदिर की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्य के छत्तरपुर जिले के खजुराहो क्षेत्र में, हीरे के लिए कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान नहीं किया गया है और न ही उक्त क्षेत्र में हीरे की खुदाई संबंधी कोई कार्यकलाप आरम्भ किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का लक्ष्य

1240. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चालू वर्ष के लिए अपारंपरिक ऊर्जा-स्रोतों के उपयोग का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान महाराष्ट्र के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता का आबंटन किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामों में इन स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन): (क) और (ख) समूचे देश में, काफी सारे अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम कार्यन्वित किए जा रहे हैं। चालू वर्ष के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्य संलग्न विवरण I दिए गए हैं। राज्य-वार लक्ष्य केवल बायोगैस, उन्नत चूल्हा तथा सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों के लिए आवंटित किए जाते हैं और चालू वर्ष के लिए ये लक्ष्य संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए क्रमशः 8.20 करोड़ रु० तथा 16.09 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई है। चालू वर्ष 2000-2001 के दौरान, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के लिए 5.42 करोड़ रु० की धनराशि रिलीज की गई है।

(घ) बायोगैस संयंत्र, उन्नत चूल्हा, सौर चूल्हा, तथा बायोमास कार्यक्रम मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अलावा गांवों में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए उदार ऋणों सहित विभिन्न राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक, प्रिंट एवं डाक मीडिया के माध्यम से भी जन जागरूकता पैदा की जा रही है। विभिन्न प्रणालियों एवं युक्तियों की स्थापना, रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य में महिलाओं सहित लोगों की सहभागिता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण ऊर्जा उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

विवरण I

वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित कार्यक्रम-वार वास्तविक लक्ष्यों के विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम	वास्तविक लक्ष्य
1.	बायोगैस	1,80,000 सं.
	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	400 सं.
2.	उन्नत चूल्हा	20 लाख सं.
3.	बायोमास/गैसीफायर	7 मे. वा.
4.	समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)	550 जिले
5.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम (एसएडीपी)	36 सं.
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम	
	एसपीवी घरेलू रोशनी प्रणालियाँ	50000 सं.
	एसपीवी लालटेन	70000 सं.
	एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियाँ	3000 सं.
	एसपीवी विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियाँ	275 कि. वा. पी
7	एसपीवी पंप	700 सं.
8	सौर तपीय (एसटी) ऊर्जा	
	घरेलू सौर जल तापन प्रणालियाँ	35000 वर्गमी संग्राहक क्षेत्र
	सौर कुकर	35000 सं.
9.	पवन पंप	200 सं.
10	लघु एरोजनरेटर एवं हाईब्रिड प्रणालियां	60 कि. वा.
11.	पवन विद्युत	200 मे. वा.
12	लघु पनबिजली (एसएचपी) एसएचपी परियोजना	40 मे. वा
	नवीनीकरण एवं रखरखाव	20 मे. वा.
	पन चक्कियाँ	200 सं.
13	बायोमास विद्युत	60 मे. वा.
14	सौर विद्युत	300 कि. वा.
15	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	10 मे. वा.

मे. वा= मेगवाट, कि. वा.= किलोवाट, वर्गमी. =वर्ग मीटर

विवरण II

वर्ष 2000-2001 के लिए आवंटित राज्यवार लक्ष्य

क्र. सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस (सं.)	एनपीआईसी (सं. लाख में)	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम		
				सौर लालटेन (सं.)	घरेलू रोशनी प्रणाली (सं.)	सड़क रोशनी प्रणाली (सं.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	25300	1.50	3,000	100	50
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	0.05	1,000	200	-
3.	असम	750	0.20	200	200	20
4.	बिहार	1000	0.25	8,000	1,000	200
5.	गोवा	300	-	100	-	-
6.	गुजरात	8000	0.90	6,000	1,000	100
7.	हरियाणा	2500	0.60	5,000	4,000	200
8.	हिमाचल प्रदेश	650	0.06	2,000	2,500	300

1	2	3	4	5	6	7
9.	जम्मू और कश्मीर	200	0.60	2,000	3,000	-
10.	कर्नाटक	20,000	0.60	1,500	1,000	100
11.	केरल	1500	0.75	4,000	5,450	100
12.	मध्य प्रदेश	14,000	0.50	-	-	-
13.	महाराष्ट्र	12,000	1.15	1,500	250	150
14.	मणिपुर	600	0.05	500	200	-
15.	मेघालय	300	0.05	600	500	-
16.	मिजोरम	400	0.075	2,500	-	-
17.	नागालैण्ड	800	0.075	300	200	50
18.	उड़ीसा	10,000	1.70	2,500	2,000	600
19.	पंजाब	6,500	0.65	3,500	800	400
20.	राजस्थान	750	0.30	-	5,000	300
21.	सिक्किम	600	0.05	100	50	
22.	तमिलनाडु	2,000	0.60	2,000	50	100
23.	त्रिपुरा	250	0.05	6000	100	60
24.	उत्तर प्रदेश	10,000	1.75	5,000	5,000	100
25.	पश्चिम बंगाल	15,000	3.75	50	2,450	100
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	0.012	300	200	20
27.	चण्डीगढ़	-	-	600	125	-
28.	लक्षद्वीप	-	0.002	-	-	-
29.	पाण्डिचेरी	10	0.03	-	-	-
30.	अन्य	46,590	3.56	17,750	6,925	50
	कुल	1,80,000	20.00	76,000	40,050	3000

एनपीआईसी - राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम।

[अनुवाद]

खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन

1241. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 1.2 मिलियन टन तक कम होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत वर्ष की तुलना में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन कम हुआ है; और

(घ) खरीफ कर उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, हां। 2000-01 और 1999-2000 के दौरान खरीफ खाद्यान्न फसलों का उत्पादक क्रमश: लगभग 102.65 मिलियन टन और 103.90 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह कमी मौसम सम्बन्धी गड़बड़ी के कारण आयी है।

(घ) सरकार द्वारा खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए, कई कदम उठाये जा रहे हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें शामिल हैं - चावल/गेहूँ/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और बीज मिनीकिट स्कीम का क्रियान्वयन। इस परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को उच्च उत्पादक किस्मों के बीजों का प्रयोग करने, समेकित कीट प्रबन्ध अपनाने, वैज्ञानिक जल प्रबन्ध का प्रचार-प्रसार करने जिसमें लघु सिंचाई तथा उन्नत फार्म उपस्करों का प्रयोग शामिल है, के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा किसानों के खेतों पर प्रदर्शनों, जिसमें किसानों तथा कृषि मजदूरों का प्रशिक्षण भी शामिल है, का प्रौद्योगिकी के कारगर अंतरण के लिए आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों को पानी की कमी वाले

क्षेत्रों में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को पैदा करने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। उनसे सूखा/बाढ़ की स्थितियों का सामना करने के लिए आकस्मिक योजना तैयार करने के लिए भी आग्रह किया गया है।

[हिन्दी]

वाहनों पर साइरन और लाल बत्तियों का प्रयोग

1242. **डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन सी श्रेणी के व्यक्ति अपने वाहनों पर साइरन और लाल बत्तियों का प्रयोग करने के पात्र हैं;

(ख) क्या बहुत से व्यक्ति अनधिकृत रूप से अपने वाहनों पर साइरन और लाल बत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगा और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) इस समय यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

1243. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए॰ वेंकटेश नायक:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन खंडीय स्वीकृति के लिए सरकार को महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से राज्य-वार प्राप्त छोटी, मध्यम और बड़ी सिंचाई और अन्य परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) इनमें से राज्य-वार स्वीकृत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं और प्रत्येक के लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सिंचाई और अन्य विकास योजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर रखने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से वानिकी और पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए उनकी वर्तमान स्थिति सहित 1997, 1998 और 1999 में प्राप्त सभी सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत सूची क्रमश: भाग "क" और भाग "ख" के रूप में संलग्न विवरण में दी गई है। अन्य राज्यों तथा अन्य वर्गों से संबंधित परियोजनाओं की सूची न केवल लम्बी है बल्कि बोझिल भी है। इसलिए इस सूचना का संक्षिप्त सार संलग्न है। सभी राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति विवरण के भाग (ग) और (घ) में दे दी गई हैं। सिंचाई परियोजनाओं सहित सभी परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति का संक्षिप्त विवरण विवरण के भाग (ङ) और (च) में दिया गया है।

(घ) विवरण के भाग (ङ) के अनुसार 2953 प्रस्तावों में से केवल 355 प्रस्ताव वानिकी स्वीकृति के निर्णय के लिए लम्बित पड़े हैं। अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त/आवश्यक ब्यौरे न भेजने के कारण लम्बित पड़ी हुई हैं क्योंकि प्रस्ताव अपूर्ण हैं।

इस प्रकार अतिरिक्त सूचना न मिलने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति विवरण के (भाग च) की 344 परियोजनाओं में से केवल 9 लम्बित पड़ी हुई हैं। अत: जब तक राज्यों/परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना नहीं मिलती तब तक परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ङ) और (च) जी, नहीं। देश की पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति दी जाती है।

विवरण

क. महाराष्ट्र से प्राप्त लघु, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की वानिकी स्वीकृति की स्थिति

क्र॰ सं॰	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष	वर्तमान स्थिति
1.	लोनी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिला नांदेड़	67.71	1999	6.8.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
2.	झांसीनगर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, बांद्रा	31.350	1999	28.8.00 को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित
3.	भौंदकी न्यू माइनर इरिगेशन टैंक, बांद्रा	25.10	1999	16.3.99 को अस्वीकृत

क्र० सं०	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष	वर्तमान स्थिति
4.	जलगांव में काग नदी पर माइनर इरिगेशन टैंक	150.00	1999	22.5.00 को अस्वीकृत
5.	बांद्रा में लेनदीजारी माइनर इरिगेशन टैंक	21.04	1999	31.3.99 को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित
6.	गादचिरोलि में तुलतुलि प्रोजेक्ट	2228.06	1999	3.8.99 को अस्वीकृत
7.	तालामबा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंधदुर्ग	367.11	1999	राज्य से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए
8.	मालसेज घाट पम्पड़ स्टोरेज स्कीम थाणे	73.949	1999	3.7.00 को अस्वीकृत
9.	हातिगोटा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट चन्द्रापुर	800.67	1999	30.11.99 को अस्वीकृत
10.	उरमोदि इरिगेशन प्रोजेक्ट सतारा	28.62	1999	17.11.00 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
11.	लोवर पांजारा (अलकाइपासीया) प्रोजक्ट धुली	188.00	1999	राज्य से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए
12.	घोषी खुर्द राइट बैंक कनाल, कि. मी. 11-25	121.37	1999	13.7.00 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
13.	लाक्काकोट इरिगेशन टैंक नांदेड़	3.87	1999	10.2.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
14.	बोधा माइनर इरिगेशन टैंक बुलधाना	1.40	1999	12.4.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
15.	उजलेश्वर परकोलेशन टैंक अकोला	0.77	1999	12.4.99 को स्वीकृत
16.	असोली टैंक, बांद्रा	4.00	1999	2.7.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
17.	केशोरी ग्राम टैंक, नागपुर	1.6.88	1999	10.9.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
18.	उपादगाद माइनर इरिगेशन टैंक, बांद्रा	5.60	1999	13.5.99 से राज्य के पास लंबित
19.	थावलखेड़ी, माइनर इरिगेशन टैंक, बांद्रा	8.85	1999	12.4.99 से राज्य के पास लंबित
20.	खितादी (गिरोला) माइनर इरिगेशन टैंक, बांद्रा	10.28	1999	13.7.00 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
21.	मनगातोला, माइनर इरिगेशन टैंक, बांद्रा	8.14	1999	12.7.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
22.	कोल्हापुर टाइप स्टोरेज बांद्रा ऑफ खेरकुटी, धुली	0.94	1999	राज्य से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए।
23.	कोल्हापुर टाइप स्टोरेज बांद्रा ऑफ सांगवी धुली	0.97	1999	राज्य से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए।
24.	कतानगाधारा परकलेशन टैंक, नागपुर	5.08	1999	13.7.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
25.	क्वेपार न्यू माइनर इरिगेशन टैंक, नागपुर	15.78	1999	13.7.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
26.	घाट प्रभा मीडियम प्रोजेक्ट, सिंधुदुर्ग	12.00	1999	2.6.99 से राज्य के पास लंबित
27.	जंगहट्टी मीडियम प्रोजेक्ट, कोल्हापुर	6.50	1999	2.9.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
28.	मनगेजी माइनर टैंक, प्रोजक्ट बांद्रा	9.92	1999	2.6.99 से राज्य के पास लंबित
29.	मदान टैंक (पिकअप वेयर) वर्धा	13.90	1999	7.1.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
30.	मनदाना में माइनर इरिगेशन टैंक	51.67	1998	7.1.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
31.	रायगढ़ में नन्दगाँव क्षेत्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	28.56	1998	8.9.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
32.	घोड्डओ इरिगेशन टैंक परियोजना	22.28	1998	31.7.00 को अनुमोदित
33.	चन्द्रपुर में हयूमन रिवर प्रोजेक्ट	2895.02	1998	निर्णय के लिए प्रस्तुत
34.	बांद्रा में गोसिखुर्द आर बी सी 0 से 10 कि. मी.	40.497	1998	13.1.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
35.	वर्धा में लोवर वर्धा मेजर प्रोजेक्ट	122.79	1998	16.3.00 को अनुमोदित

क्र॰ सं॰	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष	वर्तमान स्थिति
36.	काराज खेदा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम	36.095	1998	28.7.00 को अनुमोदित
37.	बांद्रा में ढिकीपर इरिगेशन टैंक परियोजना	4[illegible]	1998	20.6.00 को बंद कर दी गई
38.	बांद्रा में भुरातोला माइनर इरिगेशन टैंक	47.96	1998	3.4.00 को अनुमोदित
39.	बांद्रा में कारदि न्यू माइनर इरिगेशन टैंक	21.00	1998	26.10.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
40.	नागपुर में भिवापुर माइनर इरिगेशन टैंक	47.37	1998	15.3.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
41.	थाने में क्षेत्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम और अरदन डैम कायनाड	36.552	1998	10.11.98 सिद्धांत रूप से अनुमोदित
42.	बेवारताल लघु सिंचाई परियोजना भंडारा	68.49	1998	14.2.00 को अनुमोदित
43.	यवतमाल में कसाला लघु सिंचाई टैंक	42.73	1998	3.3.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
44.	सतारा और पुणे में धोम बालकवाड़ी टनल सिंचाई परियोजना	109.43	1998	राज्य से आवश्यक विवरण मांगा गया है।
45.	चिल्हेवाड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना, पुणे	54.16	1998	26.2.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
46.	लोही लघु सिंचाई टैंक यवतमाल	4.43	1998	12.4.00 को अनुमोदित
47.	जेलुगोड़े लघु सिंचाई टैंक, कोल्हापुर	4.280	1998	9.3.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
48.	टेमघर सिंचाई परियोजना, पुणे	2.42	1998	15.5.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
49.	अरकाल लैफ्ट बैंक कैनाल टन्नल, सतारा	1.17	1998	7.9.99 को अनुमोदित
50.	बंद्री टैंक से कैनाल का निर्माण, जलगांव	0.50	1998	3.7.98 को अनुमोदित
51.	सबोदारा परकुलेशन टैंक, नासिक	4.00	1998	29.10.99 को नामंजूर
52.	सोहाले, कोल्हापुर में कोल्हापुर टाइप वीयर	0.24	1998	17.11.98 को अनुमोदित
53	तरोदा परकुलेशन टैंक, नासिक	3.60	1998	22.10.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
54.	लौंधा नाला परियोजना, कोल्हापुर	4.007	1998	4.1.99 को सिद्धांत रूप में अनुमोदित
55.	ग्वासे लघु सिंचाई टैंक, कोल्हापुर	2.83	1998	24.9.99 को अनुमोदित
56.	तालेगांव लघु सिंचाई टैंक, कोल्हापुर	0.425	1998	14.1.99 को अनुमोदित
57.	नंदौर परकुलेशन टैंक, ठाणे	9.00	1998	21.4.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
58.	कोपरी चपाड़ा लघु सिंचाई स्कीम, ठाणे	12.71	1998	6.6.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
59.	धमनवाड़े लघु सिंचाई टैंक, भंडारा	8.05	1998	27.4.98 को नामंजूर
60.	पौपटखेड़ा लघु सिचांई टैंक, अकोला अमरावती	15.50	1998	अनुमोदित
61.	चुल बैंड मीडियम लोअर सिंचाई परियोजना, भंडारा	16.858	1998	16.4.1999 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
62.	सोनगांव पेध टैंक, भंडारा	13.11	1998	23.7.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
63.	कपाड़ा लघु सिंचाई टैंक, भंडारा	7.67	1998	23.7.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
64.	एलेसुर, लघु सिंचाई टैंक, भंडारा	10.27	1998	23.7.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
65.	कंडवान, लघु सिंचाई टैंक, कोल्हापुर	10.57	1998	23.7.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
66.	पुटाला लघु सिंचाई टैंक भंडारा	6.10	1998	12.7.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
67.	वांग मीडिया सिंचाई परियोजना, सतारा	10.65	1998	12.10.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित

क्र० सं०	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष	वर्तमान स्थिति
68.	लैफ्ट बैंक कार नदी परियोजना, नागपुर	18.09	1998	2.9.99 को अनुमोदित
69.	चिकला लघु सिंचाई टैंक, भंडारा	10.47	1998	28.10.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
70.	पिंडेकपर सिंचाई टैंक, भंडारा	11.50	1998	28.10.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
71.	गुडरू लघु सिंचाई टैंक, भंडारा	8.33	1998	28.10.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
72.	मामालडे परकुलेशन टैंक, जलगांव	5.75	1998	28.10.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
73.	बानेरा लघु सिंचाई टैंक, नागपुर	5.60	1998	30.11.98 को नामंजूर
74.	चक घसौरी लघु टैंक, चन्द्रपुर	12.04	1998	15.12.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
75.	कोणदोषी लघु सिंचाई टैंक, कोल्हापुर	19.57	1998	31.3.1998 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
76.	डैतमंगौली लघु सिंचाई टैंक, भंडारा	17.56	1998	15.4.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
77.	बामणी लघु सिंचाई टैंक, गढचिरौली	10.91	1998	15.1.99 से राज्य के पास लंबित
78.	पिंडकेपार लघु सिंचाई टैंक भंडारा	13.20	1998	2.1.99 से राज्य के पास लंबित
79.	घागा बाजारगांव परकुलेशन टैंक नागपुर	7.53	1998	16.4.99 को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित
80.	कुट्टरवाड़ी लघु सिंचाई टैंक नासिक	8.24	1998	16.4.99 को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित
81.	चोरदीरा सं० 1 लघु सिंचाई टैंक	27.20	1997	25.7.99 को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित
82.	वागजीरा लघु सिंचाई टैंक, जलगांव	25.44	1997	4.3.98 को अनुमोदित
83.	आंध्रा वैली मीडियम सिंचाई परियोजना, पुणे	131.40	1997	23.2.00 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
84.	सपन नदी परियोजना अमरावती	49.54	1997	3.4.00 को अनुमोदित
85.	लाल नल्लाह सिंचाई परियोजना वर्धा	29.83	1997	25.5.00 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
86.	नीलवाडे मेजर सिंचाई परियोजना	383.46	1997	7.5.92 को प्रस्ताव अनुमोदित। यह संशोधित प्रस्ताव है। 23.9.99 को अतिरिक्त सूचना राज्य सरकार से मांगी गई थी। 25.1.00 को अनुस्मारक भेजा गया है।
87.	भौरमल परकुलेशन टैंक, नासिक	2.00	1997	21.10.99 को नामंजूर
88.	गलवाट परकुलेशन टैंक, नासिक	3.00	1997	21.10.99 को नामंजूर
89.	तदाला में लघु सिंचाई टैंक का फीडरर चैनल, चन्द्रपुर	0.740	1997	27.2.97 से राज्य सरकार के पास लंबित । 11.1.00 को अनुस्मारक भेजा गया है।
90.	केलविहीर परकुलेशन टैंक नासिक	2.35	1997	21.10.99 को नामंजूर
91.	जैतखेड़ा परकुलेशन टैंक, औरंगाबाद	2.00	1997	9.4.97 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
92.	कछोरपाड़ा परकुलेशन टैंक नासिक	2.80	1997	9.4.97 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
93.	धुलघाट परकुलेशन टैंक, नासिक	1.90	1997	9.4.97 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
94.	घोटा परकुलेशन टैंक नासिक	0.86	1997	16.5.97 को अनुमोदित
95.	वाय माइनर आई टी प्रौजेक्ट, यवतमाल	0.53	1997	16.5.97 को अनुमोदित
96.	मण्डवाल परकुलेशन टैंक नासिक	0.30	1997	12.6.97 को अनुमोदित

क्र० सं०	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष	वर्तमान स्थिति
97.	कोडवी मीडियम प्रौजेक्ट, कोल्हापुर	2.52	1997	13.11.97 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
98.	सुबकुन्ड परकुलेशन टैंक नागपुर	3.50	1997	17.11.97 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
99.	गंगोथारी टैंक, भण्डारा	5.00	1997	23.10.97 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
100.	कोलाटीपाड़ा परकुलेशन टैंक, नासिक	2.85	1997	5.10.99 से राज्य सरकार के पास लंबित
101.	संलनगटोला कैनाल प्रोजेक्ट, भण्डारा	1.89	1997	12.4.00 को अनुमोदित
102.	वरांभी परकोलेशन टैंक, नासिक	3.25	1997	17.11.97 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
103.	चिंबाले परकोलेशन टैंक, अहमदनगर	1.71	1997	16.12.97 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
104.	वाशी परकोलेशन टैंक, उस्मानाबाद	0.95	1997	17.11.97 को अनुमोदित
105.	माजरी मसाला सिचांई टैंक, अमरावती	4.47	1997	13.4.00 को अनुमोदित
106.	बिलोनी परकोलेशन टैंक, औरंगाबाद	0.94	1997	15.1.98 को अनुमोदित
107.	खापा निपानी परकोलेशन टैंक, नागपुर	1.00	1997	15.1.98 को अनुमोदित
108.	वानोला (पनोला) परकोलेशन टैंक, नान्देड़	1.40	1997	15.1.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
109.	नान्दरी माइनर आई टी, कोल्हापुर	2.18	1997	15.1.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
110.	शेखपुर परकुलेशन टैंक, नागपुर	7.85	1997	29.5.97 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
111.	राडलगांव परकुलेशन टैंक नागपुर	5.20	1997	22.4.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
112.	नानधुरी एम आई, अमरावती	16.53	1997	21.4.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
113.	खम्बाला- परकुलेशन टैंक, धूले	7.00	1997	22.4.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
114.	बाजुरा एम आई, अमरावती	13.16	1997	11.9.98 को अनुमोदित
115.	जनाई श्रोमानी लिफ्ट सिचांई स्कीम, पुणे	14.925	1997	27.4.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
116.	मक्कूटोला एम आई, भंडारा	10.73	1997	5.5.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
117.	नाखाबारदी लिफ्ट सिंचाई प्रोजैक्ट, नागपुर	9.925	1997	राज्य से आवश्यक सूचना मांगी गई है।
118.	सोन्दयाटोला लिफ्ट सिंचाई प्रोजैक्ट, भंडारा	13.3724	1997	15.9.99 को अनुमोदित
119.	मनौली एम आई कोल्हापुर	8.58	1997	27.4.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
120.	फाही एम आई, कोल्हापुर	17.00	1997	13.7.98 को अनुमोदित।
121.	मेघाली एम आई, कोल्हापुर	8.11	1997	13.7.98 को अनुमोदित
122.	भंडारबोदी परकुलेशन टैंक	12.65	1997	12.10.98 को अस्वीकृत
123.	उचंगी सिंचाई टैंक, कोल्हापुर	19.00	1997	6.5.98 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित

ख. महाराष्ट्र से प्राप्त सिंचाई प्रोजैक्टों की पर्यावरणीय मंजूरी की स्थिति

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	लोबर वर्धा सिंचाई प्रोजैक्ट	अधूरे दस्तावेजों के कारण बंद
2.	तिलारी इंटर स्टेट सिंचाई प्रोजैक्ट	अनुमोदित

ग. वानिकी मंजूरी के लिए महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं के उद्धरण

क्रम सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत	सूचना प्राप्ति के लिए अस्वीकृत	लौटाई गई/ राज्य द्वारा वापिस ली गई	मंत्रालय के विचाराधीन	सूचना के लिए राज्य के पास लंबित
1.	असम	1	0	0	0	0	1	0
2.	आंध्र प्रदेश	11	5	1	1	1	2	1
3.	बिहार	5	5	0	0	0	0	0
4.	गुजरात	7	4	2	0	0	0	1
5.	हरियाणा	2	1	0	0	0	0	1
6.	हिमाचल प्रदेश	4	2	0	1	0	0	1
7.	मेघालय	1	1	0	0	0	0	0
8.	पंजाब	2	1	0	0	0	0	1
9.	उड़ीसा	21	17	0	3	0	1	0
10.	मध्य प्रदेश	16	7	4	2	0	0	3
11.	महाराष्ट्र	123	93	11	1	0	2	16
12.	राजस्थान	7	7	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	3	0	3	0	0	0	0
14.	केरल	4	4	0	0	0	0	0
15.	तमिलनाडु	8	6	2	0	0	0	0
16.	उत्तर प्रदेश	13	10	0	2	0	0	1
	कुल	228	163	23	10	1	6	25

घ. वानिकी मंजूरी के लिए महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं के उद्धरण

क्रम संख्या	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत	बंद
1.	असम	2	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	1	1	
3.	हरियाणा	1	1	
4.	उड़ीसा	2	2	
5.	महाराष्ट्र	2	1	1
6.	कर्नाटक	1	1	
7.	उत्तर प्रदेश	2	2	
	कुल	11	9	2

ङ. सिंचाई सहित सभी परियोजनाओं के लिए वानिकी मंजूरी की राज्यवार स्थिति

क्रम सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत	सूचना न मिलने के कारण अस्वीकृत	लौटाई गई/ राज्य द्वारा वापिस ली गई	मंत्रालय के विचाराधीन	सूचना के लिए राज्य के पास लंबित
1.	असम	73	44	0	24	1	4	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	11	0	0	1	0	4
3.	आंध्र प्रदेश	82	40	26	8	3	3	2
4.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8	6	0	0	0	1	1
5.	बिहार	113	63	5	34	2	2	7
6.	दादर व नगर हवेली	70	60	0	0	0	0	10
7.	गुजरात	302	209	44	6	2	4	37
8.	हरियाणा	133	89	4	18	1	0	21
9.	हिमाचल प्रदेश	190	93	10	46	4	2	35
10.	मणिपुर	3	3	0	0	0	0	0
11.	मेघालय	11	10	0	1	0	0	0
12.	मिजोरम	39	37	0	0	0	2	0
13.	चंडीगढ़	7	4	0	0	0	0	3
14.	दिल्ली	3	0	0	0	1	0	2
15.	गोवा	11	6	2	2	0	0	1
16.	पंजाब	227	161	5	42	0	0	19
17.	उड़ीसा	112	88	7	8	2	3	4
18.	मध्य प्रदेश	182	94	44	18	2	7	17
19.	महाराष्ट्र	314	233	22	19	0	5	35
20.	राजस्थान	346	220	34	11	7	49	25
21.	कर्नाटक	89	39	18	24	3	0	5
22.	केरल	28	17	2	7	1	0	1
23.	तमिलनाडु	59	41	4	8	0	1	5
24.	त्रिपुरा	43	38	0	1	0	3	0
25.	सिक्किम	22	16	0	1	0	4	1
26.	पश्चिम बंगाल	15	11	1	1	0	0	2
27.	उत्तर प्रदेश	455	383	19	19	7	0	27
	योग	2953	2016	247	298	37	91	264

च. अन्य परियोजनाओं के लिए राज्यवार पर्यावरणीय मंजूरी

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या		
		प्राप्त	स्वीकृत	लंबित
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	29	1
2.	असम	3	3	-
3.	बिहार	2	1	-
4.	गोवा	16	12	-
5.	गुजरात	33	19	1
6.	हरियाणा	2	2	-
7.	हिमाचल प्रदेश	6	3	-
8.	कर्नाटक	34	23	-
9.	केरल	9	6	1
10.	मध्य प्रदेश	10	5	2
11.	महाराष्ट्र	32	20	2
12.	मणिपुर	1	1	-
13.	मेघालय	1	-	1
14.	मिजोरम	1	-	-
15.	उड़ीसा	17	3	-
16.	पंजाब	9	7	1
17.	राजस्थान	18	15	-
18.	सिक्किम	1	1	-
19.	तमिलनाडु	64	49	-
20.	उत्तर प्रदेश	20	8	-
21.	पश्चिम बंगाल	7	7	-
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10	6	-
23.	दमन व दीव	2	-	-
24.	दादर व नगर हवेली	1	1	-
25.	दिल्ली	4	2	-
26.	लक्षद्वीप	1	1	-
27.	पाण्डिचेरी	1	1	-
28.	अन्य	2	1	-
	योग	344	226	9

सतत कृषि विकास

1244. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सतत कृषि विकास के लिए समेकित डाटा बेस शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सतत कृषि विकास के लिए डाटा बेस के सुदृढ़ीकरण का निर्णय पहले ही ले लिया गया है और यह हाल ही में घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का भाग है। इस उद्देश्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है क्योंकि डाटा बेस का सुदृढ़ीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आपदाओं से हुई क्षति की भरपाई हेतु किसानों को क्षतिपूर्ति

1245. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसानों को हुई क्षति की भरपाई हेतु किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए कौन से प्रशासनिक मानदण्ड विद्यमान हैं;

(ख) क्या उक्त मानदण्ड पुराने हो चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त मानदण्डों की समीक्षा करने का है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप नुकसान/हानियों के लिए सामान्य राहत के अतिरिक्त राहत सहायता हेतु निर्धारित मानदण्डों और दिशानिर्देशों के अनुसार किसानों को फसल हानि होने पर आदान राजसहायता का प्रावधान है।

(ख) से (घ) आपदा राहत कोष से सहायता के मानदण्डों की सामान्य समीक्षा के लिए 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

गुजरात में डाकघर

1246. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र में इस समय कितने डाकघर-कार्यरत हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान और कितने डाकघर खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अभी तक कितने डाकघर खोले जा चुके हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र में इस समय कुल 458 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान बनासकांठा क्षेत्र के लिए एक शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त शाखा डाकघर का खोलना विभागीय मानदंडों के पूरा होने और वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पदों के स्वीकृति के अध्यधीन है।

[अनुवाद]

ट्रांसपोन्डर स्थान के आबंटन के लिए मानदंड

1247. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग (डी॰ ओ॰ टी॰) द्वारा वी सैट की सेवा प्रदान करने वालों को ट्रांसपोन्डर स्थान के आबंटन हेतु मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ख) उक्त सेवा प्रदान करने वालों द्वारा अब तक कितने वी सेट स्थापित किये गये हैं;

(ग) तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) वी-सैट सेवा प्रदाताओं को उनकी माँग-प्रक्षेपणों के अनुसार सुपरिभाषित व सुस्पष्ट नीति के मुताबिक ट्रांसपोंडरों का आबंटन किया जा रहा है। विद्यमान सेवा प्रदाताओं और इन्सैट प्रणालियों में ट्रांसपोंडरों की उपलब्धता के मामले में ट्रांसपोंडरों के उपयोग का आबंटन पहले ही कर दिया गया है।

(ख) 30.9.2000 के अनुसार सेवा प्रदाताओं द्वारा संस्थापित वी-सैट 5228 हैं।

(ग) सेवा प्रदाताओं और वी-सैटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) लाइसेंसधारक अपने-अपने प्रचालनों से अर्जित राजस्व की राशि के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं करते।

विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वी-सैटों की संख्या
1.	मैसर्स एच ई सी एल	1982
2.	मैसर्स आर पी जी एस सी एल	150
3.	मैसर्स कॉमसैट मैक्स	887
4.	मैसर्स भारती बी टी एल	606
5.	मैसर्स टेलीस्ट्रा वी सी एल	295
6.	मैसर्स एचएफ सी एल/एस सी एल	121
7.	मैसर्स एच सी एल/सी एस एस एल	1034
8.	मैसर्स आई टी आई	77
9.	मैसर्स ई एस सी एल	76
	जोड़	5228

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों का संयोजन तथा उन्नयन

1248. **श्री के. पी. सिंह देव:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पर स्थित ढेंकानाल जिला मुख्यालय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 6 पर स्थित क्योंझार जिला मुख्यालय के बीच के मार्ग के संयोजन और उन्नयन के लिए किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पर स्थित ढेंकानाल जिला मुख्यालय को बरास्ता बटगांव कामाख्यानगर सब-डिवीजन से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 पर थित कालीहाट मुख्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर स्थित क्योंझार से जोड़ने की बात भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पी॰ सी॰ ओ॰/एस॰ टी॰ डी॰/आई॰ एस॰ डी॰ बूथों को स्थापित किया जाना

1249. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिलेवार विशेषकर खेड़ी जिले में पी॰ सी॰ ओ॰/एस॰ टी॰ डी॰/आई॰ एस॰ डी॰ बूथ स्थापित किये जाने के कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त आवेदनों को स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) खेड़ी सहित उत्तर प्रदेश दूरसंचार जिला-वार एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ की संस्थापना के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन पत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) एक्सचेंजों का विस्तार और विश्वसनीय माध्यम प्रदान करके विचाराधीन आवेदन पत्रों को निपटाने तथा मांग पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र॰ सं॰	दूरसंचार जिलों के नाम	एसटीडी/आईएसडी पीसीओ की संस्थापना के लिए लम्बित आवेदन पत्रों की सं॰
1	2	3
1	इलाहाबाद	24
2	आजमगढ़	0
3	बहराइच	0
4	बलिया	0
5	बांदा	0
6	बाराबंकी	1
7	बस्ती	1
8	इटावा	0
9	फैजाबाद	0
10	फरूखाबाद	12
11	फतेहपुर	0
12	गाजीपुर	0
13	गोण्डा	0
14	गोरखपुर	9
15	हमीरपुर	6
16	हरदोई	0
17	जौनपुर	23
18	झांसी	0
19	कानपुर	10
20	लखीमपुर (खेड़ी)	0
21	लखनऊ	0
22	मैनपुरी	0
23	मऊ	0
24	मिर्जापुर	0
25	उरई	0
26	प्रतापगढ़	83
27	राय बरेली	0
28	शाहजहांपुर	0
29	सीतापुर	14
30	सुल्तानपुर	30
31	उन्नाव	4
32	वाराणसी	2
33	आगरा	584
34	अलीगढ़	0
35	अल्मोड़ा	10
36	बदायूँ	27
37	बरेली	0
38	बिजनौर	28
39	देहरादून	13
40	एटा	0
41	गाजियाबाद	0
42	मथुरा	0
43	मेरठ	0
44	मुरादाबाद	220
45	मुजफ्फरनगर	143
46	नैनीताल	77
47	पीलीभात	0
48	रामपुर	0
49	सहारनपुर	542
50	श्रीनगर (गढ़वाल)	88
51	उत्तरकाशी	0
52	बुलन्दशहर	35
53	नोएडा	0

दूरसंचार सुविधाएं

1250. श्री वीर सिंह महतो: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ऐसे कितने ब्लाक और पुलिस स्टेशन हैं जहां टेलीफोन सुविधा नहीं है; और

(ख) यह सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) इस समय 6806 ब्लाक मुख्यालयों में से 19 ब्लाक मुख्यालय टेलीफोन सुविधा से नहीं जुड़े हैं। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मांग करने पर प्राथमिकता के आधार पर पुलिस थानों को टेलीफोन उपलब्ध करवाए जाते हैं। सभी शेष ब्लाक मुख्यालयों को इस वित्त के दौरान टेलीफोन से जोड़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

गंगा नदी पर रेल-सड़क/पुल का निर्माण

1251. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुंगेर में गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क/पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गयी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) जी हां। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि मुंगेर में रेल-सह-सड़क पुल के रूप में रेलवे पुल की सर्वेक्षण लागत की भागीदारी के लिए बिहार सरकार से उन्हें एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) प्रत्युत्तर में रेल मंत्रालय ने लागत की भागीदारी के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया था। चूंकि प्रस्तावित पुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर नहीं पड़ता है, इस पर सहमति नहीं हुई थी। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने राइट्स के माध्यम से विस्तृत अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, भू-तकनीकी, जल संबंधी, माडल अध्ययन तथा पुल आकृति संबंधी अध्ययन शुरू कर दिए हैं।

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी॰ एस॰ एन॰ एल॰) द्वारा डब्ल्यू एल॰ एल॰ प्रौद्योगिकी

1252. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी॰ एस॰ एन॰ एल॰) की देश में कुछ भागों में डब्ल्यू॰ एल॰ एल॰ प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें भारत संचार निगम लिमिटेड (बी॰ एस॰ एन॰ एल॰) आरंभिक मोबाइल दूरभाष प्रचालन आरम्भ करने की योजना बना रहा है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) फिक्सड एक्सचेंज टेलीफोन सर्विसिज की पुरानी प्रणाली का विस्तार करने की आवश्यकता को समाप्त करने में इससे कितनी मदद मिली है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हाँ। यह प्रस्ताव है कि डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, स्थिर टेलीफोन सेवा के साथ कुछ सीमित मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन भी दिए जाएं। उन राज्यों एवं शहरों की सूची, जहाँ ऐसी सेवा दिए जाने का प्रस्ताव है संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत (मोबाइल सेवा एवं स्थिर सेवा) लगभग 156 करोड़ रु॰ है।

(घ) प्रस्तावित सेवा अभी शुरू की जानी है। तथापि जहां केवल बिछाना एक समस्या है, यह सेवा भीड़भाड़ वाले/तकनीकी रूप से अव्यवहार्य (टी एन एफ) क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन देने में मददगार होगी।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	शहर
1	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
2	तमिलनाडु	चेन्नई
3	कर्नाटक	बंगलौर
4	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
5	गुजरात	अहमदाबाद
6	उत्तर प्रदेश	कानपुर
		लखनऊ

क्र. सं.	राज्य	शहर
7	राजस्थान	जयपुर
8	केरल	एर्नाकुलम
9	महाराष्ट्र	पुणे
10	मध्य प्रदेश	इन्दौर
11	बिहार	पटना
12	पंजाब	चंडीगढ़
		लुधियाना
13	हरियाणा	गुड़गाँव
14	असम	गुवाहाटी

दालों के उत्पादन की प्रवृत्ति की समीक्षा

1253. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में दालों के उत्पादन की प्रवृत्ति की राज्यवार समीक्षा की है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में दालों का आयात किया गया ;

(ग) आठवीं योजना के अंत में यानी वर्ष 1996-97 के दौरान दालों की घरेलू आवश्यकता कितनी थी;

(घ) नौवीं योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2001-2002 के अंत में दालों का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या रखा गया है;

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दालों के लिए अनुसंधान और विकस के अंतर्गत किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए तैयार की गई नई कार्य-नीति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां। पिछले दो वर्षों के दौरान तय लक्ष्यों और प्राप्त उत्पादन के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान दलहन आयात की यात्रा नीचे दी गई है :

(लाख मी॰ टन)

वर्ष	दलहन आयात
1998-99	5.64
1999-2000	2.04

(ग) नौवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित मांग प्रक्षेपण पर कार्यदल के अनुसार, आठवीं योजना के अंत तक अर्थात् 1996-97 के दौरान अनुमानित घरेलू मांग 15.30 मिलियन मी॰ टन है।

(घ) नौवीं योजना के अंत अर्थात् 2001-2002 तक वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 16.5 मिलियन मीटरी टन है।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भा॰ कृ॰ अ॰ प॰ द्वारा दलहन अनुसंधान और विकास के तहत 6108.75 लाख रु॰ की धनराशि आबंटित की गई।

(च) देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन की खेती के तहत क्षेत्र विस्तार तथा उपज के वर्तमान स्तर को अधिकतम करने के लिए द्विउद्देशीय कार्यनीति शुरू की गई है। क्षेत्र विस्तार के तहत, विशुद्ध खेती के अतिरिक्त, सिंचित स्थितियों में ग्रीष्म ऋतु में नए और गैर-परंपरागत क्षेत्रों तथा दलहन की खेती से अन्य फसलों के साथ दहलन की मिश्रित तथा अन्त: फसल, अतिरिक्त कवरेज किए जाने का प्रस्ताव है। छिडकाव-यंत्रों के माध्यम से एन पी बी के इस्तेमाल एवं रबी/ग्रीष्म दलहनों में जीवन रक्षक सिंचाई के जरिए रिजोबियम कल्चर/पी एस बी के उपयोग, सल्फर का इस्तेमाल, अरहर और चने में बोड बोरर नियंत्रण जैसी राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत उपज स्तरों को अधिकतम करने, बेहतर किस्मों के बीजों का उपयोग तथा विभिन्न घटकों के लिए ज्यादा निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण

पिछले दो वर्ष के दौरान दलहनों का लक्ष्य और उपलब्धियां

(लाख मी॰ टन)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 लक्ष्य	1998-99 उप॰	1999-2000 लक्ष्य	1999-2000 उप॰
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7.80	7.63	7.80	8.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.07	0.05	-
3.	असम	0.65	0.70	0.65	0.60
4.	बिहार	8.37	6.97	8.37	7.01
5.	गोवा	0.05	0.09	0.05	-
6.	गुजरात	6.95	6.33	6.95	4.11
7.	हिमाचल प्रदेश	0.15	0.13	0.15	0.18
8.	हरियाणा	5.33	3.53	5.35	0.95
9.	जम्मू और कश्मीर	0.25	0.18	0.25	0.26
10.	कर्नाटक	7.45	7.22	6.95	6.75

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	0.40	0.27	0.40	0.23
12.	मध्य प्रदेश	36.95	35.73	35.95	38.05
13.	महाराष्ट्र	23.99	22.55	24.49	21.88
14.	मणिपुर	0.12	-	0.12	-
15.	मेघालय	0.03	0.03	0.03	-
16.	मिजोरम	-	-	0.03	-
17.	नागालैण्ड	0.04	0.14	0.04	-
18.	उड़ीसा	5.20	2.64	5.20	2.84
19.	पंजाब	0.95	0.51	0.95	0.44
20.	राजस्थान	17.50	24.40	17.50	8.99
21.	सिक्किम	0.13	0.06	0.13	-
22.	तमिलनाडु	6.06	4.17	6.04	3.72
23.	त्रिपुरा	0.04	0.04	0.04	-
24.	उत्तर प्रदेश	24.90	22.69	25.90	23.30
25.	पश्चिम बंगाल	1.50	1.26	1.50	2.51
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.02	-	-	-
27.	दिल्ली	0.02	0.01	-.02	-
28.	अन्य	0.02	0.15	0.05	0.55
	कुल	155.00	148.09	155.0	130.65

लम्बी दूरी की टेलीफोनी की शुरुआत

1254. **श्री बी० के० पार्थसारथी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कम्पनियों को लम्बी दूरी की टेलीफोनी की पेशकश करने का सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावन है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सरकार पहले ही लम्बी दूरी की टेलीफोनी निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला कर चुकी है और इसके संबंध में 13.8.2000 को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इन दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं (i) भारतीय पंजीकृत कम्पनियां लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं (ii) प्रवेशार्थियों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त और खुली प्रतिस्पर्द्धा (iii) लाइसेंस 20 वर्ष के लिए जारी किया जाता है और उसकी अवधि एक बार में 10 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। (iv) लाइसेंस-धारकों को एक ही बार प्रवेश शुल्क अदा करना होगा (v) संपूर्ण लाइसेंस अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में निश्चित राजस्व हिस्सा।

खिलाड़ियों का चयन

1255. **श्री पदमसेन चौधरी:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में खेलकूद का स्तर सुधारने के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हतोत्साहित किये जाने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या खेल-कूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं में खेलकूद से जुड़े व्यक्तियों को भेजने के दौरान की गयी अनियमितताओं से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) नई खेल नीति के मसौदे की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

1. खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना;
2. अवस्थापना का उन्नयन तथा विकास;
3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उपयुक्त निकायों को सहायता प्रदान करना;
4. खेलों को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना तथा प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना;
5. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;
6. महिलाओं, जनजातीय लोगों तथा ग्रामीण युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना;

7. निगमित क्षेत्रों को खेल संवर्धन में शामिल करना; तथा

8. खेल संवर्धन में निगमित क्षेत्र की शामिल करना तथा लोगों में बड़े पैमाने पर खेल भावना के संवर्धन के लिए अधिक जागरूकता सृजित करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, हाँ।

(च) ओलंपिक खेलों में सहभागिता के लिए खिलाड़ियों के चयन के बारे में एक भारोत्तोलक तथा एक एथलीट से कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के चयन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि खिलाड़ियों के चयन की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की होती है। तथापि, जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण और संबद्ध खेल परिसंघों के परामर्श से उनका निपटारा करती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अनुबंध-नियम

1256. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क-निर्माण के ठेके प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ठेके-नियमों में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ठेकेदारों द्वारा काम को समय पर पूरा करने में असफल रहने के मद्देनजर कई परिवर्तन किए जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए जो अन्य परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सिविल वर्कस ठेकों के लिए एक मानक बोली दस्तावेज तैयार कर लिया गया है और प्रयोग में लाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित कर दिया गया है। ठेके के लिए दस्तावेज से पूरे देश में बोली प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित हो जाएगी। दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ ठेकेदारों के लिए विस्तृत अर्हता की आवश्यकता, विलम्ब के लिए परिनिर्धारित क्षतियों, शीघ्रता से पूरा करने के लिए बोनस, विवाद समीक्षा तंत्र, प्रतिपूर्ति किए जाने वाले कार्यों, लागत की वृद्धि, मोबिलाइजेशन और मशीनों के लिए अग्रिम, कार्य निष्पादन की सिक्योरिटी, खराबी के लिए देनदारी आदि की व्यवस्था की गई है। इसमें बोली आमंत्रित करने, खोलने, मूल्यांकन और ठेको देने की भी विस्तृत प्रक्रिया दी गई है।

(ग) चूंकि नई बोली प्रक्रिया को 1 नवम्बर, 2000 में लागू कर दिया गया है, इसलिए इस स्तर पर किन्हीं और परिवर्तनों के संबंध में विचार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों को राजसहायता

1257. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अमेरिका और अन्य विकसित देशों के किसानों की तुलना में भारतीय किसानों को कितनी राजसहायता प्रदान की गयी;

(ख) क्या हमारे देश के किसानों को प्रदान की जा रही राजसहायता में धीरे-धीरे कटौती की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हमारे किसानों को दी जाने वाली राजसहायता को विकासशील/विकसित देशों के किसानों को दी जाने वाली राजसहायता के समतुल्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) नवीनतम जानकारी के अनुसार तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान भारतीय किसानों को दी गई राजसहायता की राशि संबंधित वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद की क्रमश: 1.6%, 2.10% तथा 1.98% थी। इन तीन वर्षों के दौरान ओ ई सी डी देशों में कृषि नीतियों से सम्बद्ध कुल अन्तरण संक्षेप में नीचे सारणी में दिया गया है:

ओ ई सी डी देशों में कृषि को सहायता हेतु उपाय

सकल घरेलू उत्पाद में	1995	1996 (अंतिम)	1997 (अनुमानित अनुदान)
कुल अंतरणों का अंश	1.5	1.3	1.3

स्रोत: ओ ई सी डी - कुल ओ ई सी डी में चैक गणराज्य, हंगरी, कोरिया, मैक्सिको तथा पोलैंड शामिल नहीं हैं।

भारत तथा अन्य विकासशील देशों में राजसहायता संबंधी तुलनात्मक जानकारी का सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में प्रदूषण

1258. **श्री लाल बिहारी तिवारी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरित क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी की सफाई करने और इसके तटबंधों पर पेड़ लगाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) यमुना के प्रदूषण उपशमन की एक स्कीम, जो यमुना कार्य योजना के नाम से मानी जाती है, सरकार द्वारा अप्रैल, 1993 में अनुमोदित की गई थी। कार्य योजना की अनुमोदित लागत 509.4 करोड़ रुपये है। इस योजना के अन्तर्गत 21 शहरों में निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें से दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश में 8 शहर तथा हरियाणा में 12 शहर हैं। इस योजना में मलजल अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन, मलजल शोधन संयंत्र, कम लागत के शौचालय, शवदाहगृह और नदी तट विकास जैसी निर्माण कार्य आते हैं। अब तक इस योजना पर 446.04 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। यमुना कार्य योजना का दिल्ली घटक छोटा है जिसमें 2 मलजल शोधन संयंत्र शामिल हैं और प्रत्येक की क्षमता प्रतिदिन 10 मिलियन लीटर है और इसके अलावा एक विद्युत शवदाहगृह भी है। हरित आवरण प्रदान कराने के लिए दिल्ली में यमुना के किनारों पर यमुना कार्य योजना के अंतर्गत हरे वृक्ष लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार अपनी योजना निधियों में से यमुना प्रदूषण उपशमन कार्यक्रम के एक बड़े हिस्से को कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित निर्माण के साथ-साथ 14 अतिरिक्त मलजल शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाना है। इनमें से, 9 शोधन संयंत्रों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो गया है और अन्य 5 का कार्य मार्च, 2003 तक पूरा हो जायेगा। इसके अलावा, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा दिल्ली के 21 औद्योगिक एस्टेट्स से औद्योगिक बहिस्रावों की सफाई के लिए 15 सांझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों का निर्माण भी किया जाना है। यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और दिसम्बर, 2000 तक पूरी हो जायेगी।

[अनुवाद]

खेल नियामक प्राधिकरण की स्थापना

1259. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के ओलंपिक खेलों में निराशाजनक प्रदर्शन पर विचार करते हुए खेल नियामक प्राधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं। सिडनी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने के मामले में भारतीय दल का प्रदर्शन निराशाजनक था। तथापि, अटलांटा ओलंपिक में किए गए पिछले प्रदर्शन की तुलना में, अनेक खेल विधाओं जैसे मुक्केबाजी, भारोत्तोलन (महिला), जूडो और निशानेबाजी में भारत का प्रदर्शन बेहतर था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों की वर्तमान आवश्यकताओं की निगरानी करता है।

नारियल विकास बोर्ड

1260. **श्री के॰ फ्रांसिस जार्ज:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड ने नारियल की कीमतों के समर्थन हेतु बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रम के लिए तत्परता दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नारियल विकास बोर्ड ने यह कार्य केरल में आरम्भ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो केरल से कितना नारियल या कितने नारियल उतपाद खरीदे गये हैं; और

(घ) देश में अन्य भागों में बाजार हस्तक्षेप हेतु क्या योजना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) भारत सरकार प्रत्येक वर्ष खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। वर्ष 2000 के मौसम के लिए मिलिंग खोपरा का निर्धारित मूल्य 3250/- रू॰ प्रति क्विंटल है तथा बाल खोपरा का 3500/- रू॰ प्रति क्विंटल। स्कीम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि॰ (नैफेड) के माध्यम से खरीदी की जाती है जो कि खोपरा का उद्देश्य हेतु शीर्ष अभिकरण है। 20 नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार खरीद की राज्यवार प्रगति निम्नवत् है:

	राज्य	खरीदे गए खोपरा की मात्रा
1	केरल	65,840
2	तमिलनाडु	66,700
3	आन्ध्र प्रदेश	10,401
4	लक्षद्वीप	2,004
5	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2,487
	कुल	1,47,432

यमुना कार्य योजना

1261. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान यमुना कार्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य कितना धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने धनराशि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन राज्यों के खिलाफ सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत राज्य-वार आवंटित निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
हरियाणा	11.12	37.00	9.75	9.00
दिल्ली	1.70	8.90	2.50	1.00
उत्तर प्रदेश	35.48	95.60	69.00	12.00

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

1262. श्री नागमणि: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चतरा जिले के सभी प्रखंडों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिले में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने और बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी हां। चतरा जिले में 10 ब्लाकों में से 6 ब्लाकों में पहले से ही टेलीफोन एक्सजेंच कार्य कर रहे हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान मार्च 2001 तक, शेष 4 ब्लाकों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है। ब्लाक वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज की स्थिति
1	चतरा	1 के सी-डॉट एस. बी. एम. पहले से कार्यरत है
2	इतखोरी	256 पी सी-डॉट पहले से कार्यरत है
3	हंटरगंज	256 पी सी-डॉट पहले से कार्यरत है
4	प्रतापपुर	256 पी सी-डॉट पहले से कार्यरत है
5	सिमरिया	256 पी सी-डॉट पहले से कार्यरत है
6	टाण्डवा	256 पी सी-डॉट पहले से कार्यरत है
7	कुण्डा	2000-2001 के दौरान एक्सचेंज खोलने की योजना है
8	लावालांग	2000-2001 के दौरान एक्सचेंज खोलने की योजना है
9	पाथरगरहा	2000-2001 के दौरान एक्सचेंज खोलने की योजना है
10	गिद्धौर	2000-2001 के दौरान एक्सचेंज खोलने की योजना है।

चतरा में बेहतर टेलीफोन सुविधा के लिए 34 एमबीपीएस ओएफसी प्रणाली चालू की गई है। सभी 256 पी एक्सचेंज विश्वसनीय माध्यम पर खोले गए हैं और बेहतर एस टी डी/आई एस डी सेवा हेतु शेष चार ब्लाकों में ओएफसी माध्यम पर एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। चतरा जिले की खराब बिजली आपूर्ति को देखते हुए, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डीजल द्वारा चालित जनरेटर प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट

1263. श्री आर॰ एल॰ जालप्पा:
श्री एच॰ जी॰ रामुलू:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में ज्वार, मक्का, नारियल, खोपरा और अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विकसित देशों के कृषि उत्पादों को भारत में पाट देने के कारण हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि उत्पादों की डम्पिंग रोककर तीसरी दुनिया के हितों की रक्षा हेतु अपना विचार "गैट" बैठक की भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक के किसानों/नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कुछ चुनिन्दा बाजारों में ज्वार, बाजरा, नारियल, कोपरा और अन्य कृषि फसलों की कीमतों में कुल मिलाकर हाल में कमी का रुख देखा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किसानों, जिसमें नारियल उत्पादक भी शामिल हैं, के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं: कुछ जिंसों के आयात शुल्क में वृद्धि करना और कुछ कृषि जिंसों जैसे कि कुछ अनाजों और तिलहनों की मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत खरीद करना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा किया जाना और विकास

1264. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:**
श्री दिनेश पटेल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा और विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) इस हेतु राज्यों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी हां।

(ख) वार्षिक योजना 2000-2001 में 325.47 करोड़ रु० की योजना लागत से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का प्रावधान है। इसमें 48.25 करोड़ रु० की योजना लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने का प्रावधान भी शामिल है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

	चौड़ा करने के लिए प्रावधान	मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़		उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल	
		लम्बाई (कि. मी.)	धनराशि (करोड़ रु०)	लम्बाई (कि. मी.)	धनराशि (करोड़ रु०)
1.	4 लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी	586	8.79	264	2.66
2.	भूमि अधिग्रहण	-	-	88	10.00
3.	2 लेन बनाना	43	26.80	-	-
	जोड़		35.59		12.66

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्यों से प्राप्त विकास संबंधी प्रस्तावों की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण		मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़		उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल	
		सं०	धनराशि (करोड़ रु०)	सं०	धनराशि (करोड़ रु०)
1.	योजना प्रावधान	57	150.82	58	172.67
2.	प्राप्त प्रस्ताव	41	110.90	31	102.10
3.	स्वीकृत कार्य	30	71.99	21	60.11

(ङ) विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

2000-2001 में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत धनराशि आवंटन

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	रा० रा० (ओ)	ई ए पी	एस आर पी (लाख रु०)	अनु. व मरम्मत
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	9100.00	50.00	1718.75	3230.00
2.	असम	5800.00	0.00	1894.73	2693.03
3.	बिहार*	8800.00	0.00	2265.00	3933.70
4.	चण्डीगढ़	150.00	0.00	24.04	41.00
5.	दिल्ली	1200.00	0.00	0.00	82.00
6.	गोवा	2300.00	0.00	232.00	328.53
7.	गुजरात	8810.00	0.00	312.79	1950.00

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	5800.00	8135.00	409.90	1410.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4700.00	0.00	839.68	1877.26
10.	जम्मू और कश्मीर	1500.00	0.00	0.00	274.42
11.	कर्नाटक	7800.00	105.00	1586.16	2897.67
12.	केरल	10500.00	100.00	524.00	1419.03
13.	मध्य प्रदेश**	10000.00	9000.00	3748.27	5670.46
14.	महाराष्ट्र	11800.00	7250.00	230.00	3915.00
15.	मणिपुर	1250.00	0.00	0.00	824.49
16.	मेघालय	2000.00	0.00	318.12	798.59
17.	मिजोरम	1200.00	0.00	286.21	670.22
18.	नागालैण्ड	1500.00	0.00	0.00	361.25
19.	उड़ीसा	7000.00	3400.00	500.00	3626.99
20.	पांडिचेरी	200.00	0.00	102.10	70.00
21.	पंजाब	4800.00	1500.00	395.62	1690.00
22.	राजस्थान	11000.00	50.00	691.85	4307.25
23.	तमिलनाडु	10200.00	0.00	1136.70	3388.79
24.	उत्तर प्रदेश***	13684.00	1259.00	736.08	5349.82
25.	पश्चिम बंगाल	8800.00	4800.00	1665.00	3209.80
26.	बी आर डी बी	13592.00	0.00	0.00	0.00
27.	मंत्रालय	3000.00	1751.00	0.00	0.00
28.	एन एच ए आई	0.00	15614.00	0.00	0.00
	जोड़	165136.00	53014.00	19617.00	54019.30

* नव गठित झारखंड राज्य के लिए आबंटन सहित

** नव गठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आबंटन सहित

*** नव गठित उत्तरांचल राज्य के लिए आबंटन सहित

धान की विभिन्न किस्मों की पैदावार

1265. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में धान की किस-किस किस्म की पैदावार होती है और इसका प्रति हैक्टेयर कितना उत्पादन होता है;

(ख) धान की कौन-कौन सी किस्में चावल के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक रही हैं;

(ग) देश में इस समय चावल का उत्पादन कितना है और क्या यह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक:) (क) देश की विभिन्न पारिस्थितिक प्रणलियों में धान की विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं, जिनमें सामान्य लम्बी, अधिक पैदावार देने वाली, बासमती तथा वर्ण संकर किस्में शामिल हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान चावल की औसत उत्पादकता 1964 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आंकी गई है।

(ख) अधिक पैदावार देने वाली किस्मों/उन्नत किस्मों एवं उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के परिणामस्वरूप चावल के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) चावल उत्पादन का वर्तमान स्तर 1999-2000 के दौरान 88.25 मिलियन मीटरी टन आंका गया है। चावल सहित अनाज की मानक आवश्यकता के अनुसार इसका उत्पादन स्तर हमारी जनसंख्या की आवश्यकता से अधिक है।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का निगमन

1266. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमटेड के निगमन का एक प्रमुख उद्देश्य दूरसंचार विभाग (डाट) के विस्तार कार्यक्रम हेतु संसाधन जुटाने के लिए बाजार तक पहुंच बनाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या बजट प्रस्तावों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा बाजार से प्रति वर्श जुटाए जाने वाले संसाधनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष क्या अधिकतम सीमा नियत की गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमटेड ने सरकार को वर्षवार और मदवार कितने कर और लाभांश का भुगतान किया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) महानगर टेलीफोन निगम लि॰ के निगमन का एक प्रमुख उद्देश्य महानगर टेलीफोन निगम लि॰ द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के लिए विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए और पूर्ववर्ती दूरसचार प्रचालन विभाग (डीटीओ) द्वारा नियंत्रित देश में दूरसंचार नेटवर्क के अन्य भागों के लिए भी आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना था।

(ख) और (ग) पूर्ववर्ती डीटीओ के आंतरिक संसाधनों और योजना परिव्यय के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि॰ के माध्यम से जुटाए जाने वाले फंण्डों की आवश्यकता को

विभाग के बजट प्रस्तावों में शामिल किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के लिए बाण्डों की राशि निम्न प्रकार से है:

वर्ष	बजट प्राक्कलन (करोड़ रु० में)
1997-98	2741.00
1998-99	2291.00
1999-2000	977.63
2000-2001	2152.00

1997-98 और 1998-99 के दौरान, यद्यपि बजटशुदा बॉण्ड नहीं जुटाए गए थे क्योंकि विभाग के पास योजना परिव्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन थे। 1999-2000 में राजस्व की कमी थी और संशोधित प्राक्कलन 1999-20000 में बॉण्डों की आवश्यकता को 3539.13 करोड़ रु० तक संशोधित किया गया था।

चालू वर्ष 2000-2001 के दौरान, बॉण्ड के रूप में केवल 50 करोड़ रु० की राशि जुटाई गई है। 1.10.2000 से डीटीओ का निगमीकरण होने के परिणामत: भारत संचार निगम लि० द्वारा अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए बॉण्ड जुटाए जाएंगे।

(घ) पिछले तीन सालों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि० द्वारा सरकार को प्रदान किया गया कर एवं लाभांश वर्षवार और शीर्षवार निम्न तालिका में दिया गया है:

वर्ष	अदा किया गया कर (करोड़ रु० में)	लाभांश (करोड़ रु० में)
1997-98	516.00	114.629 63 027
1998-99	602.00	106.311 8 220
1999-2000	583.00	106.311 8 220

केरल में स्पीड पोस्ट सुविधा

1267. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की, विशेषतया, केरल में स्पीड पोस्ट डिलीवरी सुविधा आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पथनमथिट्टा प्रधान डाकघर में स्पीड पोस्ट डिलीवरी सुविधा आम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) केरल में सभी जिला मुख्यालयों सहित 33 स्थानों पर स्पीड पोस्ट वितरण सुविधा उपलब्ध है।

(ख) और (ग) पथनमथिट्टा प्रधान डाकघर में स्पीड पोस्ट वितरण सुविधा उपलब्ध है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लेटर बाक्स

1268. **श्री कोलुर बसवनागौड:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 300 या अधिक जनसंख्या वाले कितने गांवों में लेटर बाक्स उपलब्ध कराए गये हैं;

(ख) ऐसे कितने गावों को लेटर बाक्स उपलब्ध कराया जाना अभी बाकी है; और

(ग) उक्त चुनाव क्षेत्र में ऐसे सभी गावों को उपरोक्त हेतु शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 300 या अधिक जनसंख्या वाले 561 गांवों में लैटर-बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल को तिलहन घोषित किया जाना

1269. **डा० सी० कृष्णन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नारियल को तिलहन घोषित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) इस समय देश में विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों की देशवार तुलना में 1000 नारियलों की उत्पादन लागत क्या है;

(घ) गत वर्ष के दौरान नारियल, खोपरा और नारियल तेल का मूल्य क्या था; और

(ङ) इन उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के क्या कारण है और नारियल उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारत सरकार ने अक्टूबर, 1990 में नारियल का तेल मूल का वृक्ष घोषित किया है ताकि मूल्य समर्थन प्रचालनों के लिए नारियल को एक तिलहन के रूप में माना जा सके।

(ग) भारत तथा अन्य दक्षिण एशियाई देशों में प्रति 1,000 नारियल के उत्पादन पर आने वाली लागत को नीचे दर्शाया गया है:

देश का नाम	उत्पादन लागत (रुपया प्रति एक हजार नग)
भारत	2500
श्री लंका	1881
इण्डोनेशिया	1843
फिलीपींस	1489

(घ) विगत वर्ष 1999 में दौरान नारियल, कोपरा और नारियल तेल की औसत वार्षिक कीमतें नीचे दी गई हैं :

उत्पाद	बाजार का नाम	औसत वार्षिक कीमत
सूखा नारियल	कोझिकोड	4468/- रुपये प्रति हजार
कोपरा	कोच्चि	3506/- रुपये प्रति क्विंटल
नारियल तेल	कोच्चि	5446/- रुपये प्रति क्विंटल

(ङ) घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तिलहनों और वनस्पति तेलों की कीमतों में कमी का रुख रहा है। सस्ते वनस्पति तेलों आ आयात किये जाने से नारियल तेल की कीमत कम हो गयी है क्योंकि कोपरा और नारियल की कीमतें नारियल तेल के मूल्य से निर्धारित होती हैं। नारियल उत्पादकों को उनका लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, भारत सरकार ने 2000 मौसम के लिए मिलिंग कोपरा के लिए 3250/- रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा के लिए 3500/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। 20 नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार, भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि॰ (नैफेड) ने कुल 1,47,432 मीटरी टन कोपरा की खरीद की है। 21 नवम्बर, 2000 से खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को और बढ़ा दिया गया है।

टेलीफोन सुविधा

1270. **श्री एच॰ जी॰ रामुलु:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोप्पल क्षेत्र में कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा नहीं है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान क्षेत्र में कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जानी है; और

(ग) क्षेत्र में सभी गावों में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) कोप्पल क्षेत्र के सभी 588 गांवों मे टलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

स्पीड पोस्ट का अधिक प्रभार

1271. **श्री रघुनाथ झा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक तार विभाग की स्पीड पोस्ट के प्रभार निजी कूरियरों से अधिक हैं जिसे यह व्यवसाय उनको मिल जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) स्पीड पोस्ट सेवा एक प्रतियोगी वातावरण में चल रही है।

स्पीड पोस्ट की दरें, घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों के लिए संगठित कूरियारों की प्रकाशित दरों की अपेक्षा कम है। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, स्पीड पोस्ट में निरंतर वृद्धि होती रही है:

गत तीन वर्षों में स्पीड पोस्ट परियात का विकास

वर्ष	बुक की गई स्पीड पोस्ट मदों की संख्या (लाख में)	पूर्व वर्ष की अपेक्षा वृद्धि
1997-98	141.4	25.8%
1998-99	195.95	38.6%
1999-00	312.64	59.6%

डाक विभाग में प्रतियोगी एक्सप्रेस बाजार में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(क) भार सीमा को प्रति प्रेषण 35 किलोग्राम तक बढाना।

(ख) घर-घर वितरण सेवाओं की व्यवस्था करना।

(ग) ट्रेक और ट्रेस प्रणाली की व्यवस्था करना।

(घ) स्पीड पोस्ट संबंधी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण।

(ङ) स्पीड पोस्ट नेटवर्क का विस्तार करना।

(च) स्पीड पोस्ट मानीटरिंग प्रणाली।

[हिन्दी]

जोधपुर बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण

1272. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर शहर में बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भूमि के लिए किसानों को मुआवजा दे दिया गया है और भूमि का अधिग्रहण हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो यह कब किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त बाइपास का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) और (ख) राजस्थान में जोधपुर के बाइपास की कुल लम्बाई जिसके लिए सामरिक महत्व की सड़कों के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण अनुमान स्वीकृत किया गया था, 43.6 कि॰ मी॰ है। 36 कि॰ मी॰ के खंड में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और शेष 7.6 कि॰ मी॰ लम्बाई में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 1989 में शुरू की गई थी और 1997 तक चरणों में कब्जा लिया गया था और किसानों को मुआवजा दे दिया गया है।

(ङ) चूंकि अभी भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं हुआ है इसलिए बाइपास के पूरा होने की संभावित तारीख अभी नहीं बताई जा सकती।

[अनुवाद]

तालचेर विद्युत संयंत्र

1273. **श्री मोइनुल हसन:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तालचेर विद्युत संयंत्र से कोलार तक 500 किलोवाट पारेषण लाइन की स्थापना कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) क्या इससे पूर्वी राज्य, विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा लाभांवित होंगे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रस्तावित पारेषण लाइन से लाभान्वित होने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) तलचेर-कोलार पारेषण प्रणाली पर फरवरी, 2000 में कार्य आरंभ हो गया है।

(ख) से (घ) पूर्वी क्षेत्र में बिजली के आधिक्य के मद्देनजर तलचेर-II ताप विद्युत संयंत्र से बिजली का आवंटन बिजली अभाव वाले दक्षिणी क्षेत्र के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पांडिचेरी राज्यों को किया गया है। अत: तलचेर-II परियोजना से बिजली निकासी हेतु पारेषण प्रणाली को इस परियोजना से दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों को बिजली अंतरण के लिए नियत किया गया है। चूंकि इस पारेषण प्रणाली को पूर्वी ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा, अत: अतिरिक्त बिजली के अंतरण से पूर्वी क्षेत्र भी लाभान्वित होगा जिससे कि इस क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में भी सुधार होगा।

जंगल में रिजार्ट

1274. **श्री जी॰ पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में "रिज" क्षेत्र में और देश के अन्य जंगलों में चल रहे विश्रामघरों (रिजार्टों) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंसूरी में पूर्व में प्रतिबंधित एक रिजार्ट अभी चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत उत्पादन में गिरावट

1275. **श्री महबूब जहेदी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल-अगस्त, 1999 में विद्युत उत्पादन 10 प्रतिशत था जो 2000 में इसी अवधि के दौरान गिरकर 0.6 प्रतिशत हो गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत उत्पादन में गिरावट के कारण अप्रैल-अगस्त, 1999 और वर्ष 2000 की इसी अवधि के बीच औद्योगिक उत्पादन 7.3 प्रतिशत से गिर कर 4.8 प्रतिशत हो गया; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी नहीं। अप्रैल-अगस्त 1999 और अप्रैल-अगस्त 2000 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि क्रमश: 5.8% और 3.6% थी।

(ग) और (घ) सीएसओ से तत्काल अनुमानों के अनुसार अप्रैल-अगस्त 1999 और अप्रैल-अगस्त 2000 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन

में वृद्धि क्रमशः 6.2% और 5.3% थी। केवल विद्युत उत्पादन की औद्योगिक उत्पादन की दर को प्रभावित नहीं करता है। ऐसे अन्य विद्युत घटक हैं जो औद्योगिक उत्पादन की दर को प्रभावित करती है जैसे उदारीकृत आयात, जन साधारण की आर्थिक स्थिति, उत्पाद की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा, कृषि उत्पादन, श्रमिक समस्याएं, संवहन लागत, कच्चे निवेश की उपलब्धता और देश के भीतर और विश्व भर में मांग व पूर्ति की दशाएं आदि। विद्युत उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(i) क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का त्वरित क्रियान्वयन।

(ii) मांग पक्ष प्रबंधन हेतु उपाय को प्रोत्साहन।

(iii) विद्यमान पुरानी विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।

(iv) त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत ताप विद्युत स्टेशनों के प्रचालन और अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋण का संवितरण।

(v) अन्तरराज्यीय और अन्तरक्षेत्रीय विद्युत अंतरणों को प्रोत्साहन।

(vi) क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में जल, ताप, न्यूक्लीयर और गैस टरबाइन विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन।

(vii) विद्युत प्रणाली में रूपान्तरण क्षमता व पारेषण में वृद्धि तथा शंट कैपेसिटों की अधिष्ठापना करना ताकि वोल्टता में सुधार किया जा सके।

(viii) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

उप डाकघर

1276. **श्री दिनशा पटेल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानवार कितने उप डाकघर खोले गए; और

(ख) चालू योजना अवधि में अंतिम दो वर्षों के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानवार कितने उप डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उप डाकघर नहीं खोला गया है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान पूना कुम्मारियो तथा रिलायन्स पैट्रो टाउनशिप मोती खादी में उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 2001-2002 के दौरान उप डाकघर खोलने के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

यमुना नदी पर पुल का निर्माण

1277. **कुंवर अखिलेश सिंह :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 में इलाहाबाद में यमुना नदी पर बनाये जाने हेतु अनुमोदित पुल की आरम्भिक लागत क्या थी;

(ख) आज तक पुल का निर्माण आरम्भ न किय जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) 100.36 करोड़ रु।

(ख) और (ग) परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् ओवरसीज इकानोमिक कोआपरेशन फंड (अब जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन) ने इस पुल के लिए ऋण सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। तब वित्त पोषण एजेंसी के परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि पुल की परम्परागत प्रीस्ट्रेस्ड कंकरीट केन्टीलीवर टाइप डिजाइन को बदलकर केबल आधारित कंकरीट पुल कर दिया जाए जाकि देश में नई प्रौद्योगिकी आ सके और एक सुन्दर पुल बनाया जा सके। इसके लिए परामर्शदाता द्वारा आगे अध्ययन किया जाना था और कार्य शुरू करने से पहल अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता द्वारा प्रूफ जांच की जानी थी। यह कार्य सितम्बर, 2000 में सौंप दिया गया और अब यह शुरू हो गया है।

किसानों को ऋण

1278. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों के ऋणों को माफ करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार सिद्धान्त: किसानों के कृषि ऋणों को माफ करने/बट्टे खाते डालने के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे वसूली वातावरण बिगड़ेगा और इस प्रकार वित्तीय संस्थानों की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

1279. **श्री सुनील खां:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान चारों क्षेत्रों के लिए आबंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) पश्चिम बंगाल में बाराकट से दुर्गापुर और सर्गापुर से बर्दवान तक राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मिदनापुर से बांकुरा, बेलियातोर होते हुए दुर्गापुर तक या मिदनापुर से बांकुरा, मेजिया होते हुए रानीगंज तक राजमार्गों के राष्ट्रीयकरण की कोई संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूडी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आबंटन क्षेत्रवार नहीं बल्कि राज्यवार किया जाता है।

(घ) पश्चिम बंगाल में बाराकर से रानीगंज तक की परियोजना के लिए वर्ष 2000-01 के लिए 48.00 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है। रानीगंज से दुर्गापुर और दुर्गापुर से बर्दमान तक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना भा० रा० रा० प्रा० को सौंपी गई है और उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2000-01 में 88.50 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं।

(ङ) और (च) मिदनापुर से बांकुरा और मेजिया होते हुए रानीगंज के बीच के खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग 60 घोषित किया जा चुका है। बांकुरा से दुर्गापुर तक की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 208 पर निर्माण कार्य

1280. **श्री पी० राजेन्द्रन:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग 208 पर क्विलोन से निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए इस वर्ष क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 208 के निमार्ण कार्य में कितनी प्रगति हुई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) क्विलान (केरल) से तिरूमंडालम (तमिलनाडु) तक लगभग 231 कि. मी. लम्बे रा. रा. सं० 208 को 6.1.1999 को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 1999-2000 में 63.2 कि. मी. में सड़क गुणता सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है और इसी अवधि में 137 लाख रु० की लागत से सड़क, जल निकासी और दुर्घटना बहुल खंडों के सुधार तथा सड़क संकेतों की व्यवस्था के लिए 4 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 57.4 कि. मी. सड़क गुणता में सुधार के लिए 2000-2001 में 868 लाख रु० स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा चालू वार्षिक योजना 2000-2001 में 187 लाख रु० की अनुमानित लागत से 5 कि. मी. में 2 लेन बनाने, क्षति ग्रस्त पुलिया के पुनर्निर्माण और जल निकासी व्यवस्था के सुधार का भी प्रावधान है। इसके लिए राज्य लो. नि. वि. से प्राक्कलन अभी प्राप्त होने हैं।

वर्षा

1281. **श्री ए० वेंकटेश नायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में लगातार तीसरे वर्ष वर्षा नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में इन राज्यों में हुई वर्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों के कई हिस्सों से लोग सूखे की स्थिति से बचने के लिए पलायन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इन तीन राज्यों में इस स्थिति से कितने प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि के दौरान, गुजरात और राजस्थान में कम वर्षा हुई जबकि कर्नाटक में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में भी समान्य से कम वर्षा हुई। अन्य राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई।

(ग) से (ङ) सूखे के कारण गुजरात, राजस्थान तथा कर्नाटक में बड़े पैमाने पर प्रव्रजन की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि, अन्य कई कारणों से देश के विभिन्न भागों में कभी-कभी प्रव्रजन होता है। सूखा प्रभावित राज्यों में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(क) आवश्यक उपाय करने के लिए संबंधित राज्यों में सूखा आकस्मिक योजना का प्रसार।

(ख) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सभी परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) की दर पर अर्थात् 20 कि० ग्रा० प्रति परिवार इकाई को खाद्यान्न आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) रोजगार सृजन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए संबंधित केन्द्रीय स्कीमों के तहत धनराशि निर्मुक्त कर दी गई है।

(घ) राज्यों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ करने की सलाह दी गई है।

(ङ) पेयजल आपूर्ति विभाग, पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को जल्दी अंजाम देने के लिए इनका निरंतर मानीटरन कर रहा है।

(च) केन्द्रीय भूजल बोर्ड को पेयजल के उद्देश्य से राज्यों को अन्वेषणात्मक नलकूप सौंप देने की सलाह दी गई है।

(छ) राज्यों के किसानों को जल की कमी के प्रति जागरूक करने तथा कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है।

(ज) राज्यों को जहां कहीं आवश्यक हो वहां चारा डिपो तथा मवेशी शिविर खोलने की भी सलाह दी गई है।

अलवे-त्रिचूर-चेरतला-कायनकुलम सड़क पर चार लेन बनाना

1282. **श्री वी. एम. सुधीरन:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अलवे-त्रिचूर-चेरतला-कायनकुलम भाग पर चार लेन बनाए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य पारस्परिक प्राथमिकता एवं धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किए जाते हैं। रा० रा० 47 के अलवाई-शेरथलै खंड को 36.45 कि० मी० लम्बाई में पहले ही 4 लेन का बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कोचीन-सेलम खंड (332/370 से 182/200 कि० मी०) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के एक भाग के तौर पर विभिन्न चरणों में चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने अलवाई (332/370 कि० मी०) से अंगमाली (316/00 कि० मी०) तक 4.19 करोड़ रु. के भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त, 348 से 353, 387 से 408 और 541 से 551 कि० मी० में चार लेन बनाने के लिए साध्यता/विस्तृत इंजीनियरी अध्ययन हेतु वार्षिक योजना 2000-2001 में प्रावधान शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

बहिस्रावों का निकलना

1283. **श्री ब्रजमोहन राम:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में कास्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड, रहेला से हो रहे बहिस्रावों के कारण भूमि बंजर होने और पानी के खारा होने के पहलू पर कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कम्पनी को इस संबंध में जारी की गई हिदायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) जी, हां। जांच के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के लिए कम्पनी को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी किए गए थे। कम्पनी को जारी किए गए निर्देश/अनुदेश प्रभावित क्षेत्रों को पाइप/टैंकर से पीने के पानी की आपूर्ति, रेलवे स्टेशन से प्रदाहक (कॉस्टिक) टैंकों को हटाए जाने, नमक का भंडारण सुरक्षित स्थानों में करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने तथा स्टेशन से उद्योग परिसरों तक रेलवे लाइन/रेलवे साइडिंग बनवाने से संबंधित हैं।

(घ) क्षेत्र में लोगों की प्रदूषण से सुरक्षा करने की दृष्टि से उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- उद्योग ने बहि:स्राव बिल्कुल न छोड़ने संबंधी निर्देशों का अनुपालन किया है।
- उद्योग पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से भी पीने के पानी की आपूर्ति कर रहा है।
- रहेला रेलवे स्टेशन तथा आसपास के क्षेत्रों में स्थित प्रदाहक (कॉस्टिक) भंडारण टैंकों को साफ रखा जाता है तथा इस भंडारण सुविधा का केवल एक सीमित अवधि तक प्रयोग किया जाता है। रेलवे साइडिंग के निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।

[अनुवाद]

चिड़ियाघरों में बाघों और अन्य जानवरों की मौत

1284. **श्री जे. एस. बराड़:**
श्री जी. एस. बसवराज :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न चिड़ियाघरों से बाघों, तेंदुओं और अन्य जानवरों की बड़े पैमाने पर मौत की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मौतों के बारे में राज्य सरकारों को जांच कराने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी राज्य सरकारों ने सरकार के कहने पर जांच कराई है;

(घ) क्या देश में वनों और चिड़ियाघरों में जंगली जानवरों की हत्या, शिकार के कारण होने वाली मौतों पर रोक लगाने के लिए मौजूदा वन्य जीव संरक्षण कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान बाघों और तेंदुओं की मौतों के बारे में अनेक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। ज्यादातर मौतें शैशव काल में होने वाली मौतों से संबंधित हैं जोकि मुख्यत: माताओं द्वारा अपने शिशुओं का परित्याग करने के कारण होती हैं। जहां तक वयस्क जानवरों का संबंध है, उनकी बड़े पैमाने पर मौतों का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, सिवाय, नन्दन-कानन चिड़ियाघर के, जहां 13 बाघों की ट्राइपैनोसोमियासिस रोग के कारण मौत हो गई थी।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने नन्दन कानन चिड़ियाघर में हुई घटना की जांच के आदेश जारी किए थे। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उपायों को अंतिम रूप दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इनमें से अधिकांश उपायों पर पहले ही अमल किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद चिड़िया घर में एक शेरनी को मारे जाने की घटना के बाद इस मामले को मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य के सी आई डी विभाग व एक वरिष्ठ आई ए एस अधिकारी का सौंप दिया है। नंदन कानन घटना के बाद मंत्रालय ने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से सभी चिड़ियाघरों का तेजी से मूल्यांकन कराया है और इस की घटनाओं को रोकने संबंधी उपायों पर विचार करने के लिए 27 नवम्बर, 2000 को सचिवों की एक बैठक बुलाई गई है।

(घ) और (ङ) अवैध शिकार और चिड़ियाघरों व परिरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी मामलों पर ध्यान देने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत मौजूदा कानूनी उपबंध पर्याप्त प्रतीत होते हैं। समस्या मुख्यतया अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित न करने के कारण है। राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों ने इस समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। केन्द्र सरकार ने संकटाप्रन्न प्रजातियों के वासस्थलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में वित्त पोषण पद्धति को अपग्रेड किया है। अनावर्ती और आवर्ती लागतों (वेतन के अलावा) की प्रतिपूर्ति के लिए वित्त पोषण की यह सुविधा पूरी तरह उपलब्ध है। यहां तक कि चिड़ियाघरों के मामले में भी जानवरों के आवास सुधार उनके अनुरक्षण और स्वास्थ्य रक्षा के लिए 100 प्रतिशत वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध है।

देश में कल्याणकारी योजनाएं

1285. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कल्याणकारी योजनाओं के लागू न होने के कारण देश में सूखे और अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत निधियों को जारी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निधियों की कमी के कारण कौन-कौन सी परियोजनाएं रुकी रहीं और कितनी राशि व्यय किए बिना पड़ी रही;

(घ) क्या सरकार द्वारा निधियों के आंबटन के संबंध में जिम्मेवारी निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) सूखा और अकाल जैसी स्थितियां कल्याणकारी परियोजनाओं के क्रियान्वित न हो पाने के कारण नहीं पैदा होती हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस समय देश में अकाल जैसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के कुछ भागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान कम वर्षा के कारण सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। केन्द्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए कई कदम उठा रही है जिनमें ये शामिल हैं:

(1) सूखा आकस्मिक योजना को भी संबंधित राज्यों में परिचालित करना ताकि वे आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

(2) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 20 कि॰ ग्रा॰ प्रति परिवार की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3) रोजगार सृजक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए संबंधित केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत धन निर्मुक्त कर दिया गया है।

(4) राज्यों को 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम शुरू करने की सलाह दी गयी है।

(5) पेय जल आपूर्ति विभाग पेयजल की आपूर्ति का लगातार मानीटरन कर रहा है ताकि इसमें तेजी लायी जा सके।

(6) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को सलाह दी गयी है कि वह अन्वेषणात्मक नलकूपों को राज्यों को सौंप दे ताकि वे इसका पेयजल के लिए इस्तेमाल कर सकें।

(7) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे किसानों को पानी की कमी के प्रति सचेत करें और उन्हें कम पानी वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करें।

(8) राज्यों को जहां भी जरूरी हो चारा डिपों या पशु शिविर खोलने की सलाह भी दी गयी है।

(9) वर्ष 2000-2001 के दौरान कम वर्षा वाले राज्यों को आपदा राहत कोष में से केन्द्रीय हिस्से के रूप में नीचे दर्शायी गई राशि जारी कर दी गयी है :

राज्य का नाम	जारी की गई धनराशि (करोड़ रु० में)
गुजरात	131.14
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	31.98
उड़ीसा	41.05
राजस्थान	168.18
कुल	372.35

प्रयोक्ता प्रभार और मरम्मत शुल्क

1286. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों के बीच गंभीर मतभेदों के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके मंत्रालय को प्रस्तावित प्रयोक्ता प्रभारों और मरम्मत शुल्कों की लेवी लगाने के संबंध में महान्यायवादी की राय लेने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय प्रयोक्ता प्रभारों और मरम्मत शुल्कों की लेवी लगाने के पक्ष में है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय और संचार मंत्रालय ने इसका विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उनके मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्रधानमंत्री कार्यालय और संचार मंत्रालय की कोई बैठक हुई है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या निर्णय लिया गया है; और

(छ) इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) से (छ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के बाद प्रयोक्ता प्रभारों और मरम्मत शुल्कों की उगाही करने संबंधी नीति तैयार की है। एक मामले में नीति की व्याख्या करने का प्रश्न उठा है, अत: इस संबंध में अटार्नी जनरल के विचार मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

कृषि में आधुनिक तकनीक

1287. **श्री पी० आर० खूंटे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के संबंध में दी गई शिक्षा/प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह प्रशिक्षण किन-किन एजेंसियों के माध्यम से दिया जाता है; और

(ग) मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इस योजना को कितना समर्थन मिला है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आधुनिक कृषि तकनीकों में ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु देश के 21 राज्यों में केन्द्र सरकार की सहायता द्विपक्षीय सहायता तथा संयुक्त राष्ट्र कर्यक्रम की सहायता से विशेष स्कीम/परियोजनाएं/उप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये स्कीमें निम्नवत् हैं:

(i) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में "कृषि में महिलाएं" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम।

(ii) कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा गुजरात, आंध्र प्रदेश में "कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण तथा विस्तार" पर क्रमश: डेनिश तथा डच परियोजनाएं।

(iii) उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में "महिला किसानों को अधिकार" नामक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित विभिन्न उप-कार्यक्रम।

(ख) किसान प्रशिक्षण केन्द्रों के कृषि वैज्ञानिकों तथा प्रशिक्षकों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि में विशेषज्ञों के जिला स्तरीय दलों तथा राज्य सरकारों के संबंधित विभागों एवं केन्द्रीय/म० कृ० अ प० संस्थानों के साधन-संपन्न व्यक्तियों के माध्यम से महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) इन परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए गठित पुनरीक्षण-सह-मूल्यांकन मिशनों ने सूचित किया है कि इन परियोजनाओं के कई सकारात्मक प्रभाव सामने आए हैं, जैसे:

- छोटी और सीमांत भू-जोतों की स्वामिनी महिला किसानों को स्पष्ट एवं वास्तविक आधिकारिता।
- कम लागत वाली कृषि प्रौद्योगिकियों को अपना कर नकदी या माल के रूप में घरेलू आय में वृद्धि।

- सामान्य विस्तार प्रणाली में लिंग विभेद जागरूकता।

- महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।

- विस्तार प्रणाली में महिला विस्तार कर्मियों का बढ़ती संख्या में प्रवेश।

[अनुवाद]

मवेशियों के इलाज के लिए दवाएं

1288. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मवेशियों के इलाज के लिए होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक दवाओं को भी उपयोग पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पशु चिकित्सकों के पाठयक्रम का हिस्सा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके लिए इसे कब तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) ये देखा गया है कि स्वदेशी दवाएं प्रासंगिक हैं और इसलिए इन्हें पशु चिकित्सा पाठयक्रम में शामिल किया गया है। यह पाठयक्रम प्रमाणित फार्माकोलोजिकल सहित अल्कालायड्स, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन, गम, टेनिन, निर्धारित वाष्पशील तेल, वनस्पति दवाओं के स्रोतों तथा विभिन्न पशुओं एवं मानव रोगों में चिकित्सीय क्षमता और प्रसिद्ध स्वदेशी दवाओं जैसे एन्टीसेप्टिक, एन्टीफंगल, एन्थेलमिन्टिक्स एवं संधिपाद निवारक के संबंध में अध्ययन को शामिल करता है। कृषि संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर इस विभाग ने भारत में व्यापारिक चिकित्सीय व्यवसाय की सूची को तैयार करने तथा उन्हें वर्गीकृत करने के लिए एक परामर्शाता की पहचान की है।

आंध्र प्रदेश में मूंगफली की फसल को नुकसान

1289. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में घातक "बड नेक्रोसिक" विषाणु के हमले के कारण मूंगफली की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विषाणु पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का कोई दल भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) भविष्य में विषाणु को फैलने से रोकने और उन किसानों को मुआवजा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं जिनकी फसल पूर्णत: नष्ट हो गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में चालू वर्ष के दौरान बड नैक्रोसिस विषाणु के हमले से मूंगफली की फसल कुछ हद तक चौपट हो गयी।

(ख) जी, हां। आचार्य रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इक्रीसैट तथा राज्य के कृषि विभाग के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने मौके पर स्थिति का जायजा लेने और रोग को फैलने से रोकने हेतु नियंत्रण उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया।

(ग) रोग के नियंत्रण हेतु वैज्ञानिकों ने लघु अवधि एवं दीर्घावधि उपायों के निम्नवत् सुझाव दिए हैं:

1. *लघु अवधि उपाय :* (i) कीटों की संख्या तथा बड नेक्रोसिस रोग से प्रभावित क्षेत्र की मानिटरिंग (ii) उन क्षेत्रों में जहां फसल की आयु 45 दिन से कम है, मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशी का छिड़काव (iii) रोग के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्थानीय भाषा में विस्तार, कर्मचारियों एवं कृषकों को शिक्षित करना आदि।

2. *दीर्घावधी उपाय* (i) बड नेक्रोसिस विषाणु रोधी लघु अवधि किस्मों का विकास (ii) खरपतवार तथा कीटों में विषाणु रोग की उपस्थिति की दृष्टि से अगले खरीफ मौसम के दौरान खेतों की मानिटरिंग (iii) मोतिया कदन्न, अरहर, अरण्डी आदि अन्य फसलों के साथ फसल चक्रण तथा (iv) रोग प्रबंध के बारे में मुद्रित सूचना पत्रों/बुलेटिनों के वितरण के माध्यम से प्रचार।

(घ) विषाणु जन्य रोग को फैलाने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) नियंत्रण उपाय करने के लिए किसानों में जागरूकता लाने हेतु सर्वेक्षण दलों का गठन;

(ii) रोग के समुचित निदान तथा रोगवाहकों की जानकारी हेतु किसानों तथा अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण;

(iii) रोग के प्रबंध के बारे में आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा सिनेमा घरों में स्लाइडों के प्रदर्शन एवं सूचना पत्रों के वितरण आदि के माध्यम से प्रचार ; तथा

(iv) कीट के रोगवाहक के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशी तथा कच्चे नीम के तेल के मिश्रण का अनुप्रयोग।

जहां तक मूंगफली की खेती करने वाले किसानों को प्रतिपूर्ति देने का प्रश्न है, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कुछेक मामलों को छोड़कर मूंगफली की पैदावार बहुत अच्छी होने की संभावना है।

[हिन्दी]

टेलीफोन की शिकायतें

1290. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों से टेलीफोन के दोषों को ठीक किए बिना कम्प्यूटर में दर्ज शिकायतों को हटाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नीति पर रोक लगाने के लिए लाइनमैन द्वारा उपभोक्ता से हस्ताक्षर लेने को अनिवार्य बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक अनिवार्य किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस पर किस प्रकार रोक लगाने का है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दोषों की पैंडेसी दोष ठीक होने के पश्चात और उपभोक्ताओं से तत्संबंधी पुष्टि करने के बाद ही कम्प्यूटर से हटाई जाती है।

[अनुवाद]

सुपारी उत्पादक

1291. **श्री टी॰ गोविन्दन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपारी उत्पादक नेपाल के रास्ते श्री लंका से होने वाली सुपारी की तस्करी के फलस्वरूप मूल्य मे गिरावट के कारण संकट का सामना कर रहे हैं और इससे घरेलू बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किसानों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक:) (क) और (ख) मूल्यों में गिरावट के कारण सुपारी उत्पादकों ने समस्या का सामना किया है। सुपारी का आयात नगण्य था। मूल्यों में कमी अधिक उत्पादक के कारण हुई न कि आयात के कारण। तथापि, सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने पहले ही आयात शुल्क को 35% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। देश में अवैध तरीकों से सुपारी लाने को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिकारियों को अनुदेश भी जारी कर दिए हैं।

[हिन्दी]

झींगा उत्पादक

1292. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तटवर्ती महाराष्ट्र, गुजरात और केरल राज्यों में कुल कितना झींगा उत्पादन होता है;

(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में झींगा उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इसका उत्पादन बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) महाराष्ट्र, गुजरात तथा केरल के तटवर्ती राज्यों में विगत पांच वर्षों के दौरान कुल प्रॉन उत्पादन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रॉन के कुल उत्पादन में कोई अधिक गिरावट नहीं आई है और वार्षिक उत्पादन में उतार-चढ़ाव प्राकृतिक कारणों की वजह से है जो कि काफी सामान्य बात है।

(घ) और (ङ) उत्पादन को बढ़ाने के लिए समेकित तटीय जलकृषि की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन झींगा पालकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार समर्थन दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए तटवर्ती राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 39 खारा जल मत्स्य कृषक विकास एजेंसियां (बी एफ डी ए) स्थापित की गई हैं। वैज्ञानिक और सतत पद्धति से झींगा जलकृषि को शुरू करने के लिए खारा जल मत्स्य कृषक एजेंसियां सहायता प्रदान करती हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

1. निर्माण/नवीनीकरण के लिए पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत तथा प्रथम फसल के लिए आदानों की सम्पूर्ण लागत जो 30,000 रुपए प्रति हैक्टेयर से अधिक नहीं होगी, लाभार्थी को राजसहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

2. दो माह के प्रशिक्षण की अवधि के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी (लाभार्थी) को 25 रुपए प्रतिदिन के वजीफा और 140 रुपए के यात्रा भत्ते को भुगतान।

3. यह राजसहायता केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर वहन की जाएगी जबकि संघ शासित प्रदेशों के मामले में यह 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में होगी। प्रशासनिक लागत भी केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर वहन की जाएगी तथा संघ शासित प्रदेशों को केन्द्र 100 प्रतिशत लागत अनुदान सहायता के रूप में देगा।

4. निजी/सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिवर्ष पोस्ट लार्वे (पी एल 20) की 2 से 5 मिलियन क्षमता की प्रॉन बीज हैचरियों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 1.00 लाख रुपए प्रति हैचरी अथवा लागत का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, की सहायता दी जाएगी।

5. निजी क्षेत्र के उद्यम/कम्पनियां/निगम और निजी उद्यमी, जो नए तालाबों का निर्माण करते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रॉन पालन को शुरू करने के लिए उतनी ही राजसहायता के पात्र होंगे जितनी खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के तहत दी जाती है (अर्थात् अधिकतम 30,000 रुपए प्रति हैक्टेयर)।

विवरण

1995-96 से 1999-2000 के दौरान झींगा उत्पादन

(टनों में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00
गुजरात	55872	59960	63977	63887	64161
केरल	53134	60396	69250	70192	63759
महाराष्ट्र	107275	146889	120355	103656	107565

[अनुवाद]

उड़ीसा में बायो-गैस संयंत्र

1293. **श्री अनन्त नायक:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कितने बायोगैस संयंत्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या इन बायोगैस संयंत्रों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं -क्रमश: राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एनपीबीडी) तथा सामुदायिक संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम (सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी) के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में अब तक कुल लगभग 1.62 लाख पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र और 33 सामुदायिक तथा संस्थागत संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य नोडल एजेंसी, नामत: उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ओरेडा) को मंजूर की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

वर्ष	एनपीबीडी	सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी कार्यक्रम
1997-98	156.28 लाख रु.	शून्य
1998-99	308.19 लाख रु.	1.50 लाख रु.
1999-2000	429.00 लाख रु.	7.00 लाख रु.

इसके अलावा राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने वर्ष 1997-98 में लगभग 1.68 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता के उपयोग की सूचना दी है और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्ली ने वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरन क्रमश: 1.33 लाख रु. 0.70 लाख रु. और 0.56 लाख रु. के उपयोग की सूचना दी है।

(ग) जी हां।

(घ) ओरेडा द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में 21 जिलों में लगभग 86% पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को कार्य करते हुए पाया गया। इसके अतिरिक्त, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जिला पुरी, उड़ीसा में वर्ष 1996-97 और 1997-98 में स्थापित 398 पारिवारिक प्रकार के संयंत्रों का सर्वेक्षण करने पर सिर्फ 102 संयंत्रों को ही कार्यशील पाया गया। सामुदायिक और संस्थागत संयंत्रों के मामले में, ओरेडा ने सूचित किया है कि 68% संयंत्र चालू हालत में थे। अकार्यशील संयंत्रों को मरम्मत योजना के अंतर्गत पुन: कार्यशील बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा सहित 18 राज्यों में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग के तत्वावधान में बायोगैस कार्यक्रम पर एक मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर है।

फ्लाई ऐश का वाणिज्यिक उपयोग

1294. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों से प्रति वर्ष फ्लाई ऐश की कितनी अनुमानित मात्रा निकलती है;

(ख) प्रत्येक ताप संयंत्र ने देश में राज्य-वार पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए फ्लाई ऐश को पारिस्थितिकी के अनुकूल ठिकाने लगाने के लिए क्या-क्या प्रबंध किए हैं;

(ग) भवन निर्माण सामग्री में फ्लाई ऐश के वाणिज्यिक उपयोग संबंधी विशेष समिति द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषत: महाराष्ट्र में समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्य सरकारों ने इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) कोयले के 40% के औसत राख अवयव के आधार पर ताप विद्युत संयंत्रों से जनित उड़न राख की कुल मात्रा 80 मिलियन टन प्रति वर्ष है।

(ख) विद्युत केन्द्रों में जनित राख को उच्च दक्षता इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसी पिटेटरों की मदद से एकत्रित किया जाता है तथा इसे गारे के रूप में निम्न स्तर के क्षेत्रों में ढाल दिया जाता है। देश में सभी विद्युत केन्द्र सूखी उड़न राख एकत्रण के लिए व्यवस्था कर रहे हैं तथा उसे ईंटें बनाने, सीमेंट तथा अन्य भवन सामग्री निर्माण में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक ताप विद्युत केन्द्र द्वारा समुपयोजना/निपटान के लिए सूखी उड़न राख एकत्रण के लिए की गई व्यवस्था के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) वर्ष 1999 में विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के तहत स्थापित उड़न राख मिशन ने अन्य बातों के अलावा सुझाव दिये थे कि उड़न राख का उपयोग सड़कों एवं बांधों के निर्माण के लिए किया जाए, ईंट तथा खण्ड निर्मित किए जाऐ, सीमेंट का उत्पादन किया जाए, उर्वरकों तथा मानव-वास के और भू-गत खान-भरण के लिए राख कुंड बनाने हेतु उड़न राख का समुपयोजन किया जाए।

(घ) से (च) भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एस. ओ. 765 (ई) दिनांक 14.9.99 के जरिए अन्य बातों के अलावा ये निदेश दिए हैं कि (1) प्रत्येक कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र के प्रचालन के साथ प्रर्यावरणीय मंजूरी शर्तों सहित यह भी विनिर्धारित है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन से 9 वर्ष की अवधि के भीतर उड़न राख के पूर्ण समुपयोजन के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करें, योजना के अनुरूप भूमि पर उड़न राख को एकत्र करें तथा निपटान करें (2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत न आने वाले प्रत्येक कायेला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह वर्ष के भीतर विद्युत संयंत्रों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के रूप उड़न राख का समुपयोजन करें।

विभिन्न यूटिलिटियों ने अपने-अपने केन्द्रों में उड़न राख समुपयोजन प्रभाग स्थापित किए हैं तथा उनके विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पन्न उड़न राख के समुपयोजन को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर रहे हैं।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड उड़न राख के समुपयोजन के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। यह सूचित किया गया है कि नासिक तथा चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र में उत्पादित की जा रही उड़न राख के समुपयोजन के लिए समझौता हुआ है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण देश में ताप विद्युत केन्द्रों में संबंध में उड़न राख उत्पादन, उसका समुपयोजन तथा कार्य योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का भी प्रबोधन कर रहा है।

विवरण

ताप विद्युत केन्द्रों में ड्राई फ्लाई ऐश के उपयोगिता/निपटान हेतु किए गए प्रबंधों की दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	विद्युत केन्द्र का नाम (राज्य-वार)	प्लवराइज्ड फ्लाई ऐश (पीएफए) की उपयोगिता माध्यम	ड्राई पीएफए एकत्रण सुविधा
1	2	3	4
1.	*असम*		
	बोंगईगांव	एसबेस्टस, सीमेंट इंडस्ट्रीज	उपलब्ध
2.	*आंध्र प्रदेश*		
	कोठागुडम	शून्य	एन. ए. (निर्माणाधीन)
	नैल्लोर	ईंट व सीमेंट	उपलब्ध
	रामागुण्डम	शून्य	उपलब्ध
	रायलसीमा	ईंट व सीमेंट	उपलब्ध
	विजयवाड़ा	ईंट व सीमेंट	उपलब्ध
3.	*बिहार*		
	बरौनी	शून्य	एन. ए.
	मूजफ्फरपुर	शून्य	एन. ए.
	पतरातू	ईंट व सीमेंट	उपलब्ध
	तेनुघाट	शून्य	एन. ए.
4.	*गुजरात*		
	गांधीनगर	शून्य	उपलब्ध
	कच्छ	शून्य	उपलब्ध
	सिक्का	सीमेंट	उपलब्ध
	उकई	सीमेंट	उपलब्ध
	बनाकबोरी	सीमेंट	एन.ए.
	साबरमती	भवन सामग्री, भूमिभरण, राजमार्ग स्लैब	
5.	*हरियाणा*		
	फरीदाबाद	-	एन.ए.
	पानीपत		एन.ए
6.	*कर्नाटक*		
	रायचूर	ईंट, सीमेंट व सिरामिक	उपलब्ध
7.	*मध्य प्रदेश*		
	अमरकंटक	शून्य	एन.ए.

1	2	3	4
	कोरबा-2 व 3 (पूर्व)	सीमेंट और ऐश डाइक	एन. ए.
	कोरबा पश्चिम	ईंट और ऐश डाइक	एन. ए.
	संजय गांधी	ईंट	उपलब्ध
	सतपुड़ा	शून्य	एन. ए.
8.	*महाराष्ट्र*		
	भुसावल	ईंट भूमि भरण एवं कृषि	एन. ए.
	चन्द्रपुर	ईंट व एसबेस्टस उत्पाद	एन. ए.
	वखापरखेड़ा	ईंट व ढांचे की भराई	उपलब्ध
	कोराडी	ईंट व ढांचे की भराई	एन. ए.
	नासिक	सीमेंट, कृषि व ऐश डाइक	एन. ए.
	पारस	कृषि व ईंट	उपलब्ध
	परली	कृषि व एसबेस्टस उत्पाद	एन. ए.
	दहाणु	ईंट	एन. ए.
	ट्राम्बे	आंकड़े उपलबध नहीं	-
9.	*उड़ीसा*		
	इब वैली	ऐश डाईक एंव भूमि भरण	उपलब्ध
10.	*पंजाब*		
	भटिंडा	सीमेंट	उपलब्ध
	रोपड़	सीमेंट	उपलब्ध
11.	*राजस्थान*		
	कोटा	सीमेंट, ईंट व ऐश डाइक	एन. ए.
	सूरतगढ़	शून्य	एन. ए.
12.	*तमिलनाडु*		
	एन्नौर	ईंट व एसबेस्टस उत्पाद	उपलब्ध
	मेत्तूर	सीमेंट	उपलब्ध
	उत्तर चेन्नई	ईंट, ब्लॉक और एसबेस्टस उत्पाद	एन. ए.
	तूतीकोरिन	सीमेंट उद्योग	उपलब्ध
13.	*उत्तर प्रदेश*		
	अनपारा क और ख	ऐश डाइक व सीमेंट	एन. ए.
	हरदुआगंज बी	शून्य	एन. ए.
	ओबरा	सीमेंट व एसबेस्टस उत्पाद	एन. ए.
	पनकी	शून्य	
	परीचा	सीमेंट	एन.ए.
	टांडा	आंकड़े उपलब्ध नहीं	-

1	2	3	4
14.	*पश्चिम बंगाल*		
	तीतागढ़	भूमि, सड़क व ईंट	उपलब्ध
	बी. बी. जी. एस.	भूमि, सड़क व ईंट	उपलब्ध
	एस. जी. एस.	भूमि, सड़क व ईंट	उपलब्ध
	कोलाघाट	ईंट, भूमि व फर्टिलाइजर	उपलब्ध
	बाण्डेल	शून्य	एन. ए.
	संथालडीह	शून्य	एन. ए.
	डीपीएल	खदान भराई	उपलब्ध
15.	*एनसीआर दिल्ली*		
	इन्द्रप्रस्थ	ढांचे की भराई व भूमि विकास	एन. ए.
	राजघाट	वैक फिलिंग	एन. ए.
	केन्द्रीय क्षेत्र		
16.	*डीवीसी*		
	बोकारो "ए"	रिक्त खानों की भराई	एन. ए.
	बोकारो "ब"	शून्य	एन. ए.
	चन्द्रपुरा	शून्य	एन. ए.,
	दुर्गापुर	खान भराई	एन. ए.
	मेजिया	शून्य	एन. ए.
17.	*एनटीपीसी*		
	बदरपुर	उद्योग, ऐश डाइक, ईंट इत्यादि	एन. ए.
	बाल्को	उद्योग, ऐश डाइक, ईंट इत्यादि	उपलब्ध
	दादरी	भूमि विकास व उद्योग	उपलब्ध
	फरक्का	भूमि विकास, उद्योग, ऐश डाइक इत्यादि	एन. ए.
	कहलगांव	भूमि विकास व उद्योग	उपलब्ध
	कोरबा	उद्योग, ऐश डाइक व ईंट	एन. ए.
	रामागुण्डम	भूमि विकास, उद्योग, ऐश डाइक व ईंट	उपलब्ध
	रिहन्द	भूमि विकास व उद्योग	उपलब्ध
	सिंगरौली	भूमि विकास व उद्योग	उपलब्ध
	तालचेर	भूमि विकास व उद्योग	उपलब्ध
	तालचेर एसटीपीएस	भूमि विकास व उद्योग	उपलब्ध
	ऊंचाहार	उद्योग	उपलब्ध
	विन्ध्यांचल	उद्योग, ऐश डाइक, व ईंट	एन. ए.
18.	*एनएलसी लि०*		
	नैवेली-1	सीमेंट, ईंट व आरसीसी उत्पाद	उपलब्ध
	नैवेली-2	-	एन. ए.

स्रोत : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के गांवों में डाकघर

1295. श्री अशोक ना॰ मोहोल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के गांवों, विशेषत: ओमगांव में नए डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) डाकघरों, विशेषत: पोमगांव में डाकघरों के कब तक खुलने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सर्किल से कुल मिलाकर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए 42 प्रस्ताव और विभागीय उप-डाकघर खोलने के लिए 49 प्रस्ताव प्राप्त हुए है और 01 प्रस्ताव पोमगांव, ताल मुलशी, जिला पुणे के लिए प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) डाकघरों को खोला जाना विभागीय मानदंडों के पूरा होने और वित्त मंत्रालय से अपेक्षित संख्या में पदों की मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है। पोमगां पोमगांव के मामले में, प्राप्त हुए प्रस्ताव की जांच की गई और इसे विभागीय मानदंडों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं पाया।

एक लेन को दो लेन में बदला जाना

1296. श्री जय प्रकाश: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेन वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय सड़क निधि से उन्हें दो लेन में बदलने के लिए निधियां जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के विकास और रख-रखाव के लिए निर्धारित केन्द्रीय सड़क निधियां मुख्यत: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए उपयोग की जा रही है। अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के एक लेन वाले खंडों को चौड़ा करके दो लेन बनाने के कार्यों को राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए योजनागत आबंटन से वित्तपोषित किया जा रहा है। इसलिए केवल उन खंडों को छोड़कर जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में आते हैं, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से कोई धन नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन

1297. श्री सुबोध मोहिते: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में लागू योजनाओं का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पूर्ण/जारी मूल्यांकन अध्ययनों की सूची

क्र. सं॰	अध्ययन का नाम	अध्ययन करने वाला संगठन/अवधि	मुख्य निष्कर्ष/अनुवर्ती कार्यवाही
1.	कर्नाटक में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन	भू:पर्यावरणीय प्रबंध सेवा हैदराबाद (1999/2000)	भू-जल क्षमता और उत्पादकता सुधार पर अनुकूल प्रभाव
2.	राजस्थान में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन	प्राकृतिक और मानव संसाधन विकास संस्थान, नई दिल्ली (1999/2000)	भू-जल क्षमता और उत्पादकता सुधार पर अनुकूल प्रभाव
3.	महाराष्ट्र में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन	वैकल्पिक नीति के लिए विकास केन्द्र, नई दिल्ली (1999/2000)	भू-जल क्षमता और उत्पादकता सुधार पर अनुकूल प्रभाव

क्र. सं॰	अध्ययन का नाम	अध्ययन करने वाला संगठन/अवधि	मुख्य निष्कर्ष/अनुवर्ती कार्यवाही
4.	आंध्र प्रदेश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन	कृषि वित्त निगम, नई दिल्ली (1999/2000)	भू-जल क्षमता और उत्पादकता सुधार पर अनुकूल प्रभाव
5.	असम में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन	कृषि वित्त निगम, नई दिल्ली (1999/2000)	भू-जल क्षमता और उत्पादकता सुधार पर अनुकूल प्रभाव
6.	उत्तर प्रदेश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन	कृषि वित्त निगम, नई दिल्ली (1999/2000) (ए एफ सी)	भू-जल क्षमता और उत्पादकता सुधार पर अनुकूल प्रभाव
7.	दूर संवदी तकनीक इस्तेमाल करते हुए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बंगलौर (1998-2000)	वनस्पति पर अनुकूल प्रभाव
8.	देश के विभिन्न राज्यों में नदी घाटी स्रवण क्षेत्रों और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लागू की गयी मृदा संरक्षण स्मीक का मूल्यांकन	1. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इण्डिया, हैदराबाद (1986, 1998 और 1989) 2. कृषि वित्त निगम मुंबई (1998/1991) 3. प्रबंध और विकास केन्द्र केरल (1991) 4. इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक ग्रोथ, दिल्ली (1995)	1 कृषि उपज में वृद्धि 2 फसल गहनता में वृद्धि 3 तलछट उपज में कमी 4 बहाव के शीर्ष दर में कमी 5 रोजगार सृजन में वृद्धि
9.	उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती उपज क्षेत्रों में जलसंभर विकास परियोजनायें	घास राव कनसल्टेन्टस प्रा॰ लि॰ (1995)	1 झूम खेती में कमी 2 प्रति परिवार कृषि आय में वृद्धि
10.	क्षारिय मृदाओं में सुधार	के॰ लाल गोयल एण्ड कम्पनी (1995)	फसल उत्पादन में वृद्धि
11.	केन्द्रीय सहायता से देश के विभिन्न स्थानों में जैव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना का प्रभाव मूल्यांकन	मैसर्स बायो टैक कन्सोटियम इंडिया लि॰ (बी सी आई एल) नई दिल्ली (1999-2000)	जैव उर्वरकों के उन्नत उपयोग पर अनुकूल प्रभाव। मूल्यांकक अभिकरणों द्वारा नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता के सरणीकरण को मंजूरी
12.	केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना तिलहन उत्पादन कार्यक्रम पर प्रभाव मूल्यांकन	कृषि वित्त निगम (1989)	स्कीमों के कार्यान्वयन में कमियां और कठिनाइयां पाई गयी तथा संबंधित राज्यों को कठिनाइयां दूर करने के लिए कहा गया।
13.	कृषि में प्लास्टिक के उपयोग का प्रभाव मूल्यांकन	कृषि वित्त निगम, मुंबई (1997-98)	जल संरक्षण, फसलों के उपज बढ़ाने और उत्पाद के स्तर को सुधारने के लिए ड्रिप सिंचाई उपयोगी है।
14.	कृषि में महिलाओं पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन	अंतर-अनुशासनिक मदें और आंतरिक परामर्श अध्ययन	विभिन्न कृषि तकनीकों के उपयोग पर महिला किसानों के सामान्य जागरूकता स्तर सृजन पर अनुकूल प्रभाव।
15.	चावल, गेहूं, पटसन, कपास, मोटे अनाज और गन्ने के लिए फसल आधारित स्कीमों का प्रभाव मूल्यांकन	कृषि वित्त निगम लि॰ गेहूं, चावल, मोटे अनाज 2000-01 के लिए। मोटे अनाज और चावल के लिए आठवीं योजना में भी मूल्यांकन किया गया।	चावल, गेहूं और मोटे अनाजों की उत्पादन और उत्पादकता में मिनीकिट कार्यक्रमों का अनुकूल प्रभाव। चालू मूल्यांकन अध्ययन के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा है।

पशुओं के बारे में जन्म नियंत्रण नीति

1298. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों पर आवारा कुत्तों और जानवरों की संख्या कम करने के उद्देश्य से महानगरों और अन्य अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पशुओं के बारे में जन्म नियंत्रण नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गायें, सांड और आवारा कुत्तों से यातायात को खतरा बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में बनी सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) महानगरों और अत्यधिक जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में तथा महत्वपूर्ण शहरों में पशु जन्म नियंत्रण नीति का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पशु कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) आवारा सांडों को प्रजनन करने से रोकने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को बधियाकृत सांडों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आवारा पशुओं के लिए "आश्रय गृहों का प्रावधान" क्रियान्वित करता है। तथापि, आवारा कुत्तों और गोपशुओं की संख्या को देखना राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आता है जो इस समस्या से निपटने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं।

दमन और दीव में पुलों के लिए धनराशि

1299. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दमन और दीव में किन-किन स्थानों पर सड़कों, उच्च स्तर के पुलों/बड़े पुलों/पक्के नदीपथों का निर्माण किया जा रहा है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी प्रत्येक योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) केन्द्र सरकार प्रमुख रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के विकास और अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आती है। दमन एवं दीव में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इसलिए यह प्रश्न इस मंत्रालय से संबंधित नहीं है। दमन एवं दीव में सड़कों के विकास के लिए निधियां गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। दमन एवं दीव प्रशासन से यह पता लगाया गया है कि योजना आयोग ने दो पुलों अर्थात् दमनगंगा नदी पर तटीय राजमार्ग पुल और दमनगंगा पर एक नए पुल को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। दमनगंगा पर नए पुल के निर्माण के लिए सड़क और पुल (आर एंड बी) विभाग, गुजरात सरकार ने शेष कार्य के रूप में निविदाएं आमंत्रित की हैं।

(ख) चालू वर्ष (2000-2001) के लिए गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में सड़क और पुल शीर्ष के तहत प्रमुख कार्यों के लिए दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र के बजट में 7.34 करोड़ रु॰ का प्रावधान किया गया है।

(ग) कार्य-पूर्ति की तारीख अभी बता पाना संभव नहीं है।

कृषि उत्पाद विपणन समिति का विकास

1300. श्री भान सिंह भौरा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत कृषि उत्पाद विपणन समिति के विकास के लिए उनके मंत्रालय में कोई प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नि:शुल्क टेलीफोन कनेक्शन

1301. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कारगिल शहीदों के परिवार के सदस्यों/आश्रितों को नि:शुल्क टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। करगिल युद्ध के शहीदों के परिवार वालों/आश्रितों को मुफ्त टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) साधारणतया युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को टेलीफोन पंजीकरण और संस्थापना प्रभारों की अदायगी से मुक्त रखा गया है। सामान्य किराए में भी उन्हें 50 प्रतिशत की अतिरिक्त आवर्ती छूट दी जाती है। ये रियायतें करगिल के शहीदों की विधवाओं पर भी सामान्य रूप से लागू होती हैं।

[अनुवाद]

गंगा नदी में प्रदूषण

1302. **श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जनू, 2000 के "स्टेट्समैन" मे "गंगा मोर पाल्यूटेड दैन नारवेज सीवर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नार्वे के इन्स्टीट्यूट की रिपोर्ट से पता चलता है कि गंगा नार्वे के पब्लिक सीवरों से अधिक प्रदूषित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा गंगा में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) नार्वे की संस्था की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जाजमाऊ में चर्मशोधन बहिस्रावों के उपचार के लिए स्थापित सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र के उपचारित बहिस्राव का नमूना जाजमाऊ से लिया गया है नकि गंगा नदी से, जो कि 800 मिलिग्राम प्रति लीटर रसायनिक ऑक्सीजन माँग स्तर तथा 10.9 मिलिग्राम प्रति लीटर क्रोमियम सांद्रता को दर्शाता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अप्रैल तथा जनू, 2000 के महीनों के दौरान जाजमाऊ सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र की मोनीटरिंग की और 250 मिलिग्राम प्रति लीटर रसायनिक आक्सीजन माँग और कुल क्रोमियम 2 मिलिग्राम प्रति लीटर के निर्धारित विसर्जन मानकों की तुलना मे उपचारित बहिस्राव में 341 मिलिग्राम प्रति लीटर रसायनिक ऑक्सीजन मांग की सान्द्रता तथा 0.15 मिलिग्राम प्रति लीटर क्रोमियम सान्द्रता पाई गई। जाजमाऊ सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र से शोधित बहिस्राव पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ की हाल ही की एक रिपोर्ट में भी शोधित बहिस्राव में क्रोमियम का स्तर 1.7 मिलिग्राम प्रति लीटर बताया गया है जो कि मानकों के भीतर ही है। यद्यपि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मोनिटरिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि शोधित बहिस्राव में क्रोमियम की सांद्रता विसर्जन मानकों की सीमा के भीतर ही है तथापि रसायनिक आक्सीजन माँग के मानों का उल्लंघन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को बहिस्राव मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक उपाय करने को कहा गया है।

(घ) जाजमाऊ में सामूहिक बहिस्राव शोधित संयंत्र से शोधित बहिस्राव और स्लज में क्रोमियम की अधिक सांद्रता की समस्या से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सभी बड़े और मंझोले चर्मशोधकों को अपनी क्रोमियम रिकवरी प्रणालियाँ स्थापित करनी होंगी। छोटे चर्मशोधकों को सामूहिक रूप से क्रोमियम रिकवरी प्रणाली स्थापित करनी होगी। नगरीय मलजल से गंगा नदी के प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से गंगा कार्य योजना चरण-I, जो पहले ही पूरी हो चुकी है, के अंतर्गत लगभग 35 प्रतिशत प्रदूषण का निपटान किया गया है। शेष 65 प्रतिशत प्रदूषण का निपटान गंगा कार्य योजना चरण-II, जो कि चल रहा है, के अन्तर्गत किया जाना है।

डाक टिकट

1303. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महान भारतीय व्यक्ति के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक महान भारतीय व्यक्तियों विशेषकर केरल के महान व्यक्तियों के सम्मान में जारी स्मारक डाक टिकटों की कोई सूची तैयार की गई है;

(ग) क्या सरकार को स्वर्गीय श्री टांगल कुंजु मुसालियर के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्तावों की जांच इस प्रयोजन हेतु गठित की गई फिलैटली सलाहकार समिति द्वारा की जाती है। समिति कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तावों की जांच करती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह नियत किया गया है कि:

1 जिन विभूतियों पर डाक टिकटें जारी की जानी हैं, उनको राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा होनी चाहिए तथा टिकट जारी करने का अवसर उनकी जन्म शताब्दी अथवा 10वीं/25वीं/50वीं या 100वीं पुण्य तिथि होनी चाहिए।

2. एक ही विभूति पर एक से अधिक डाक टिकट नहीं जारी किया जाना चाहिए।

3. प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले स्मारक/विशेष डाक टिकटों में से विभूतियों पर सामान्यता 25 प्रतिशत से अधिक टिकट जारी नही किए जाने चाहिए।

(ख) पिछले तीन वर्षों से अब तक जिन विभूतियों पर डाक टिकट जारी किए गए हैं उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) यह प्रस्ताव फिलैटलिक सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया। तथापि, डाक विभाग द्वारा श्री मुसालियर की जन्म शताब्दी के अवसर पर दिनांक 12.01.1997 को विशेष विरूपण सहित एक विशेष आवरण जारी किया गया था।

विवरण

1997 में विभूतियों पर जारी डाक टिकट

क्र. सं.	विभूति का नाम
1	डा॰ वृन्दावन लाल वर्मा
2	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
3	जोस मार्टी
4	मोरारजी देसाई
5	श्याम लाल गुप्त
6	संत ज्ञानेश्वर
7	राम मनोहर लोहिया
8	ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता: कन्नड़
9	मधु लिमये
10	पंडित ओंकारनाथ ठाकुर
11	राम सेवक यादव
12	शिवनाथ बनर्जी
13	तिरूमति रुक्मणी लक्ष्मीपति
14	श्री बसवेश्वर
15	सर रोनाल्ड रॉस
16	आई एन ए के तीन वीर पी. के. सहगल, जी. एस. ढिल्लों और शाह नवाज खान
17	फिराक गोरखपुरी
18	भक्ति वेदान्त स्वामी
19	स्वामी ब्रह्मानन्द
20	सर विलियम जोन्स
21	वी. के कृष्ण मेनन
22	सन्त कवि सुन्दरदास
23	के. रामा राव

1998 में विभूतियों पर जारी किए गए डाक टिकट

क्र. सं.	विभूति का नाम
1	नाहर सिंह
2	नानक सिंह
3	महाराणा प्रताप
4	वी. एस. खांडेकर
5	जगदीश चन्द्र जैन
6	महात्मा गांधी
7	सरदार ए. वेदरत्नम
8	सावित्रीबाई फुले
9	सैयद अहमद खान
10	श्री रमण महर्षि
11	एन. जी. गोरे
12	डा॰ जाकिर हुसैन
13	मो॰ अब्दुर्रहमान साहिब
14	लोकनायक अभिय कुमार दास
15	आईएनए वीर-अब्दुल कादरु
16	फौजा सिंह और सत्येन्द्र चन्द्र बर्धन
17	सी. विजय राघवाचारियर
18	ज्ञान पीठ पुरस्कार विजेता: बांगला
19	भगवान गोपीनाथ जी
20	अरूणा आसफ अली
21	शिवपूजन सहाय
22	गोष्ठ पाल
23	भाई कन्हैयाजी
24	डा॰ त्रिस्ताव ब्रगेंजा कुन्हा
24	हजारी प्रसाद द्विवेदी
25	सरदार वल्लभभाई पटेल
26	पट्टाभि सीतारमैया
27	राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खान
28	जेरोम डिसूजा

1999 में विभूतियों पर जारी किए गए डाक टिकट

क्र. सं.	विभूतियों का नाम
25	जननेता त्रिजाम इरावत सिंह
26	आचार्य तुलसी
27.	बाबा राघव दास
28.	लेफ्टिनेंट इन्द्र लाल राय
29	संत गड्गे बाबा

क्र. सं.	विभूतियों का नाम
1	बीजू पटनायक
2.	डा॰ के॰ बी॰ हेडगेवार
3	गुलजारी लाल नंदा
4	उस्ताद उलाउद्दीन खान साहब
5	मुसिरी सुब्रहमण्य अय्यर
6	स्वामी रामानन्द तीर्थ
7	स्वामी केशवानन्द
8	सरदार अजीत सिंह
9	विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी
10	पी. एस. कुमारस्वामी राजा
11	आरती गुप्ता (साहा)
12	काजी नजरूल इस्लाम
13	रामधारी सिंह "दिनकर"
14	रामवृक्ष बेनीपुरी
15	झवेरचन्द्र कालिदास मेधावी
16	कल्कि कृष्णमूर्ति
17	डा॰ टी॰ एम॰ ए॰ पई
18	छगन लाल के॰ पारेख
19	ए॰ बी॰ वलावलकर
20	ए॰ डी॰ श्रॉफ
21	राजमाता जीजा बाई
22	वीरपांड्या कट्टबोम्मन
23	ब्रिगेडियर रजिन्दर सिंह महावीर चक्र
24	बलई चन्द्र मुखोपाध्याय, "बनफूल"
25	ए॰ वैद्यनाथ
26	इन्दूलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
27	डा॰ पंजाबराव देशमुख
28	पी॰ कक्कड़

खेल स्कूलों की स्थापना

1304. **श्री पी. एस. गढ़वी :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेल स्कूलों की स्थापना करने हेतु वर्ष 1998 में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात में ऐसे स्कूलों की स्थापना करने हेतु किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इन स्थानों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) इससे पहले, सरकार ने प्रत्येक राज्य में एक तथा प्रत्येक स्कूल में 500 विद्यार्थियों को समाहित करने की क्षमता वाले 20 खेल विद्यालयों की स्थापना के लिए, एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। तत्पश्चात, इस विषय पर विचार-विमर्श के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि मात्र खेल विद्यालयों की स्थापना की बजाय, नवोदय विद्यालय सिमिति प्रत्येक राज्य में एक नवोदय विद्यालय स्कूल में मूलभूत खेल सुविधायें विकसित कर सकती हैं।

उपर्युक्त प्रस्तावित प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार ने अभी तक किसी भी खेल विद्यालय की स्थापना नहीं की है।

[हिन्दी]

ग्रामीण दूरभाष केन्द्र

1305. **श्री राजो सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण दूरभाष केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए;

(ग) क्या विशेषकर बिहार में ऐसे अधिकांश केन्द्र खराब पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संतोषजनक टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश भर में 3731 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। बिहार सहित अधिकतर ग्रामीण एक्सचेंज सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि सेवा में और सुधार के लिए सभी एक्सचेंजों को क्रमिक रूप से विश्वसनीय पारेषण माध्यम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस कार्य को मार्च 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शीतल पेय में कृत्रिम सामग्री

1306. **डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तैयार किए गए शीतल पेय में कृत्रिम सामग्री के पाये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शीतल पेय में इन हानिकारक पदार्थों का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक विश्लेषण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या फलों के रस अथवा गूदे के आधार पर शीतल पेय के उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टी.एच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) मृदु पेयों में कृत्रिम सामग्री खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अनुज्ञेय सीमा तक मिलाई जा सकती है। मृदु पेयों में अनुज्ञेय सामग्री/अवयवों का विष विज्ञान की दृष्टि से मल्यांकन कर लिया गया है और यह नियमों के तहत निर्धारित सीमा में प्रयुक्त होने पर निरापद है।

(घ) और (ङ) फल प्रसंस्करण समेत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग सहायता प्रदान कता है। अपनी योजना स्कीमों के तहत विभाग रस/गूदा आधारित मृदु पेयों के उत्पादन समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को रियायती वित्त मुहैया कराता है।

राष्ट्रीय पर्यावरणिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को अनुदान देना

1307. **डा. वी. सरोजा:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने प्रदूषण रहित वाहन (दुपहिया) पर अनुसंधान कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को अनुदान देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यावरणिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर द्वारा इस मंत्रालय को वित्तीय सहायता के लिए, प्रस्तुत किए गए बैटरी चालित दुपहिए वाहन के विकास पर एक अनुसधान एव विकास परियोजना प्रस्ताव को, व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि प्रदूषण रहित बैटरी चालित दुपहिए वाहन के क्षेत्र में नीरी के पास सुविज्ञता उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

सोयाबीन की फसल को क्षति

1308. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के कतिपय भागों मे सोयाबीन की फसल में रतुआ रोग लग गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फसल को उक्त रोग से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई अनुसंधान कार्य कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा इस संबध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दिल्ली को कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। बेतुल, छिंदवाडा, सिओनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन और धार ऐसे जिलों में से हैं जहां सोयाबीन की खेती होती है और इन जिलों में वर्ष 1994 से सोयाबीन की फसल रतुआ रोग से प्रभावित हो रही है। तथापि हाल ही में वर्ष 1999 के दौरान रतुआ का प्रकोप बहुत कम हुआ और वर्ष 2000 से रतुआ रोग दिखाई ही नहीं पड़ा।

(ख) राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, इंदौर ने इस रोग से फसल की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य किया है।

(ग) सोयाबीन की रतुआ सहिष्णु/रोधी किस्मों को पहचाना गया है। ये हैं: -पी. के. 1024, पी. के. 1029 और इन्दिरा सोयाबीन-9

* यह भी पाया गया कि खरीफ मौसम के बाद रबी मौसम में लगातार सोयाबीन की फसल उगाने से इसमें रोग होने की अधिक संभावना रहती है। इसलिए एक स्थान पर वर्ष में एक से अधिक बार फसल नहीं उगानी चाहिए।

* खेती से जुड़े कार्यों जैसे गर्मी में हल चलाना, साफ-सुथरी कृषि, रतुआ से प्रभावित पौधों/फसल अवशेषों को जलाने से रोग के प्रकोप की संभावना कम हो जाती है।

* प्रोफाइलैक्टिक के साथ-साथ रोगनाशकों "हैक्साकोनाजोल" अथवा "प्रोपिकोनाजोल" अथवा "ट्रायडिमफान" का 0.1 प्रतिशत की दर से फूल निकलने के समय अथवा रोग दिखाई पड़ने पर छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता होने पर 15 दिन के अंतराल पर भी छिड़काव करना चाहिए।

(घ) और (ङ) जी हां। भा. कृ. अ. प. को 'एपिडेमिआलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ सोयाबीन रस्ट नामक एक परियोजना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से प्राप्त हुई और इसे 23.3.1999 को मंजूर कर दिया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत वित्त पोषण करने के लिए "सोयाबीन रस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट" नामक एक दूसरी परियोजना प्राप्त हुई। इस परियोजना की 24-25 फरवरी, 2000 को समीक्षा की गई। परियोजना में संशोधन करने के लिए परियोजना के प्रमुख अन्वेषक को कुछ ठोस दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

एक्सप्रैस हाईवे का निर्माण

1309. डा. ए. डी. के. जयशीलन: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारी यातायात और व्यावसायिक संभावनाओं को देखते हुए चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच एक एक्सप्रेस हाईवे बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) से (ग) जी नहीं। चैन्नई और कन्याकुमारी के बीच एक्सप्रैस मार्ग के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चैन्नई और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले राजमार्गों को धनराशि की उपलब्धता के आधार पर 4/6 लेन को बनाने का प्रस्ताव है इस समय यह कार्य परियोजना तैयार करने के स्तर पर है।

[हिन्दी]

कृषि स्नातकों को नौकरियां

1310. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने बेरोजगार कृषि स्नातक हैं और कृषि के क्षेत्र में इन्हें नौकरियां देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार नई कृषि तकनीक और कृषि अनुसंधान के प्रचार-प्रसार में उनकी सेवाओं का उपयोग करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान): (क) राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में ऐसे बेरोजगार स्नातकों की संख्या लगभग 5000-6000 के बीच है जो कृषि तथा संबद्ध विषयों में स्नातक हैं। इसके अलावा कृषि विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार मिलने में 6 महीने से 3 वर्ष तक का समय लग जाता है।

भारत सरकार द्वारा कृषि नीति तैयार की गई है जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने पर ध्यान देगी। इसके अलावा भारत सरकार ने कृषि और कृषि-व्यापार केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 165.00 करोड़ रु॰ के परिव्यय से एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम तैयार की है ताकि स्नातक ग्रामीण परिवेश से कृषि-निदानशालाएं/कृषि व्यापार केन्द्र स्थापित कर सके जिसके लिए बैंकों के जरिए 10.00 लाख रु॰ का ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण की 25 प्रतिशत राशि सरकारी राज सहायता के रूप में होगी। प्रारम्भ में इस स्कीम के दायरे में 5000 स्नातकों को लाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से स्नातकों को प्रौद्योगिकी के संवर्धन तथा स्थानान्तरण में शामिल किया जा रहा है।

नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता

1311. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेती योग्य भूमि के लिए कितने नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटैशियम की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष किस सीमा तक इनका आयात किया जा रहा है; और

(ख) कम्पोस्ट उर्वरकों के अधिक से अधिक इस्तेमाल के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्ष 2000-01 के लिए पोषण के रूप में नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेशियम की आवश्यकता क्रमश: 126.91, 53.64 तथा 20.23 लाख मी॰ टन होने का अनुमान है। गत चार वर्षों के दौरान उर्वरकों का आयात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत सरकार राज्यों/के॰ शा॰ प्रदेशों पर किसानों में समेकित पोषण प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जोर दे रही है। इस प्रणाली में रसायनिक उर्वरकों आदि के संबंध में कम्पोष्ट, फार्म यार्ड खाद और जैव-उर्वरकों जैसे पौध पोशक तत्वों के आर्गेनिक स्रोतों के उपयोग की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार वित्तीय सहायता देकर कम्पोष्ट व जैव-उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है जिससे बायो-डीग्रेडेबल शहरी कचरे को कम्पोष्ट में परिवर्तित करने के लिए कम्पोष्ट संयंत्रों और जैव-उर्वरक उत्पादक इकाइयों की स्थापना की जा सके।

विवरण

वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के लिए "उर्वरकों का आयात"

(मात्रा लाख मी॰ टन में)

वर्ष	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी
1996-97	23.28	5.34	10.21
1997-98	23.89	14.60	19.00
1998-99	5.56	21.05	25.70
1999-2000	5.33	32.68	28.98

गत चार वर्षों के दौरान एन पी के के संबंध में उर्वरकों का आयात इस प्रकार है:

(मात्रा एल एम टी में)

वर्ष	एन	पी	के	एन पी के
1996-97	11.67	2.46	6.13	20.26
1997-98	13.62	6.72	11.40	31.45
1998-99	6.35	9.68	15.42	31.45
1999-2000	8.33	15.03	17.39	40.75

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन में वृद्धि

1312. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गुजरात में क्रियान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उससे अभी तक कितनी उपलब्धियां प्राप्त की गई है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ग) फसल उत्पादन बढ़ाना के लिए गुजरात में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा उसके अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन से फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि निम्नवत हुई है :

	1994/95		1998/99	
	उत्पादन*	उपज**	उत्पादन*	उपज**
मोटे अनाज	18.24	9.25	22.10	12.89
कपास	16.64#	179	39.35	416
गन्ना	107.85	69.70	143.09	71.20

पाद टिप्पणी : # वर्ष 1970/71 के लिए।

* उत्पादन लाख टन में, (कपास के मामले को छोड़कर, जहाँ उत्पादन लाख गांठ में है)

** उपज किग्रा॰ प्रति हैक्टेयर में है (गन्ने के मामले को छोड़कर जहाँ टन प्रति है॰ में है)

विवरण

वर्ष 2000-2001 (30.9.2000) के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए गुजरात सरकार को निर्मुक्त निधियों का विवरण

क्र. सं॰	स्कीम का नाम	धनराशि (लाख रु॰)
1	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	214.00
2	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम	25.00
3	तिलहन बीज उत्पादन कार्यक्रम	510.00
4	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	2.16
5	आयल पाम विकास परियोजना	10.00
6	मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	39.40
7	गन्ना आधारित फसल प्रणाली आधारित सतत गन्ना विकास	7.25
8	उर्वरकों का संतुलित व समेकित उपयोग	50.00
9	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन	15.00
10	उष्ट कटिबंधि और शीतोष्ण कटिबंधि फलों का समेकित विकास	12.03
11	वाणिज्यिक पुष्प सकृषि का विकास	3.00
12	औषधीय व सजावटी पौधों का विकास	0.27
13	समेकित मसाला विकास कार्यक्रम	13.65
14	खुम्बी का विकास	5.00
15	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	182.76
16	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	1000.00
17	नदी घाटी परियोजनाओं व बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	134.00
18	राज्य भू-उपयोग बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	3.00
	कुल	2226.52

पाद टिप्पण: क्र॰ सं॰ 6 से 18 को कार्य योजना दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात किया गया है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन

1313. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री पुष्प जैन:
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार आम लोगों द्वारा कितने प्रतिशत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपभोग किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार कितनी अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन किया गया;

(ग) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत की क्या संभावनाएं हैं;

(घ) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का पता लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ कन्नप्पन) : (क) और (ख) सौर, पवन, बायोमास तथा लघु पन बिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत देश में कुल संस्थापित क्षमता की लगभग 1.75% है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार क्षमता संयोजन संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कुल अनुमानित संभाव्यता संलग्न विवरण II में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी हां। मंत्रालय ने, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत, आवंटित वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत संयोजित की गई राज्यवार और वर्षवार विद्युत क्षमता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत कार्यक्रम (मे.वा.)			सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत (कि.वा.)			लघु पनबिजली (मे.वा.)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.50	6.00	26.25	-	-	-	-	14.01	12.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.01
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	गुजरात	20.10	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	0.13	2.00
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-
10.	कर्नाटक	11.17	2.63	14.59	30.00	-	-	7.10	2.75	5.40
11.	केरल	-	-	-	-	-	25.00	-	2.00	
12.	मध्य प्रदेश	2.70	6.16	4.14	-	100.00	-	-	2.41	-
13.	महाराष्ट्र	0.23	23.34	50.35	-	-	-	2.50	0.21	-
14.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-
16.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	0.01	6.39
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70
18.	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	0.06	
19.	पंजाब	-	-	-	-		100.00	-	2.00	4.50
20.	राजस्थान	-	-	2.00	-	-	-	-	-	0.53
21.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	0.15	
22.	तमिलनाडु	31.14	17.77	45.68	150.00	-	-	-		
23.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-		
24.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	25.00	-	1.50	0.10	
25.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	25.00	-	-	-	-	
26.	अण्डमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-	-		-
28.	दादर व नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	दमन व दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	100.00	-		
32.	पाण्डिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	अन्य	-	-	-	-	-	-			
	कुल	66.83	55.89	143.00	205.00	125.00	225.0	11.10	28.57	33.58

मे.वा. - मेगा वाट, कि.वा. - किलोवाट

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत संयोजित की गई राज्यवार और वर्षवार विद्युत क्षमता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोमास विद्युत (मे.वा.)			बायोमास गैसीफायर (कि.वा.)			अपशिष्ट से ऊर्जा (मे.वा.)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	10.00	1.00	1000.00	2300.00	3630.00	0.25	–	4.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–		–	–	–	–	–
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	0.50	–	–	5.00	–	–	2.00	–
7.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	–	10.00	26.00	860.00	500.00	10.00	–	–	1.00
11.	केरल	–	–	–	–	–	–	–		–
12.	मध्य प्रदेश	–	5.00	–	–	100.00	–	–	–	2.70
13.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	100.00	200.00	–	–	–
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय		–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–		–	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	–		–	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	–	–	–	10.00	–	–	–	–	–
19.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	0.75	–	–
20.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	33.50	10.00	–	130.00	70.00	120.00	–	–	0.06
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	8.00	8.00	24.00	–	–	–	1.00	–	
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	500.00	–	30.00	–	–	–
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–		–	–	–	–	–
32.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	41.50	43.50	51.00	2490.00	3085.00	3990.00	2.00	2.00	8.46

मे.वा. - मेगा वाट, कि.वा. - किलोवाट

विवरण II

देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की अनुमानित संभाव्यता

	स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभाव्यता
1	बायोगैस संख्या (सं.)	120 लाख
2	उन्नत चूल्हा (सं.)	12 करोड़
3	बायोमास	
	क. बायोमास विद्युत	16,000 मेगावाट
	ख. खोई आधारित सहउत्पादन	3,500 मेगावाट
4	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	20 मेगावाट/वर्ग किलोमीटर
5	सौर तापीय विद्युत	35 मेगावाट/वर्ग किलोमीटर
	सौर जल तापन प्रणालियां	30 मिलियन वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र
6	पवन विद्युत	20,000 मेगावाट
7	लघु जल विद्युत	10,000 मेगावाट
8	अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति	170 मेगावाट

विवरण-III

9वीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रमवार आवंटन तथा वास्तविक लक्ष्य

	वित्तीय (रु. करोड़ में)		वास्तविक	
क्र. सं.	कार्यक्रम/योजना	9वीं योजना आवंटन (रु. करोड़ में)	इकाई	9वीं योजना वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	बायोगैस(एनपीबीडी)	286.00	सं. लाख में	10
2	सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी	30.00	सं.	800
3	उन्नत चूल्हा	84.00	सं. लाख में	150
4	बायोमास/गैसीफायर	25.00	मे. वा	40
5	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	53.00	ब्लाक सं.	660 (पुराने)
				200 (नए)
6	ऊर्जाग्राम	1.00		
7	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	8.00	सं. (ऊर्जापार्क)	200
8	पशु ऊर्जा कार्यक्रम	2.14		
9	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन	219.00		
	एसपीवी घरेलू रोशनी		सं.	2,00,000
	एसपीवी लालटेन		सं.	3,00,000
	एसपीवी विद्युत संयंत्र		मे. वा.	1.6
10	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	46.50	सं.	4000
11	एसपीवी अनुसंधान एवं विकास	25.00		
12	सौर तापीय ऊर्जा	34.00		
	सौर जल तापन प्रणलियाँ		वर्गमी. संग्राहक क्षेत्र	1,50000
	सौर कुकर		सं.	1,50,000
13	सौर ऊर्जा केन्द्र	24.00		
14	पवन पंप एवं हाइब्रिड प्रणाली	8.00	सं.	1000
			कि.वा.	250
15	पवन विद्युत	63.00	मे. वा.	1000
16	लघु पनबिजली	187.00		
	(एसएचपी)		मे. वा.	130
	(पनचक्की)		सं.	700
	(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)		मे. वा.	65
17	बायोमास विद्युत	226.00	मे. वा.	314
18	एसटी विद्युत/एसपीवी विद्युत	63.00		
	एसटी विद्युत		मे. वा.	140
	एसपीवी विद्युत		मे. वा.	1.5
19	यू एंड आई एवं एनबीवी	62.00	मे. वा.	42
20	नई प्रौद्योगिकी			
	क. रासायनिक स्रोत	7.00		
	ख. हाइड्रोजन ऊर्जा	4.50		
	ग. वैकल्पिक ईंधन	7.50		
	घ. महासागरीय ऊर्जा	3.00		
	ङ. भूतपीय ऊर्जा	3.00		
21	सूचना एवं प्रचार	15.00		
22	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	9.00		
23	परियोजना तैयारी सहायता	9.00		
24	ट्राईफैक	2.00		
25	सेमिनार	2.50		

1	2	3	4	5
26	क्षेत्रीय कार्यालय	4.00		
27	एनआईआरई	20.00		
28	राज्य नोडल एजेंसियां	15.00		
29	ग्रामीण ऊर्जा उद्यमिता/संस्थागत विकास	5.00		
30	बाजार विकास/निर्यात संवर्धन	5.00		
31	महिला एवं अक्षय ऊर्जा विकास	1.00		
32	मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण	6.00		
33	इरेडा			
	क इक्विटी	250.00		
	ख प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक निधि	10.00		
	कुल (डीवीएस)	1822.14		
34	इरेडा को प्रतिरूप निधियन (ईएपी)	300.00		
	कुल (जीबीएस)	2122.14		
35	आईईबीआर	1678.00		
	कुल परिव्यय	3800.14		

*वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त आंबटनों के अलावा एनपीबीडी में 65.50 करोड़ रु॰ और एनपीआईसी कार्यक्रम में 23.00 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। इसे 9वीं योजना की शेष अवधि के दौरान बचत के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख

1314. **श्री भेरूलाल मीणा:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्व बैंक प्रायोजित राज्य राजमार्ग परियोजनाओं के अन्तर्गत नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और देखरेख कार्य की जिम्मेवारी लेने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अंतर्गत जो काम शुरू किए जाने की संभावना है उनका ब्यौरा क्या है और उक्त राजमार्गों के लिए प्राथमिकता के आधार पर किन-किन राज्यों में ये काम शुरू किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) और (ख) राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार को हस्तांतरित कर दिए जाने के बाद केन्द्र सरकार नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हो जाती है। विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे राज्यीय राजमार्गों और नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में राज्यीय राजमार्गों पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवाओं का निगमीकरण

1315. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:
डा॰ जसवंतसिंह यादव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री भीम दाहाल:
श्री वाई॰ एस॰ विवेकानन्द रेड्डी:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री अनंत गंगाराम गीते:
श्री किरीट सोमैया:
श्री बी॰ के॰ पार्थसारथी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग का भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के रूप में निगमीकरण कर लिया गया है और इसने 1 अक्तूबर, 2000 से काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इससे बेहतर उपभोक्ता सेवा में किसी सीमा तक सहायता मिली है और कर्मचारियों के हितों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विदेशी निवेशकों, अनिवासी भारतीयों और विदेशी निगमित निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति प्रदान कर इसे और उदारीकृत किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विदेशी और निजी निवेशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एसटीडी/आईएसडी कालों की दर को कम करने पर सहमत हो गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने राजस्व की हानि होने का अनुमान है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां, पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के रूप में निगमित कर दिया गया है जिसने 1.10.2000 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

दो विभागों का दूरसंचार के क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का सामना करने के लिए निर्गमित किया गया है। निगमित ढांचे के मुख्य लाभ ये हैं-वाणिज्यिक स्थिति में बढ़ोतरी, स्वायत्तता और निर्णय लेने के लचीले पन में बढ़ोतरी, वित्तीय लचीलेपन मे बढ़ोतरी, समुचित उपभोक्ता अनुकूलन और कार्यदल का कुशल निर्माण आदि।

(ग) और (घ) कर्मचारियों की कुछ फैडरेशनों/एसोसिएशनों/यूनियनों ने निगमीकरण के विरुद्ध विद्रोह किया था। मामले पर उनके साथ विचार-विमर्श किया गया था और निगमीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हुए कुछेक स्टाफ फैडरेशनों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ङ) निगम ने कुछ उपभोक्ता अनुकूल निर्णय पहले ही ले लिए हैं जैसे पंजीकरण प्रभारों में कमी, निःशुल्क नए कनेक्शन के लिए आवेदन-पत्र तैयार करना और भुगतान न करने के कारण काटे गऐ टेलीफानों की शीघ्र बहाली आदि। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में आमेलित होने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वेतन और परिलब्धियों के लाभ प्रदान किए जाएंगे जैसाकि बीएसएनएल द्वारा अन्तिम निर्णय लिया गया है। आमेलित किए जाने के तुरन्त बाद ही गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को 1000/- रु० मिलेंगे।

(च) और (छ) जी हां। सरकार ने दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण और दूरसंचार के क्षेत्र में कतिपय क्षेत्रों के लिए स्वत: मार्ग के जरिए से 100 प्रतिशत विदेशी सीधे निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है। प्रमुख विनिर्माताओं जैसे सीमेंस, ल्यूसेंट, एल्काटेल, मोटारोला, फिजीस्तू और एरीक्सन आदि ने देश में पहले ही अपनी विनिर्माण यूनिटों की स्थापना कर ली है। सरकार की उदारीकरण की नीति से इस क्षेत्र में और अधिक निवेश होने की आशा है।

(ज) जी, हां।

(झ) टीआरएआई ने, टैरिफ पुन: संतुलन के भाग के रूप में, दूसरे चरण का कार्यान्वयन पहले ही कर लिया है और 1.10.2000 से "पीक टाइम" एसटीडी और आईएसडी की दरों में कमी की। यह कमी 1.10.2000 से 31.03.2002 तक की अवधि के लिए लागू है और लम्बी दूरी के टैरिफ के संदर्भ में 7 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच है। 1.10.2000 से 31.03.2001 तक नई दरों के कारण राजस्व में अनुमानित कमी 754 करोड़ रुपए तक होने की आशा है।

[हिन्दी]

बिहार में खान माफियाओं को पट्टे पर भूमि देना

1316. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के कोडरमा के आरक्षित वन क्षेत्र में कितने खान माफियाओं को 100 एकड़ से ज्यादा खान की भूमि पट्टे पर आंवटित की गयी है;

(ख) कोडरमा आरक्षित वन क्षेत्र के नवाडा और कोडरमा जिलों में कितने लोगों को पत्थर की खानों को पट्टे पर आवंटित किया गया है और उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनन हेतु इन क्षेत्रों को पट्टे पर लिये जाने के कारण पर्यावरण और वन को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्रों में पर्यावरण और वनों के विनाश की समीक्षा करने के लिए कोई जांच समिति गठित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के कोडरमा रिजर्व वनों में खनन पट्टों के लिए 100 एकड़ से अधिक वन भूमि के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) नवादा और कोडरमा जिलों में पत्थर खनन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण नीचे दिए अनुसार है :

क्र. सं०	जिला	व्यक्ति का नाम	विचलित वन क्षेत्र (हैक्टेयर)	क्षेत्र का नाम
1.	नवादा	श्रीमती प्रेम जैन	4.33	रतनपुर आरक्षित वन
2.		श्री अजय झांजरी	4.98	- वही -
3.		श्री विवेक झांजरी	2.31	- वही -
4.	कोडरमा	श्री एच. बी. पाण्डेय	1.21	लंगरपारस/डोमचांच आरक्षित वन
5.		श्री पी. के. सुखानी	2.30	- वही -
6.		श्री यू. एस. प्रसाद	2.38	वही -
7.		श्रीमती सीता रामपाल	3.16	- वही -
8.		श्री एस. रामपाल और श्री एच. रामपाल	1.21	- वही -

(ग) आठ अनुमोदित मामलों में से (कोडरमा जिला से संबंधित) 5 खनन पट्टों के नवीकरण के लिए है अत: पर्यावरण में उल्लेखनीय हानि का आकलन नहीं किया गया है। वन भूमि के खनन पट्टे की मंजूरी के कारण पर्यावरण को होने वाली किसी हानि को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित आदेश में प्रयोक्ता एजेंसी की लागत से समकक्ष गैर वन भूमि/अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त सहित उपयुक्त शर्तें लगाई जाती हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोसी सिंचाई कमान क्षेत्र में जल जमाव

1317. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोसी सिंचाई कमान क्षेत्र में जल जमाव से 1.4 लाख हैक्टेयर भूमि प्रभावित है जिसके कारण प्रतिवर्ष 20 लाख क्विंटल खाद्यान्न की क्षति होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) बिहार सरकार ने हाल ही में दिनांक 17.11.2000 को प्राप्त सूचना के अनुसार किसी सिंचाई कमान का लगभग 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र जल भराव की समस्या से प्रभावित है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल सिंचाई कमानों में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए उक्त कार्यक्रम में 1.4.1996 से "सिंचाई कमान में जल भराव क्षेत्रों का सुधार" नामक नया घटक शामिल किया गया है। इस घटक के अन्तर्गत 6000/- रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा सुधार की लागत की आधी धनराशि, जो भी कम हो, केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकार को प्रदान की जाती है।

वर्ष 1997-98 के दौरान कोसी सिंचाई कमान में जल भराव क्षेत्रों के सुधार संबंधी एक परियोजना प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की जांच के उपरान्त कुछ सुझाव दिए गए और राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी एवं प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्यों को सहायता

1318. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न राज्यों में 79 परियोजनाओं के लिए निधियाँ स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य-वार किन-किन परियोजनाओं को निधियां प्रदान की गई हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत युटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों की 528 विद्युत परियोजनाओं के लिए 15128 लाख रु॰ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) परियोजनाओं के लिए निधि का भुगतान आरईसी द्वारा संबंधित रा. वि. बोर्डों/विद्युत युटिलिटियों/राज्य विद्युत विभाग द्वारा ऋण संबंधी दस्तावेजों को पूरा करने के बाद किया जाता है।

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों का निर्धारण राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम रा. वि. बो./विद्युत युटिलिटियों को उनके द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराता है बशर्ते ये कीम तकनीक रूप से व्यवहार्य एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक हों। ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्णरूपेण विद्युतीकरण मुख्यत: अपेक्षित ढाँचागत प्रणाली तैयार करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं उपभोक्ताओं की मांग पर निर्भर करेगा।

विवरण

आरईसी द्वारा 2000-2001 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र सं.	राज्य	संख्या	ऋण राशि
1	आंध्र प्रदेश	48	10533
2	दिल्ली	2	817
3	गोवा	2	247
4	गुजरात	45	17870
5	हरियाणा	70	11384
6	जम्मू और कश्मीर	21	7291
7	कर्नाटक	144	35376
8	केरल	29	11894
9	महाराष्ट्र	132	38745
10	मणिपुर	2	207
11	पंजाब	24	12887
12	त्रिपुरा	5	950
13	उत्तर प्रदेश	4	3325
	कुल		151528

[अनुवाद]

महानगरों में प्रदूषण

1319. श्री शिवाजी माने:
श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रदूषण समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी उपाय सुझाने हेतु सिफारिश करने के लिए किसी आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दिल्ली और अन्य महानगरों में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली एवं अन्य महानगरों में वाहनजनित प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से उठाए गए कदमों में पूरे देश में 1.4.2000 से विनिर्मित मोटर वाहनों के लिए यूरो-1 मानकों के समान इंडिया-2000 मानक के रूप में ज्ञात कड़े व्यापक उत्सर्जन मानक तथा 1.4.2000 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, 1.1.2000 से मुम्बई में तथा 1.7.2000 से चेन्नई व कलकत्ता में चार पहियों वाले निजी (गैर वाणिज्यिक)वाहनों के पंजीकरण के लिए यूरो-II के समान भारत स्टेज-II के रूप में ज्ञात और अकि कड़े व्यापक उत्सर्जन मानक, 1.4.1999 से पूरे देश में 2-स्ट्रोक ईंजन ऑयल के विनिर्देश अधिसूचित किया जाना, आटोमोबाइल प्रौद्योगिकी के उन्नयन के अनुरूप उन्नत ईंधन गुणवत्ता की आपूर्ति, केवल सीसारहित पेट्रोल की आपूर्ति, आटों ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का अंगीकरण किया जाना शामिल है।

एस॰ टी॰ डी॰ और आई॰ एस॰ डी॰ का प्रशुल्क

1320. श्री ए॰ वल्मनैया:
श्री एन॰ एन॰ कृष्णदास:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सरकार की एस॰टी॰डी॰ की दोहरी दरें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबी दूरी की स्वदेश की कॉलों (एस॰ टी॰ डी॰) और अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों (आई॰ एस॰ डी॰) की प्रशुल्क दरें क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आई॰ एस॰ डी॰ कॉलों से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ङ) क्या आई॰ एस॰ डी॰ के प्रशुल्क में भारी कटौती से राजस्व से प्राप्त होने वाले धन पर प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वदेशी लंबी दूरी की कॉलों (एसटीडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉलों (आईएसडी) के टैरिफ संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) एक एकीकृत नेटवर्क के विभिन्न स्तरों से कॉलों के गुजरने वाली वर्तमान प्रणाली में आईएसडी कॉल के राजस्व को अन्य कॉलों के राजस्व से पृथक करना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) आईएसडी कॉलों के टैरिफ में कमी करने से कुछ समय तक राजस्व अर्जन में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह आशा भी की जाती है कि ट्रैफिक की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में होने वाली संभावित कमी पूर्णत: अथवा अंशत: पूरी हो जाएगी।

विवरण

एसीटीडी टैरिफ दर (1.10.2000 से 31.3.2002)

1 मिनट प्रभार	यूनिट दर 1.2		ऑफ-पीक-I		ऑफ-पीक-II		ऑफ-पीक-III	
दूरी किमी. में	पूर्णदर पल्स	प्रभार(रु.)	पल्स	प्रभार (रु॰)	पल्स	प्रभार (रु.)	पल्स	प्रभार (रु.)
0-50	180	1.20	180	1.20	180	1.20	180	1.20
50-200	15	6.00	28	3.60	36	2.40	60	1.20
200-500	6.2	12.00	10	8.40	14	6.00	24	3.60
500-1000	4.1	18.00	7	10.80	10	8.40	16	4.80
1000 से अधिक	3	25.20	5	15.60	7	10.80	12	7.20

आईएसडी टैरिफ दरें (1.10.2000 से 31.3.2002)

1 मिनट प्रभार	यूनिट दर 1.2		रियायती अवधि	
दूरी किमी. में	पूर्ण दर पल्स	प्रभार रु.	रियायती पल्स	प्रभार (रु.)
स्लैब I	2.8	26.4	3.3	22.8
स्लैब II	1.8	40.8	2.1	34.8
स्लैब III	1.5	49.2	1.7	43.2

सड़कों के खंड

1321. **श्री जी. एस. बसवराज:**
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में लगभग 5700 किलो मीटर सड़क भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने किलोमीटर की सड़क को कर्नाटक में इस योजना के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है; और

(ग) ऐसी सड़कों का अन्य ब्यौरा क्या है जिन्हें कर्नाटक के वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने दि. 12.10.2000 की अधिसूचना के तहत देश में 5694 कि॰ मी॰ लम्बे नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की है। इनमें से लगभग 176 कि॰ मी॰ लम्बा रा॰ रा॰ सं॰ 218 कर्नाटक राज्य में है।

(ग) यातायात की आवश्यकता, प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार पर विचार किया जाता है। अभी ब्यौरे बता पाना संभव नहीं है।

समुद्री कटाव

1322. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय राज्यों विशेषत: कर्नाटक के तटीय जिलों में समुद्र से कटाव बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अब तक सरकार द्वारा कटाव से हुई क्षति संबंधी किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन तटीय राज्यों विशेषकर कर्नाटक के तटीय जिलों में समुद्र के कटाव जैसी समस्या को रोकने के लिए कोई उपाय अपनाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) कर्नाटक सहित तटीय राज्यों ने समुद्र तट कटाव में कोई वृद्धि होने की सूचना नहीं दी है।

(ख) मेरिटाइम राज्यों द्वारा तटीय कटाव से हुई क्षतियों का वर्षानुवर्ष मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, समुद्री कटाव से प्रभावित तटीय राज्यों द्वारा किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा निम्नलिखित है:

आंध्र प्रदेश	-	9 किमी
गोवा	-	11 किमी
गुजरात	-	38 किमी
कर्नाटक	-	242 किमी
केरल	-	480 किमी
महाराष्ट्र	-	263 किमी
उड़ीसा	-	108 किमी
पांडिचेरी	-	6 किमी
तमिलनाडु	-	32 किमी
पश्चिम बंगाल	-	49 किमी

(ग) और (घ) तटीय कटाव के निवारण से संबंधित स्कीमों की योजना बनाने, उनकी जांच करने और निष्पादन का दायित्व राज्य सरकारों का है। इन्हें बाढ़ नियंत्रण के तहत योजना आयोग द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराई गई वार्षिक योजना निधियों से राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। कर्नाटक के संबंध में, आठवीं योजना के अंत तक 30.66 करोड़ रुपए के व्यय से 30.4 किमी लम्बे तट की सुरक्षा की गई है।

नाजुक क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने के लिए मेरिटाइम राज्यों की सहायता करने हेतु नौवीं योजना के अन्तर्गत केन्द्र की सहायता प्राप्त समुद्र कटाव रोधी स्कीम शुरू की गई है। स्कीम का केन्द्रीय घटक तथा राज्य घटक का अनुपात 75:25 है इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में 20 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। जिसमें कर्नाटक राज्य के लिए 5.50 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

कस्तूरी हिरण का अवैध शिकार

1323. **श्री रामचन्द्र पासवान:**
श्री रामजीवन सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में शिकारियों द्वारा कस्तूरी हिरण का अवैध शिकार बेरोक-टोक जारी है, जो विलुप्त होने की कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कस्तूरी हिरण के अवैध शिकार का कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) मुख्य वन्यजीव संरक्षक, आन्ध्र प्रदेश ने सूचित किया है कि कस्तूरी हिरण की हत्या के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। तथापि, दूर-दराज के क्षेत्रों में कुछ अवैध शिकार की घटनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य में कस्तूरी हिरण के अवैध शिकार के लिए कोई योजनाबद्ध मूल्यांकन तैयार नहीं किए गए हैं।

(घ) "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" स्कीम के अन्तर्गत कस्तूरी हिरण और राज्य के ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाने वाली अन्य संकटापन्न प्रजातियों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता के वित्त पोषण पैटर्न को बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सेवा

1324. **प्रो॰ दुखा भगत:**
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री राजो सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों में अधिकांश दूरभाष केन्द्र और टेलीफोन छः महीने से भी अधिक समय से खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) टेलीफोन लगाने से पहले उनके उपकरणों की जांच करने हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और वे कारण क्या हैं जिनकी वजह से ये योजनाएं अभी तक कार्यान्वित नहीं की जा सकीं ; और

(च) क्या इस संबंध में कई अधिकारियों को दोषी पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत नदियों को साफ किया जाना

1325. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत किन-किन नदियों की सफाई का कार्य अब तक शुरू किया गया है;

(ख) प्रत्येक नदी के लिए कार्य योजना को लागू करने हेतु अनुमानित लागत कितनी है और इसको पूरा करने के लिए क्या लक्षित तारीख निर्धारित की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नदीवार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के लिए नदीवार कितना आवंटन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत शामिल नदियों के नाम, अनुमानित लागत और कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का नदीवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के लिए नदीवार आवंटन संलग्न विवरण III में दिया गया है।

विवरण I

(लाख रुपये में)

नदी सं	नदियां	राज्य सं	राज्य	अनुमोदित लागत
अ.	*राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय*		2005	(कार्य पूरा होने की तारीख)
1	अदयार	1	तमिलनाडु	49152.00
2	कोयम		तमिलनाडु	
3	बेतवा	2	मध्य प्रदेश	863.88
4	भद्रा	3	कर्नाटक	459.49
5	ब्रह्मणी	4	उड़ीसा	994.30
6	कावेरी		कर्नाटक	4137.96
			तमिलनाडु	
7	चम्बल	5	राजस्थान	1693.10
			मध्य प्रदेश	

नदी सं	नदियां	राज्य सं	राज्य	अनुमोदित लागत
8	गोदावरी	6	आंध्र प्रदेश	13442.31
		7	महाराष्ट्र	
9	खान		मध्य प्रदेश	4219.08
10	कृष्णा		महाराष्ट्र	2814.37
11	क्षिप्रा		मध्य प्रदेश	2492.13
12	महानदी		उड़ीसा	1404.00
13	नर्मदा		मध्य प्रदेश	1380.77
14	साबरमती	8	गुजरात	9383.39
15	सतलज	9	पंजाब	21961.36
16	सुवर्नरेखा	10	झारखंड	3064.09
17	ताप्ती		मध्य प्रदेश	525.79
18	तुंगा		कर्नाटक	708.93
19	तुंगभद्रा		कर्नाटक	894.07
20	वैनगंगा		मध्य प्रदेश	265.51
	उपयोग			119856.53
ब.	*गंगा कार्य योजना फेज-II*		2005	(कार्य पूरा होने की तारीख)
21	दामोदर		झारखंड	2241.24
		11	पश्चिम बंगाल	
22	गंगा	12	उत्तर प्रदेश	58789.11
		13	बिहार	
		14	उत्तरांचल	
			पश्चिम बंगाल	
23	गोमती		उत्तर प्रदेश	5811.37
24	यमुना	15	दिल्ली	49645.35
		16	हरियाणा	
			उत्तर प्रदेश	
	उप-योग			116487.07
	कुल (अ+ब)			236343.60
स	*गंगा कार्य योजना फेज-I*		(31.03.2000 को बंद घोषित)	
1	गंगा		बिहार	41998.47
			उत्तर प्रदेश	
			पश्चिम बंगाल	
	कुल			41998.47

विवरण - II

(लाख रुपये)

क्र॰ सं॰	राज्य	नदी	जारी की गई राशि				
			1997-98	1998-99	1999-00	2000-01 (10/2000 तक)	योग
1	आन्ध्र प्रदेश	गोदावरी	200.00	0.00	677.89	0.00	877.89
2	बिहार	गंगा	144.72	0.00	0.00	0.00	144.72
3	दिल्ली	यमुना	82.59	200.00	125.00	0.00	407.59
4	गुजरात	साबरमती	650.00	220.00	1713.62	0.00	2583.62
5	हरियाणा	यमुना	2585.00	2650.00	1482.00	0.00	6717.00
6	झारखंड	दामोदर सुवर्णरेखा	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7	कर्नाटक	भद्रा कावेरी तुंग तुंगभद्रा	0.00	90.00	435.65	0.00	525.65
8	मध्य प्रदेश	बेतवा चम्बल खान क्षिप्रा नर्मदा ताप्ती वैनगंगा	124.00	500.00	1150.00	54.43	1828.43
9	महाराष्ट्र	गोदावरी कृष्णा	100.00	0.00	233.00	600.00	933.00
10	उड़ीसा	ब्राह्मणी महानदी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	पंजाब	सतलुज	0.00	500.00	1295.00	126.80	1921.80
12	राजस्थान	चम्बल	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
13	तमिलनाडु	कावेरी अडयार कूयम	0.00	90.00	649.57	250.00	989.57
14	उत्तर प्रदेश	गंगा गोमती युमना	5413.50	5350.00	6846.51	100.00	17710.01
15	उत्तरांचल	गंगा					
16	पश्चिम बंगाल	गंगा दामोदर	0.00	400.00	400.00	0.00	800.00
	योग:		9299.81	10000.00	15058.24	1231.23	35589.28
	गंगा कार्य योजना चरण-1		(31.3.2000) से बंद घोषित				
1	उत्तर प्रदेश	गंगा	274.00	250.00	0.00	0.00	524.00
2	बिहार	गंगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	पश्चिम बंगाल	गंगा	55.60	0.00	0.00	0.00	55.60
	योग:		329.60	250.00	0.00	0.00	579.60

विवरण - III

(लाख रुपये)

क्र॰ सं॰	राज्य	नदी	बजट आबंटन (2000-01)
1	आन्ध्र प्रदेश	गोदावरी	1000.00
2	बिहार	गंगा	900.00
3	दिल्ली	यमुना	100.00
4	गुजरात	साबरमती	1000.00
5	हरियाणा	यमुना	900.00
6	झारखंड	दामोदर	(बिहार के अन्तर्गत शामिल)
		सुवर्णरिखा	
7	कर्नाटक	भद्रा	500.00
		कावेरी	
		तुंग	
		तुंगभद्रा	
8	मध्य प्रदेश	बेतवा	1700.00
		चम्बल	
		खान	
		क्षिप्रा	
		नर्मदा	
		ताप्ती	
		वैनगंगा	
9	महाराष्ट्र	गोदावरी	2000.00
		कृष्णा	
10	उड़ीसा	ब्राह्मणी	300.00
		महानदी	
11	पंजाब	सतलुज	1350.00
12	राजस्थान	चम्बल	200.00
13	तमिलनाडु	कावेरी	2500.00
		अडयार	
		कूयम	
14	उत्तर प्रदेश	गंगा	4200.00
		गोमती	
		युमना	
15	उत्तरांचल	गंगा	(उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत शामिल)
16	पश्चिम बंगाल	गंगा	2500.00
		दामोदर	
	योग:		19150.00

ध्वनि और वायु प्रदूषण

1326. **श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पटाखों द्वारा किए गए ध्वनि और वायु प्रदूषण को एक सीमा के अंदर रखने और पटाखे छोड़ने को नियंत्रित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए व्यक्तियों और पटाखा उद्योगों की संख्या कितनी है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.10.2000 को जारी की गई अधिसूचना का सख्ती से अनुपालन किया जाए।
- 4 मीटर की दूरी पर 125 डी बी (ए) अथवा 145 डी बी (सी) से अधिक ध्वनि पैदा करने वाले पटाखों, अग्निबाणों (राकेटों) और परमाणु बमों (एटम बमों) आदि का निर्माण अथवा विक्रय नहीं किया जाएगा।
- 1 नवम्बर, 2000 से विनिर्माताओं द्वारा पटाखों पर ही ध्वनि के स्तर का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा।
- पटाखे निश्चित रूप से साय 6.00 बजे से 11.00 बजे के बीच ही चलाए जाएंगे।
- अस्पतालों और परिचर्या गृहों सहित शांत क्षेत्रों के इरूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों में पटाखे नहीं चलाए जाएंगे।
- इस प्रयोजन के लिए पटाखों के अधाधुंध उपयोग से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए तथा जागरूक बनाया जाए।

(ग) माननीय न्यायालय के निर्देशों को संबंधित विभागों के ध्यान में लाया गया था और इस संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है।

खनिजों के दोहन से पारिस्थितिकी को खतरा

1327. **श्रीमती निवेदिता माने:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क, कोयला और अन्य खनिजों के दोहने से वन्य जतुओं और आरक्षित वन क्षेत्र को खतरा पहुँचने से पारिस्थितिकी के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वन्य जंतुओं और वनों पर खनन औद्योगिक और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) खनिजों का दोहन सदा ही स्थल आकृति, जिसमें आसपास का क्षेत्र भी आता है, संबंधी कुछ बाधाओं से जुड़ा हुआ होता है। इस प्राकर बाधा का परिमाण खान के आकार, भंडार के स्थान तथा उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। खान विकास और आपरेशन चरणों के दौरान कुछ पर्यावरणीय प्रभाव होने अपरिहार्य हैं। तथापि, उपयुक्त प्रबंधन योजना और संरक्षण उपाय अपनाकर प्रभावों को कम किया जाता है। खनन प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए मंजूरी देते समय सदैव यह बात सुनिश्चित की जाती है।

(ख) से (घ) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबंध के अनुसार, कोई भी राज्य सरकार/प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग नहीं कर सकता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पर्यावरण पर खनन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारें में विस्तृत मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव की जांच अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। परियोजना स्थल विशिष्ट होने और वन भूमि की आवश्यकता न्यूनतम होने का पता लगाने के बाद ही परियोजना को अनुमोदित किया जाता है। इसके अलावा, प्रमुख खनिज के मामले में, जिसके लिए 5 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि को उपयोग में लाया जाना हो, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अन्तर्गत पर्यावरण की मजूरी के लिए विस्तृत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाती है। खनन प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते समय बराबर की वनेतर भूमि या दुगुनी अवक्रमित वन भूमि, जैसा भी मामला हो चरणबद्ध रूप से खनिज क्षेत्रों, आदि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने जैसे उपयुक्त सुरक्षा उपायों (मूल्यांकन रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर) की शर्त लगाई जाती है ताकि उस क्षेत्र में वनस्पति एवं जीव जन्तुओं पर ऐसी गतिविधियों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों का शमन किया जा सके।

जब कभी यह आवश्यकता महसूस होती है कि वनेत्तर गतिविधि से परियोजना स्थल के आस-पास की वनस्पति एवं जीव जन्तुओं पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में विषय में विशेषज्ञता प्राप्त विशेषज्ञों/संस्थाओं द्वारा अध्ययन किए जाते हैं। अनुमोदन आदेश में जिन निर्धारित शर्तों के अनुपालन के लिए कहा गया है उनकी निगरानी राज्य सरकार तथा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों के द्वारा की जाती है। आवश्यक होने पर खनिजों के दोहन तथा स्थानीय पारि-प्रणाली के बीच अनुकूल संतुलन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। पारिस्थितिकीय के परिरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :

1 खनन आदि जैसी वनेत्तर प्रयोजनों के लिए किसी वन भूमि को उपयोग में लाने हेतु केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक है।

2 राज्य सरकारों को उन वन्यजीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों जो वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के परन्तुक के अनुरूप नहीं हैं जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए वन भूमि को उपययोग में लाने के प्रस्ताव की सिफारिश न करने की सलाह दी गई है।

3 वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभी राज्यों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

4 जहां वन भूमि का उपयोग स्थल विशिष्ट वनेत्तर गतिविधियों के लिए किया जाना है, ऐसे मामले में प्रयोक्ता एजेंसी के खर्चे पर क्षतिपूरक वनीकरण कराया जाता है। जिससे कुल वन आवरण बनाया रखा जा सके।

5 वन भूमि पर वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया जाता है।

[हिन्दी]

किसानों द्वारा आत्महत्या

1328. **श्री रामदास आठवले:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री के. ई कृष्णमूर्ति:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री महबूब जहेदी:
कुंवर अखिलेश सिंह:
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छह महीने के दौरान विभिन्न राज्यों में कपास, धान, गन्ना, तंबाकू और मूंगफली के किसानों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भी ऐसी दुर्घटनाएं सरकार के ध्यान में आई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन कारणों और परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा कठोर कदम उठाने को मजबूर किया और क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है;

(च) क्या कृषि वस्तुओं की आपूर्ति हेतु बकाया भुगतान बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो ऐसे बकायों की नवीनतम स्थिति क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में किसानों के लिए कोई सहायता/राहत पैकेज प्रदान किया है और क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में किसानों की स्थिति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए कोई सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से वर्ष 2000-01 के दौरान फसल चौपट होने के कारण आत्महत्या के 22 मामलों की सूचना प्राप्त हुई है जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी आत्महत्या का कोई मामला नहीं है। अन्य राज्यों से भी आत्महत्या के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार से 1997 एवं 1998 के दौरान 358 मामलों तथा 1999-2000 के दौरान 5 मामलों, कर्नाटक सरकार से 1998 के दौरान 60 मामलों, महाराष्ट्र सरकार से 1998 के दौरान 32 मामलों तथा पंजाब सरकार से 1997 के दौरान 418 मामलों एवं 1998 के दौरान 3 मामलों की सूचना प्राप्त हुई।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में आत्महत्याओं का प्रमुख कारण फसल चौपट होना तथा ऋणग्रस्तता था जबकि पंजाब में इनके कारणों में पारिवारिक वैमनस्य, शराब तथा अवैध नशीले पदार्थों का सेवन, ऋणग्रस्तता प्रतिष्ठा पर बट्टा लगना तथा फसल चौपट होना शामिल है।

(च) ऐसा कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(छ) से (ञ) प्राकृतिक आपदाएं आने पर तुरन्त राहत उपाय शुरू करना प्रथमत: संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। सरकार, समय-समय पर नियुक्त वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाने पर स्थिति का जायजा लेने के लिए, जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय दल भेजे जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आने पर तुरन्त राहत उपाय शुरू करने के लिए स्कीम के अनुसरण में राज्यों को वर्ष 2000-01 के लिए आपदा राहत निधि का केन्द्रीय अंश निर्मुक्त कर दिया गया है। जारी धनराशि का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2000-01 के लिए आपदा राहत निधि से निर्मुक्त केन्द्रीय अंश

क्रम सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय (करोड़ रुपये) आंवटन	केन्द्रीय अंश	जारी किस्तें (लाख रूपये) पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	198.06	148.54	3889.10	3889.10	7075.80		14854.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.02	9.02	219.91	219.91			439.82
3.	असम	101.49	76.12	1566.47				1566.47
4.	बिहार	123.66	92.74					
5.	गोवा	1.24	0.93	33.58	12.92			46.50
6.	गुजरात	161.40	121.05	4371.17	4371.17	4371.17		13113.51
	हरियाणा	81.30	60.98	784.32	784.32			1568.64
8.	हिमाचल प्रदेश	43.49	32.61	843.90				843.90
9.	जम्मू और कश्मीर	34.90	26.18	617.49	691.51			1309.00

क्रम सं.	राज्य का नाम	आंवटन	केन्द्रीय अंश	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	कुल
10.	कर्नाटक	74.57	55.93	1310.81	1485.69			2796.50
11.	केरल	67.24	50.43	1734.39				1734.39
12.	मध्य प्रदेश	90.10	67.58	1598.97	1598.97			3197.94
13.	महाराष्ट्र	157.20	117.90					
14.	मणिपुर	2.87	2.15	78.00	78.00			156.00
15.	मेघालय	3.94	2.95	87.75	87.75			175.50
16.	मिजोरम	2.97	2.23	40.08	40.08	31.34		111.50
17.	नागालैण्ड	1.96	1.47	53.08				53.08
18.	उड़ीसा	109.47	82.10	1535.06	1535.06	1034.88		4105.00
19.	पंजाब	122.72	92.04	1695.39				1695.39
20.	राजस्थान	207.00	155.25	5606.15	5606.15	5606.15		16818.45
21.	सिक्किम	6.91	5.18	147.33	147.33			294.66
22.	तमिलनाडु	102.64	76.98	1858.97	1990.03			3849.00
23.	त्रिपुरा	5.20	3.90	140.83				140.83
24.	उत्तर प्रदेश	178.64	133.98	3918.35				3918.35
25.	पश्चिम बंगाल	101.10	75.83	1606.56	1606.56	578.38	3791.50	7583.00
	कुल	1992.09	1494.07	33737.66	24144.55	18697.72	3791.50	80731.43

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित लंबित सड़क परियोजनाएं

1329. श्री भीम दाहाल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) सिक्किम सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में निम्नलिखित पाँच सड़क परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए लंबित हैं:

क्र. सं॰	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित राशि (करोड़ रु॰)
1	2	3	4
1.	असम	रा. रा. -52 पर पोटे नदी के ऊपर बड़े पुल सं॰ 350/2 का निर्माण करना	4.80
2	मेघालय	रा.रा. 40 के 0 से 10.275 कि. मी. में सड़कों की वाहन चालन गुणता में सुधार करना	3.98
3	नागालैंड	रा. रा. -61 के 100-105 कि.मी. में सड़कों की वाहन चालन गुणता में सुधार करना	2.50
4	नागालैंड	रा. रा. -61 के 105-110 कि.मी. में सड़कों को चौड़ा करने और उनका सुधार करने के कार्य	2.51
5	नागालैंड	रा. रा. -61 के 156-160 कि.मी. में सड़कों को चौड़ा करने और उनका सुधार करने के कार्य	2.24

(ख) शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए परियोजनाओं की जाँच की जा रही है।

बजटीय प्रणाली के संबंध में समीक्षा

1330. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अत्यधिक व्यय और बजटीय सीमा के उल्लंघन से बचने के लिए दूरसंचार विभाग की बजटीय प्रणाली की विस्तृत समीक्षा करने का है;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है और अत्यधिक व्यय अभी तक हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान किए गए अत्यधिक व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि अब से कोई अत्यधिक व्यय न हो?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) वर्ष 1998-99 के दौरान अनुदान के राजस्व खंड में 300.85 करोड़ रु॰ की "अतिरिक्त राशि" कुल अनुदान का 1.62 प्रतिशत मात्र है तथा यह मुख्यतया आरक्षित निधियों की अतिरिक्त राशि के अधिक विनियोजन के कारण है। इससे पता चलता है कि विभाग ने वर्ष के दौरान प्रत्याशा से अधिक राजस्व अर्जित किया है, जिसके कारण 'निधियों का विनियोजन' अनुमान से अधिक हो गया। इस प्रकार यह केवल 'तकनीकी' अधिव्यय है तथा संसद द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत व्यय से अधिक व्यय नहीं है। अर्जन के प्राक्कलन की प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने तथा व्यय पर नियंत्रण के लिए उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में डाक, तार और दूरसंचार क्षेत्र की घटिया सेवाएं

1331. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में डाक, तार और दूरसंचार क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आवश्यक सेवा घटिया स्तर की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):

डाक सेवाएं:

(क) महाराष्ट्र में आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता सामान्य तौर पर संतोषजनक है। सितम्बर, 2000 में किए गए अखिल भारत लाइव मेल सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र सर्किल में डाक वितरण दक्षता (विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वितरित डाक) शहरी क्षेत्रों में 91.36% और ग्रामीण क्षेत्रों में 85.13% है जो कि काफी संतोषजनक है। बहरहाल, डाक की ढुलाई करने वाले हवाई जहाजों, रेलगाड़ियों और बसों के रद्द होने/विलंब से चलने, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भू-स्खलन, चक्रवात, सिविल उपद्रव जैसे बंद और डाक की मात्रा में अचानक एवं अप्रत्याशित वृद्धि, आदि जैसे विभिन्न कारणों से डाक में विलंब होने की कभी कभार घटनाएं हो जाती हैं।

(ख) और (ग) डाक सवाओं की गुणवत्ता में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है और इस संबंध में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

मेल और डाक वितरण सेवा:

1. मुंबई में एक ही समय में 200 स्थानों के लिए प्रति घंटा 30,000 डाक मदों की छंटाई करने की क्षमता वाले स्वचालित मेल प्रोसेसिंग केन्द्र की संस्थापना।

2. दादर छंटाई कार्यालय, मुंबई और पुणे ओ एल एस में पंजीकरण छंटाई कार्य का कम्प्यूटरीकरण।

3. मुंबई में एअरपोर्ट ट्रांजिट मेल कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण।

4. वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनलों (वी एस ए टी) के माध्यम से मनीआर्डरों का पारेषण। महाराष्ट्र सर्किल में 79 विस्तारित सेटेलाइट मनीआर्डर केन्द्रों सहित 6 वी एस ए टी केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

5 उपयुक्त क्षेत्रों में डाक वितरण कार्य के लिए पोस्टमेनों को मोपेड प्रदान करके डाक वितरण का उत्तरोत्तर यांत्रिकीकरण।

6 बढ़ते हुए शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त कर्मचारी लगाने के विचार से डाक वितरण को युक्तिसंगत बनाना/पुनर्गठन।

7 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मासिक लाइव मेल सर्वेक्षण कराना ताकि कमजोर संपर्कों की पहचान की जा सके और मेल पारेषण और डाक वितरण प्रणाली को कारगर और बेहतर बनाया जा सके।

8 डाक पारेषण संबंधी समस्याओं के हल के लिए एअरलाइन्स, रेलवे और राज्य सड़क परिवहन प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें करना।

9 बहुमंजिला भवनों के भूतल पर मेल बॉक्स लगाने के लिए ग्राहकों को जानकारी प्रदान करना।

10 परीक्षण पत्रों और जांच कार्डों को डाक में डालकर मेल रूटिंग और डाक वितरण की नियमित मानीटरिंग।

काउंटर सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण:

(1) महाराष्ट्र सर्किल में विभिन्न डाकघरों में प्रतीक्षा समय कम करने और एक ही काउंटर पर एक से अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 320 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें (एम पी सी एम) संस्थापित की गई हैं।

(2) 22 डाकघरों में बचत बैंक कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

तार सेवाएं :

(क) महाराष्ट्र में टेलीग्राफ सेक्टर द्वारा प्रदान की गई आवश्यक सेवा की गुणवत्ता खराब नहीं है। महाराष्ट्र में दिन के 12 घंटों के भीतर वितरित तारों की प्रतिशतता के रूप में आंकी गई तार सेवा की गुणवत्ता काफी संतोषजनक है जो 95.5% के अखिल भारतीय लक्ष्य की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 96.8% है।

(ख) और (ग) सेवा की गुणवत्ता में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं।

दूरसंचार क्षेत्र:

(क) महाराष्ट्र में दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) दूरसंचार सेवा में सुधार लाना एक निरंतर प्रक्रिया है। दूरसचार सेवाओं में चरणबद्ध रूप में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1 ग्राहकों के परिसरों तक केबल नेटवर्क को, जिसके कारण अधिकांश गड़बड़ियां उत्पन्न होती हैं, कम करने के प्रयोजनार्थ अधिकाधिक रिमोट लाइन यूनिट खोलना।

2 खराबियों की बेहतर मानीटरिंग के लिए अधिकांश एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

3 प्रारंभ में कतिपय शहरों में खराबियों को शीघ्रता से सूचित करने के लिए लाइन स्टाफ को पेजर देना।

4 जहां तक व्यवहारिक हो ड्राप, वायर के स्थान पर 5 पेयर केबल प्रयुक्त करना।

5 और अधिक एक्सचेंजों में तुरंत बुकिंग और खराबी पर ध्यान देने के लिए इंटरएक्टिव वायस रेस्पोन्स प्रणाली का प्रयोग करना।

6 और अधिक संख्या में एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम से जोड़ना।

फर्जी केबल कम्पनियाँ

1332. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक फर्जी केबल कम्पनियाँ कारोबार कर रही हैं जिसके कारण संचार सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

1333. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के रांची क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार उक्त क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र में कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ङ) इस प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में 55 एक्सचेंज काम कर रहे हैं। हाल ही में, 3 स्थानों पर मांग पंजीकृत की गई है। नये एक्सचेंजों को खोलने से इस मांग को भी चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा करने की योजना है।

(ग) रांची क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय कार्यरत टेलीफोन कनेक्शनों की संख्य 4533 है।

(घ) और (ङ) इस समय रांची एस एस ए (गौण स्विचन क्षेत्र) की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 2305 है। इस प्रतीक्षा सूची के क्रमिक रूप से मार्च, 2001 तक पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में ओर्नामेंटल फिश ट्रेनिंग प्रोग्राम

1334. **श्री राम मोहन गाड्डे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में ओर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन जिसकी निर्यात बाजार में अच्छी संभावना है, शुरू करने के लिए महिलाओं और बेरोजगार युवकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) भारत सरकार "मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रही है जिसमें ताजे जल में जलकृषि, तटवर्ती जलकृषि, समुद्र में जलकृषि तथा अन्य प्रासंगिक महत्व के विषयों पर महिलाओं एवं बेरोजगार युवाओं सहित मत्स्य कृषकों/मछुआरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 80 प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा इस योजना के तहत सजावटी मछली पालन, आदि में भी प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार से इस संबंध में अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

1335. **डा॰ संजय पासवान:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य का तेजी से क्रियान्वयन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस लक्ष्य को आंशिक रूप से हासिल करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के कार्य का निजीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निर्धारित मानदंड और इस प्रयोजनार्थ कितने गांवों की पहचान की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नए डाकघर खोलना विभागीय मानदंडों के पूरा होने तथा वित्त मंत्रालय से पदों की मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त "ग" को ध्यान में रखते हुए कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लक्ष्य

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1	आन्ध्र प्रदेश	15
2	असम	30
3	बिहार	75
4	दिल्ली	4
5	गुजरात	20
6	हरियाणा	15
7	हिमाचल प्रदेश	7
8	जम्मू एवं कश्मीर	5
9	कर्नाटक	21
10	केरल	4
11	मध्य प्रदेश	40
12	महाराष्ट्र	60
13	उत्तर पूर्व	40
14	उड़ीसा	10
15	पंजाब	14
16	राजस्थान	20
17	तमिलनाडु	15
18	उत्तर प्रदेश	50
19	पश्चिम बंगाल	55
	कुल	500

[अनुवाद]

उड़ीसा में हिरमा में मेगा पावर परियोजना

1336. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की पहली मेगा पावर परियोजना उड़ीसा में हिरमा में निष्पादित की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पावर परियोजना का कौन-कौन सी सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ विकास कर रही हैं;

(ग) इस परियोजना का प्लांट लोड फैक्टर कितना है;

(घ) इस परियोजना हेतु कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता है;

(ङ) क्या इस मेगा पावर परियोजना को कोयले की आपूर्ति हेतु महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) मै॰ सदर्न एनर्जी एशिया पैसेफिक लि॰ (एसईएपी) हागंकांग, (जिसे पहले कंसोलिडेटेड इलेक्ट्रिक पावर एशिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जो सदर्न एनर्जी इंक, यूएसए के पूर्ण स्वामित्व वाला अनुषंगी है, भारत सरकार के नवंबर 1998 में घोषित संशोधित वृहत् विद्युत नीति के अंतर्गत उनके एवं रिलायंस पावर लि. (आरपीएल) के बीच 22.1.1999 को हुए संयुक्त विकास समझौते के तहत् झरसुगुड़ा जिला, उड़ीसा में 6x660 मे. वा. वाली हिरमा ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने पर विचार कर रहा है जिसका एसईएपी एवं आरपीएल संयुक्त रूप से स्वामित्व रखेंगे एवं विकास, निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण करेंगे। पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने परियोजना के विकास हेतु 6.12.1999 को मै॰ एसईएपी के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे कि परियोजना द्वारा उत्पादित संपूर्ण विद्युत की खरीद एवं विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को बिजली की बिक्री की जा सके।

(ग) परियोजना का निर्धारित प्रभार 85% की गारंटिड उपलब्धता पर आधारित है। विद्युत केन्द्र का संयंत्र भार घटकलाभोगी राज्यों द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक विद्युत पर निर्भर करेगा।

(घ) से (च) खान एवं खनिज मंत्रालय (कोयला विभाग) की स्थायी लिंकेज समिति ने परियोजना के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के इब वैली कोलफील्ड्स से 19 मिलियन टन प्रति वर्ष का लिंकेज स्वीकृत किया है। परियोजना प्रवर्तकों द्वारा अभी तक कोल कंपनी के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

बी. सी. सी. आई. की परिसम्पत्तियां

1337. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी. सी. सी. आई.) के किसी पदाधिकारी के पास से करोड़ों रुपये की कोई सांविधि जाम रसीद बरामद की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास वर्तमान में कितनी चल/अचल सम्पत्ति है और इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में बोर्ड द्वारा सरकार के पास प्रतिवर्ष रिटर्न दाखिल की जाती है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार वहां व्याप्त अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के अधिग्रहण का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जयपुर स्थित श्री किशोर रूंगठा, अवैतनिक कोषाध्यक्ष, बी.सी.सी.आई. के कार्यालय में 20.7.2000 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133-ए के अंतर्गत सर्वेक्षण करते समय 1,04,82,74,774/- रुपये की आवधिक जमाराशि, 15,75,000 अमरीकी डालर और 1,23,000 पौण्ड की सावधि जमा राशि पाई गई और उसको सूचीबद्ध किया गया।

(ग) दिनांक 31.3.2000 को दाखिल की गई आकलन वर्ष 2000-2001 की आयकर रिटर्न के साथ तुलन पत्र में दर्शाई गई परिसम्पत्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हाँ। बार्ड नियमित रूप से आयकर रिटर्न जमा कराता रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार सी.बी.आई. की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है तथा संबंधित मंत्रालयों से परामर्श कर रही है। बी.सी.सी.आई. को भी इस रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं सहित इसकी

कार्यप्रणाली पर लिए गए अवलोकनों पर टिप्पणियाँ देने के लिए कहा गया है। संबंधित सभी से टिप्पणियाँ प्राप्त हो जाने के बाद भावी कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) के तुलन पत्र की प्रति

परिसम्पत्तियाँ	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार	
	रुपये	रुपये
नियत परिसम्पत्तियाँ		
(क) अनुसूची-ग के अनुसार	1,153,428	
(ख) अन्य		
दलीप ट्राफी प्रतिकृति	5,000	
विज्जी ट्राफी प्रतिकृति	5,125	1,163,554
निवेश (अनुसूची-घ)		1,048,620,265
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम		
(क) चालू परिसम्पत्तियाँ, प्राप्ति योग्य राशि		219,236,853
निवेश पर प्राप्त ब्याज		46,116,527
नकदी और बैंक अधिशेष		31,873,312
स्रोतो पर कर की कटौती		53,385,419
(ख) ऋण और अग्रिम		-
अवैतनिक संयुक्त सचिव को पेशगी		
अवैतनिक सचिव को पेशगी		400,000
विविध अग्रिम		3,883,613
पिलकॉम		46,359,107
विविध जमा राशियाँ		200,070
कुल		1,449,218,7220

[अनुवाद]

तमिलनाडु में उप-डाकघर

1338. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उप-डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु में कितने डाकघर विद्यमान हैं; और

(ग) राज्य में वर्ष 2000-2001 के दौरान कितने उप-डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) देश में उप-डाकघर खोलने के मानदंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित) में, 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कुल 2764 उप-डाकघर हैं।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य के लिए दो उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

विभागीय उप-डाकघर के उन्नयन/खोलने के लिए मानदण्ड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का उन्नयन करने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटा प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/- रु० (दो हजार चार सौ रुपये) है तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/- रु० (चार हजार आठ सौ रुपये) है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में

शहरी क्षेत्रों मे डाकघर शुरू में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा पहली वार्षिक पुनरीक्षा के समय इससे 5 प्रतिशत लाभ होना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखने के लिए पात्र हो सके।

20 लाख या इससे अधिक की आबादी वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि. मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि. मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

डाक सर्किल के अध्यक्ष 10% मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट होनी चाहिएं।

राजस्थान में सड़कों/पुलों का विस्तार

1339. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य में सड़कों और पुलों के विस्तार के संबंध में राजस्थान सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार के पास स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़े हैं और ये कब से लम्बित हैं; और

(ङ) लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित किए गए कार्यों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	अनुमोदित किए गए कार्यों की संख्या जिसमें विविध कार्य और विशेष मरम्मत कार्यक्रम भी शामिल हैं
1997-98	39
1998-99	48
1999-2000	48

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राजस्थान को किया गया निधियों का वर्षवार आबंटन इस प्रकार है :

वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ रु०)
1997-98	30.46
1998-99	40.56
1999-2000	95.14

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार से अगस्त-नवम्बर, 2000 के दौरान प्राप्त 12 प्रस्तावों पर मंत्रालय विचार कर रहा है। अंतिम निर्णय दिसम्बर, 2000 तक ले लिया जाएगा।

मुम्बई में एम० टी० एन० एल० द्वारा सेल्युलर सेवा शुरू करना

1340. श्री अनंत गंगाराम गीते:
श्री किरीट सोमैया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम०टी०एन०एल० ने दिये गये वचन का पालन करते हुए मुम्बई में अक्तूबर, 2000 में अपनी सेल्युलर सेवा शुरू करने के लिए उचित कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम०टी०एन०एल० की सेल्युलर सेवाओं को शुरू करने में 15 महीने की देरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सेल्युलर बाजार में एम०टी०एन०एल० के प्रवेश से निजी सेल्युलर आपरेटर प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या एम०टी०एन०एल० की लोकल लूप इन वायरलैस सेवा भी संचार विभाग की अक्षमता और समन्वय की कमी के कारण विलम्बित हुई थी;

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(झ) जी० एस० एन० सेल्युलर सेवाएं और लूप सेवाएं कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अक्तूबर, 2000 में सेल्युलर सेवाएं आरंभ करना संभव नहीं हो सका। ये सेवाएं अगले वर्ष के आरंभ में शुरू करने की योजना बनाई गई है। इस बीच उठाए गए कदमों का ब्यौरा नीचे (ख) के अनुसार है :

(ख) की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) एमटीएनएल ने दिनांक 27.3.86 का अपना लाइसेंस दूरसंचार विभाग से 10.10.97 को संशोधित करवाया जिसमें विशेष रूप से सेल्युलर मोबाइल सेवा को शामिल किया गया था।

(2) प्राइवेट सेल्युलर ऑपरेटरों ने टीआरएआई में एक याचिका दायर करके उक्त संशोधन को चुनौती दी। 17.2.98 को टीआरएआई ने व्यवस्था की कि उनकी सिफारिश के बिना एमटीएनएल के लाइसेंस को संशोधित नहीं किया जा सकता अत: यह अमान्य है। एमटीएनएल ने टीआरएआई के आदेश के विरुद्ध दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में अपील की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 16.7.98 के अपने आदेश के तहत यह व्यवस्था की कि एमटीएनएल के लाइसेंस में किया गया संशोधन कानूनी रूप से मान्य है और टीआरएआई की सिफारिशें, एमटीएनएल का लाइसेंस संशोधित करने के लिए शर्त सम्बन्धी ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। इसके बाद कुछ प्राइवेट सेल्युलर ऑपरेटरों ने दिनांक 167.98 के आदेश के विरुद्ध अपील की।

29.7.99 को प्राइवेट ऑपरेटरों ने अपनी अपील तथा याचिकाएं वापिस ले लीं। तदनुसार, उन्हें दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बैंच ने वापिस लिया मानकर दिनांक 13.8.99 के आदेश के तहत रद्द कर दिया।

(3) एमटीएनएल ने 2.4.98 को जीएसएम सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निविदा आमंत्रित की लेकिन निविदा की उक्त अवधि को समाप्त होने दिया गया क्योंकि सेल्युलर मोबाइल सेवा के

लिए एमटीएनएल के लाइसेंस का मामला दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा था।

(4) एमटीएनएल ने दिनांक 2.10.99 का सीडीएमए प्रौद्योगिकी पर आधारित सेल्युलर मोबाइल सेवा आरंभ की, जो सफल रही।

(5) दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय की केटेगरीकल क्लियरेंस के तत्काल बाद एमटीएनएल ने 14.8.99 को जीएसएम सेवाएं प्रदान करने के लिए एक और विविदा आमंत्रित की। निविदा को अंतिम रूप दिया गया है और खरीद आदेश दे दिए गए हैं। उपस्कर की फैक्टरी जांच का कार्य पूरा हो गया है और उपस्कर संस्थापनाधीन हैं।

(6) एमटीएनएल ने सीडीएमए प्रौद्योगिकी पर सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए निनिदाएं आमंत्रित की थीं। निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया और खरीद आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के मामले में उपस्कर की फैक्टरी जांच का कार्य पूरा हो गया है और उपस्कर संस्थापनाधीन है तथा मुम्बई के मामले में उपस्कर की फैक्टरी जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) कारण उपर्युक्त भाग 'ख' में दिए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(छ) जी, नहीं। तथापि विभिन्न मुकदमों के कारण परियोजना में विलम्ब हो गया था। मुम्बई के मामले में मुकदमों का अंतिम फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 15.9.2000 को किया गया और इस समय उपस्कर की फैक्टरी जांच की जा रही है। दिल्ली के मामले में 50,000 लाइनों के लिए आर्डर पहल ही दे दिया गया है, और उसकी संस्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(ज) उपर्युक्त (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(झ) इन परियोजनाओं को इस वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा करने की योजना बनाई गई है।

उड़ीसा में केन्द्रीय प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनाएं

1341. श्री भर्तृहरि महताब: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितनी केन्द्रीय प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनां शुरू की गई हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कितनी सहायता प्रदान की गई और इनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं को ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित पर्यावरणीय स्कीमों का ब्यौरा और प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य में चल रही सभी स्कीमें निकट भविष्य में भी चलती रहेंगी।

विवरण

क्रम संख्या	स्कीम के नाम	1997-98 से 1999-2000 के दौरान उपलब्धियां	
		वित्तीय (लाख में)	वास्तविक
1	हाथी परियोजना	73.40	-
2	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां	141.82	-
3	मेनग्रीव और कोरल रीफ का संरक्षण और प्रबंधन	46.50	
4	आर्द्रभूमियों को संरक्षण एवं प्रबंधन	36.00	
5	जीवमण्डल रिजर्व	70.50	एक जीवमण्डल रिजर्व शामिल है
6	एकीकृत वनीकरण एवं पारिविकास परियोजना	416.26	9300 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है।
7	क्षेत्रोन्मुखी जलावन लकड़ी और चारा परियोजना	276.48	10565 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है।
8	चिकित्सीय पौधों सहित गैर-इमारती वन उत्पाद	236.96	5350 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है।
	जोड़	1297.92	

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर बाईपास

1342. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में सिवनी नगर, रीवा और कटनी में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर बाईपास का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) रीवा और कटनी के बाइपासों का बी ओ टी के आधार पर निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। भूमि अधिग्रहण का अनुमान स्वीकृत किया जा चुका है। कटनी बाइपास के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया

गया है और रीवा बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण की 80% प्रगति हो चुकी है। कटनी बाइपास के लिए बी ओ टी के आधार पर बोलियां आमंत्रित करने का प्रस्ताव अंतिम स्तर पर है। सियोनी (शिवानी नगर) के बाइपास का प्रस्ताव अभी सर्वेक्षण आदि को अंतिम रूप देने के लिए प्राथमिक स्तर पर है।

दूध में संदूषण

1343. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूध में मुख्यत: कीटाणुओं के कारण उच्च स्तर के संदूषण पाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दूध में संदूषण को रोकने और पशुओं को कीटाणुओं से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए रोगमुक्त जोन सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान:) (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि संदूषण की कोई सूचना नहीं मिली है, भारत सरकार तपेदिक और ब्रूसेलोसिस के लिए जिसका कारक तत्व प्रभावित पशु के दूध से आ सकता है, गोपशुओं और भैंसो की जांच करने के उद्देश्य से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा दूध का पाश्चुरीकरण मुख्यतया रोगमूलक तत्व को दूर करने के लिए किया जाता है जो दूध के अस्वस्थ पशु से आता है अथवा दूध निकालने अथवा उसके बाद की अवधि में संदूषक के रूप में मौजूद रहता है।

(ग) विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश (क्षेत्र-1), गुजरात (क्षेत्र-2) और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश (क्षेत्र-3) राज्यों को शामिल करते हुए प्रारंभ में तीन रोगमुक्त क्षेत्र सृजित करने का फैसला किया है।

कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का नामांकन

1344. डा॰ बलिराम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा॰ अम्बेडकर जन्म शती समारोह समिति ने वर्ष 1993 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले छात्रों के नामांकन हेतु सीटों के आरक्षित कोटे की पूरी क्षमता के अनुकूल उनके नामांकन सुनिश्चित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में सभी कृषि विश्वविद्यालयों (केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले) में विभिन्न संकायों/विषयों में वर्षवार कुल कितनी सीटें प्रदान की गई हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रमों के विभिन्न संकायों/विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले कितने छात्रों का नामांकन किया गया है और कुल सीटों की तुलना में यह कितना प्रतिशत है; और

(घ) समिति की सिफारिश को संतोषप्रद ढंग से क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) चूंकि कृषि शिक्षा राज्य का विषय है इसलिए सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

वन्यजीव संपदा का संरक्षण

1345. श्री पी॰डी॰ एलानगोवन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में वन्यजीवों का विस्तृत एवं अद्यतन जनसंख्या संबंधी रिकार्ड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान देश में वन्यजीव संपदा की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में लुप्तप्राय: पशुओं को बचाने के लिए कोई नई परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ङ) यदि हां, तो देश में पहचान की गई लुप्तप्राय: वन्य प्रजातियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में वन्यजीवों तथा लुप्तप्राय: प्रजातियों को बचाने संबंधी विदेशी वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) देश में वन्य प्राणियों की प्रमुख प्रजातियों की संख्या का राज्यवार आकलन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वन्यजीव सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों का आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित संकटापन्न प्रजातियों, विशेषकर पर्वतों, मरुप्रदेशों और तटीय क्षेत्रों में आवासों के एक भाग राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तपोषण के वर्तमान पैटर्न को

बढ़ाकर अनावर्ती और आवर्ती (वेतन को छोड़कर) दोनों के लिए 100 प्रतिशत कर दिया है। विभिन्न प्रजातियों के लिए अलग-अलग योजनाएं सृजित करने की तुलना में यह व्यवस्था बेहतर है क्योंकि इससे किए गए काम का सूक्ष्म मानीटरन और मूल्यांकन करने में सुविधा होती है।

(ङ) भारत की संकटापन्न प्रजातियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा देश के सात सुरक्षित क्षेत्रों अर्थात् बक्सा (पश्चिम बंगाल), पलामू (बिहार), पेंच (मध्य प्रदेश), रणथम्भौर (राजस्थान, नागरहोल (कर्नाटक), पेरियार (केरल) और गिर (गुजरात) में ग्लोबल एन्वायरमैंट फेसिलिटी से सहायता प्राप्त भारत पारिविकास परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवर्तन अवसंरचना में सुधार करना और स्थानीय लोगों की वन पोगाधिकारों पर निर्भरता को कम करना है।

विवरण-I

देश में वन्य प्रजातियों की प्रमुख प्रजातियों की संख्या का आकलन

क्र. स राज्य	प्रमुख वन्य प्राणि प्रजातियों का नाम						
	बाघ 1997	तेन्दुआ 1997	शेर 1995	हाथी 1997	गैंडा 1998-99	शंघाई 1997	जंगली गधा
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	171	138		57	-	-	-
2. अरुणाचल प्रदेश	180*	98*		2102	-	-	-
3. असम	458	246*		5312	1684	-	-
4. बिहार	103	203*		618	-	-	-
5. गोआ/दमन और दीव	6	25		-	-	-	-
6. गुजरात	1	803	304	-	-	-	3000 लगभग
7. हरियाणा	-	25*		-	-	-	-
8. हिमाचल प्रदेश	-	821*		-	-	-	-
9. जम्मू और कश्मीर	-	-		-	-	-	-
10. कर्नाटक	350	-		6088	-	-	-
11. केरल	57*	16*		5737	-	-	-
12. मध्य प्रदेश	927	1851		-	-	-	-
13. महाराष्ट्र	257	431		-	-	-	-
14. मणिपुर	-	-		-	-	147	-
15. मेघालय	63	-		1840	-	-	-
16. मिजोरम	12	28		-	-	-	-
17. नागालैण्ड	83*	-		147	-	-	
18. उड़ीसा	194	422		1827	-	-	-
19. पंजाब	-	-		-	-		
20. राजस्थान	58	474		-	-	-	-
21. सिक्किम	2*	-		-	-	-	-
22. तमिलनाडु	62	110		2971	-	-	-
23. त्रिपुरा	-	18*		-	-	-	-
24. उत्तर प्रदेश	475	1412		1984	13	-	-
25. पश्चिम बंगाल	361	108*		327	120	-	-
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-		-	-	-	-
27. चण्डीगढ़	-	-		-	-	-	-
कुल	4181	7229	304	29010	1817	147	3000

*1993 की गणना।

विवरण - II

पिछले तीन वर्षों के दौरान "बाघ परियोजना" स्कीम के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.70	18.01	18.495
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	47.68	305.90
3.	असम	45.08	35.00	87.29
4.	बिहार	36.75	153.99	165.952
5.	कर्नाटक	25.00	69.34	167.079
6.	केरल	34.95	39.19	43.665
7.	मध्य प्रदेश	137.778	225.125	332.160
8.	महाराष्ट्र	60.53	110.74	134.765
9.	मिजोरम	12.45	9.65	21.43
10.	उड़ीसा	49.30	67.65	84.45
11.	राजस्थान	149.885	472.265	222.595
12.	तमिलनाडु	45.60	32.50	58.78
13.	उत्तर प्रदेश	125.012	199.75	234.23
14.	पश्चिम बंगाल	58.95	179.985	137.14
	कुल	807.985	1660.875	1749.162

पिछले तीन वर्षों के दौरान "हाथी परियोजना" स्कीम के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	18.90	30.21	11.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	10.08	19.303
3.	असम	-	29.60	25.15
4.	बिहार	-	40.00	26.00
5.	कर्नाटक	51.79	40.00	85.00
6.	केरल	76.87	143.40	63.55
7.	मेघालय	12.31	-	20.68
8.	नागालैंड	-	11.00	40.00
9.	उड़ीसा	48.40	-	25.00
10.	तमिलनाडु	30.60	69.28	48.21
11.	उत्तर प्रदेश	111.95	95.00	155.806
12.	पश्चिम बंगाल	84.72	78.44	76.011
	कुल	435.54	547.01	596.57

पिछले तीन वर्षों के दौरान "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" नामक स्कीम के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	43.39	50.72	87.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.953	57.91	50.983
3.	असम	54.62	58.05	53.44
4.	बिहार	6.00	-	27.85
5.	गोवा	-	11.70	21.305
6.	गुजरात	17.005	13.80	22.105
7.	हरियाणा	61.50	49.80	47.46
8.	हिमाचल प्रदेश	14.57	37.20	21.55
9.	जम्मू और कश्मीर	124.70	7.00	5.55
10.	कर्नाटक	78.17	84.12	100.319
11.	केरल	49.29	49.35	59.975
12.	मध्य प्रदेश	195.67	35.93	152.203
13.	महाराष्ट्र	48.845	27.783	123.43
14.	मणिपुर	13.48	8.45	12.30
15.	मेघालय	13.50	19.64	13.28
16.	मिजोरम	-	-	-
17.	नागालैण्ड	15.29	9.00	9.70
18.	उड़ीसा	34.22	68.73	94.74
19.	पंजाब	14.03	8.65	11.57
20.	राजस्थान	82.34	89.52	66.54
21.	सिक्किम	12.51	11.00	12.00
22.	तमिलनाडु	61.284	74.63	61.18
23.	त्रिपुरा	29.81	-	19.97
24.	उत्तर प्रदेश	112.11	89.57	117.81
25.	पश्चिम बंगाल	69.69	72.96	55.20
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	20.56	-	22.00
27.	चण्डीगढ़	12.00	-	28.00
	कुल	1212.533	934.883	1298.00

बाघ आरक्षित क्षेत्रों सहित सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर और आस-पास पारिविकास योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य	धनराशि जारी की गई		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.399	40.020	44.534
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.998	15.229	13.820
3.	असम	10.250	42.34	20.00
4.	बिहार		15.00	38.39
5.	गुजरात	-	-	9.64
6.	हिमाचल प्रदेश	58.400	-	86.84
7.	जम्मू और कश्मीर	22.490	-	13.700
8.	कर्नाटक	34.650	20.350	62.250
9.	केरल	-	70.550	36.450
10.	मध्य प्रदेश	51.330	65.890	54.200
11.	महाराष्ट्र	7.435	41.880	86.675
12.	मिजोरम	10.500	2.00	45.500
13.	मणिपुर	4.750	10.400	10.110
14.	नागालैण्ड	-	10.00	8.00
15.	उड़ीसा	45.775	22.600	12.00
16.	पंजाब	9.140	10.200	-
17.	राजस्थान	36.390	53.440	16.740
18.	सिक्किम	-	5.850	26.00
19.	तमिलनाडु	4.120	18.100	31.960
20.	त्रिपुरा	-	44.40	-
21.	उत्तर प्रदेश	41.453	101.860	51.510
22.	पश्चिम बंगाल	66.525	44.390	48.873
	कुल	484.145	634.499	729.208

विवरण - III

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण द्वारा यथा-सूचित देश की संकटापन्न प्रजातियां

क्र॰ सं॰	प्रजातियां	राज्य
1	2	3
1	शेर पूंछ वाला बंदर	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु
2	हूलोक वानर	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा
3	मालायन सन बीयर	असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश
4	हिमालयन ब्लैक बीयर	पश्चिमी और मध्य हिमालय की ऊंची पहाड़िया अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल
5	रैड पांडा	पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश
6	बिंटूरोंग	सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
7	मालाबार सीवेट	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल
8	चितकबरा लिंगसंग	सिक्किम
9	मारबल्ड कैट	सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश
10	मरुस्थली बिल्ली	गुजरात, राजस्थान
11	सुनहरी बिल्ली	पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर मेघालय
12	स्याहगोश	राजस्थान
13	हिमालयन विडाल	जम्मू और कश्मीर
14	चितकबरा तेंदुआ	पूर्वोत्तर राज्य
15	बाघ	गुजरात
16	स्नो लेपर्ड	जम्मू एवं कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तथा ऊंचा हिमालय
17	तिब्बतीय जंगली गधा	लद्दाख
18	भारतीय जंगली गधा	गुजरात
19	ग्रेट इंडियन एक सींगी गैंडा	असम और पश्चिम बंगाल
20	पिगमी सुअर	असम
21	हंगल	जम्मू एंव कश्मीर
22	मणिपुर भूरा श्रृंगाययुक्त हिरण	मणिपुर
23	हिमालयन मस्क डीयर	जम्मू एवं कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ऊंचा हिमालय
24	जंगली भैंस	मध्य प्रदेश और असम
25	गोरखूर	जम्मू और कश्मीर

1	2	3
26	हिमालयी आईबैक्स	हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर
27	हिमालयन थार	जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल
28	यूरियल या शापू	जम्मू और कश्मीर
29	स्माल टावनकोर फ्लाईंग स्कीवरल	केरल
30	ग्रिजल्ड जाइट स्कीवरल	तमिलनाडु
31	दृढ़ लोभी खरगोश	उत्तर प्रदेश, असम
32	क्रिसमस आईलैंड फ्रिगेट बर्ड	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
33	एडज्यूटैंट स्टोर्क	असम एंव पूर्वोत्तर राज्य
34	लैसर हेयर क्रैस्टिड एडज्यूटैंट स्टोर्क	पूर्वोत्तर भारत एवं पूर्वी भारत
35	पूर्वी सफेद स्टोर्क	असम और मणिपुर
36	अंडमान टील	अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह
37	हिमालयन दाढ़ी वाला गिद्ध	हिमाचल प्रदेश
38	लैगर फाल्कन	अंडमान एंव निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर समस्त भारत
39	शाहीन फाल्कन	समस्त भारत
40	तिब्बतियन स्नो कॉक	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम
41	पश्चिमी ट्रोगोपान	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल
42	एल्वस इयरड फेजेंट	अरुणाचल प्रदेश
43	टैमिन्क ट्रागोपान	अरुणाचल प्रदेश
44	हिमालयन मोनल फेजेंट	हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल
45	मिशनी मोनल फेजेंट	अरुणाचल प्रदेश
46	चीयर फेजेंट	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल
47	मिसिज ह्यूमंज बोरटेल्ड फेजेंट	नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम
48	ग्रीन बर्मीज पीकॉक	मिजोरम, मणिपुर और असम
49	काली गर्दन वाला सारस	जम्मू एवं कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश
50	हुडिड क्रेन	असम और अरुणाचल प्रदेश
51	साईबेरियन क्रेन	राजस्थान

1	2	3
52	मास्कट फिनफुट	पूर्वोत्तर राज्य
53	ग्रेट इंडियन बस्टार्ड	राजस्थान
54	हूबरा बस्टार्ड	राजस्थान
55	बंगाल फ्लोरिकन	बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और बिहार
56	जर्डनस कोरसेर	आंध्र प्रदेश
57	इंडियन स्कीमर	समस्त भारत
58	निकोबार कबूतर	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
59	फारेस्ट स्पोटिड ओलेट	गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा
60	ग्रेट पाईड हार्न बिल	महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल
रेंगने वाले जंतु		
61	घड़ियाल	उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल
62	साल्ट वाटर क्रोकोडाइल	उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
63	दलदली मगरमच्छ	समस्त भारत
64	ग्रीन सी टर्टल	पूरे पूर्वोत्तर और पश्चिमी तट के साथ साथ
65	हॉक्सबिल टर्टल	तमिलनाडु, गुजरात, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश
66	ओलिव रिडले टर्टल	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
67	लैदर बैक सी टर्टल	अंडमान, लक्षद्वीप, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश
68	टेरापिन	पश्चिमी बंगाल
69	कॉमन इंडियन मानीटर	समस्त भारत
70	यैलो मानीटर	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम
71	वाटर मानीटर	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान एवं निकोबार, मेघालय
72	डैजर्ट मानीटर	उत्तर प्रदेश, राजस्थान
73	रॉकपाईथोन	समस्त भारत
74	रैटिकुलेटिड पाईथोन	समस्त भारत
75	भारतीय अंडे खाने वाला सांप	उत्तरी भारत
76	हिमालयन नेयूट	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर

हिन्दुस्तान समाचार औद्योगिक सहकारी समिति

1346. **श्री अरुण कुमार:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान समाचार औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड, नयी दिल्ली के निदेशक बोर्ड के चुनाव गत पन्द्रह वर्षों से नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वार्षिक चुनाव के संबंध में न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों के अंतर्गत चुनाव नहीं कराए गए; और

(घ) कितनी समयावधि के भीतर चुनाव करा लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) हिन्दुस्तान समाचार औद्योगिक सहकारी समिति लि., नई दिल्ली को बन्द करने का प्रस्ताव था, क्योंकि इसने 1986 से काम करना बन्द कर दिया था।

अत: पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली ने केन्द्रीय पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत सांविधिक नोटिस जारी करने के उपरान्त उक्त समिति को बन्द करने का आदेश दे दिया।

तत्पश्चात समिति के एक सदस्य ने पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली के उक्त समिति को बन्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए पंजीयक, सहकारी समितियां दिल्ली को परिसमापन अथवा जांच कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की।

इसके पश्चात, पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली ने बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 77 के तहत दिनांक 17.1.2000 को जारी एक नोटिस में कारण बताने को कहा कि उक्त समिति को बन्द करने का क्यों न आदेश दे दिया जाए। उक्त समिति की परिसमापन कार्रवाई के परिणाम के आलोक में ही उक्त समिति के निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

महिला सहकारी समितियों को सहायता देना

1347. **श्री आर. एस. पाटिल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत ग्यारह महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन समितियों के लिए निधियां पहले ही जारी कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इन सभी ग्यारह महिला सहकारी समितियों से प्रस्ताव वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुए थे और उसी वर्ष धनराशि स्वीकृत और निर्मुक्त कर दी गई थी। इन समितियों को 9.395 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी। समितिवार धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन सहकारी समितियों का ब्यौरा जिनको केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है

क्र. सं.	समिति का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	शारदा अ.जा./ज.जा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि. दावणगेरे	1,00,000
2	अन्नपूर्णा अ.जा./ज. जा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति दावणगेरे	1,00,000
3	रोशन अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति दावणगेरे	1,00,000
4	नसीब महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, दावणगेरे	1,00,000
5	शाहीन अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति दावणगेरे	1,00,000
6	चेतना महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, चिरादोनी चित्रागिरी तालुका	1,00,000
7	अन्नपूर्णेश्वरी महिला बहुउद्देशीय औद्योगिक सहकारी समिति, दावणगेरे	1,00,000
8	यशास्विनी अ. जा./ज. जा. कल्याण बहुउद्देशीय सहकारी समिति, दावणगेरे	69,5000
9	श्री पद्मम्बा महिला बहुउद्देशीय सरकारी समिति, जगलूर	50,000
10	होम्बलगेटा महिला बहुउद्देशीय औद्योगिक सहकारी समिति, होम्बलगेटा	60,000
11	श्री सीदमानहल्ली मुरिगामा महिला बहुउद्देशीय औद्योगिक सहकारी समिति हलवागिलु, हरप्पानहल्ली तालुका	60,000
	कुल	9,395,000

केरल में इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र

1348. श्री सुरेश कुरूप:
श्री के॰ मुरलीधरन:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में जिले-वार इस समय कितने इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में और अधिक इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र खोलने और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए दूरभाष केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सपन सिकदर): (क) 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार केरल में कार्यरत इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 2000-2001 तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित इनेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का अवस्थिति-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण II तथा विवरण III दिया गया है।

विवरण I

31.10.2000 की स्थिति के अनुसार केरल में कार्यरत इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की जिले-वार संख्या

जिला	कार्यरत इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
अलेप्पी	49
कालीकट	69
मालाप्पुरम	63
वाईनाड़	25
कन्नानूर	81
कासरागोड	50
एरनाकुलम	94
इडुक्की	74
कोट्टायम	72
पालघाट	84
पथनमथिट्टा	54
क्विलोन	71
त्रिचूर	65
त्रिवेन्द्रम	69
केरल राज्य का जोड़	920

विवरण II

2000-2001 के दौरान नए एक्सचेंजों का कार्यक्रम

क्र. सं॰	स्थान का नाम	एसएसए	जिला	प्रकार	क्षमता
1	तिरूवनवंदूर	अलेप्पी	अलेप्पी	ई-10 बी	2000
2	जीएम ऑफिस	कालीकट	कालीकट	डब्ल्यूएलएल	1000
3	पय्यामपिली	कालीकट	वाईनाड	एमबीएम आरएसयू	1000
4	मालापट्टम	कन्नानूर	कन्नानूर	एसबीएम	1000
5	धमार्दम	कन्नानूर	कन्नानूर	ओसीबी आरएसयू	1000
6	इरानहोली	कन्नानूर	कन्नानूर	ओसीबी आरएसयू	1000
7	कडियोरी	कन्नानूर	कन्नानूर	ओसीबी आरएसयू	1000
8	एडाप्पल्लि	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	एएक्सई आरएसयू	4000
9	चूंडी	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	एएक्सई आरएसयू	2000
10	एजंहीक्कारा	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	एसबीएम	1000
11	पट्टिमट्टम	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	एएक्सई आरएसयू	2000
12	कुमारानल्लूर	कोट्टयाम	कोट्टयाम	ओसीबी आरएसयू	2000
13	मूलेडम	कोट्टयाम	कोट्टयाम	ओसीबी आरएसयू	1000
14	वेलियान्नूर	कोट्टयाम	कोट्टयाम	ओसीबी आरएसयू	2000
15	अकामालावरम	पालघाट	पालघाट	आरएएक्स	184
16	पुथूर	पालघाट	पालघाट	ओसीबी आरएसयू	2000
17	यक्कारा	पालघाट	पालघाट	ई-10 बी आरएलयू	1000
18	परिनगनाड	पथनमथिट्टा	पथनमथिट्टा	एक्सएल आरएसयू	1000
19	मूशियार	पथनमथिट्टा	पथनमथिट्टा	आरएएक्स	184
20	मुखातला	क्विलोन	क्विलोन	ओसीबी आरएसयू	2500
21	मुक्कादा	क्विलोन	क्विलोन	एमबीएम आरएसयू	3000
22	सरायीक्काड	क्विलोन	क्विलोन	एसबीएम	1000
23	चन्नक्कामन	क्विलोन	क्विलोन	आरएएक्स	184
24	कुडुकुट्टी	त्रिचूर	त्रिचूर	एसबीएम	1200
25	एडक्काशिपुर	त्रिचूर	त्रिचूर	ई-10 बी आरएलयू	2000
26	अरीमपुर	त्रिचूर	त्रिचूर	एसबीएम आरएसयू	2000
27	वल्क्कावु	त्रिचूर	त्रिचूर	ओसीबी आरएसयू	2000
28	मीनमकुलम	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	एएक्सई आरएसयू	1000
29	पोंगममुडु	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	एमबीएम आरएसयू	2000
30	पट्टम	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	ओसीबी आरएसयू	3000
31	अनयारा	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	5ईएसएस आरएसयू	4000
32	उडियनकुंगारा	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	एसबीएम	1000
33	पुडुकुलंगदारा	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	एसबीएम	1000
34	पल्लमपारा	त्रवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	एसबीएम	1000
35	नगरूर	त्रवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	एक्सएल आरएसयू	2000
36	कट्टूर	त्रवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	एसबीएम	1000
37	चेंगोट्टूकोनम	त्रवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	एसबीएम	1000

विवरण III

2001-2002 के दौरान नए एक्सचेंजों का कार्यक्रम

क्रम सं॰	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	मन्ननचेरहि	1500
2	मूझिक्कल	2000
3	नल्लालम	2000
4	वल्लीकुन्नु	3500
5	अथवानडु	2000
6	वेलिमुक्कु	2000
7	वेट्टम	2000
8	वेलाथुर	3500
9	कुन्नाथुंपलम	2000
10	चोरक्कला	1000
11	एडूर	368
12	कक्कल्याणगढ़	1000
13	कक्कारा	368
14	कोट्टिला	1000
15	विद्यानगर	2500
16	पूलाकुट्टी	368
17	पूवाम	1000
18	थेडिकाववु	368
19	चोकली	2000
20	एरन्जोली	3000
21	पट्टालम	1000
22	वेल्लाड	1000
23	कुलियाल	1000
24	मुंडेनवेलि	3000
25	थेवरा	3000
26	मंजुम्मुल	3000
27	पेरूपट्टम	1000
28	आजाद रोड	3000
29	वल्लारपदम	3000
30	कोडुमल्लूर	2000
31	नट्टाकम	2000
32	थुरूथी	2000
33	वीपुरम	2000
34	पुथुर	1000
35	पाजाहकुलम	1500
36	चेंगरूर	2000
37	थिरूवल्ला	2000
38	पुलामन	2000
39	थंकास्सेरी	2000
40	चन्निपनकुजी	1000
41	तनिस्सेरी	2000
42	कूरकनचेरि	2000
43	मुत्तुवाड़ा	2000
44	काराकुलम	1000
45	पेजुहमम्मोडु	2000
46	कन्नाममोला	2000
47	मेडिकल कालेज	2000
48	थाइकेडु	3000
	कुल-48	

[हिन्दी]

बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया निवेश

1349. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तावित निवेश अन्य राज्यों की तुलना में नगण्य हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में नए कृषि संस्थान और केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्यवार निवेश नहीं किया जाता है। यह संस्थानों में चल रहे अनुसंधान कार्यक्रमों तथा पूरे देश में चालू परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिषद का बिहार के पटना में पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह परिसर पूर्वी क्षेत्र के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की समस्याओं, संसाधनों तथा आवश्यकताओं पर विचार करते हुए बहुआयामी मुद्दों पर ध्यान देगा।

यह परिसर प्रौद्योगिकियां विकसित करेगा जो इस क्षेत्र के प्रचलित जैव भौतिक तथा सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण से संबंधित होंगी।

[अनुवाद]

वन्य जीवों का संरक्षण

1350. श्री बसुदेव आचार्य: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वनों, प्राणी उद्यानों और राष्ट्रीय पार्कों में बाघों जैसी संकटापन्न वन्य जीव प्रजाति का संरक्षण करने के लिए प्रभावकारी सुरक्षा जाल बनाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में नन्दन कानन और हैदराबाद की त्रासदी के बाद कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नन्दन कानन और हैदराबाद की त्रासदी के दोषियों का पता लगा लिया गया है और उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने चिड़ियाघरों के मामले में एक नई नीति पहले से अपनाई हुई है। उक्त नीति में यह परिकल्पना की गई है कि जब तक चिड़ियाघर के प्रभावी प्रबंधन के लिए संसाधनों की सतत उपलब्धता की गारन्टी न हो, जब तक कोई नया चिड़ियाघर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। चिड़ियाघर के सभी जानवरों को उनके स्वास्थ्य के अनुकूल माहौल मुहैया कराना होता है। चिड़ियाघर को मान्यता देने संबंधी नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके अनुरक्षण व स्वास्थ्य की देखभाल के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने होते हैं। नन्दन कानन त्रासदी के बाद मंत्रालय ने सभी चिड़ियाघरों का तेजी से मूल्यांकन कराया है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा अपनाई गई रणनीति के अन्तर्गत ऐसे चिड़ियाघरों को बन्द करना जिनके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है तथा शेष चिड़ियाघरों को अपेक्षित मानकों के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उनकी सहायता करना भी शामिल है।

(घ) और (ङ) नन्दनकानन चिड़ियाघर के निदेशक और पशु चिकित्सा अधिकारी दोनों को स्थानान्तरित कर दिया गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि उन्होंने रोग को फैलने से रोकने के लिए समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की। नन्दनकानन चिड़ियाघर में एक केइमैन को मारे जाने के संबंध में जांच करने के बाद प्राणी संरक्षक को सेवा से हटा दिया गया है और उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला अलग से दर्ज किया गया है।

नेहरू प्राणि उद्यान, हैदराबाद में एक बाघिन को मारे जाने के संबंध में आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस मामले को राज्य के सी आई डी विभाग को जांच हेतु सौंप दिया है और चिड़ियाघर के चार कर्मचारियों को निलम्बित भी किया गया है।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण पर समिति

1351. डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण की जांच करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने जून, 1993 में श्री शरद पवार, जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, की अध्यक्षता में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की:

- वे घटक, जिनकी वजह से राज्यों की विद्युत युटिलिटियों में तकनीकी एवं प्रबंधकीय असक्षमता उत्पन्न हुई है।
- राज्य विद्युत युटिलिटियों की संस्थागत एवं वित्तीय संरचना की समीक्षा एवं आवश्यक परिवर्तनों समेत अन्य बातों के साथ-साथ वितरण को विद्युत उत्पादन से अलग करने तथा उपभोक्ताओं को ग्रामीण को-आपरेटिव आदि के जरिए विद्युत वितरण प्रबंधन में शामिल करने की जरूरत की सिफारिश करना ताकि राज्य विद्युत युटिलिटी पर्याप्त उपभोक्ताओं के साथ वाणिज्यिक रूप से कार्य कर सकें।
- वैसे आवश्यक उपाय सुझाना जिनसे राज्य विद्युत युटिलिटियों को हाल ही में घोषित आर्थिक एवं औद्योगिक नीति की परिधि में निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने के लिए इसके अनुरूप बनाना ताकि अगामी वर्षों में विद्युत विकास हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुमानित अंतराल को दूर किया जा सके।

(घ) समिति ने सितम्बर, 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं समिति द्वारा रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं:

- अधिनियम में संकल्पित मानक की सीमा तक राज्य विद्युत बोर्डों को स्वायत्तता पुन: प्रदान करना।
- राज्य विद्युत बोर्डों के टैरिफ निर्धारण क्षेत्रीय टैरिफ बोर्ड द्वारा किया जाना-टैरिफ नीतियों को पारदर्शी बनाया जाना।
- राज्य विद्युत बोर्डों को वाणिज्यिक रूप में कार्य करने के लिए अनुमति देना और इसे अपना संसाधन जुटाने की अनुमति भी देना।
- राज्य विद्युत बोर्डों का क्रमिक रूप से पुनर्गठन जिसके साथ ही सरकारी इक्विटी को पहली बार में 51 प्रतिशत तक तथा बाद में क्रमिक रूप से 26 प्रतिशत तक कम करना।
- राज्य सरकार राज्य विद्युत बोर्डों की पुनर्संरचना पर अध्ययन आयोजित करेंगे - एक वर्ष के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना है।
- बड़े/मध्यम आकार के शहरी एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में वितरण कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा जाना।
- राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम अखिल भारतीय कृषि टैरिफ को अपनाना, कि विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा राज्य विद्युत बोर्डों को पारदर्शी तरीके से हानियों के लिए, यदि कोई हो, क्षतिपूर्ति देने हेतु सब्सिडी देने के लिए सहमति दिया जाना।
- कृषि उपभोक्ताओं को क्रमिक रूप से सब्जिडी मुहैया कराना और, यदि आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी की समीक्षा करना।
- उन स्कीमों को प्राथमिकता, जो मौजूदा परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग, ऊर्जा संरक्षण एवं पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी को प्रोत्साहित करे।

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :

(1) टैरिफ से यौक्तिकरण करने और क्षमता, अर्थव्यवस्था व प्रतिस्पर्धा में वृद्धि तथा आर्थिक सहायताओं के संबंध में पारदर्शी नीतियों बनाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) की स्थापना करने और राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक (सीईआरसी) की स्थापना करने के लिये विद्युत विनियामक अधिनियम 1998 पारित किया था। सीईआरसी की स्थापना जुलाई, 1998 मे की गई थी और यह अब पूर्णरूप से प्रचालन कर रहा है। उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ने या तो एसईआरसी की स्थापना कर ली है या इसकी स्थापना को अधिसूचित कर दिया है। उड़ीसा, महाराष्ट्र गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ आदेश कर दिए गए हैं।

(2) 26 फरवरी, 2000 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सुधार कार्यों को निश्चित रूप से शुरू दिया जाए जिसके जरिए अगले 2-3 वर्षों में परिणाम प्राप्त हो सकें। सुधार नीति के मुख्य तत्व हैं:

- सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।
- दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं का 100 प्रतिशत मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।
- विशिष्ट समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरियों का घटाना एवं कटौती करना।
- प्राथमिकता के आधार पर उप-केन्द्रों को एक यूनिट के रूप में लेते हुए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़/उन्नत करना।

यदि उपरोक्त कार्यों को वर्तमान व्यवस्था में किया जाना असाध्य है तो वितरणक का निगमीकरण/सहकारीकरण/निजीकरण करना होगा।

(3) उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीकरण/निगमतीकरण कर लिया है। हरियाणा में राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत पारेषण कम्पनी (हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम नि॰ से दो सहायक वितरण कम्पनियां सृजित की हैं। आंध्र प्रदेश में राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत पारेषण कंपनी (एपी ट्रास्को) से 4 सहायक वितरण कंपनियां सृजित की गई हैं। कर्नाटक विद्युत बोर्ड का भी विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर में वितरण का निजीकरण करने की योजना रखती है।

राजस्थान में विद्युत बोर्ड से एक विद्युत उत्पादन, एक पारेषण और तीन वितरण कंपनियां सृजित की गई हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी विद्युत सुधार अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली विद्युत बोर्ड को एक विद्युत उत्पादन, एक पारेषण और तीन वितरण कम्पनियों के रूप में विकेन्द्रीकृत किया जाएगा। राज्य में वितरण का निजीकरण करके उड़ीसा में सुधार प्रक्रिया में और प्रगति हुई है। ग्रिडको की चार सहायक कम्पनियों का निजी कंपनियों के पक्ष में विनिवेश किया जाता है। बीएसईएस लि. ने तीन वितरण क्षेत्रों (वेस्को, नार्थको व साउथको) का कार्य अपने हाथ में ले लिया है और यू. एस. आधारित एसईएस लि. ने केन्द्रीय क्षेत्र का कार्य अपने हाथ में लिया है। पावार जेनरेशन कार्पोरेशन (ओपीजीसी) का 49% सीमा तक विनिवेश कर लिया गया है। चौदह राज्यों (उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान) ने या तो एसईआरसी की स्थापना कर ली है या इसकी स्थापना को अधिसूचित कर लिया है।

(4) विद्युत मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन/प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत् इन राज्यों को सुधारों के पारस्परिक रूप से स्वीकृत मानदंडों को पूरा करने के लिए सहायता देने की प्रतिबद्धता दी गई है। समझौतों की दृष्टि से राज्यों को कुछ कदम उठाने होंगे जैसे पारेषण एवं वितरण को अलग-अलग करना, वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता, ऊर्जा ऑडिट, मीटरिंग एवं विनियामक आयोगों को पूर्ण सहायता। इसके बदले भारत सरकार ने सहायता देने की प्रतिबद्धता दी है जिसमें केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन, पारेषण उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बढ़ाई गई वित्तीय सहायता ताकि पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी आ सके और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

[अनुवाद]

समुद्रतटीय क्षेत्रों में झींगा पालन पर प्रतिबंध

1352. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण समस्या को ध्यान में रखते हुए समुद्रतटीय क्षेत्रों में झींगा पालन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों ने इस निर्णय का अभी तक पालन नहीं किया है और समुद्रतटीय क्षेत्रों में झींगा पालन जारी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण का बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) तटीय क्षेत्रों में झींगा मत्स्य पालन फार्म की स्थापना के सम्बंध में रिट याचिका सं. 561/1994 पर उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.12.1996 के निर्णय की मुख्य बातें नीचे दिए अनुसार हैं:

1 पारम्परिक और उन्नत पारम्परिक किस्म के तालाबों के अलावा तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर कोई झींगा मत्स्य पालन तालाब नहीं बनाया जा सकता है।

2 तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर स्थापित पारम्परिक और उन्नत पारम्परिक किस्म के तालाबों के अलावा अन्य झींगा पालन तालाबों को नष्ट कर दिया जाएगा।

3 झींगा पालन उद्योग द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

4 तटीय विनियमन क्षेत्र के बाहर झींगा तालाब की स्थापना सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से की जानी चाहिए।

5 केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार गठित प्राधिकरण एहतियाती सिद्धांतों और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करेगा।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पुनरीक्षा की मांग के लिए कृषि मंत्रालय और अन्य द्वारा एक पुनरीक्षा याचिका दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 21 मार्च, 1997 के अपने अंतरिम आदेश में झींगा तालाबों को नष्ट करने से संबंधित निर्णय को कार्यान्वित करने पर रोक लगा दी है। इसके पश्चात् न्यायालय ने अपने दिनांक 31 अक्तूबर 2000 के आदेश के तहत पुनरीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया है और मामला इस समय न्यायाधीन है।

(ङ) उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में तटीय क्षेत्रों में झींगा मत्स्य पालन को विनियमित करने के लिए मत्स्य पालन प्राधिकरण स्थापित किया गया है। प्राधिकरण ने पारिस्थितिकी दृष्टि से अनुकूल तरीके से झींगा मत्स्य पालन की पारम्परिक और उन्नत पारम्परिक प्रणाली में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। झींगा मत्स्य पालन संबंधी ऐसे कार्यकलापों के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमति नहीं दी जाती जो पर्यावरण को हानि पहुचाते हैं।

वनों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव

1353. श्री ए० नरेन्द्र: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों की कटाई के कारण पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, नहीं। जहां तक वनों की कटाई का संबंध है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2000 में जारी की गई वन स्थिति रिपोर्ट, 1999 में देश की समग्र वन कटाई संबंधी कोई संकेत नहीं है। देश में वर्तमान (1999) वन आवरण और 1997 के पूर्ववर्ती मूल्यांकन की तुलना में वन आवरण में 3986 वर्ग कि०मी० की बढ़ोतरी हुई है। सघन वन में, मुख्यतः खुले वनों में सुधार की वजह से 10098 वर्ग कि०मी० तक की बढ़ोतरी हुई है। तथापि, भूमि प्रयोग संबंधी अस्पष्ट नीति तथा वनों में और उनके आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका संबंधी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवैध कटाई और वनों पर दबाव की वजह से भी वनों की कटाई में बढ़ोतरी हुई है। भारत जैसे विकासशील देश में यह स्वाभाविक स्थिति है, जहां हमें विश्व के 1.8 प्रतिशत वन आवरण से विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या तथा विश्व की 17 प्रतिशत पशु संख्या की मांग की पूर्ति करनी होती है।

(ख) वनों की कटाई को रोकने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :

1 भारत सरकार, भारतीय वन सर्वेक्षण के माध्यम से 1987 से हर दो वर्ष बाद देश के वन आवरण का मूल्यांकन कर रही है। 1999 के मूल्यांकन के अनुसार 1997 के मूल्यांकन की तुलना में वन आवरण में 3896 वर्ग कि॰ मी॰ समग्र बढ़ोतरी हुई है।

2 संयुक्त वन प्रबधन के माध्यम से वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

3 वन भूमि के अपवर्तन को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

4 वनों की दावानल से सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम "वन आग नियंत्रण की आधुनिक विधियां" क्रियान्वित की जा रही हैं।

5 बाघों और हाथीयों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

6 जंगली वनस्पतिजात एवं प्राणीजात के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

7 राज्यों और केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीम के अंतर्गत वनीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

गुजरात में मूंगफली, नारियल और तिल का उत्पादन

1354. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान मूंगफली, नारियल और तिल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त फसलों की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) गुजरात में विगत तीन वर्षों के दौरान मूंगफली एवं तिल का उत्पादन इस प्रकार रहा:

(हजार मीटरी टन)

फसल	1999-2000*	1998-99	1997-98
मूंगफली	781.0	2577.8	2615.9
तिल	87.0	136.9	177.0

* 26.09.2000 के अनुसार अग्रिम अनुमान।

गुजरात में नारियल का उल्लेखनीय उत्पादन नहीं होता, अत: इसके उत्पादन की जानकारी नहीं रखी जाती।

(ख) विभिन्न तिलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। यह कार्यक्रम देश के 23 राज्यों में चलाया जा रहा है, जिनमें 381 जिले शामिल हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक निम्नवत हैं:

1 प्रजनक बीजों का उत्पादन एवं खरीद, आधारी बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों का वितरण।

2 अग्रणी, प्रखण्ड तथा समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन।

3 छिड़काव यंत्रों का वितरण।

4 उन्नत कृषि उपस्करों एवं पौध संरक्षण उपकरणों का वितरण।

5 राइजोबियम कल्चर, पोषक तत्वों तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण।

6 सरकारी फार्मों पर बीज भण्डारण, थ्रेशिंग फ्लोर एवं सिंचाई।

7 किसानों को प्रशिक्षण।

(ग) से (ङ) किसानों को अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मूंगफली, तिल तथा खोपरे जैसे प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में सरकार के मतानुसार महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार करने के उपरान्त सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निर्णय लिया जाता है। जब कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर को छूने लगती हैं तब उन्हें स्थिर बनाए रखने के लिए शीर्ष अभिकरणों द्वारा तुरन्त हस्तक्षेप करके खरीद की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। सरकारी शीर्ष अभिकरणों द्वारा अच्छी औसत किस्म के कृषि जिन्सों की खरीद सदैव न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है न कि उससे कम मूल्य पर।

वर्ष 2000-01 के दौरान छिलके सहित मूंगफली तथा तिल के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर हैं। तथापि आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे खोपरे की खेती वाले राज्यों में खोपरे के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) ने खोपरा उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए मण्डी हस्तक्षेप किया है। दिनांक 14.11.2000 की स्थिति के अनुसार नैफेड ने मूल्य समर्थन स्कीम के तहत 1.37 लाख मीटरी टन मिलिंग खोपरे की खरीद की है।

बूचड़खानों का आधुनिकीकरण

1355. डा॰ जसवंत सिंहयादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मांस और बूचड़खानों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को लागू करने के लिए क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) इस संबंध में नौवी पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय तथा वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के लिए परिव्यय कितना रखा गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां। नौवीं योजना में निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं :

(1) पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा बूचड़खानों का सुधार।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा मांस प्रसंस्करण का विकास/आधुनिकीकरण।

(3) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा मीट संयंत्रों का उन्नयन।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ)

(करोड़ रुपए में)

	नौवीं योजना	2000-01 के लिए परिव्यय
पशुपालन एवं डेयरी विभाग	55.00	1.25
खाद्य प्रसंस्करण विभाग	20.68	0.10
खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3.09	0.50

2001-2002 के लिए योजना परिव्यय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

पशुपालन और डेयरी विभाग: बूचड़खानों के सुधार के लिए योजना

बूचड़खानों के आधुनिकीकरण/सुधार के लिए पूंजीगत लागत के 50:50 (केन्द्र:राज्य) के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान सहायता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के उद्देश्य

स्वास्थ्यवर्द्धक और सम्पूर्ण मीट का उत्पादन, मीट पशुओं के मानवीय वध के लिए नए तरीके शुरू करना, प्रभावी उपचार के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, रक्षा और नागरिक वायुयानों को पक्षियों की टक्कर से बचाने के लिए रोकथाम, लाभ बढ़ाने और पशु रोगों को फैलने से रोकने के लिए बूचड़खानों के उप उत्पादों का लाभपूर्ण ढंग से उपयोग करना।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग: मीट प्रसंस्करण के विकास/आधुनिकीकरण की योजना

योजना के तहत गैर सरकार संगठनो/सहकारिताओं/नागरिक निकायों और सरकारी संगठनों को अनुदान दिया जाता है। निजी और सहायता प्राप्त संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं का उदार ऋण दिया जाता है।

योजना के उद्देश्य

मीट और मीट उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता स्वास्थ्यवर्द्धक उत्पादन को प्राप्त करने के लिए मीट प्रसंस्करण उद्योगों का विकास, तथा शव गृहों के आधुनिकीकरण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का विकास और प्रसार, खतरनाक विश्लेषण संकटपूर्ण नियंत्रण और आई एस ओ मानकों को अपनाना तथा प्रभावकारी गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को तैयार करना।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण: मीट संयंत्रों के उन्नयन की योजना

1. अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए निर्यात उत्पादन में लगे सार्वजनिक क्षेत्र तथा नगर बूचड़खानों और प्रसंस्करण संयंत्रों के उन्नयन की लागत की 85 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

2. अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए निर्यात उत्पादन में लगे निजी स्वामित्व वाले बूचड़खानों और प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए 25 लाख रूपए की अधिकतम सीमा तक परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

योजना का उद्देश्य

अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए निर्यात उत्पादन में लगे बूचड़खानों, मीट प्रसंस्करण संयंत्रों का उन्नयन और आधुनिकीकरण।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सेल्युलर मोबाइल फोन

1356. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम॰ टी॰ एन॰ एल॰ द्वारा चालित सेल्युलर मोबाइल सेवा कारगर ढंग से काम नहीं कर रही है यद्यपि एम॰ टी॰ एन॰ एल॰ ने शुरू में दो माह के भीतर इस सेवा के विस्तार का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एम॰ टी॰ एन॰ एल॰ द्वारा चालित सेल्युलर टेलीफोन सेवा का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) डब्ल्यूआईएलएल सीडीएमए प्रौद्योगिकी वाली एमटीएनएल की सेल्युलर मोबाइल सेवा ने शुरू-शुरू में विज्ञापित नक्शे के अनुसार कतिपय क्षेत्रों को ही कवर किया है। इस सेवा की शुरूआत के समय, बेस ट्रांसीवर स्टेशनों की सीमित संख्या में उपलब्धता के कारण चुनींदा कवरेज किया गया। सीडीएमए प्रौद्योगिकी वाली प्रदत्त सेवा के मामले में, 'रोमिंग' सुविधाओं के अलावा एमटीएनएल इस सेवा का अब उन्नयन कर रहा है। तथापि जीएसम प्रौद्योगिकी के साथ 'रोमिंग' सुविधा भी संभव हो जाएगी।

(ग) डब्ल्यूआईएलएल सीडीएमए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके दिल्ली के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए, मोबाइल सेवा 30,000 उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी और जीएसएम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके दिल्ली के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए मोबाइल सेवा 1 लाख उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं को इस वित्त वर्ष में पूरा करने की योजना है ताकि उपभोक्ता संतोषपूर्ण सेवा प्राप्त कर सकें।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में वेस्ट हीट रिकवरी विद्युत संयंत्र

1357. **श्री के. पी सिंह देव:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा स्पांज आयरन लिमिटेड द्वारा वेस्ट हीट रिकवरी विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संयंत्र को इंडियन रिनेबेबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (इरेडा) द्वारा वित्त पोषित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इरेडा द्वारा कुल कितना धन दिया गया; और

(घ) उक्त संयंत्र के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ कन्नप्पन): (क) से (घ) जी हां। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) ने मैसर्स उड़ीसा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड को 27.15 करोड़ रु. की ऋण राशि के साथ 10 मेगावाट क्षमता के एक वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट की मंजूरी दी है तथा 26.97 करोड़ रु. वितरित किए हैं। इस संयंत्र को दिसम्बर, 2000 तक शुरू किया जाना है।

[हिन्दी]

दिल्ली में बढ़े हुए बिल

1358. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर चाणक्यपुरी और डाबरी मोड़ दूरभाष केन्द्रों के अधिकतर टेलीफोन उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिल प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह माह के दौरान राजधानी में उक्त मंडलों से जोन-वार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) चाणक्यपुरी और डाबरी मोड़ एक्सचेंज क्षेत्रों से पिछले छः माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है और उन वास्तविक मामलों में रिबेट दी जाती है जहाँ तकनीकी दोष आदि पाए जाते हैं।

विवरण

चाणक्यपुरी और डाबरी मोड़ एक्सचेंज क्षेत्रों से पिछले छः माह में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या इस प्रकार है:

माह	प्राप्त शिकायतों की संख्या	
	चाणक्यपुरी	डाबरी-मोड
मई, 2000	37	49
जून, 2000	32	58
जुलाई, 2000	32	63
अगस्त, 2000	40	41
सितम्बर, 2000	29	71
अक्तूबर, 2000	13	41

करमतिया, बिहार में स्वर्ण भंडार

1359. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के जमुई जिले के सोनों ब्लाक के तहत करमतिया में कोई स्वर्ण भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने स्वर्ण के खनन हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) खान मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस.आई) ने बिहार के जमुई जिले के सोनों ब्लाक के तहत करमतिया में किसी स्वर्ण भंडार का अनुमान नहीं लगाया है।

(ग) जी, नही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलैस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी की व्यवस्था

1360. **प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू॰एल॰एल॰) प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) देश में राज्य-वार कितने टेलीफोन उक्त प्रौद्योगिकी पर चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 तक दो लाख उक्त टेलीफोन उपलब्ध कराने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या उक्त प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के परम्परागत दूरभाष केन्द्रों की स्थिति में सुधार होने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार नक इस उद्देश्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलैस इन लोकल लूप के उपयोग से सेल्युलर टेलीफोन सेवा शुरू करने का है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जिन सैकेण्डरी स्विचन क्षेत्रों (एसएसए) में कई गांव टेलीफोन सुविधा रहित हैं, वहां डब्ल्यूएलएल प्रणालियाँ प्रदान किए जाने की योजना है।

(ख) आज की तारीख तक डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी पर 187 टेलीफोन काम कर रहे हैं। राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

हिमाचल प्रदेश	112
उत्तर प्रदेश पूर्वी	75

(ग) और (घ) जी हाँ। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वीपीटी प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएलएल प्रणालियों की 2 लाख लाइनें संस्थापित करने तथा सीधी एक्सचेंज लाइनों की छिटपुट मांग पूरी करने के लिए योजना बनाई है। यह प्रणाली देश के 60 एसएसए और 400 एसडीसीए को कवर करेगी। इस प्रणाली की अनुमानित लागत लगभग 700 करोड़ रु॰ है।

(ङ) और (च) बेतार होने के बावजूद यह प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक विश्वसनीय संपर्कता प्रदान करने जा रही है।

(छ) और (ज) डब्ल्यूएलएल प्रणालियों की 6 लाख लाइनों के प्रापण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं तथा बोलियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है। डब्ल्यूएलएल उपस्कर की 2 लाख-लाइनों के प्रापण के लिए अग्रिम खरीद आर्डर तीन कंपनियों को शीघ्र ही जारी होने जा रहे हैं।

(झ) जी नहीं।

(ञ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार नेटवर्क

1361. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियों/मुख्यालयों सहित ऐसी कौन-कौन सी जगहें हैं जिन्हें अभी तक दूरसंचार नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक इस नेटवर्क से जोड़ दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राजधानियों/मुख्यालयों को दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ा गया है।

किसानों को राजसहायता

1362. **श्री वाई॰ जी॰ महाजन:**
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से लघु व सीमांत किसानों तथा अपेक्षाकृत निर्धन तबके के किसानों को गत तीन वर्षों के दौरान दी गई राजसहायता कितनी है;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है कि राजसहायता का लाभ निचले स्तर पर उन किसानों तक पंहुचे जिनके लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) किसानों को दी जाने वाले प्रमुख राजसहायता उर्वरकों के मूल्यों में प्रदत्त राजसहायता, सिंचाई तथा बिजली की कम दरों तथा बीजों एवं कृषि मशीनरी पर प्रदत्त राजसहायता के रूप में दी जाती है। कृषि क्षेत्र को उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 1996-97 से दी गई राजसहायता, जिसका संकलन केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने किया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कृषि क्षेत्र को दी गई कुल राजसहायता में से छोटे तथा सीमान्त किसानों को प्रदत्त राजसहायता के प्रतिशत से संबंधित जानकारी नहीं रखी जाती। यह जानने के लिए कि राजसहायता के लाभ संबंधित किसानों तक पहुंच पा रहे हैं अथवा नहीं, सरकार द्वारा एक अध्ययन प्रायोजित किया गया है। बहरहाल केन्द्र सरकार द्वारा अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनका लक्ष्य छोटे तथा सीमान्त किसान हैं। इन स्कीमों में कुछ राजसहायता/प्रोत्साहन अर्निहित हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीज, कृषि यंत्रीकरण आदि जैसे घटकों के लिए 1997-98 में छोटे और सीमान्त किसानों को 1124 करोड़ रुपये की राजसहायता प्रदान की गई।

विवरण

कृषि क्षेत्र को राजसहायता का विवरण

(करोड़ रुपये)

मद	1996-97 (वास्तविक)	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (संशोधित)
1	2	3	4	5
आदानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को राजसहायता				
1 उर्वरक (कुल)	7578	9918	11596	13250
1.1 स्वदेशी उर्वरक	4743	6600	7473	8670
1.2 आयातित उर्वरक	1163	722	333	80
1.3 किसानों को विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री	1672	2596	3790	4500
2 बिजली**	8356	6210	उ० न०	उ० न०
3 सिंचाई ##	9117	10284	108880+	उ० न०
4 बीजों, तिलहनों, दलहनों तथा कृषक सहकारी समितियों के विकास आदि के रूप में सीमान्त किसानों को प्रदत्त अन्य राजसहायता।	917	1124	उ० न०	उ० न०

स्रोत: 1 उर्वरक केन्द्रीय सरकार का व्यय बजट 2000-2001 भाग-I

2 बिजली एवं सिंचाई केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

उ० न० उपलब्ध नहीं

** बिजली में सभी विद्युत बोर्डों एवं निगमों को दी गई राजसहायता शामिल है। खास तौर से कृषि क्षेत्र को प्रदत्त विद्युत राजसहायता से संबंधित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

नीतिगत मामले के तौर पर किसानों को आपूर्ति किए जाने वाले जल की दरें कम रखी जाती हैं, परिमाणत: सरकारी सिंचाई प्रणाली को घाटा होता है। प्रचालन लागत की अधिकता तथा सकल राजस्व को अनुपात सिंचाई राजसहायता माना जाता है।

+ त्वरित अनुमान।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए डाकघर/उप-डाकघर

1363. श्री पदमसेन चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में नए डाकघर और उप-डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में मौजूदा डाकघरों का आधुनिकीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में डाकघर भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) चालू वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए 50 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई डी बी ओ) और 3 विभागीय उप-डाकघर (डी एस ओ) खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य के निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में 13 प्रधान डाकघरों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। 1. लखनऊ चौक प्रधान डाकघर, 2. मुरादाबाद प्रधान डाकघर, 3. वाराणसी प्रधान डाकघर, 4 गोरखपुर प्रधान डाकघर, 5. कानपुर प्रधान डाकघर, 6. आगरा प्रधान डाकघर, 7. सहारनपुर प्रधान डाकघर 8. बरेली उप डाकघर, 9. गाजियाबाद प्रधान डाकघर 10. अलीगढ़ प्रधान डाकघर, 11. मेरठ सिटी प्रधान डाकघर, 12. मेरठ छावनी प्रधान डाकघर और 13. लखनऊ जी. पी. ओ।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान डाकघरों के निर्माण के लिए 3.59 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे और विभागीय भवनों के रख-रखाव के लिए 6.63 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे।

(च) पिछले 3 वर्षों के दौरान 8 डाकघर भवनों का निर्माण किया गया और जहां आवश्यकता थी वहां आबंटित निधि के अनुसार डाकघरों का आवधिक रख-रखाव किया गया।

[अनुवाद]

वाहन प्रदूषण जाँच उपकरणों की खरीद के लिए सहायता

1364. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वाहन प्रदूषण जाँच उपकरणों की खरीद के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों द्वारा खरीदे गए ऐसे उपकरणों की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकारों को प्रारंभ में 100 प्रतिशत अनुदान सहायता दी थी;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अभी तक कुल कितनी सहायता दी गई है;

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तविक रूप में अभी तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ङ) इससे राज्यों को किस सीमा तक लाभ पहुंचा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) प्रारंभ में उपकरण की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जा रहा था। तथापि, 1.6.1998 से राज्य सरकारों को केवल 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा रही है।

(ग) से (ङ) विभिन्न राज्यों को अभी तक कुल 8.3 करोड़ रु० की प्रतिपूर्ति की गई है जिसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस स्कीम से राज्य सरकारों को वाहनों द्वारा किये जाने वाले प्रदूषण को रोकने में सहायता प्राप्त हुई है और स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराए उपकरणों को अनिवार्य आवधिक जांच और सड़कों पर आकस्मिक जाँच के लिए उपयोग किया जा रहा है।

विवरण

राज्य का नाम	करोड़ रु०
आंध्र प्रदेश	0.75
गुजरात	0.40
हरियाणा	0.28
कर्नाटक	0.52
नागालैंड	0.36
पंजाब	1.04
राजस्थान	0.25
सिक्किम	0.04
पश्चिम बंगाल	0.72
तमिलनाडु	1.00
मेघालय	0.06
जम्मू एवं कश्मीर	0.21
गोवा	0.07
उत्तर प्रदेश	0.98
मध्य प्रदेश	0.61
बिहार	0.20
त्रिपुरा	0.07
केरल	0.34
मिजोरम	0.02
असम	0.26
दिल्ली (दि० प० नि०)	0.12
सकल जोड़	8.30

भारतीय राज्य कृषि निगम को नुकसान

1365. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राज्य कृषि निगम गत दो वर्षों से भारी नुकसान में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संगठन को वित्तीय संकट से उबारने के लिए इसकी * स्थिति में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) घाटे के प्रमुख कारण निम्नवत हैं:

- भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्मों में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं फलतः इनका प्रकृति के मिजाज पर निर्भर रहना।
- अनुपातहीन, भारीभरकम स्टाफ तथा अत्यधिक वेतन बिल।
- पुराने उपकरण तथा मशीनरी।
- कार्यशील पूंजी क्षरण होना तथा वित्तीय व्यवहार्यता की कमी।

(ग) इसे खस्ता हालत से उबारने के लिए स्थिति में सुधार हेतु निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं:

- उन्नत प्रबंध प्रथाएं तथा फार्म प्रचालनों की बारीकी से मानिटरिंग।
- स्टाफ की संख्या में कमी करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी॰ आर॰ एस)/स्वैच्छिक वियोजन स्कीम (वी॰ एस॰ एस॰) लागू करना।
- गैर व्यवहार्य फार्मों को बेचना।
- विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंध एवं व्यय में कमी करना।
- उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग।
- कृषि योग्य क्षेत्र के विस्तार हेतु सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना।
- पुरानी मशीनरी को बदलना।
- उत्पादन नीति में परिवर्तन करके उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- उन्नत विपणन नीति।
- कार्य निष्पादन में सुधार हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए संगठन के अध्ययन हेतु एक सलाहकार को अनुबंधित करना।

[हिन्दी]

दूरसंचार कर्मियों की हड़ताल

1366. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री पी॰ आर॰ खूंटे:
श्री रामदास आठवले:
श्री मोहन रावले:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री तरूण गोगोई:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 6 सितम्बर, 2000 को पूरे देश में लगभग चार लाख दूरसंचार कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों की ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरसंचार कर्मियों की मांग के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाह की गई है/की जा रही है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क)और (ख) । अक्तूबर, 2000 से दूरसंचार सेवा विभाग/दूरसंचार प्रचालन विभाग के प्रस्तावित निगमीकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए तीन कर्मचारी संघों के आह्वान पर ग्रुप 'सी' और 'डी' दूरसंचार कर्मचारियों ने 6 सितंबर, 2000 को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी।

(ग) संघों के साथ बातचीत के बाद इनमें से एक संघ ने 6 सितंबर, 2000 को ही हड़ताल वापस ले ली तथा अन्य दो संघों ने अपनी मांगों के संदर्भ में अधिकारी पक्ष के साथ एक करार पर हस्ताक्षर होने के बाद 8 सितंबर, 2000 को अपनी हड़ताल वापस ले ली थी।

(घ) चूंकि अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंज स्वचालित हैं, अतः दूरसंचार सेवाओं पर अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ा और हड़ताल से होने वाला नुकसान बहुत की कम था।

[अनुवाद]

सीधी स्थानीय कॉल सुविधा

1367. **डा॰ (श्रीमती) सुधा यादव:**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले कई नगरों व शहरों में राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली बात करने के लिए सीधी स्थानीय कॉल सुविधाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो कोड नम्बर सहित इन नगरों/शहरों के नाम क्या हैं;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले ऐसे कौन-कौन से नगर/शहर हैं, जिन्हें दिल्ली से सीधी स्थानीय कॉल सुविधा से नहीं जोड़ा गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार हरियाणा के रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, पानीपत और पलवल जिलों को दिल्ली से सीधी स्थानीय कॉल सुविधा से जोड़ने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब से यह सुविधाएं मुहैया कराए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हाँ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण II में दी गई है।

(घ) से (च) वर्तमान नीति, जिसका उल्लेख संलग्न विवरण III में किया गया है, एनसीआर क्षेत्र के सभी शहरों को स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान नहीं करती। तथापि दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के अपक्रम (पीएसयू) बी एस एन एल को यह सलाह दी गई है कि वह एक ऐसा पैकेज तैयार करे जिसमें एनसीआर शहरों के गैर-एसटीडी उपभोक्ता दिल्ली नेटवर्क में, और वाइस-वरसा भी डायलिंग सुविधा का लाभ उठा सकें।

विवरण I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अन्तर्गत आने वाले शहरों/कस्बों के नाम जिनमें दिल्ली/नई दिल्ली के साथ सीधी डायलिंग टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है

	शहर/कस्बे का नाम	दिल्ली/नई दिल्ली में संपर्कता के लिए कोड
1	फरीदाबाद	91
2	बल्लभगढ़	91
3	बहादुरगढ़	91
4	गुड़गांव	91
5	कुण्डली	91
6	गाजियाबाद	91
7	नोएडा	91
8	लोनी	91
9	मेरठ	91

विवरण II

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अन्तर्गत आने वाले शहरों/कस्बों के नाम जिनमें दिल्ली/नई दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के साथ सीधी स्थानीय डायलिंग टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है

	शहर/कस्बे का नाम		शहर/कस्बे का नाम
1	रोहतक	2	रेवाड़ी
3	पलवल	4	पानीपत
5	धारूहेड़ा	6	बुलंदशहर
7	खुरजा	8	हापुड़
9	अलवर	10	एम आई ए -अलवर
11	भिवाड़ी	12	ग्वालियर
13	पटियाला	14	हिसार
15	कोटा	16	बरेली

विवरण III

वर्तमान नीति में निम्नलिखित के बीच स्थानीय डायलिंग सुविधा (एसटीडी कोड रहित) की परिकल्पना की गई है :

(i) दो कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र (एस डी सी ए) जो एक दूसरे के निकटवर्ती हों।

(ii) जब उसी अथवा निकट के लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एल डी सी ए) के अन्तर्गत आने वाले दो कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एस डी सी ए) के दो कम दूरी प्रभारण केन्द्रों के बीच की अरीय दूरी 50 कि. मी. तक हो।

हरियाणा में झाहर नाम की कोई नगह नहीं है। तथापि, हरियाणा का झझर (जो एनसीआर में नहीं है) नामक स्थान एक अलग कम दूरी प्रभारण क्षेत्र है जो उपर्युक्त नीति को देखते हुए दिल्ली के साथ स्थानीय डायलिंग सुविधा शर्तों को पूरा नहीं करता।

[हिन्दी]

कृषि विकास दर

1368. श्री रिजवान जहीर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इस बात की जानकारी है कि बढ़ती जनसंख्या की तुलना में कृषि विकास दर धीमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रेक्षण संबंधी तकनीकी दल के अनुसार 1996 से 1999 के दौरान जनसंख्या की चक्रवृद्धि 1.65% वार्षिक रहने का अनुमान है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के लिए तैयार किये गए अग्रिम अनुमान के अनुसार, 1993-94 के मूल्यों के आधार पर कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद (जी॰ डी॰ पी॰) चक्रवृद्धि दर 2.10% वार्षिक रहने का अनुमान है।

(ख) विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने और इस प्रकार वृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-चावल/गेहूँ/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और बीज मिनीकिट स्कीम को लागू करना। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत, किसानों को उच्च उत्पादक किस्मों के बीजों का प्रयोग करने, समेकित कीट प्रबन्ध को अपनाने, वैज्ञानिक जल प्रबन्ध, जिसमें लघु संचाई और उन्नत फार्म उपष्कर भी शामिल हैं, के प्रचार प्रसार के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी के कुशल अंतरण के लिए किसानों के खेतों में प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है तथा किसानों और कृषक मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं की वित्तीय सहायता बंद किया जाना

1369. श्री सनत कुमार मंडल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ विद्युत परियोजनाओं की वित्तीय सहायता बंद करने को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को राजसहायता में कमी करने संबंधी परिवचन देने को बाध्य किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जिन राज्य विद्युत बोर्डों ने ऐसा परिवचन दिया है, उनका ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) भारत सरकार स्वतंत्र विद्युत उत्पादनों के वित्तीय समाधान को निर्धारित नहीं करती है। सरकार विभिन्न संयोजनकों और अन्य सांविधिक/गैर सांविधिक स्वीकृतियों को प्राप्त करने/तीव्र करने में केवल एक सुविधा प्रदान कर्ता मात्र है, अभी तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण ने 122008.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तथा 29362.3 मे. वा. की कुल क्षमता वाली 57 परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है जिनके लिए पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें से 16 परियोजनाओं का वित्तीय सामापन हो गया है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

तकनीकी आर्थिक स्वीकृत निजी परियोजनाएं जिनका वित्तीय समापन हो चुका है

क्रम सं॰	परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा.)
1	पगुधन सीसीजीटी (मै॰ गुजरात होरेंट) गुजरात	654.7
2	हजीरा सीसीजीटी (मै॰ एस्सार पावर लि॰) गुजरात	515.0
3	बड़ौदा सीसीजीटी (मै॰ जीआईपीसीएल) गुजरात	167.0
4	डाभोल सीसीजीटी (मै. डाभोल पावर कं.) चरण I व II महाराष्ट्र	2184
5	जगसपाड़ सीसीजीटी (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज) आन्ध्र प्रदेश	216
6	गोदावरी सीजीजीटी (मै. स्पैक्ट्रम टैक्नालाजी) आन्ध्र प्रदेश	208
7	कोडांपल्ली सीसीजीटी (लेनको इंडस्ट्रीज लि॰) आन्ध्र प्रदेश	350
8	तोरागंल्लू टीपीएस (मै. जिंदल ट्रैक्टेवल) कर्नाटक	260
9	पिल्लईपेरूपलनल्लूर सीसीजीटी (मै. पीपीएन पावर त.ना.)	330.5
10	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै. जीएमआर वासवी) तमिलनाडु	200
11	जोजोबीरा टीपीपी (मै. जमशेदपुर पावर कं.) बिहार	240
12	नवैली टीपीपी (मै. एसटी-सीएमएस) तमिलनाडु	250
13	सामलपट्टी डीजीपीपी (मै॰ सामलपट्टी पावर कं. तमिलनाडु।	106
14	मलाना एचईपी (मै. राजस्थान स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स लि॰) हिमाचल प्रदेश	86
15	समयानल्लूर डीईपीपी ऑफ मै॰ बालाजी पावर कारपोरेशन प्राइवेट लि॰ तमिलनाडु	106
16	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै॰ जीआईपीसीएल) गुजरात	250
	जोड़	6123.2

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति

1370. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई विशेषज्ञ दल गठित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने समुद्री मात्स्यिकी पर विस्तृत नीति तैयार करने के लिए डा० के० गोपाकुमार, उप महानिदेशक (मत्स्यिकी), भातीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.1999 को एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। विचारार्थ विषयों में मुरारी समिति की सिफारिशों के अनुरूप गहरे समुद्र में मत्स्यन नीति की समीक्षा भी शामिल है। विशेषज्ञ दल के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। समिति अब तक चार बैठकें कर चुकी है तथा अंतिम रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

विवरण

विशेषज्ञ दल के विचारार्थ विषय

1 परम्परागत (मोटरीकृत सहित) मशीनीकृत और गहरे समुद्री मात्स्यिकी जलयानों द्वारा समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के दोहन की वर्तमान स्थिति का पता लगाना।

2 गहरे जल में लघु मात्स्यिकी उद्योग की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

3 ट्रूना लांग लाईनर्स, पर्स सेइनर्स, स्किवड जिगर्स, पोल और लांग लाईन फिशिंग इत्यादि जैसे विशेषकर गहरे समुद्र में मात्स्यिकी बेड़े के क्षेत्रवार संसाधन को नियत करना।

4 मौजूदा मात्स्यिकी, गहरे समुद्र में मत्स्यन बेड़े की क्षमता का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो संशोधन करने और पुनर्विचार करने का सुझाव देना।

5 समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधनों अनुमान लगाना और उन्हें अभिज्ञात करना।

6 विदेशी मत्स्यन कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यमों, पट्टे पर देने आदि की आवश्यकता का निर्धारण करना।

7 समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र की मानव संसाधन विकास संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाना तथा ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम प्रतिपादित करना, और

8. समुद्री मात्स्यिकी के सतत विकास के लिए उत्तरदायी मात्स्यिकी और अन्य सार्वभौमिक सूत्रपातों के लिए आचरण संहिता को ध्यान में रखते हुए संरक्षण उपायों का सुझाव देना।

कर्नाटक में मांग-पर-टेलीफोन

1371. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्य में, विशेषकर बंगलौर शहर में, कौन-कौन से टेलीफोन-एक्सचेंज मांग-पर-टेलीफोन उपलब्ध करा रहे हैं; और

(ग) उक्त शहर में 2001-2002 के दौरान, किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों में मांग-पर-टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक में मौंग पर टेलीफोन उपलब्ध करवाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम निम्नलिखित है:

(i) 1 उलसूर ओसीबी एक्सचेंज
2 सेंट्रल एक्सचेंज
3 सीटीओ एक्सचेंज
4 कुमारस्वामी लेआउट एक्सचेंज
5 चन्द्रा लेआउट एक्सचेंज
6 सी.टी.एस.डी. एक्सचेंज

(ii) सर्किल के अन्य क्षेत्र
1 हुबली, धारवाड़
2 बेलगाम
3 बेल्लारी (राघवेन्द्र कॉलोनी, गांधी नगर, एपीएमसी यार्ड एक्सचेंज)

(ग) बंगलौर शहर में सभी एक्सचेंज।

महाराष्ट्र में पवन चक्की मिल/सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू किया जाना

1372. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में पवन चक्की मिल/सौर ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कोई पवन चक्की मिल/सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) महाराष्ट्र में, 113 मेगावाट की समग्र पवन विद्युत क्षमता की स्थापना की गई है। लोनावाला जिले में, 110 किलोवाट क्षमता की एक ग्रिड इन्टएक्टिव सौर विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। इस राज्य में 146 एसपीवी जल पंपन प्रणालियां, 18 जल पंपन पवन चक्कियां तथा 25 किलोवाट समग्र क्षमता के लघु एरोजनरेटर/सौर-पवन हाइब्रिड प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं।

(ख) और (ग) सतारा जिले वंकुसावडे में, चालू वर्ष के दौरान अब तक 34 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दलहन उत्पादक राज्य

1373. **श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बड़े दलहन उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) कुल दलहन उत्पादन की तुलना में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में दलहन का उत्पादन प्रतिशत कितना-कितना है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरन दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन राज्यों को कई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, हरियाणा तथा उड़ीसा मुख्य दलहन उत्पादक राज्य हैं।

(ख) देश में दलहन का कुल उत्पादन 13.06 मि० मी० टन है और कुल उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश का योगदान क्रमश: 16.72%, 3.15% और 29.12% है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान मुहैया कराई गई सहायता का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रुपये में

राज्य	केन्द्रीय निर्मुक्तियां		
	1997-98	1998-99	1999-2000
महाराष्ट्र	412.00	430.00	430.00
गुजरात	90.00	208.00	180.22
मध्य प्रदेश	555.00	485.00	369.00

[अनुवाद]

न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी नीति

1374. **श्री के० ई० कृष्णमूर्ति: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृ करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों से खाद्यान्नों की खरीद रोक क न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है

(ग) क्या सरकार कृषक समुदाय पर पड़ने वाले इसके प्रतिकू प्रभावों से अवगत है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए ज रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जं नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत 25 सितम्ब 2000 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 742 (अ में प्रकाशित पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2000 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी 2428/2000

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) सा॰का॰नि॰ 95 (अ) जो 8 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा तटबंधों, सड़कों, रेलमार्गों, भवनों के निर्माण में समतल करने अथवा भराव के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मिट्टी को लघु खनिज घोषित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 713 (अ) जो 12 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 714 (अ) जो 12 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की तीसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) 25 सितंबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 743 (अ) में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2000।

(पांच) 25 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 744 (अ) में प्रकाशित खनिज संरक्षण और विकास (दूसरा संशोधन) नियम, 2000।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2429/2000]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गऐ। देखिए संख्या एल.टी. 2430/2000]

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नई मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नई मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नई मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गऐ। देखिए संख्या एल.टी. 2431/2000]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):

(क)(एक) तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गऐ। देखिए संख्या एल.टी. 2432/2000]

(ख)(एक) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2433/2000]

(ग) (एक) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गऐ। देखिए संख्या एल.टी. 2434/2000]

(घ) (एक) कर्नाटक एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गऐ। देखिए संख्या एल.टी. 2435/2000]

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और दूर-संचार विभाग के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2436/2000]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशकालिक सदस्यों के लिए भत्ते) नियम, 2000 जो 18 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 668 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2000 जो 9 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 778 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2437/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 24 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित आप्रवासन (वाहक दायित्व) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं दिनांक 24 नवम्बर, 2000 को राज्य सभा द्वारा यथापारित आप्रवासन (वाहक-दायित्व) विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृषको) के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.3½ बजे

[अनुवाद]

इस समय, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री सुकदेव पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय, श्री संदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गऐ।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.04½ बजे

समिति के लिए निर्वाचन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए श्री के. जी. भूतिया के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करें और इस सभा को राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य के नाम की सूचना दें।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए श्री के. जी. भूतिया के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करें और इस सभा को राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य के नाम की सूचना दें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम शून्य काल शुरू करेंगे।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर वापिस जाइये।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा, आप पहले अपनी सीट पर जाइये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, मैं आपको बोलने के अनुमति दूंगा। माननीय सदस्यगण आप कृपया अपने स्थानों पर वापिस जाइये।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगह पर जाइये। रघुवंश जी, आपको जीरो-आवर में चांस मिलेगा, आप अपनी सीट पर जाइये।

... (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष जी, आज दिल्ली तबाह हो रही है।... *(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करो।... *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : गरीबों से रोजगार छीना जा रहा है, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करो।... *(व्यवधान)* दिल्ली के गरीब मजदूरों को बचाओ।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सदन का समय बर्बाद हो रहा है, आप अपनी जगह पर जाइये। जीरो-आवर में मैं आपको चांस दूंगा। इस तरह से हाउस को डिस्टर्ब करने से आपको चांस नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

इस समय, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापिस चले गए।

अपराह्न 12.08½ बजे

इस समय श्री राजो सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। कृपया अपने स्थानों पर वापिस जाएं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जाइये। मैं आपको चास दूंगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता -उत्तर पूर्व) : मिदनापुर जिले में कल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गये हैं ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: पार्टी लीडर्स अपने-अपने मैम्बर्स को देखें कि वे कैसा बिहेव कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.11 बजे

इस समय, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय: 32 मैम्बर्स ने नोटिस दिया है। इस तरह से होगा तो कैसे काम चलेगा?

... *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को सील किए जाने के विरोध में आज दिल्ली बंद है। इसके लिए दिल्ली सरकार दोषी है। ... *(व्यवधान)* मेरा अनुरोध है कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप सब अपनी सीट पर नहीं जाएंगे।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइये। हम सभा का संचालन कैसे कर सकते हैं? हर चीज की एक सीमा होती है।

... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुई]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, देश का किसान मर रहा है।... *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.3½ बजे

इस समय, कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

सभापति महोदय: यहा खड़े रहकर बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लोग पहले उधर जाइये।

...व्यवधान

अपराह्न 2.3¾ बजे

इस समय, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

... *(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

... *(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यदि आप बोलना चाहते हैं, तो आप वापिस अपने-अपने स्थान पर जाइये।

अपराह्न 2.04 बजे

इस समय, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपको कुछ बोलना है तो अपनी जगह पर जाकर बोलिये।

... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अपनी अपनी जगह पर जाकर बात करिये।

... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप उधर जाकर बात करिये।

अपराह्न 2.06 बजे

इस समय, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, आज बिहार का किसान मर रहा है... *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.06½ बजे

इस समय डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए

---

* कार्यवाही - वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप सहयोग नहीं देना चाहते, तो मैं सभा स्थगित कर दूंगी। कृपया अपने स्थानों पर वापस जायें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, विदर्भ को अलग राज्य बनाना चाहिए।... *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.07 बजे

इस समय श्री रामदास आठवले आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

सभापति महोदय : आप एक मिनट मेरी बात सुनिये। आप मुझे बोलने दीजिए। हम इनसे आपकी बात करायेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह सभा अपराह्न 4 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत् हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, दिल्ली बरबाद हो रही है। *... (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, हम अलग विदर्भ राज्य चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, अपने स्थान ग्रहण कीजिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, आपको क्या कहना है?

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, आज सबेरे जीरो आवर में बिहार के किसानों के सवाल को लेकर बोलने का मौका दिया गया था। केन्द्र के मंत्री ने बिहार में जाकर और दिल्ली में भी नेफेड और एफ.सी.आई. की बैठक करने, पंजाब और हरियाणा के गरीब किसानों को अनाज का उचित मूल्य देने के लिए क्रय केन्द्र खोलने तथा वहां किसानों के अनाज का मूल्य निर्धारित करने की बात कही, किन्तु बिहार में बार-बार मंत्री के बयानों के बावजूद भी अभी तक क्रय केन्द्र नहीं खोले गए हैं और वहां के किसानों के अनाज का समर्थन मूल्य फिक्स नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि इस संबंध में एक विशेष चर्चा हो जिसमें मंत्री भी रहें और पूरा सदन इसे चाहता है। मेरा आग्रह है कि कल कुछ समय निर्धारित कर इस पर विशेष चर्चा कराई जाए और मंत्री जी से इसका जवाब दिलवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: कल प्रश्न काल के तुरंत बाद हम किसानों के बारे में चर्चा करेंगे।

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, देश भर में इस समय किसानों की दुर्दशा है। आपने कृपा की और कामरोको प्रस्ताव पर घंटों बहस हुई लेकिन सरकार का जवाब राजनैतिक बयान वाला था, किसानों की समस्या को सुलझाने वाला नहीं था। इसलिए जब हम लोग अपने क्षेत्र में गए और वहां देखा कि किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है, धान और मकई को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधे दाम पर भी कोई खरीदने का तैयार नहीं है और किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी तो उनकी अगली फसल भी मारी जाएगी। इसलिए किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और सदन की सार्थकता सिद्ध नहीं हो रही है। जब पंजाब में किसानों के साथ विशेष व्यवहार हुआ, फिर अन्य राज्यों में भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए एक-समान नीति किसानों के साथ हो और सभी जगह तत्काल क्रय केन्द्र खोले जाएं। किसानों को उनके अनाज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले।

अध्यक्ष महोदय, सभी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदन की एक कमेटी बनाई जाए जो हर विभाग से संबंधित किसानों की दुर्दशा को देखे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। मेरी यही प्रार्थना है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में प्रति वर्ष रोजगार के एक करोड़ अवसर उत्पन्न करने का वायदा किया था। आज, विद्यार्थी और नौजवान संसद भवन के

सामने रैली का आयोजन कर रहे हैं ... *(व्यवधान)* मैं इस अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सरकार से उत्तर चाहता हूं ... *(व्यवधान)* इस बरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं?... *(व्यवधान)*

* *[हिन्दी]*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह अत्यधिक गंभीर मामला है कि "काम रोको प्रस्ताव" के जरिए किसानों के सवाल पर यहां व्यापक चर्चा हुई, लेकिन उनकी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इससे ऐसा प्रतीत होती है कि लोक सभा में भी हम एक औपचारिकता पूरी करते हैं और यह सदन जो अमाम लोगों की वकालत करने और उन्हें राहत दिलाने के लिए है लेकिन यहां बहस व चर्चा के माध्यम से जो राहत मिलनी चाहिए, वह काम नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, धान का समर्थन मूल्य 510 रुपए प्रति क्विंटल है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, कृपया समझने का प्रयास कीजिए। हम आज इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इसे कल लेंगे।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गंभीर है। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि इस मामले पर कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद व्यापक चर्चा कराएं। ... *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझसे कहा था कि आपको बाद में टाइम दिया जाएगा। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खुराना, कृपया बात समझने की कोशिश कीजिये। मैं आज "शून्य-काल" रखने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप अपनी बात कल रख सकते हैं।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि दिल्ली में बड़ी विस्फोटक स्थिति बन गई है। मेरी मांग है कि लास्ट फ्राईडे को कॉलिंग अटेंशन मोशन का जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने सदन में आश्वासन दिया था कि मास्टर प्लान के बारे में संबंधित पक्षों को बैठक में बुलाया जायेगा और उस दिन के बाद दिल्ली में उद्योगों के ऊपर सील लगाने का काम बन्द हो जाएगा, लेकिन सैटरडे और सनडे... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आप यह मामला माननीय मंत्री के साथ क्यों नहीं उठाते? ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

... *(व्यवधान)**

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये जा रहे हैं और उन्हें यत्र तत्र मारा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप यह मामला कल उठायें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: क्या आप मुझे कल अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय: जी हाँ।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: आपका धन्यवाद।

अपराह्न 4.09 बजे

सरकारी विधेयक

(एक) भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद विधेयक**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं॰ 9 लेगी।

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 27-11-2000 में

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राजो सिंह जी, आपको कल बोलने का मौका देंगे।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

... *(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो अभी इंट्रोडयूस हुआ है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... *(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करने का विरोध करता हूं। मैं यह विरोध मात्र विधायिक क्षमता के आधार पर ही नहीं कर रहा हूं। इसकी विधायी क्षमता तो है। इसमें विधायी क्षमता है।

इस विधेयक को प्रस्तुत कर सरकार जानबूझकर एक मुद्दा उठा रही है और इससे न्यायपालिका के प्रति उनके अनादर का भी पता चलता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, इस बारे में आपका नोटिस आज 10 बजे के बाद प्राप्त हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं केवल दो मिनट लूँगा।

महोदय, मामला न्यायालय में है। भाजपा सरकार अपनी योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए बल पूर्वक एक के बाद एक संस्थानों का अधिग्रहण कर रही है। भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद की कार्यकारी समिति एक निर्वाचित निकाय है। श्री जगमोहन इसे बलपूर्वक हथियाना चाहते थे। उच्च न्यायालय ने इसमें स्थगन आदेश दिया था। स्थगन आदेश का उल्लंघन करके उन्होंने ऐसा किया। अवमानना के मुद्दे पर यह मामला पुन: न्यायालय में चला गया। अब यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 दिसम्बर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ये जानबूझकर अध्यादेश लाकर इसका अधिग्रहण करना चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, ये विधायी क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं। पुर: स्थापना के स्तर पर वे केवल विधायी क्षमता के आधार पर ही विरोध या समर्थन कर सकते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इन्हें अभी जवाब नहीं देना है। व्यवधान उत्पन्न करने का यह कोई तरीका नहीं है। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए और तब वे बोलें... *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूं। ये सभा में किसी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह ठीक नहीं है। जब मैं बैठ जाऊं तभी ये अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

महोदय, यह विधेयक पुर:स्थापित करने का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। न्यायपालिका के प्रति अनादर के साथ ये ऐसा कर रहे हैं। अवमानना के मुद्दे पर न्यायालय में 7 दिसम्बर को सुनवाई होगी। इस संगठन के अधिग्रहण के लिए ये बलपूर्वक अध्यादेश को लाए हैं। इसको पुर:स्थापित करने का मैं पुरजोर विरोध...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल): महोदय, मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह विधेयक के पुर:स्थापन की अवस्था है, अभी हम इसमें कोई संशोधन नहीं ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, अध्यादेश का निरनुमोदन करने के लिए मैंने एक सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अभी नहीं बोलिए, आप बाद में बोल सकते हैं। हम अभी विधेयक की पुर:स्थापना चरण में हैं।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैंने अपने प्रिय मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी की बातों को गौर से सुना। क्या मैं इसके तीन या चार पहलुओं पर संक्षेपपूर्वक कह सकता हूँ?

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पहला तो यह कि विधान के पुर:स्थापना चरण में आपत्ति केवल विधायी क्षमता के आधार पर ही उठाई जा सकती है। इनका यह कहना ही बहुत है कि यह विधायी रूप से उपयुक्त है ...*(व्यवधान)* इसमें कोई दुर्भावना नहीं है...*(व्यवधान)* इस पर मैं मिनट में आता हूँ...*(व्यवधान)* मैं इन सभी पहलुओं पर आऊँगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब मंत्री जवाब दे रहे हों तो व्यवधान उत्पन्न न करें। यह सही तरीका नहीं है। यदि आप कुछ कहना की चाहते हैं तो आप इनकी बात खत्म होने पर कह सकते हैं मगर अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह संसदीय व्यवहार नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, इस मामले में माननीय सदस्य द्वारा सभा की क्षमता का उल्लेख तक नहीं किया जा रहा है। क्या मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं जैसा निसन्देह उन्हें ज्ञात होगा कि हमारे पास विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति एक सर्वसम्मत रिपोर्ट है जिसमें ऐसे कदम उठाने की पुरजोर सिफारिश की गई है?

तीसरा, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि 1985-86 से 1988-89 के दौरान स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में यहां हो रही अनियमितताओं के लिए पहली बार इस संगठन के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई थी। इसलिए सरकार ने वित्तीय सहायता बंद कर दी।

अंतत: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगनादेश के बारे में भी मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि यह असल में कोई स्थगनादेश होता, तो वह अध्यादेश लागू करने पर होता। दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐसा कोई स्थगनादेश नहीं है। चण्डीगढ़ न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया था। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कानून के अनुसार दोनों मामले अपने पास ले लिए हैं।

विधायिका विधान का निर्माण करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या। माननीय सदस्यों से मैं अपील करूँगा कि वे इस आधार पर विधायिका की शक्तियों को कम ना करें कि यह मामला न्यायपालिका में है।

मामला न्यायालय के नहीं विचाराधीन नहीं है। हम न्यायिक मानदण्डों का उल्लंघन नहीं करते रहे हैं। हम पूरी तरह संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और हम सप्रू हाऊस में चल रहे भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि मेरे माननीय मित्र को इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने में भी दोष दिखाई दे रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपको पिछले इतिहास की जानकारी नहीं है। यह आपकी घोषणा नहीं है। इसे पहले ही राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जा चुका है। चूंकि इसकी व्यवस्था कांग्रेस के लोगों के हाथ में है जो कि कार्यवाही समिति में भी हैं, आर० एस० एस० के षडयंत्र से आप इसे बल पूर्वक हथियाना चाहते हैं...*(व्यवधान)* अब, आपके लिए महत्वपूर्ण यही है कि आप आर. एस. एस. के इशारों पर चलें। यही आपके लिए राष्ट्रीय महत्व का है...*(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): समिति में कांग्रेस के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया था ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी हाँ, मुझे पता है...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, वे इस बात को मानते हैं तो इस विधेयक को पुर:स्थापित करने में क्या नुकसान है...*(व्यवधान)* आर. एस. एस. को इसमें क्या परेशानी है...*(व्यवधान)* यदि कांग्रेस ऐसा कर सकती है तो आर. एस. एस. भी ऐसा कर सकती है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप मंत्री नहीं है...*(व्यवधान)* हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह: सदस्य को इसका समर्थन या विरोध करने का अधिकार है। यह अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है किंतु यह बड़े ही खेद की बात है कि माननीय सदस्य ने इस मुद्दे को इतना खींच लिया जिसकी इनसे उम्मीद नहीं थी। सरकार पूरी तरह स्पष्ट है और माननीय सदस्य के अनाप सनाप आरोप से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा है। सरकार पूर्ण रूप से इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व प्रदान करने के प्रयोजन से प्रेरित है। अत: मैं सभा से यह विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवन्त सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 4.17 बजे

भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद् अध्यादेश के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा गया

श्री जसवन्त सिंह: मैं भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद अध्यादेश, 2000 के द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2438/2000]

अपराह्न 4.18 बजे

(दो) केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक*

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा रेल क्रासिंगों पर सुरक्षा में सुधार के लिए 1988 में पारित संसद के सकल्प द्वारा शासित विद्यमान केन्द्रीय सड़क निधि को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल, उच्च गति डीजल तेल के रूप में सामान्यत: ज्ञात मोटर स्पिरिट पर उपकर के रूप में उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने और उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा रेल क्रासिंगों पर सुरक्षा में सुधार के लिए 1988 में पारित संसद के संकल्प द्वारा शासित विद्यमान केन्द्रीय सड़क निधि को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल, उच्च गति डीजल तेल के रूप में सामान्यत: ज्ञात मोटर स्पिरिट पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने और उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 27.11.2000 में प्रकाशित।
** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 4.18½ बजे

केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश के बारे में विवरण - सभा पटल पर रखा गया

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी : मैं केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश, 2000 के द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2439/2000]

अपराह्न 4.19 बजे

(तीन) संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 330 और 332 का संशोधन)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरूण जेटली: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया समझा जाये।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट 377 है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे तो क्या करें।

...(व्यवधान)

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 27.11.2000 में प्रकाशित।
* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 4.20 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पुलिस को सुदृढ़ करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण शरण सिंह (गोंडा): भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय खुली सीमाप आई.एस.आई. व राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक संवेदनशील सीमा है। इस सीमा के सीमावर्ती क्षेत्र में ढंग से नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से माह अप्रैल, 1997 में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस का गठन किया गया है। चूंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है अत: इस पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण तथा रख-रखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि, भारत सरकार द्वारा किया गया है। जिसका कुल योग एक अरब सत्ताईस करोड़ छ: लाख इक्कीस हजार रुपया मात्र है। उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करके उ० प्र० शासन ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी, जो स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से आये प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(दो) उज्जैन और रामगंज मंडी बरास्ता घाटिया-झालावाड़ के बीच रेलवे लाइन शीघ्र बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): मध्य प्रदेश और राजस्थान को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए उज्जैन से रामगंज मण्डी व्हाया घाटिया, पोंसला, तनोड़िया, आगर-मालवा, सुसनेर, सोयत और झालावाड़ एक नई रेल लाइन बिछाने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा प्रारम्भिक सर्वे कराया गया है। उक्त सर्वे कार्य का शुभारम्भ तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था। सर्वे कार्य पूर्ण होकर प्रतिवेदन अप्रैल, 2000 से रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय के पास विचाराधीन है। सर्वे रिपोर्ट सकारात्मक है। उक्त मार्ग पर उज्जैन से आगरा तक नेरोगेज रेलवे लाइन थी जिस पर आपातकाल के अन्त तक सन् 1975-76 तक रेल का आवागमन होता था। आपातकाल के अंत में इस रेलवे लाइन को उखाड़ दिया गया था। उज्जैन से रामगंज मण्डी तक रेलवे लाइन डालना जनहित और पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र उक्त रेल लाइन का काम प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जायें।

* सभा पटल पर रखे गये।

(तीन) बिहार के छपरा में सोनपुर मेले में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): बिहार के छपरा में लगने वाला सोनपुर मेला राजस्थान में लगने वाले पुष्कर मेले की तुलना में देश में लगने वाले सबसे पुराने ग्रामीण मेलों में से एक है। देश-विदेश से लाखों पर्यटक और तीर्थयात्री इस सोनपुर मेले में आते हैं। हालांकि, उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, उनके लिए निम्नलिखित का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है (एक) सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु एक बड़े आकार का सभाभवन-सह-मनोरंजन केन्द्र; (दो) नहाने के लिए घाटों का निर्माण; (तीन) प्रकृति चित्रण और सड़कों का निर्माण ; तथा (चार) पर्यटक सूचना भवन का प्रावधान।

मेरा पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि वह वहां पर बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अनुदान प्रदान करें।

(चार) सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थानों में निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भर्ती किए गए कर्मियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): सरकार के विभिन्न अस्पतालों, कार्यालयों एवं उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर बड़े पैमाने पर युवकों का शोषण हो रहा है। डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान, सुचेता कृपलानी अस्पताल, इफको, क्रिफको, एन.टी.पी. सी. एवं लगभग सभी तेल कम्पनियों में निजी ठेकेदारों को सुरक्षा का ठेका दिया हुआ है। सुरक्षा में लगे युवकों के पसीने की कमाई उचित रूप से नहीं दी रही है। कई स्थानों पर नियमित कर्मचारियों को ज़बरदस्ती निकाल कर ठेके पर कार्य कराये जा रहे हैं। माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज को हिन्दुस्तान लीवर ने खरीदा है। वहां पर भी नियमित कर्मचारियों को निकाल कर ठेके पर कार्य कराये जा रहे हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में एक नीति बनाकर ठेका प्रथा को समाप्त किया जाये ताकि कामगारों का शोषण न हो सके।

(पांच) कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ में सुपारी की खेती करने वाले किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी): सुपारी के मूल्य में अभूतपूर्व कमी आई है जो दक्षिण कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश किसानों की रोजी-रोटी का जरिया है। किसानों के पास सुपारी का अत्यधिक स्टॉक हो गया है क्योंकि कोई भी खरीददार उन्हें लाभकारी मूल्य देने को तैयार नहीं है। सुपारी की खेती करने वाले किसान कर्ज के बोझ से दब गये हैं। जब तक कि सरकार किसानों को इस संकट से उबारने के लिए सुपारी के लिए न्यूनतम मूल्य की पेशकश करा करके अपने कृषि पदार्थ खरीद एजेंसियों के माध्यम से हस्तक्षेप न ही करती तब तक किसानों के लिए जीवनयापन करना भी मुश्किल हो जाएगा।

इसके अलावा, सुपारी के कम आयात शुल्क पर बरोक-टोक आयात के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई है जिससे घरेलू बाजार भी अस्थिर हो गया है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सुपारी की खेती करने वाले स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सुपारी को "गिरीदार फल" की आयात श्रेणी से निकाल दिया जाये और साथ ही इसके आयात पर भी प्रतिबंध लगाया जाये।

(छह) इराक के लोगों के प्रति सद्भावना के रूप में एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): ईराक पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाने के कारण वहां की जनता को बहुत अधिक कष्ट झेलने पड़े हैं। आखिरकार विश्व समुदाय ने यह महसूस किया है कि इस देश के साथ अच्छा सलूक किया जाये, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इसने अपने ऊपर लगाई गई सभी शर्तों का अनुपालन और आदर किया है। इन प्रतिबंधों से पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव और भोजन की अनुपलब्धता के कारण निर्दोष लोग लगातार मरते गये।

चूंकि नागरिक उड़ानों पर प्रतिबंध को कठोर रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए कई देशों ने वहां की जनता के प्रति सहृदयता जताने के रूप में अपने शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और डाक्टरों आदि के साथ ईराक के लिए उड़ानें भेजी हैं। जब ईराक के उप-राष्ट्रपति इस सप्ताह भारत के दौरे पर आयें तो हमें भी ईराक के लिए एयर-इंडिया की विशेष उड़ान उपलब्ध कराकर ईराक की जनता के प्रति सहृदयता और सद्भावना दर्शानी चाहिए। कई नागरिक अपना-अपना खर्च उठाकर आगे आएंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह हमारे विदेश मंत्री जी द्वारा ईराक का दौरा करने और ईराक के उपराष्ट्रपति द्वारा भारत का दौरा करने के बाद अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में तत्काल यह पहल करें।

(सात) कर्नाटक में गडग और बीजापुर के बीच आमान परिवर्तन कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. एस. पाटिल (बागलकोट): वर्ष 1993 के दौरान गड़ग और बीजापुर के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शुरू किया गया था। लेकिन आज सात वर्ष बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह रेलवे लाइन एक ओर हुबली-धारवाड़ को और दूसरी ओर शोलापुर को जोड़ती है। अत: यह लाइल न केवल उत्तर कर्नाटक के लिए अपितु पूरे दक्षिण भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण लाइन है। चूना पत्थर, लौह अयस्क को प्रतिदिन विभिन्न उद्योगों तक ले जाना पड़ता है और इस समय ट्रक ही परिवहन का एकमात्र साधन है जो काफी मंहगा साधन है। इसके अलावा, अपरोक्त आमान परिवर्तन से बंगलौर-नई दिल्ली मार्ग की 150 कि॰ मी॰ से भी अधिक दूरी कम हो जाती है। इसलिए, इस बहुप्रतीक्षित आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक इस कार्य के लिए बहुत कम राशि आबंटित की गई है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह गड़ग और बीजापुर के बीच इस आमान परिवर्तन कार्य के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये तत्काल आबंटित करें।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा विमानपत्तन पर धावनपट्टी संबंधी कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री राम मोहन नाइडू (विजयवाड़ा) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 16.29 करोड़ रुपए की लागत पर विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर धवनपट्टी को सुदृढ़ करने और नये एप्रन तथा संबद्ध टैक्सीमार्ग के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी थी। जैसाकि राज्य सरकार ने 8 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण देने पर सहमति जतायी थी। वर्ष 19997-98 के दौरान भातीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 4 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है और 4 करोड़ रुपये की शेष राशि वर्ष 1998-99 के दौरान देय है।

राज्य सरकार को कार्य की प्रगति और 4 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अभी तक किये गये कार्य की पुनरीक्षा करे और इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण को निदेश दे।

(नौ) उत्तर प्रदेश में निरन्तर आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरा): विगत वर्षों में भारतवर्ष के उत्तरी सीमान्त पर आई नदियों की अप्रत्याशित बाढ़ के कारण जन धन की भारी क्षति हुई है। विगत 9 अगस्त, 2000 को सदन में इस विषय पर परिचर्चा आयोजित भी की गई थी। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल द्वारा पानी का अनियंत्रित बहाव छोड़े जाने के कारण सीमान्त के जनपदों, खीरी, पीलीभीत, सीतापुर तथा बहराइच में जन, धन का भरी विनाश हुआ है। पचास करोड़ से ऊपर की फसलें नष्ट हो गई हैं और कई गावों का नामोनिशान मिट गया है। सरकार से अनुरोध है कि हालात पर गैर करते हुए शारदा नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए बैराज, शारदा नगर से घाघरा नदी के संगम तक दोनों तटबंधों के निर्माण करने का कार्य करें जिसे बाढ़ के प्रभाव से जनता सुरक्षित रह सके।

(दस) बिहार में समुचित जल प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, बिहार के बंटवारे के बाद, अब बचे बिहार को खान और खनिज के स्थान पर खेतों के खाद्यान्न पर ही निर्भर होना होगा। परन्तु अभी यहां के खेतों में खाद्यान्न कम और खर-पतवार का ही बाहुल्य है। इस हालात को तुरन्त बदलने की जरूरत है और इसीलिए जल के प्रबंध की सुयोग्य व्यवस्था लाजमी है।

शेष बिहार के क्षेत्र में अभी तक के आक्कलन के अनुसार 53.530 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सकता है, किन्तु अभी तक मात्र 26.170 लाख हेक्टेयर भूमि को ही सिंचित व्यवस्था में लाया जा सका है। इसी प्रकार जल जमाव से 63.31 लाख हैक्टेयर भूमि प्रभावित है, किन्तु 29.28 लाख हेक्टेयर, भूमि में से ही अतिरिक्त जल निकास की व्यवस्था की जा सकी है। एक आक्कलन के अनुसार उपरोक्त दोनों समस्याओं के समाधान हेतु 66,500 करोड़ रुपये की फिलहाल लागत होगी। बिहार जैसे साधनहीन, निर्धन राज्य के लिए इतनी बड़ी राशि अपने बूते पर जुटा पाना बिल्कुल संभव नहीं है। अत: मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त राशि की व्यवस्था बिहार राज्य के लिए कर दे, ताकि बिहार राज्य को जल की सुव्यवस्था कर विनाश से बचा कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सके।

(ग्यारह) पूरे देश में खाद्यान्नों की समुचित खरीद किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सरकार ने स्वीकार किया है कि इसकी अनाज खरीद, भंडारण और वितरण नीति में गंभीर खामियां हैं और कि 'हरित क्रांति' हेतु बनाई गई कार्ययोजना खराब अर्थव्यवस्था पर आधारित थी क्योंकि यह केवल विशेष क्षेत्र पर केंद्रित थी। केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न के अपक्रय् में काफी अधिक कमी आई है। इसका कारण यह है कि गेहूं और चावल के खुदरा बाजार मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित मूल्यों से काफी कम हैं।

जब देश में हरित क्रांति की शुरूआत हुई थी तो देश के पूर्वी भागों में और अन्य वर्षासंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता काफी अधिक थी। लेकिन प्रस्तावित 'हरित क्रांति' के लिए इन क्षेत्रों पर विचार नहीं किया गया था। यद्यपि बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में धान और गेहूं का उत्पादन अधिक है तथापि केन्द्रीय पूल मुख्यत: पंजाब से ही यह सब खरीदता है। यदि देश के सभी संभावित क्षेत्रों से विवेकपूर्ण ढंग से खरीद की गई होती तो कमी वाले क्षेत्रों में परिवहन की अत्यधिक लागत की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करे।

(बारह) सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने वाले विधान को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री होलखोमांग हौकिप (बाह्य मणिपुर): संसद की दोनों सभाएं 82वां संशोधन विधेयक पहले ही पारित कर चुकी हैं जिसके द्वारा किसी भी सरकारी सेवा अथवा पदों में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। राष्ट्रपति की अनिवार्य सहमति के बाद यह मामला अब भारत सरकार के विचाराधीन है। इस कानून के अनुसार पदोन्नति के मामले में आरक्षण अब अ. जा. और अ. ज. जा. के सरकारी कर्मचारियों का अखंडनीय अधिकार बन गया है मैं यह महसूस करता हूँ कि जहां तक इसके क्रियान्वयन का संबंध है, सरकार बहुत धीरे-धीरे कार्य कर रही है।

इसलिए, मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह इस कानून को बिना किसी और विलंब के यथाशीघ्र लागू करे।

(तेरह) बिहार के सीवान में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

मोहम्मद शहाबुद्दीन (सीवान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान सद्भावना एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस तथा टाटा गोरखपुर एक्सप्रेस (अब छपरा-टाटा एक्सप्रेस) गाड़ियों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि पहले वाया सीवान होकर चलती थी लेकिन अब इन गाड़ियों का रूट बदल कर छपरा बलिया होकर चलाये जाने के कारण सीवान के यात्रियों को काफी परेशानियों का समना करना पड़ रहा है जिसे पुन: सीवान होकर चलाया जाना आवश्यक है। दूसरे सीवान स्टेशन पर यात्रियों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए आरक्षण काउंटरों की जो वर्तमान संख्या है, उससे यात्रियों को आरक्षण करवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अत: अतिरिक्त आरक्षण काउंटरों की संख्या में बढ़ोत्तरी वांछित है। तीसरे, सीवान स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन का दर्जा न दिये जाने के कारण द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चौथे, सीवान स्टेशन में सरकुलेटिंग क्षेत्र की चारदीवारी का निर्माण इसके सौंर्यीकरण ,परिसर में यात्री निवास के निर्माण के साथ साथ साईकिल एवं मोटर साइकिल/स्कूटर स्टैंड की स्थायी व्यवस्था, मालगोदाम पर शेड के न होने, प्रतीक्षारत व्यवसायियों के लिए प्रतीक्षालय न होने एवं कुलियों के लिए आवास व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीवान स्टेशन पर यात्रियों की संख्या को मद्देजनर रखते हुए टिकट खिड़की पर भीड़ को कम करने के लिए महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए अलग अलग टिकट खिड़की की व्यवस्था की जाए।

(चौदह) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): इस समय आरक्षण की नीति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी निर्देशों के अनुसार लागू की जाती है। चूंकि यह व्यवस्था प्रभावी साबित नहीं हुई है, इसलिए यह अनुरोध है कि इस नीति को सांविधिक आधर प्रदान करने के लिए एक कानून बनाया जाये जिसमें उन व्यक्तियों/प्राधिकारियों को दंडित किए जाने का प्रावधान हो जो इसका कार्यान्वयन नहीं करते हैं यह कानून संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए।

लोक सभा, विधान सभाओं, सेवाओं, शैक्षिक संस्थाओं और अन्य सभी संगठनों, निगमों इत्यादि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर कड़ाई से होना चाहिए। अनु. जातियों और अनु. जनजातियों को राज्य सभा और राज्यों में विधान परिषदों में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

भूमि सुधार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और अतिरिक्त भूमि को अनु. जातियों और अनु. जनजातियों में वितरित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अंतरण विनियमों के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

अपराह्न 4.21 बजे

कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय: अब यह सभा आज की कार्यसूची की मद सं॰ 15 पर चर्चा करेगी। इसकी चर्चा के लिए चार घंटे का समय आवंटित किया गया है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कंपनी, अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, वर्ष 1996 में भारत सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और भारतीय कंपनी अधिनियम में अनेक परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर 1997 में सैकड़ों खंडों वाला एक व्यापक विधेयक इस सभा मे पुर:स्थापित किया गया और तदुपरान्त यह महसूस किया गया कि संपूर्ण विधेयक अथवा विधान कर एक ही समय में चर्चा करना इतना आसान नहीं होगा, अत: वर्ष 1999 में जो अनेक पहलू सुझाये गये थे, उन पर भारत सरकार ने एक अध्यादेश की घोषणा की, जिसे बाद में सभा ने विधेयक के रूप में स्वीकार कर लिया था। कंपनी कानून में अनेक संशोधन किए गए थे। संशोधन 1999 अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं जैस कर्मचारियों के हक में श्रम-साम्या (स्वैट इक्विटी) का प्रावधान और मृत शेयरधारी के विधि-सम्मत उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों के लिए शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने हेतु नामनिर्देशन की सुविधा के सहलीकरण, मानक लेखा-जोखा प्रथाओं को लागू करने, और निवेशक शिक्षण निधि के बारे में है। ये संशोधन, जो विधेयक में शामिल किए गए थे, तभी से अधिनियम के अंग हैं और सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। सुझाये गए अन्य अनेक सुझावों के आधार पर कंपनी अधिनियम में अन्य अनेक संशोधन करने हेतु 1999 में एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

स्थायी समिति का जिसने इस मामले की विस्तार से जाँच की गई थी का उल्लेख किया गया था और इस सभा को भी स्थायी समिति की व्यापक रिपोर्ट का लाभ मिला है। संक्षेप में, इन संशोधनों के परिणामस्वरूप शामिल किए गए प्रावधानों में निम्नलिखित बातें हैं। नये प्रस्तावित संशोधन में कुछ वाक्यांशों को पुन: परिभाषित किया गया है। उदाहरणार्थ लाभांश में अब अंतरिम लाभांश भी शामिल है। क्योंकि कुछेक मामलों में अंतरिम लाभांश की घोषणा कंपनियाँ करती हैं। एक आवश्यक प्रावधान यह किया गया है कि शेयरधारी को अब 42 दिन के बजाय 30 दिन मे लाभांश दिया जाना अपेक्षित है। स्थायी समिति ने सिफारिश की है, जिसके लिए मैं सभा की स्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ। जहाँ तक अंतरिम लाभांश का संबंध है, वह शेयरधारी को घोषणा किए जाने के पांच दिन के भीतर ही देना होगा।

दूसरा संशोधन, किसी कम्पनी में कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजी हेतु मानदंड निर्धारित किए जाने के संबंध में है। निजी कम्पनी के लिए इसकी सीमा 1 लाख रुपये और सरकारी कम्पनी के लिए 5 लाख रुपये है। यह सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान पुर:स्थापित किया है कि प्रत्येक कम्पनी में कुछ मूल न्यूनतम पूंजी हो ताकि सतौंरात गायब होने वाले संचालक जो उचित पूंजी के बिना ही कम्पनियों का रजिष्ट्रीकरण करा लेते हैं और निवेशकों को धोखा देते हैं, को हतोत्साह किया जा सके।

एक और प्रावधान किया गया है कि ऐसी स्थिति में भी, जबकि किसी कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य में हो और उसे उस राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही स्थानान्तरित किया जाना हो, तब क्षेत्रीय निदेशक की अनुमति आवश्यक है। पूर्व में, इस प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता केवल तभी होती थी जब उस कम्पनी के कार्यालय का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण किया जाता था।

महोदय, ऐसा महसूस किया गया है कुछ निजी कम्पनियां, जिन्हें कुछ समय बाद सरकारी कम्पनियां समझा जाएगा तथा निगमित शासन से संबंधित उपबंध कुछ निरर्थक हो गये हैं और इसीलिए इन प्रावधानों को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। इसी प्रकार से, प्रबंधन एजेंटों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रावधान कम्पनी अधिनियम में किए गए हैं जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है और ये असंगत हो गये हैं ऐसे प्रावधान, जो व्यावसायिक विश्व के लिए निरर्थक हो गए हैं उन्हें समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। इसी प्रकार से बाजार विनियमन संबंधी शक्तियां, जो पहले कम्पनी कानून के अंतर्गत आती थी, अब उन्हें "सेबी" को अंतरित कर दिया गया है। अत: कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत सभी बाजार विनियामक कार्य भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि इसके लिए एक अलग विधान बनाया गया है जिसके अन्तर्गत इससे निपटने का अधिकार सेबी को प्रदान किया गया है।

निवेशक सुरक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम में सुझाये गये हैं। उदाहरण के लिए खण्ड 19 का आशय मुख्य अधिनियम की धारा 58 (क) में संशोधन करना है। इस प्रावधान के अंतर्गत, कम्पनी कानून बोर्ड को छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक कम्पनी लघु जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान में चूक करने पर 60 दिन के अंदर इसकी सूचना कम्पनी "ला बोर्ड" को देगी। तत्पश्चात कम्पनी लॉ बोर्ड इस सूचना अथवा स्वत: प्रस्ताव के आधार पर भुगतान संबंधी सूचना के 30 दिनों के अंदर इसके बारे में जांच करके उचित आदेश पारित करेगा। ऐसी कम्पनियां जो लघु जमाकर्ताओं को धनराशि

[श्री अरूण जेटली]

वापिस नहीं करती उनके संबंध में एक निवारक है। यदि वे लघु जमाकर्ताओं को धनराशि का पुनर्भुगतान करने के संबंध में बोर्ड के आदेशों का पालन करने में चूक करते हैं तो उन्हें और जमा लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम में अनेक अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था है। दण्ड राशि मुद्रास्फीति और करेंसी के अवमूल्यन के कारण अपर्याप्त हो गई है। अत: अधिकांश अपराधों में दण्ड राशि पहले से लगभग दस गुना बढ़ा दी गई है।

निगमित क्षेत्र में लोकतंत्र सुनिश्चित करने संबंधी अनेक प्रावधान हैं। खण्ड 75 मुख्य अधिनियम की धारा 192 (क) में संशोधन की व्यवस्था करता है। पहले कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत कम्पनी के शेयरधारक द्वारा मतदान करना अनिवार्य था, वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष। पहली बार, डाक द्वारा मतपत्र भेजने की व्यवस्था की गई है। स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि "डाक द्वारा मतपत्र" व्यवस्था को पुन: परिभाषित किया जाये और उसमें उपलब्ध नई तकनीकें अर्थात् इलैक्ट्रानिक मतदान को भी शामिल किया जाये। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे शेयरधारी जो न तो कम्पनी की बैठक में उपस्थित होते हैं और न ही अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रतिनिधित्व होता है लेकिन दूरस्थ स्थानों पर अपने कार्यालयों अथवा घरों में बैठे होते हैं उन्हें भी डाक मतदान जिसमें इलैक्ट्रॉनिक मतदान भी शामिल है, करने का अधिकार मिले। सरकार पुरजोर सिफारिश करती है कि इस सुझाव को भी स्वीकार किया जाये।

महोदय, लाभांश के भुगतान संबंधी कुछ अन्य और प्रावधान भी हैं, जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ। यह अधिनियम के खण्ड 88 में हैं। कम्पनी की लेखा बही की जांच संबंधी प्रावधान भी किए गए है। वास्तव में, धारा 217 संबंधी खण्ड 95 में भी निगमित शासन का एक नया अध्याय है। कम्पनी अधिनियम में पहली बार बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक के दायित्वों संबंधी विवरण होगा। अब यह निदेशक दायित्व विवरण उन लेखाओं के बारे में होगा, जिनका अनुमोदन निदेशक करता है। अत: निदेशक अब यह बहाना नहीं कर सकेंगे कि उन्होंने जाँच किए बिना उन लेखाओं पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसीलिए लेखाओं में हुई त्रुटियों के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। अत: प्रत्येक निदेशक जिम्मेदार होगा। मानक लेखा प्रणालियाँ लागू की गई हैं और प्रत्येक निदेशक को दायित्व निर्वहन विवरण देना होगा कि उसने स्वयं लेखाओं की जांच की है और उसने जिन लेखाओं पर हस्ताक्षर किया है, वह उनसे संतुष्ट है। इसका उद्देश्य निगमित शासन में जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाना है।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है अब बहुत पुराने प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। धारा 102 और 103 के अंतर्गत ऐसे लेखा-परीक्षकों की कुछ टिप्पणियों पर प्रकाश डालने संबंधी प्रावधान भी हैं। इन टिप्पणियों के संबंध में भी एक प्रावधान किया गया है।

महोदय, प्रत्येक कंपनी ने कुछ अल्पसंख्यक शेयरधारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में खण्ड 122 में एक प्रावधान का सुझाव दिया गया था। इस विषय पर, दो प्रकार के मत अभिव्यक्त किए गए हैं। एक यह है कि वैकल्पिक आधार पर इन कम्पनियों को एक विकल्प दिया जा सकता है कि यदि एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी जाती है और यदि कम्पनियाँ छोटे शेयरधारकों के एक माइनोरिटी डायरेक्टर के प्रतिनिधित्व के संबंध में अपना विकल्प देती हैं तो प्रथमदृष्टया, यह प्रावधान अनिवार्य नहीं होगा। इस संशोधन के तहत, यह प्रथम बार में वैकल्पिक होगा।

अन्य कई उत्तरदायित्व हैं। यदि कम्पनियाँ अपनी वार्षिक विवरणी नहीं भरती हैं तो इसका परिणाम उन कम्पनियों को तथा दोषी कम्पनियों के डायरेक्टरों को भुगतना पड़ेगा। वे दोषी कम्पनियों के डायरेक्टर होने के साथ-साथ अन्य कई कम्पनियों के डायरेक्टर भी हो सकते हैं। अब उन अन्य कम्पनियों से संबंधित भी उनके कुछ उत्तरदायित्व हैं जिनके भी वे डायरेक्टर हैं।

कम्पनियों की अधिकतम संख्या जिनका डायरेक्टर एक व्यक्ति हो सकता है, 20 से घटाकर 15 कर दी गयी है।

खंड 134 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति के गठन के बारे में है। यह लेखा परीक्षा समिति कम्पनियों के लेखाओं की स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षा करेगी। आडिर कमेटी की रिपोर्ट बोर्ड को मान्य होगी। आडिर कमेटी को कुछ शक्तियाँ एवं स्वयत्तता प्रदान की गई है। यदि बोर्ड आडिट कमेटी की टिप्पणियों से असहमत होता है तो इस पूरे मामले को कम्पनी की आम बैठक के सामने रखा जाएगा। यह भी प्रावधान है कि 50 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा से अधिक हैसियत वाली कम्पनियों के पास एक पूर्णकालिक सचिव होना चाहिए।

ऐसे अनेक संशोधन हैं जो कम्पनी अधिनियम के लिए सुझाए गए हैं। मैंने जिस से शुरूआत की थी उसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं। मूल सुझाव यह था कि पूरे अधिनियम को व्यापक तौर पर संशोधित किया जाए। किन्तु, चूंकि स्थायी समिति ने कई चरणों में इसमें कार्यवाही की है, 1999 में संशोधनों का पहला भाग कानूनी स्वरूप प्राप्त कर चुका है। दूसरे भाग पर काफी चर्चा हो चुकी है। इन में से प्रत्येक प्रावधान का तथा स्थायी समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् सरकार ने एक सचेत दृष्टिकोण अपनाया है।

अतएव, मैं इस सभा से सिफारिश करता हूँ कि प्रस्तावित संशोधनों के साथ कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक स्वीकार कर लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री शिवराज वि॰ पाटील (लातूर): अध्यक्ष महोदय, कम्पनी अधिनियम, 1956 बहुत ही भारी भरकम और पेचीदा कानून है। विगत सालों में, मूल अधिनियम में कई एक संशोधन किए गए हैं। इसके बावजूद यह अधिनियम छोटा, सरल, समझने में सुगम तथा कार्यान्वयन हेतु आसान नहीं बन पाया है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि सम्पूर्ण विधान की सावधानीपूर्वक जाँच की जाये तथा अधिनियम को संशोधित किया जाये।

इस कानून को और स्वीकार्य बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसे छोटा होना चाहिए। सरकार के द्वारा किए गए संशोधनों से धाराओं की संख्या कम हो गई है। इसे कम पेचीदा, तथा समझने और कार्यान्वयन हेतु सरल होना चाहिए। इसके द्वारा उन लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहिए जो कम्पनी स्थापित करना चाहते हैं, कम्पनी चलाना चाहते हैं, और इस तरह अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देना चाहते हैं।

हम उस युग में रह रहे हैं जब कि इन कम्पनियों को अन्य देशों की कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उन कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में समर्थ बनाने हेतु इस कानून को हमारी कम्पनियों को सुविधाएं देनी होंगी, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा तथा मदद करनी होगी। विनिवेशकत्ताओं के हितों की रक्षा करनी होती है और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि द्वितीय संशोधन में विनिवेशकर्त्ताओं, छोटे शेयरधारकों तथा जमाकर्त्ताओं के हितों की बहुत हद तक रक्षा करने का प्रयास किया गया है। यदि कुछ और किया जाता है तो यह बहुत फायदेमंद होगा।

इस कानून को आधुनिकीकरण-प्रबन्धन का आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी अपनाने व उसके प्रयोग का आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी के विकास में योगदान देने वाला होना चाहिए। कम्पनियों को टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान देने में समर्थ होना चाहिए। दूसरे देशों में, टेक्नोलॉजी का विकास निजी उद्योगों का उत्तरदायित्व है।

जबकि भारत में यह उत्तरदायित्व सिर्फ केन्द्र सरकार के ऊपर है। इसलिए इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो इन कम्पनियों को उस फंड में योगदान देने के लिए मदद करें जिसका उपयोग टेक्नालॉजी के विकास में किया जाएगा। इस कानून को विश्व की मुख्यधारा में सम्मिलित होने में हमारी कम्पनियों की मदद करनी चाहिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। दुर्भाग्यवश, इनमें से बहुत से उद्देश्यों को अभी तक हुआ भी नहीं गया है और कानून को इस तरह से संशोधित नहीं किया गया है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके।

अब, कम्पनी संशोधन (दूसरा) विधेयक के उद्देश्य क्या हैं तथा इसने क्या किया है। माननीय मंत्री महोदय ने इसके बारे में बताया। यह कानून में विद्यमान अनावश्यक बातों को हटाने का प्रयत्न करता है। उसमें दंड बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। कुछ मामलों में, दंड को दस गुना बढ़ाया गया है। यह कम्पनियों में कार्य कर रहे अधिकारियों के उत्तरदायित्व में वृद्धि करता है। यह डायरेक्टरों के उत्तरदायित्व को बढ़ाता है तथा लेखा परीक्षा समिति की एक नयी अवधारणा को सृजित व स्थापित करता है ताकि कम्पनी की लेखा परीक्षा कुछ अलग और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से की जा सके। यह छोटे शेयरधारकों तथा डिपोजिटर्स को सुरक्षा प्रदान करता है तथा डायरेक्टरों के उत्तरादायित्व में वृद्धि करता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये प्रावधान स्वागत योग्य हैं। इन्हें स्वीकार किया जा सकता है तथा कानून में समाहित किया जा सकता है।

संशोधित किए जाने वाले विधेयक पर अपनी टिप्पणी करते हुए कोई भी सभा में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर आसानी से सहमत नहीं होगा। विभिन्न खण्डों पर भिन्न-भिन्न मत व विचार हो सकते है, हमें इन खण्डों की जांच करनी होगी।

जहां तक निष्क्रिय कम्पनियों का संबंध है, ऐसी बहुत सारी पंजीकृत कम्पनियां हैं जो चालू नहीं हैं। यदि निर्धारित समय के अंतर्गत किसी प्राइवेट कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 1 लाख रू. तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपये बढ़ने की आशा की जाती है और यदि कोई कम्पनी ऐसा करने में अक्षम है तो उसे निष्क्रिय घोषित किया जाना चाहिए। यह निश्चिततौर पर कम्पनी कानून को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद करेगा और इस से हमारी मदद होगी। इसकी व्यवस्था खण्ड 3 में की गयी है।

अब मैं भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड तथा केन्द्र सरकार का जिक्र करना चाहता हूं जिसके बारे में खण्ड-16 में व्यवस्था की गई है जो इस प्रकार है:

(क) सूचीबद्ध पब्लिक कम्पनियों की दशा में;

(ख) उन पब्लिक कम्पनियों की दशा में जो सूचीबद्ध किए जाने के तात्पर्यित हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाएंगे; और

(ग) किसी अन्य दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित किए जाएंगे।

अब संबंधित उत्तरदायित्व दो संगठन केन्द्रीय कम्पनी बोर्ड तथा "सेबी" मिलकर उठाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये दोनों संगठन अपने-अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अपेक्षित ढंग से नहीं कर पाए हैं।

"सेबी" का कहना है कि वह कई कारणों से इस स्थिति में नहीं है कि शेयरधारकों के हित की रक्षा कर सके। इस तथ्य की बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। इसका कहना है कि ऐसे अन्य कई कानून हैं जो यह सुनिश्चित करने में कठिनाई पैदा करते हैं कि छोटे शेयरधारकों, डियोजिटरों तथा पूंजी निवेशकों के हितों की रक्षा की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है और यदि इसे प्रभावी बनाने हेतु अधिकार नहीं दिए जाते और इसे यथावत छोड़ दिया जाता है तो कानून को संशोधित करने का उद्देश्य पूर्णत: पूरा नहीं होगा। यही कारण है कि केवल वर्तमान कम्पनी अधिनियम की जांच ही आवश्यक नहीं है बल्कि कई अन्य कानूनों एवं नीतियों की जांच भी आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये दोनों संगठन समुचित तरीके से अपना कार्य कर सकें। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि कभी-कभी "सेबी" में काम करने वाले लोग असहाय स्थिति में होते हैं, अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं तथा यह कहते हैं कि कुछ कानूनों एवं नीतियों के कारण से उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना संभव नहीं हो पाया है। यदि हम वास्तव में अपने कम्पनी कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो इस तथ्य की जांच की जानी चाहिए।

खण्ड-19 में छोटे जमाकर्ताओं के हित की रक्षा का प्रावधान किया गया है। खण्ड-19 (क) इस प्रकार है :

"उपधारा-1 के अधीन सूचना, -व्यतिक्रम की तारीख से 60 दिन के भीतर दी जाएगी।"

[श्री शिवराज वि. पाटील]

इस बात की जांच की जाए कि क्या हम 60 दिनों की अवधि को कम करके 45 दिनों तक कर सकते हैं। यहां, इस बात की जांच की जाए कि क्या इस समय को बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोगों के मतानुसार यह समय काफी नहीं है। कुछ लोगों के मतानुसार, यह समय जरूरत से अधिक है। इसलिए, इस पहलू की सावधानी से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

खंड 75, में मतपत्र द्वारा मतदान कराए जाने का प्रावधान है। माननीय मंत्री ने इसका हवाला दिया था। परंतु मुझे आंशका है कि इस खंड का दुरुपयोग हो सकता है। हमें पता है कि कुछ चुनावों में मत पत्र द्वारा मतदान किया जा सकता है और यह मतदान किस प्रकार होता है। एक व्यक्ति जाता है, मतपत्र लेता है उस पर चिन्ह लगाता है और उसे अधिकारियों को वापस लौटा देता है, इस प्रकार के मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं । मेरे विचार में, इससे कई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। आम चुनाव में परोक्ष मतदान से कठिनाइयाँ पैदा होगी और कंपनियों में निर्णय लेने के लिए मतपत्र द्वारा किए गये मतदान से समस्याएँ पैदा होगी। ये दो बाते हैं। यहाँ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इसमें कड़ी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आप खंड 192 (क) (1) में प्रयोग किए गये सही शब्दों पर गौर कर सकते हैं :

"इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, औरस ऐसे कारबार से संबंधित संकल्पों की दशा में, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, डाक मतपत्र द्वारा संचालित किया जाना घोषित करे, किसी संकल्प को कंपनी के साधारण अधिवेशन में कारबार के संव्यवहार के बजाय डाक मतपत्र के माध्यम से संकल्प पारित कर सकेगी।"

इसमें यह कहा गया है कि इसे केवल डाक मतपत्र से ही किया जा सकता है। इसमें कार्य के प्रकार का उल्लेख किया जाएगा, और इसका संचालन केवल बैलट से ही किया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान कंपनियों को निर्धारित तरीके से कार्य में कोई मदद नहीं देगा। यह निर्णय लेने के लिए लगने वाले समय को कम कर सकता है। यह आम बैठकों पर होने वाले खर्च को कम कर सकता है लेकिन फिर भी इससे कई अन्य समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

इसलिए, इस पहलू की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। हम बैलट द्वारा चुनाव कराए जाने की पुरनी पद्धति को क्यों अपना रहे हैं? मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। हम इस प्रणाली को क्यों नहीं अपना रहे हैं? अब, हमारे पास उपकरण और प्रणाली हैं जिनसे निर्णय लेने में लगने वाला समय कम लगेगा और इस पर होने वाले व्यय में भी कमी आएगी। यह प्रावधान कई समस्याएँ पैदा कर सकता है और यह उन लोगों को अधिक अधिकार देगा जो कंपनियों के कार्यों में अपनी इच्छानुसार हेर-फेर करना चाहते हैं। इससे कंपनी को कोई लाभ नहीं होगा, परंतु इससे कंपनी में हेर-फेर करने वालों को ही सहायता मिलेगी। इसलिए, इसकी सावधानीपूर्वक जांच की जाए। विधेयक के खंड 88 में यह व्यवस्था है:

"जहाँ कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित किया गया है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है या उसके संबंध में वारंट घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर लाभांश के संदाय के लिए हकदार शेयरधारक को पोस्ट नहीं किया गया है तो कंपनी का प्रत्येक निदेशक, यदि वह जानबूझकर उस व्यतिक्रम का पक्षकार है, ऐसे साधारण कारावास, से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी....."

अब लाभांश को तीस दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि इससे समस्याएँ पैदा होंगी। कंपनी के बोर्ड को लाभांश की घोषणा को स्पष्ट करना होता है और वे लाभांश की घोषणा करने में 30 दिनों से अधिक का समय लेते हैं। फिर, ऐसी बात है तो, 30 दिन देने के बजाय हम उन्हें 45 दिनों की समय सीमा दे सकते हैं। इससे कोई अनावश्यक मुकद्दमेबाजी अथवा रुकावटें पैदा न हों।

अब मैं निदेशकों के उत्तरदायित्वों संबंधी वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे लगता है, यह सांविधिक प्रावधान है इसकी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु इस प्रावधान के संबंध में यह एक सुझाव दिया गया है :

"कि क्या अंशकालिक निदेशकों को पूर्णकालिक निदेशक के समतुल्य समझा जाएगा? अंशकालिक निदेशक आम तौर पर कम्पनियों को सलाह देते हैं। वे कम्पनी के प्रतिदिन के प्रबंधन और प्रशासन में भाग नहीं लेते हैं। यदि आप अंशकालिक निदेशकों को पूर्णकालिक निदेशकों के समान ही उत्तरदायी समझेंगे तो इससे कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। वे कभी भी कह सकते हैं कि वे अंशकालिक निदेशकों के रूप में उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस प्रावधान की भी सावधानीपूर्वक जांच किए जाने की आवश्यकता है।"

इसके बाद मैं विधेयक के खंड 122 का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका जिक्र माननीय मंत्री ने किया था और यह छोटे शेयरधारकों द्वारा चुने गये निदेशकों से संबंधित है। मुझे लगता है, मूल रूप से यह प्रावधान विधेयक में नहीं था और इस प्रावधान को स्थायी समिति की सिफारिश से सम्मिलित किया गया। अब, हमें बताया गया था कि शुरू में यह आवश्यक नहीं था। मुझे यह समझ नहीं आता कि शुरू से क्या तात्पर्य है। इससे मंत्री महोदय इस सभा को बताना चाहते हैं? यह मेरे समझ से परे है।

इसमें कहा गया है कि कम से कम एक निदेशक छोटे शेयरधारकों द्वारा निर्धारित ढंग से चुना जाएगा। वे आम बैठक में भाग लेने के हकदार हैं। यदि वे समस्या उत्पन्न करना चाहें तो वे आम बैठक में भी समस्याएँ उत्पन्न कर सकते हैं। यदि कोई निदेशक मंडल है तो, फिर निर्णय लेने वाले एक या दो निदेशक नहीं होंगे। कम से कम, एक निदेशक वहाँ ऐसा अपस्थित होना चाहिए जो छोटे शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करे। यदि इसमें एक निदेशक होगा तो मैं नहीं जानता कि वह निदेशक बोर्ड में किसी प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करेगा। सरकार यह क्यों कह रही है कि शुरू में, यह शायद आवश्यक न हो? मेरी यह समझ नहीं आया कि माननीय मंत्री का आशय क्या है। क्या वे इसे समझाएंगे जिससे मैं उस पर अपना मत व्यक्त कर सकूं? आप को इससे क्या तात्पर्य है?

श्री अरूण जेटली: महोदय, मैं प्रथम तथ्यों को सुधारता हूँ। यह प्रावधान प्रस्तावित रूप में, विधेयक में था। यह कहना ठीक नहीं है कि यह विधेयक में नहीं था। सच यह है कि स्थाई समिति को कुछ शंका थी क्योंकि इस बात पर बहस हो सकती है। शुरू मे स्थाई समिति ने अपने सुझाव में, कहा:

> "कि छोटे शेयरधारकों के लिए कम से कम एक निदेशक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए उसके पश्चात उस समय यह सुझाव दिया गया: कि चूंकि इसका प्रयोग किया जाएगा इसलिए सरकार के सुझावों को सम्मिलित करने के लिए आप खंड 122 में संशोधन कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं।"

स्थायी समिति ने अनिच्छा से सहमति जताई। उसके बाद इस मामले पर सरकार ने विभिन्न प्रतिनिधित्व के विचारों को ध्यान में रखते हुए विस्तार से विचार किया। सम्पूर्ण योजना परर चर्चा की गई क्या प्रत्येक कम्पनी में ऐसे निदेशक का होना अनिवार्य कर दिया जाए या शुरू में इसे वैकल्पिक बनाया जाए? इसलिए हमने जो संशोधन परिचालित किया है वह सरकारी संशोधन है। इसमें यह कहा गया कि शब्द "इसमें कम से कम" को "हो सकता है" से प्रतिस्थापित किया जाए। मेरा आशय यही था। फिर मैंने कहा "शुरू में" क्योंकि विश्व में इसका कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है जिसका सुझाव दिया गया है वह नई अवधारणा है। हमारी अपनी प्रणाली के अंतर्गत चर्चा हुई है--हमारी अपनी स्थायी समिति के भीतर चर्चा हुई। इसलिए शुरू में हमने इसे विकल्प के रूप में रखा था। हमें यह देखना है कि किन स्थानों पर इसमें सफलता मिलती है और फिर उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि भविष्य में इसका क्या किया जाए।

श्री शिवराज वि. पाटील : क्या इसका निर्णय कम्पनी लेती है?

श्री अरूण जेटली : शुरू में यह विकल्प है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं स्पष्ट रूप से इसके प्रभाव को समझने में असमर्थ हूँ। अब, यदि कम्पनी ऐसी व्यवस्था चाहती है तो वे यह व्यवस्था कर सकती है यदि वे नहीं चाहती है तो न करे।

श्री अरूण जेटली: इसका निर्णय ए. जी. एम. कर सकती है।

श्री शिवराज वि. पाटील: आम बैठक इसका निर्णय लेगी। परन्तु यह उन पर क्यों छोड़ दिया गया है। यदि निदेशकों के मंडल में 10 या 20 निदेशक हैं और यदि उनमें छोटे शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक है तो इससे उन्हें क्या परेशानी होगी। क्या हम छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे?

अब निदेशकमंडल द्वारा लिया गया निर्णय कम्पनी के लिए बाध्यकारी होगा। शायद यह विकल्प है।

श्री अरूण जेटली: हम इस पूरी अवधारणा की शुरूआत करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: वे बाद में इसे बदल भी सकते हैं।

श्री अरूण जेटली : जी नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। अब सभा ही इस पर निर्णय लेगी।

श्री शिवराज वि. पाटील : ठीक है। आप उसे भी बदलने के लिए सभा में प्रस्ताव ला सकते हैं। अब हम कह रहे हैं: "आपने ऐसा क्यों किया है? आप अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए क्यों बाध्य हुये? आप इस निष्कर्ष पर क्यों बाध्य हुये? आप इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे कि छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा करनी होगी?

आपने यह महसूस किया कि छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए थी। इसलिए आपने कानून में यह प्रावधान किया था। इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया। स्थायी समिति इस प्रावधान का लोप करना चाहती थी और आपने इस बात पर बल दिया: "आप इस बात को स्वीकार करते हैं। बाद में आपने इसे बदल दिया है।" क्यों? आपने किस दबाव में आकर ऐसा किया? आप इस मुद्दे पर अपना विचार क्यों बदल रहे हैं? हम इसे समझना चाहते हैं।

यहां, पूरे कानून का उद्देश्य निवेशक की रक्षा करना है। सरकार के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में हमारी यह जिम्मदारी है कि उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें जो कंपनियों की स्थापना करना चाहते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन्हें सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन, साथ ही, सरकार के रूप में हमारी यह जिम्मदारी है कि उन छोटे लोगों के हितों की रक्षा की जाये जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती। अन्यथा उनके हितों की रक्षा नहीं होगी और यहा कारण है कि मंत्री महोदय अथवा सरकार इस निष्कर्ष पर पंहुची कि ऐसा किया जाना चाहिए। जब समिति ने यह सुझाव दिया कि इसे हटा दिया जाये, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और अब वह सभा में यह कह रहें हैं कि इसे हटाया जाना चाहिए। ऐसा "किया जाये" अथवा "किया जा सकता है" हो सकता है। यही क्यों? इसके पीछे उनका क्या इरादा है? उनका प्रयोजन क्या है? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग अन्दर से ही समस्या खड़ी कर रहे हैं। मैं नहीं समझौता कि ऐसे लोग नहीं हैं जो अन्दर से समस्याएं खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करें? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या छोटे शेयरधारकों के हितों की भी रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य नहीं है? उनके दो हित हैं। उनमें संतुलन बनाये रखना होगा। संतुलन बनाने का यह काम सरकार को करना होगा। सरकार सभा के समक्ष यह विधेयक लाई है और जनता के पास अधिनियम लेकर जायेगी जो वास्तव में इन दो हितों के बीच संतुलन बनायेगा।

मैं यह नहीं समझता कि अब यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। यह बात बड़ी संदेहास्पद लगती है कि इस प्रावधान को इस तरीके से क्यों लाया गया है? ऐसा किसके दबाव में आकर किया गया? क्या हम सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं अथवा किसी दबाव में आ गये हैं?

[श्री शिवराज वि. पाटील]

हमारे देश में लोकतंत्र है और इसलिए जनता की राय का आदर किया जाना चाहिए । इसके साथ ही, यदि वह स्वयं शुरू में ही उस निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं तो इसे सिर्फ किसी दबाव में आने के कारण ही नहीं छोड़ देना चाहिए। 'सेबी का कहना है कि यह छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है। कंपनी कानून बोर्ड के पास भी कई काम हैं और वह भी छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है।

हमारे देश में ऐसे उदाहरण हैं जिसमें छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा नहीं कि गई। छोटे लोगों ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर शेयर खरीदे और वे बबार्द हो गये हैं। उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं मिला है। उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? यदि कानून उनकी रक्षा नहीं करेगा, यदि 'सेबी' उनकी रक्षा नहीं कर सकता, यदि कंपनी बोर्ड उनकी रक्षा नहीं कर सकता और यदि वे न्यायालय में नहीं जा सकते तो उनकी रक्षा कौन करेगा?

इसलिए मेरे विचार से, यह एक स्वागतयोग्य प्रावधान है और मैं समझता हूँ कि इसे अधिनियम से नहीं निकाला जाना चाहिए और इसके स्थान पर कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। यह अच्छा नहीं होगा। मैं कठिनाइयां समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां नहीं हैं और यह बात कहने के पीछे कोई तर्क नहीं हैं कि हमें ऐसा निदेशक नहीं चाहिए जो कंपनी के लिए समस्याएं उत्पन्न करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करे। मैं समझ सकता हूँ। लेकिन साथ ही इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता है कि छोटे शेयरधारकों के हित की रक्षा करनी होगी और यदि हम छोटे शेयरधारकों के हित की रक्षा नहीं करते हैं तो हमने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया है।

डा॰ नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई); महोदय, कंपनी अधिनियम में एक विशेष प्रावधान किया गया था जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की संभावना का उल्लेख किया गया था। लेकिन इन सभी वर्षों में इसे बिल्कुल भी आजमाया नहीं गया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसे बिल्कुल भी नहीं आजमाया जाय। यदि सरकार सचमुच चाहती है तो उसे कंपनियों के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। हालांकि यह मैं नहीं जानता कि निदेशकों का चुनाव कैसे किया जायेगा, किस प्रकार की लाबी काम करेगी और क्या इसके अनुपालन की बजाय उल्लंघन ज्यादा होगा। लेकिन मैं धारा 165 अथवा इसी तरह की अन्य धारा जो कंपनी अधिनियम में थी, का अनुभव महसूस करना चाहता था।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व और वे सभी बातें मामले को जटिल बना देंगी और संभवत: इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया था लेकिन यहां हम सुझाव दे रहे हैं और सरकार ने सुझाव दिया था कि छोटे शेयरधारकों का कम से कम एक प्रतिनिधि बोर्ड का निदेशक होना चाहिए। यदि हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मेरे विचार से यह ठीक नहीं है।

यह सुझाव दिया गया था कि कामगारों के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होने चाहिए। कामगारों के प्रतिनिधियों ने बोर्ड में शामिल होने से मना कर दिया है। क्यों? उनका कहना है कि "यदि मैं बोर्ड में शामिल होऊंगा तो बोर्ड में मैं अकेला व्यक्ति होऊंगा, इसलिए मैं निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकूंगा और बोर्ड में मेरी उपस्थिति में लिए गए निर्णय बाध्यकारी हो जाएंगे जिससे मेरी स्थिति काफी नाजुक हो जाएगी।" कुछ लोग बिना किसी सहायता, किसी समर्थन और सहयोग के अकेले बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहेंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

बोर्ड में कामगारों के प्रतिनिधियों के शामिल होने के संबंध में यह स्थिति है। यहां प्रश्न छोटे शेयरधारकों के प्रतिनिधियों का है। हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पहलू पर भी ध्यान दें। कृपया आप अपने संशोधन पर आग्रह न करें। आप अपना संशोधन वापस भी ले सकते हैं। आपके लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। अब यदि शुरू में आपके मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को स्वीकृत कर दिया था और यदि आप और आपका मंत्रिमंडल स्थायी समिति को यह सुझाव देना चाहते थे कि इस प्रावधान को हटाने के लिए न कहा जाये, तो अंतत: मैं आपसे और अपके मंत्रिमंडल से यह कहना चाहता हूँ कि इस स्वागतयोग्य प्रावधान को निकालने के लिए आग्रह न करें। एक व्यक्ति से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मैं यह बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि कोई भी शरारत कर सकता है लेकिन तब भी छोटे शेयरधारकों को रक्षा करने की जिम्मेदारी यह देखने की तुलना में ज्यादा कठिन है कि बोर्ड में शामिल छोटे शेयरधारकों का एकमात्र प्रतिनिधि कोई शरारत न करें।

मैं अब संपरीक्षा की बात करता हूँ। मेरा यह अंतिम मुद्दा है मैं यह कहना चाहता हूँ कि संपरीक्षा समिति भी एक स्वागतयोग्य प्रावधान है। संसद में हम प्रस्तुत बजट की जांच नहीं कर सकते। कंपनियों में भी बोर्ड में शमिल सदस्य अथवा शेयरधारक संपरीक्षा रिपोर्ट की जांच ध्यानपूर्वक नहीं करते है। इसलिए विशेषज्ञों का एक निकाय हो जो संपरीक्षा के बारे में जानते हों, जिन्हें वित्तीय मामलों और सभी बातों की समझ हो और उन्हें इन सब बातों का बारीकी से अध्ययन करना होगा और फिर वे बोर्ड को सुझाव देंगें कि क्या स्वीकार किया जाये और क्या नहीं किया जाये। उसी आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

लेकिन यह कहकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक के द्वारा हम यह सब क्या कर रहे हैं। खंड 134 (क) 8 में यह व्यवस्था है :

> "वित्तीय प्रबंध के संबंधित किसी विषय पर जिसके अंतर्गत संपरीक्षा रिपोर्ट भी है, संपरीक्षा समिति की सिफारिशें बोर्ड पर आबद्धकर होंगी।"

आप ऐसी सिफारिश कर रहे हैं जो समिति का गठन करने वाले बोर्ड के लिए ही बाध्यकारी होगी। आप संपरीक्षा समिति की सिफारिश मानने के लिए उस बोर्ड को बाध्य कर रहे हैं जो संपरीक्षा समिति का गठन करता है। अब मान लीजिये हम संसद में कहते हैं कि स्थायी समिति की सिफारिशों को मानना सरकार के लिए बाध्यकारी होगा तो क्या आप यह बात स्वीकार करेंगे? आप कहेंगे कि स्थायी समिति संसद का एक अंग है लेकिन फिर भी इन सिफारिशों को माना जावेगा परन्तु ये सिफारिशें आदेशात्मक नहीं होनी चाहिए। अब, यहां आप कह रहे हैं कि संपरीक्षा समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट आबद्धकर होगी।

मैं यह स्पष्ट करता हूं कि इसका सुझाव 1993 में संसद में स्थायी समितियों की स्थापना के समय क्यों दिया गया था। वे कह रहे थे कि स्थायी समिति द्वारा जो भी सुझाव दिया जाता है सरकार उसके लिए बाध्य होनी चाहिए। एक सज्जन उठे और उन्होंने कहा कि संसद में सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करना और उनसे एक विशेष प्रकार की सिफारिश प्राप्त करना कठिन होगा लेकिन स्थायी समिति के 45 सदस्यों को आश्वस्त करना और सरकार को निर्णय के लिए बाध्य करना अपेक्षाकृत सरल होगा। यही बात लेखा परीक्षा सीमिति पर भी लागू हो सकती है यह उस व्यक्ति के लिए कठिन होगा जो हेर फेर करना चाहता है और बोर्ड में सभी निदेशकों तक पहुंचना चाहता है लेकिन इनमें से कुछ एक सदस्यों तक पहुंचना और उस कम्पनी में हो रही संदेहास्पद बातों पर रिपोर्ट प्राप्त करना इतना कठिन नहीं होगा। इसलिए, मेरा यह अनुरोध है कि हमारी विधि में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सिफारिशों का सम्मान किया जाए, ये आदेशात्मक स्वरूप की होनी चाहिए लेकिन अनिवार्य नहीं होनी चाहिए और सभी स्थितियों में सरकार इनके लिए बाध्य नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का कुछ किया जाना चाहिए। अन्यथा इस प्रावधान का दुरूपयोग हो सकता है। हमारे यहां सरकारी और वित्तीय संस्थान हैं जहां बोर्ड है और उनमें निदेशक हैं। और वे कहते हैं कि इस निकाय के तीन सदस्य यह निर्णय करेंगे कि कम्पनी को कितनी राशि दी जाए और बोर्ड इस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बोर्ड में तीन सदस्य हैं और एक संदस्य आपका मित्र, दूसरा सदस्य पहले सदस्य का मित्र है और तीसरा सदस्य दूसरे सदस्य का मित्र है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं सब की नेक नियत पर संदेह नहीं कर रहा हूं। किसी की नेकनीयत पर संदेह न करें। फिर भी मानव स्वभाव ऐसा है कि यहां कुछ लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। कानून बनाते समय हमें इसके प्रभावों का अंदाजा लगा लेना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि की गई व्यवस्था, जो उनके अनुसार अच्छी है, का इस तरह से उपयोग होगा कि इसके ठीक विपरीत परिणाम निकलेंगे। इसलिए, इस सभा तथा मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि लेखापरीक्षा समिति की रिपोर्ट की इस बाध्यता से समस्याएं पैदा होंगी और इसकी जांच की जानी चाहिए तथा समाप्त किया जाना चाहिए।

मेरे विचार से इस मुद्दे पर कुछ और कहना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। यह विधेयक अच्छा है। इसका समर्थन होगा। लेकिन इसके ब्यौरे की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। जब से हम मौजूदा कम्पनी अधिनियम को संशोधित करने तथा इन्हें अन्य देशों के कम्पनी अधिनियम की तरह अच्छा बनाने और समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं तब से काफी समय व्यतीत हो चुका है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए; विलंब न होने दिया जाए और कम्पनी कानून को संशोधित करने हेतु एक व्यापक विधेयक पुर:स्थापित किया जाना चाहिए और पारित करवाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, महाभारत में हमने अभिमन्यु और उसके चक्रव्यूह के बारे में सुना था। माननीय शिवराज पाटिल जी ने जैसा अभी कहा कि कम्प्रीहैन्सिव बिल जल्दी आना चाहिए, सन 1906 से इस कम्प्रीहैन्सिव बिल की बात चल रही है। अभिमन्यु चक्रव्यूह के सात घेरे में फंसा था। मुझे लगता है कि अरूण जी की भी वही स्थिति है। वे अभी पहला घेरा पार करके दूसरे घेरे में प्रवेश कर रहे हैं। यह उनका अच्छा प्रयत्न है इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं और जितनी जल्दी हो सके, जैसा अभी पाटिल जी ने कहा कि वह कम्प्रीहैन्सिव बिल सदन के सामने ले आयें, मैं ऐसी शुभेच्छा या शुभकामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवराज पाटिल जी ने स्मॉल इन्वेस्टर्स की जो बात कही है, उसी से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। वैसे मैं चार्टर्ड एकाउंटेंट हूं। इसके साथ-साथ स्मॉल इवेस्टर्स की मुम्बई में इन्वेस्टर्स ग्रीवैंस फोरम नाम की संस्था है जो सेबी की रिकोग्नाइज्ड संस्था है. मैं उसका अध्यक्ष भी हूं। स्मॉल इन्वेस्टर्स के प्रश्नों के लिए हम लगभग आठ साल से संघर्ष करते आये हैं। यह एक अच्छा प्रारंभ है। अब कम से कम स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात बोर्ड में कहने के लिए हमें थोड़ा मौका मिलेगा। लेकिन साथ साथ श्री सेनगुप्ता जी और शिवराज पाटिल जी ने जो बात कही, उस शंका का भी इसमें स्थान है। अगर प्रवेश मिल गया तो स्मॉल इन्वेस्टर्स जरूरत अपनी बातें वहां रख पायेंगे लेकिन उनको प्रवेश मिलना या न मिलना, यह भी कम्पनी के जो प्रोमोटर्स है, मालिक हैं, उनकी मर्जी पर निर्भर होगा। अर्थात् यह एक अच्छी शुरूआत है। स्टैंडिंग कमेटी ने सोच-समझकर निर्णय लिया होगा। सरकार इसमें थोड़ा, प्रवेश करने का प्रयत्न कर रही है लेकिन इससे कितना ज्यादा हम कर पायेंगे या कितना ज्यादा यह प्रोविजन सफल होगा, अगर आप मुझे इन्वेस्टर्स की भावना से पूछेंगे तो इसमें शंका का स्थान है क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि प्रवेश देना या न देना, यह प्रोमोटर्स, ऑनर्स के ऊपर निर्भर है उनको जब लगेगा कि स्मॉल इन्वेस्टर्स का प्रतिनिधि मेरा है तो मंजूर करेगा और उनको लगेगा कि यह कोई संघर्ष करने वाला होगा तो इस प्रोविजन को इम्पलीमेंट नहीं करेगा। लेकिन कहीं से शुरूआत करने दीजिए।

अपराह्न 5.10 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

इसलिए मैं इनका समर्थन करता हूं -कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। आज तक कुछ भी नहीं था। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि देना बैंक में यह प्रोवीजन है। वह कौन से सैक्शन के अन्तर्गत है, आप चैक कीजिए। लेकिन देना बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहां एक प्रावधान है।

वहां पर स्मॉल इन्वैस्टर्स का प्रतिनिधि मेरा मित्र है जो चुना गया है। वह किस प्रकार का प्रोवीजन है, मैं नहीं जानता। यह कहीं मौजूद है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। आप अगर इस दिशा में आगे जाएंगे, अगर कोई बिजनस हाउसेस और इंडस्ट्रियल ऐसोसिएशन की बात करता है, गुड गवर्नैंस की बात करता है तो एक ओर उनके गुड गवर्नैंस के नाते सरकार की ओर से सभी प्रकार की सहूलियत चाहिए, लेकिन वे समाज के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहते हैं। अधिकार सब चाहिए लेकिन रिस्पौंसिबिलिटी से वे डर रहे हैं। इस विषय में बहुत सी जगहों पर चर्चा हुई है। किसी को लगता है मेरा कम्पीटीटर आकर बैठ जाएगा। जब आप अच्छी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने प्रतिस्पर्धियों से क्यों डर रहे हैं? जब आप सरकार अथवा वित्तीय संस्थानों से सभी प्राधिकार, शक्तियां और सुविधाएं चाहते हैं तो आप किस प्रकार के वित्तीय संस्थान चाहते हैं?

[श्री किरीट सोमैया]

इसलिए इस विषय में ज्यादा न जाते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अरूण जी ने हिम्मत करके यह प्रावीजन किया है। देखिए साल, दो साल में इसमें क्या अनुभव होता है । अन्यथा अरूण जी, आप भी मंत्री रहने वाले हैं, सदन भी पांच साल रहने वाला है। गीते जी तो प्रस्ताव भी लाए हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो चार साल बचे हैं।

श्री किरीट सोमैया : यह विषय वास्तव में इससे डायरैक्टली संबंधित नहीं है लेकिन इस विषय के ऊपर आज बहुत गंभीर चर्चा समाज में चल रही है, जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अर्थात् कार्यभार लेने संबंधी संहिता। यह इनसे अर्थात् फाईनैंस मिनिस्ट्री और कम्पनी अफेयर्स मिनिस्ट्री से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है सेबी कहती है कि कम्पनी अफेयर्स का अधिकार नहीं है, कम्पनी अफेयर्स कहती है कि हमारे अधिकार में है यहां कुछ भ्रम है, चाहे वह जो कुछ भी हो। लेकिन मै यहां एक बात का उल्लेख करूंगा कि टेक ओवर बोर्ड की ज्यादा डिटेल में न जाते हुए हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे अगर एक डायरैक्टर से डरने की बात हो रही है तो टेक ओवर कोड में जो प्रोवीजनल मैनेज्ड कम्पनीज हैं, उनको जब कोई प्राइवेट बिजनस हाउस, चाहे वह भारतीय व्यापार घराना हो अथवा विदेशी संस्थान वह पूरा अपने कब्जे में लेने का प्रयत्न करता है, उस समय कम्पनी की क्या स्थिति है यदि यह एक व्यवसायिक प्रबंधन है तो इसका अर्थ यह है कि यह कम्पनी कार्य है। ऐसी स्थिति प्रमुख राज्य, सरकारी वित्तीय संस्थान में सरकारी अधिकारी प्रमुख होते हैं। किसी का 5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 3 प्रतिशत शेयर है और कोई भी समन्वयकारी निकाय नहीं है। उस समय कोई बिजनस हाउस आता है 15 प्रतिशत शेयर एक्वायर करता है, एनाउन्स करता है, टेक ओवर का और 2 प्रतिशत तक का भी उसे मिल गया तो कम्पनी को अपने कब्जे में ले सकता है, वह भाग सकता है। वह प्रावधान क्या है कोई प्रावधान नहीं है। मैंने कम्पनी कार्य विभाग, 'सेबी' से संपर्क किया। जब वहां कोई प्रावधान नहीं है तो बाम्बे इलैक्ट्रिक, सबअर्बन कम्पनी का क्या होगा, आई॰ टी॰ सी॰ का क्या होगा, एच पी॰ सी॰ और आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ का क्या होगा? उनका क्या होगा। कल आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इन्डीपैंडैंट करेंगे, उसे कोई ग्रैब कर लेगा तो क्या होगा। गवर्नमैंट का किसी का एक साथ इतना शेयर नहीं है। इसलिए मैं सरकार का ध्यार आकर्षित करना चाहता हूं कि यह विषय सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।

एक बहुत अच्छा प्रावीजन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अनपेड डिवीडैंड, जो कम्पनी के डायरैक्ट डिफॉल्टर्स हैं, क्रिमिनल रिकार्ड हैं या नॉन पेमैंट ऑफ डिपॉजिट के बारे में आया है लेकिन हिन्दी में कहते हैं कि हाथी निकल गया और दुम रह गई। 1996 में यह बिल लाने का प्रयत्न हुआ। उस समय अनेक पैसा बटोर कर भागने वाली कम्पनियां बाजार में, प्रवेश कर रही थीं।

1994-95, 1995-96 में 3500 कम्पनियों ने मार्केट में प्रवेश किया, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज एक्रास दि काउण्टर उनको सर्टिफिकेट देता था। अगर आप राशन कार्ड लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको 10 प्रकार की चीजें चाहिए, लेकिन अगर आपको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी फार्म करनी है तो आप आफिस जाइये, उसका हजार दो हजार रुपये का फायदा करा दो आप कार्यालय जा सकते है। और गांव में, देश में जो छोटा इन्वेस्टर है आपको शामिल होने का प्रमाणपत्र मिलता है। और फिर गवर्नमैंट के सिक्के का उपयोग करके इतना सारा पैसा इकट्ठा किया जाता था, 3500 कम्पनीज ने 10 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा किया। मैं आगे कहने वाला हूं, मैं आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं कि वह 10 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, उसमें 3500 कम्पनीज में से मुम्बई स्टाक एक्सचेंज ने 997 कम्पनियों को जैड कैटेगरी में डाल दिया है। वे कहते हैं कि यह कम्पनी चाहे वह मौजूद है अथवा नहीं, हम नहीं जानते। उन्होंने पैसा कहां से निकाला, कहां खर्च किया, पता नहीं । पैसा एक काम के लिए मांगा और दूसरी कम्पनी में, सब्सीडियरी, होल्डिंग कम्पनी या बाकी जगह पर भर दिया और आज हम यह एक्ट लेकर आ रहे हैं, पार्लियामेंट में रिप्लाई आया है। जब हमने संपर्क किया, जब हम विभिन्न मंत्रालयों के पास गये तो उन्होंने सूची दिखाई। यहां पर फिर आप यह तरमीम कर रहे हैं, यह प्रोवीजन क्यों कर रहे हैं कि इस प्रकार कम्पनियां भाग जाती हैं, ट्रांसफर नहीं करती हैं, रजिस्टर्ड आफिस चेंज कर लेती हैं। पैसा बटोर कर भागने वाली कम्पनियां केवल 80 हैं और कुल एकत्रित राशि केवल 240 करोड़ रुपये है। तो आप यह प्रावधान यहां क्यों बना रहे हैं? माननीय शिवराज पाटिल जी ने ठीक कहा कि सेबी कहती है कि हम छोटे इन्वेस्टर्स का रक्षण नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट ऑफ कम्पनीज एफेयर की मैं क्या बात बताऊं। यहां पर यह कहा गया है कि कम्पनी लॉ बोर्ड वाले कह रहे हैं कि क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। और लीगल प्रोवीजन क्या क्रिएट करने जा रहे हैं कि 30 दिन के अन्दर सी.एल.बी. को रिप्लाई देना पड़ेगा, सी.एल.बी को एक्शन लेना पड़ेगा। सी.एल.बी. के पूरे हिन्दुस्तान मे सिर्फ चार ब्रांचेज हैं, वह जबलपुर, जमशेदपुर और त्रिपुरा में रहने वाले छोटे इन्वेस्टर्स यहां केवल चार खण्डपीठ हैं, केवल क्षेत्रीय खण्डपीठ और सी.एल.बी. में कम्पलैंट फाइल करते हैं तो वहां से जवाब नहीं आता है। वह किस तरह सी.एल.बी. से सम्पर्क कर सकता है हम धूल झोंकना चाहते हैं। 42 दिन का प्रावधान 30 दिन कर दिया।

[अनुवाद]

कम्पनी कार्य विभाग के पास कोई तंत्र नहीं है। मैं दोष नहीं दे रहा हूं। उनके पास तंत्र नहीं होता है। उनके पास बजट नहीं होता है। उनके पास पैसा नहीं होता है। तो हम किस तरह का अधिनियम यहां ला रहे हैं? यहां पर सी.एल.बी. के वाइस प्रेजीडेंट ने कहा है जिसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं:

> "सी॰एल॰बी॰ के वाइस चेयरमैन, एस॰ बालासुब्रह्मण्यम ने पिछले लोक सभा सत्र में पुर:स्थापित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों में अनेक असंगतियों और विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि कम्पनियों तथा सी. एल. बी. को संशोधनों के माध्यम से लाए जाने वाले परिवर्तनों को क्रियान्वित करने में व्यवाहारिक कठिनाइयां आएंगी।"

श्री बालासुब्रह्मण्यम ने महसूस किया कि सी. एल. बी. को प्रस्तावित धारा 58 कक के अंतर्गत यथा अपेक्षित 30 दिन के भीतर छोटे जमाकर्ताओं के भुगतान में चूक के संबंध में आदेश पारित करने में समस्याएं आएंगी। सूचना के 30 दिन के भीतर आदेश पारित करना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहें न कहे, सी.एल.बी. की हालत इतनी दयनीय है कि कितनी ही एन.बी.एफ.सी. ने डिफाल्ट किया, उसमें एक सिंगल एन.बी.एफ.सी. का पैसा सरकार वापस नहीं दिला पाई है। सरकार का मेरा तात्पर्य मैं कोई अरूण जी को नहीं कहता हूं। उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले चार्ज लिया है। सरकार पहले यू.एफ. की रही, उसके पहले कांग्रेस की रही, मैं व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं एक भी निवेशक को एक पैसा वापस नहीं मिला है। हम क्या निर्माण करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि यह जो एमेंडमेंट आया है, यह स्माल इन्वेस्टर्स के लिए लाये हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं और इससे स्माल इन्वेस्टर का कितना भला होगा। यह हो सकता है, अगर माननीय मंत्री जी इस विषय को गम्भीरता से लेकर उन्हें अधिकार प्राप्त है, वे ऐसा कर सकते हैं स्माल इन्वैस्टर्स की उनके प्रति आशा है। वे एक अपेक्षा की दृष्टि से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप यह कर सकते हो, लेकिन किस प्रकार से करोगे। डिपाजिट की बात हुई है कि डिपाजिट का डिफाल्ट होता है, डिपाजिट का इण्टरैस्ट नहीं मिलता। हम अभी एक नया प्रोवीजन लेकर आ गये, अभी तक प्रोवीजन था या नहीं था, पता नहीं? गरवारे और किर्लोस्कर से लकर इतनी कम्पनियों ने इन्वैस्टर्स का डिपाजिट का पैसा वापस नहीं किया, डिबेंचर्स का पेमेंट वापस नहीं देते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते है तो कितने डायरैक्टर्स को आपने सजा दी है?

कितने इंवेस्टर्स को न्याय मिला, कितने इंवेस्टर्स को पैसा वापस दिया गया? मैंने सीएलबी से, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट मांगा था कि कितनी एनबीएफसी डीफॉल्ट हुई? जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वह स्टेटमेंट लम्बा-चौड़ा है, देखिए इन लोगों ने किस तरह उत्तर दिया। अलग-अलग कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में जो रिप्लाई दिया गया, उसमें 97 कंपनीज हैं। प्राप्त शिकायतों की संख्या 3,535 है और इसमें 8.24 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इस प्रकार से अगर हम इसे देखेंगे कि इसमें खुद अपने आपको फंसा रहे हैं। यह रिप्लाई क्या है? कितना एमाउंट फंसा है? यानि 97 कंपनीज बंद हो गई हैं, भाग गई हैं। कितना एमाउंट डूबा? जितनी कंप्लेंट्स इनको मिली थी, जितनी इंडिविजुअल कंपलेंट्स इनको मिली थी, उनमें 8.24 करोड़ रुपया इंवाल्व है। एक्चुअली टोटल पैसा जो इकट्ठा किया गया, यह तभी खत्म हो गया। लेकिन ये लोग उस उत्तर का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। 97 कंपनीज ने ऑफिशिअली कबूल किया है कि उनका एमाउंट 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा है लेकिन डिपार्टमेंट ने 8.24 करोड़ रुपया बताया है और फिर प्रोवीजन लेकर आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, वह चाहे इंटेरिम डिविडेंड हो, डिपॉजिट हो, इंटरेस्ट पेमेंट हो या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो।

[अनुवाद]

श्री अरूण जेटली : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से पूर्णत: सहमत हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धारा 58 कक स्पष्ट रूप से जोड़ी गई है कि माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात है । वे सही हैं जब वे कहते हैं कि इस प्रावधान के अंतर्गत आप छोटे निवेशकों से किस तरह यह आशा करते हैं कि वे देश के सभी भागों में यात्रा करें और तब कहें कि उनके 5000 रुपये फंसे हुए हैं और वे उसे प्राप्त करने के लिए 25,000 रुपये खर्च कर रहा है। अत: पहली बार में ही यह कम्पनी का दायित्व है कि वह कम्पनी कानून बोर्ड को सूचित करे कि छोटे निवेशकों की चूक क्या है। एक प्रावधान भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें समय सीमा दी गई है कि चूक के 60 दिन के भीतर यह सूचना अवश्य आ जानी चाहिए। सी. एल. बी. तीस दिन के भीतर कार्यवाही करेगा। कार्यवाही करने के लिए सी. एल. बी. को अधिकतम तीस दिन का अतिरिक्त समय मिल सकता है। अत: तीस दिन के भीतर कार्यवाही न करने के लिए विलंब के प्रायश्चित के लिए भी सी॰ एल॰ बी॰ ने इस अधिनियम के अंतर्गत 60 दिन की बाह्य सीमा दी है।

माननीय सदस्य ने कहा कि किस तरह छोटा निवेशक घूमता है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि सुनवाई के दौरान छोटे निवेशक का वहां मौजूद रहना आवश्यक नहीं है। एक पोस्ट कार्ड पर्याप्त है। चूककर्त्ता कम्पनी पर शास्ति लगाए जाने का भी प्रावधान है। यदि कम्पनी उसे पैसा वापस नहीं करती है तो वह बाजार से और राशि नहीं जुटा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कम्पनी बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेती है तो वह राशि कम्पनी के सिकी कारोबार में लगाए जाने की बजाय छोटे निवेशकों को पुन: भुगतान के लिए दी जाएगी और यदि कम्पनी फिर भी भुगातन नहीं करती है तो शास्ति की राशि बढ़ाई जाती है और उसके बाद कम्पनी के जिम्मेदार अधिकारी को तीन वर्ष की सजा दिए जाने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : माननीय मंत्री जी जो एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी प्रशंसा और समर्थन कर रहा हूं लेकिन साथ में मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम फील्ड में काम करते हैं। हम आपको फड-बैक दे रहे हैं कि पोस्ट कार्ड कंपनी लॉ बोर्ड को लिखा जाता है लेकिन उसका कॉगनिजेंस नहीं लिया जाता है। क्योंकि उनके पास मशीनरी नहीं है, उनके पास स्टॉफ नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया कुछ दीजिए। आपको पता है कि मेरे से ज्यादा लार्ज स्केल आपने प्रोवीजन किया है कि अनपेड डिविडेंड जो कंपनी के पास 7-8 साल से बचा रहता है, किसी सरकार ने उसमें दखल नहीं दी है, आपने दखल दिया है लेकिन आठ साल बैंक में कंपनी का अनपेड डिविडेंड लॉक-अप में है। यह पूर्णत: बर्बादी है आज तक कितना पैसा अनपेड डिविडेंड का कितनी बैंकों में मिला, उसका क्या हुआ जो कंपनी ने रखा है यह जो डूब गया । इन सबकी किसी के पास जानकारी नहीं है। कम से कम आपने इसे समझा है। यह राशि 10,000 करोड़, 2000 करोड़ रुपये भी हो सकती है। कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपका समर्थन कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री अरूण जेटली: निवेशकों को अदेय लाभांश अथवा अदेय ब्याज की राशि के लिए एक कोष बनाया जाएगा जोकि निवेशक शिक्षा कोष है और यह पूरी राशि कम्पनी से उस कोष में जाएगी। इसलिए वह कोष बनाए जाने का विचार है। शायद यह एक स्वतंत्र न्यास है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : वह आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि कम से कम उसके कारण इंवेस्टर्स अवेयरनैस एजुकेशन प्रोटैक्टिव मैजर्स आप से पाएंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री किरीट सोमैया, माननीय मंत्री महोदय, आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। आपके सभी प्रश्नों के लिए एक व्यापक प्रावधान किया जा चुका है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी बात को संक्षेप में कहें क्योंकि हमें विधेयक भी पारित करना है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मैं खाली छोटे-छोटे तीन बिन्दु कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। अपने जो प्रोविजन के बारे में बताया है, सीएलबी के आर्डर्स को कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो आरबीआई आगे एक्शन ले सकती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी तक कोई भी कम्पनी डायरेक्टर को आरबीआई एक्यश के अंतर्गत सजा नहीं हुई है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि कार्यवाही में तेजी लाई जाए? कम्पनी सीएलबी आर्डर पास करती है कि आप दो साल में पैसा दो, लेकिन यह देता नहीं है। आरबीआई कहती है कि हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है। यह भी एक और मुद्दा है । एक अन्य बात यह है कि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु अनेक वियामक हैं। इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहूंगा कि सेबी, आईओसी, डीसी, सीएलबी, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई है। यहां एजेंटों की भरमार है। अब उस दृष्टि से भी कुछ करने का प्रयत्न करेंगे तो काफी अच्छा होगा कि इनवेस्टर्स किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की कम्प्लेंट के लिए सिर्फ एक एजेंसी को लिख दें। वह सरकारी एजेंसी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती है और शिकायत आगे भेज सकती है।

महोदय, मैं अंत में एक छोटा या सुझाव मंत्री जी को देना चाहूंगा। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे जो चार्टर्ड एकाउंटेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने आपको कुछ सुझाव भेजे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के विभिन्न सदस्यों से आपकी चर्चा हुई है। आप जो दो प्रोविजन करने जा रहे हैं। 1970 में सरकार और संसद दोनों का चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सीमा अथवा अधिकतम सीमा के भीतर ले आए हैं। कोई भी एक चार्टर्ड एकाउंटेंट 20 से ज्यादा कम्पनी का ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन उस समय पर एक दूसरा प्रोविजन आया था कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का टर्नओवर बहुत ज्यादा है। उसे मानद पब्लिक लि॰ कम्पनी माना जाएगा। उसका भी इस सीलिंग में समावेश होगा। अभी आप एक प्रोविजन के द्वारा डीम्ड लिमिटेड कम्पनी को निकाल रहे हैं। एक बार फिर वह प्राइवेट लि॰ कम्पनी बन जाएगी। उसके कारण कौन-कौन सी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड बन सकती है। गोदरेज प्राइवेट लि॰ कम्पनी बन जाएगी और इस मानद कम्पनी के प्रावधान के कारण भी गोदरेज प्राइवेट लि॰ कम्पनी दोनों फिर उसी के साथ में कोकाकोला है। वह एक प्राइवेट कम्पनी है। इनरॉम एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है। मेरी प्रार्थना इतनी है कि हम इन्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से मोनिटर कर पाएं। आप एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की 20 की सीलिंग कायम रखें, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी भी उस सीलिंग में इनक्लुड है। आप जिसे निकालना चाहते हो, उसे न निकाल कर वैसे का वैसा रखें। आपने एक दूसरा छोटा सा प्रोविजन भी कहा है- एक स्थान पर आपने एक अधिकारी की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया हैं। परिवर्तन जो आपने किया वह इसमें है। मैं नहीं जानता कि ऐसा करने में विभाग का इरादा क्या था। आपने मैनेजिंग एजेंट और उसका डेफिनिशन बदलते समय, अब नई परिभाषा के अंतर्गत चार्टर्ड एकाउंटेन्ट अधिकारी बन जाएंगे अथवा माने जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट इनडिपेंडेंट रहेगा तो सभी को फायदा होगा। अगर उसे कम्पनी के आफिसर के रूप में लाया जाएगा तो उसकी इनडिपेंडेंस को थोड़ा धक्का पहुंच सकता है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक अच्छी दिशा में पहुंच रहे हैं। हम आपसे बहुत आशा रखते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक कॉम्प्रीहैंसिव बिल लाकर सोल इवेस्टर्स की रक्षा के लिए और प्रयत्न करेंगे।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में मेरी पहली टिप्पणी यह है कि यह बहुत छोटा विधेयक है और यह देर से आया है क्योंकि इससे समस्याओं का हल नहीं होने वाला है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): कभी नहीं से देर भली है।

श्री रूप चंद पाल: हो सकता है मगर इससे समस्याओं का हल नहीं होने वाला। या यू कहें कि एक अच्छी निगमित सरकार के मामले में, अच्छे नियमित लोकतंत्र, अधिक पारदर्शिता और खुलेपन या तुलनपत्र में, अधिक जिम्मेदारी, निवेशक विरोधी गतिविधियों को रोकने में समर्थ नहीं है। मेरी आशंका यह है कि उससे समस्याओं का हल नहीं होगा।

महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1992 में बाजार अर्थव्यवस्था शुरू किए जाने से लेकर अब तक इस देश के लोगों ने 35 हजार करोड़ रुपये से 38 हजार करोड़ रुपये तक की राशि का नुकसान उठाया है। एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा लगाया गया यह मोटा सा अनुमान है। इसमें से प्लानटेशन कंपनियों का हिस्सा 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इस सरकार ने ना तो कुछ किया है और न ही कुछ करना चाहती है। मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में से ही उल्लेख कर रहा हूं। इसके अनुसार 142 पैसा बटोरकर भागने वाली कंपनियां (वैनशिंग कंपनियों) में से 93 कंपनियो के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है और 37 कंपनियों के विरुद्ध नहीं चल रही है। प्रश्न था कि "देश के आम आदमी द्वारा वहन किए गए नुकसान का क्या होगा"? और उत्तर था कि "विभाग ने वैमिथिंग कंपनियों का पता लगाने के लिए टास्क फोर्स बनाई थी और वैमिथिंग कंपनियों का पता नहीं चला। इसलिए पैसा वापिस नहीं किया जा सकता है।" यह कार्य करने का ढंग है।

महोदय, भारत में निवेशकों को नुकसान हो रहा है। देश में करीब 19 मिलियन निवेशक हैं। यह संख्या चीन की तुलना में कम है जबकि शेयर बाजार में हमें 125 साल हो चुके हैं और चीन को केवल तीन या चार साल

हुए है। निवेसकों को मिलने वाली सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। लोग पूरी तरह निराश हो चुके हैं और छोटे निवेशक जिन्हें भारत के स्टाक बाजार का स्तम्भ माना जाता है, का विश्वास उठ गया है। इस विधान से शेयर बाजार में छोटे और मध्यम निवेशकों और अल्पकालीन निवेशकों का विश्वास वापस नहीं आएगा। निवेशक कई तरह से अपनी धनराशि गंवा चुके हैं। सैकेण्डरी मार्किट में मूल्य ह्रास होने से और कंपनी निधियों के प्रवाह से निवेशकों को बहुत हानि हुई है। हम जानते हैं कि इस सभा में हमने कई महत्वपूर्ण कंपनियों के बारे में चर्चा की, इस बारे में भी चर्चा की कि किस प्रकार कंपनी प्रवर्त्तक निधियों को प्रवाह करते हैं, उन्हें रुग्ण करते हैं, पैसों का पुनर्भुगतान करना नहीं चाहते और मामले को बी. आई. एफ. आर. को भेजने में कामयाब हो जाते हैं। कम्पनियों का प्रबंधन खराब था। देश में, निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं है जैसे कि अमरीका जैसे कई विकसित देशों में है। मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि मैंने पहले चीन का उल्लेख किया है और अब मैं अमरीका का उल्लेख कर रहा हूं। किन्तु अच्छे को अच्छा ही मानना चाहिए। अमरीका में इस प्रकार के उदाहरण हैं जहां मुआवजा दिया गया है जिससे इस पर रोक लगाई जा सकती है और रातों रात गायब होने वाली कम्पनियां और अन्य बच नहीं सकती । उन्हें पैसा वापिस करना पड़ता है। उन्हें इस प्रकार से दण्डित किया जाता है कि उन्हें पैसा वापिस करना ही पड़ता है। किन्तु मात्र इस विधान से इन समस्याओं में कोई सुधार नहीं होने वाला।

एक बार फिर, कई चीजें कही जा रही हैं। यह भी कहा जाता है कि मांग के अनुसार छोटे निवेशक वर्तमान स्थिति में शेयरों को क्रय-विक्रय कर सकता है। मैं वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं। छोटे निवेशक न तो शेयर खरीद सकते हैं और न ही बेच सकते हैं वे जमाकर्ताओं को निरुत्साहित कर रहे हैं। 23 में से केवल 7 स्टाक एक्सचेंजों में यह व्यवस्था है वहां जमा करना एक कठिन कार्य है और उन पर अभिरक्षण (कस्टोडिय) शुल्क भी देना पड़ता है। कंपनी रजिस्ट्रार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए-जो परंपरागत तरीकों से शेयर पवितर्न करता है उसमें विलम्ब होता है और इसके शिकार छोटे निवेशक होते हैं।

व्यवस्थित शासन की ऐसी धारणा का विचार सर कैडबर्ड समिति की रिपोर्ट में और कई दूसरी समितियों की रिपोर्टों में व्यक्त किया गया है। हमने इस पर सभा में और समिति में भी चर्चा की किंतु हम व्यवस्थित शासन (कार्पोरेट गवर्नेंस) की अवधारणा के करीब भी नहीं पहुँच पाए।

जहां तक निदेशकों की जिम्मेदारी का प्रश्न है, यदि जमाराशि अथवा लाभांश का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है, तब भी दोषी कंपनी के निदेशक को जिम्मेदार ठहराया जाये। आज भी नामित निदेशक जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं और अपनी जिम्मेदारी दूसरे निदेशकों पर डाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? कंपनियां अपनी मर्जी से कार्य कर रही हैं और वे कंपनी विधि बोर्ड और सेबी की अनदेखी कर रहे हैं। एक बार मैंने सेबी के चैयरमैन से पूछा "क्या आपको लगता है कि आपको पूरे प्राधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि, "सेबी दंतहीन निकाय है।" नियमावली के मामले में भी, जब यह कहा गया कि प्रारंभिक स्तर से पहले ही इसकी जांच होनी चाहिए तो सेबी ने कहा कि यह उसका काम नहीं है और यह काम मर्चेंट बैंकर का है। अब यह अच्छा ही है यह जिम्मेदारी सरकार ही उठाने को तैयार है। मुझे नहीं पता कि इससे उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक होगी।

कंपनी विधि बोर्ड एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। इसने उन अपराधियों को कोई दण्ड नहीं दिया है जिन्होंने विगत 8 वर्षों में लोगों के धन को लूटा है। 1992 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा मार्किट इकॉनोमी चाहने पर जब बाजार खुला तो उसमें हस्तक्षेप की नीति थी और उस पर कोई नियंत्रण करने वाला अथवा नियंत्रित करने वाला निकाय नहीं था। हमें पता है कि प्रतिभूति घोटाले का क्या हुआ। इस मामले में जे.पी.सी. ने कुछ सिफारिशें की थी किंतु आज तक सरकार ने उन पर अमल नहीं किया। प्रतिभूति घोटाले पर भी संयुक्त संसदीय समिति की एक ही राय थी कि कपनियों को ये-ये कार्य करने चाहिए और इन-इन मापदण्डों की पूर्ति करनी चाहिए इत्यादि।

जहां तक छोटे निवेशकों के प्रतिनिधियों को बोर्ड मे रखने का प्रश्न है, मेरे प्रिय वरिष्ठ सहयोगी श्री शिवराज पाटिल ने कहा कि यह पहले ही यहां था। लेकिन जहां तक मैं समाचार पत्रों से जान पाया हूँ, औद्योगिक घरानों और उद्योगपतियों का सरकार पर यह दवाब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने इसे अनिवार्य न रखकर वैल्पिक बना दिया है। छोटे निवेशकों की रक्षा के लिए यह होना चाहिए। कम से कम यह प्रावधान तो होना ही चाहिए कि निदेशक मंडल में उनका प्रतिनिधि हो।

महोदय अब मैं खण्ड 58 (क) 9 पर आता हूँ। इसके अनुसार कंपनी विधि बोर्ड सही आदेश प्राप्त कर सकता है। यह 'सही आदेश' क्या है? यह होना चाहिए कि भुगतान किया जाए। खण्ड 58 (क) 9 ऐसी व्याख्या नहीं करता। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सही आदेश क्या है।

जहां तक कंपनी कार्य विभाग से कपनी विधि बोर्ड और सेबी को शक्तियाँ प्रदान करने का प्रश्न है तो यह सही है। किंतु सेबी अपनी भूमिका का निर्वाह कहाँ तक कर पाएगी इसमें मुझे संदेह है।

बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति के गठन के बारे में, विशेषकर रिपोर्ट में इसकी टिप्पणियां समाहित होनी चाहिए ताकि निवेशकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हो सकें। यह सही है किंतु एक समस्या विकसित हो रही है लेखा परीक्षा प्रणाली की स्वतंत्रता खत्म हो रही है। लेखा परीक्षा प्रणाली की स्वतंत्रता खत्म होने पर कई रिपोर्टें मिली हैं मैं केवल एक को ही उद्धृत कर रहा हूँ। आई. सी. डब्लयू. ए. परीक्षा में कदाचार पाए जाने पर न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया था। 1998 के जून/दिसम्बर में आई. सी. डब्लयू. ए. की परीक्षा में हुए कदाचार पर जांच समिति की रिपोर्ट को सरकार दबाए बैठी है। कंपनी कार्य विभाग के निदेशों को अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, उनके अपने लोगों द्वारा ताक पर रखा जा रहा है। न्यायालय के निर्णय के बाद भी यदि परीक्षाफलों में कदाचार जारी रहा तो लेखा परीक्षा (ऑडिट) व्यवस्था की स्वतंत्रता धूमिल हो जाएगी।

लेखा परीक्षा व्यवस्था की स्वतंत्रता समाप्त होती जा रही है। इसकी कोई रूपरेखा बनायी ही नहीं गयी और सरकार अभी भी यही कह रही है कि उदारीकरण के वातावरण में हम अकाउटिंग के अंतरर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त कर लेंगे। कोई भी इन पर विश्वास नहीं करेगा।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा विलम और एकीकरण के बारे में है। ऐसे मामलों में कि विद्वेषपूर्ण या अन्य मामलों में अधिग्रहण के संबंध में सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है अथवा अधिग्रहण के मामलों में सेबी का करेगी, बड़े विस्तार से चर्चा की जा रही है।

[श्री रूपचन्द पाल]

परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि सामान्य अथवा विद्वेषपूर्ण अधिग्रहण की स्थिति में लघु निवेशकों के हितों की सुरक्षा किस प्रकार होगी? इस विधान से देश में हो रहे विकास में किस प्रकार मदद मिलेगी? यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो राष्ट्र और निवेशकों के हितों की कीमत पर विभिन्न कंपनियों के बेईमान संचालकों को धन-संपत्ति अर्जित करने में मदद कर रहा है।

मेरा अगला प्रश्न अंतर्निगमित निवेशों के बारे में है। इस विधान में सरकार ने इस विशेष क्षेत्र के बारे में कुछ ठोस प्रस्ताव नहीं किया है और वस्तुस्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है।

मेरा अगला प्रश्न विभिन्न संस्थाओं की विरोधात्मक शक्तियों के बारे में है। कंपनी लॉ बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक की क्या जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में सेबी का कथन है कि यह कंपनी लॉ बोर्ड का दायित्व है और कंपनी लॉ बोर्ड का कहना है कि यह शक्तिहीन है और भारतीय रिजर्व बैंक ही इसे कर सकता है। ये मामले अभियोजन, सजा, शास्ति और ऐसी ही कुछ अन्य चीजों के बारे में है।

मेरा दूसरा प्रश्न, लेखाओं को गलत करने के बारे में है। धन-शोधन विधेयक में परिवर्तन करने के पश्चात और नये फेमा के पुर:स्थापन के पश्चात्, लेखाओं की जालसाजी एक गंभीर समस्या है। हम निगमित शासन, पारदर्शिता, खुलासा इत्यादि के बारे में चर्चा कर सकते हैं परंतु लेखाओं की जालसाजी एक बहुत बड़ी गडबड़ी है। नये फेमा के पुर:स्थापन के पश्चात् दो तीन तुलन पत्र रखे जाते हैं एक आयकर में बारे में और दूसरा पत्र (प्रास्पेक्टस) के बारे में और एक अन्य प्रयोजनों के लिए होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस विधान से स्थिति में सुधार किस प्रकार होगा?

महोदय, मेरा एक सुझाव है। लघु-निवेशकों के हितों का बीमाकरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए? लघु निवेशकों के हितों का बीमाकरण एक ऐसा उपाय है। लघु-निवेशकों को कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

धानुक समिति ने कुछ सिफारिशें की थी। ये नौकरियों के विभाजन और सेबी तथा अन्य को दी गई विशिष्ट शक्तियों के बारे में किए गए मान्य सुझाव है। माननीय मंत्री धानुक समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जानकारी अभी दे सकते हैं।

महोदय, मेरा अगला प्रश्न किए गए लोप के बारे में है। हमें बार बार यह बताया गया है कि यदि किसी कंपनी में सरकार का हिस्सा 25 प्रतिशत से ज्यादा हो, तो उसे निजी कपनी नहीं माना जायेगा। विनिवेश के बारे मे सरकार बार-बार यह दोहरा रही है कि बैंकों के मामले में भी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम करके 33 प्रतिशत किए जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमा क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण के लिए 26 प्रतिशत शेयरधारिता ही पर्याप्त है क्योंकि सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी किया जा सकता। माननीय मंत्री कृपया धारा 43 (क) का स्पष्टीकरण दें। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या 26 प्रतिशत शेयर होने के पश्चात् भी सरकार का नियंत्रण उतना ही रहेगा जितना कि 51 प्रतिशत होने की स्थिति में होगा।

बीमा के मामले में भारतीय कंपनी होने की अवधारणा है। भारतीय कंपनी का तात्पर्य क्या है? भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी का हिस्सेदार किस प्रकार हो सकती है? ऐसा कहा गया - 'कंपनी-अधिनियम में यथापरिभाषित' भारतीय कंपनी'। वर्तमान परिपेक्ष्य में, जबकि विदेशी कंपनियाँ देश में आ रहीं हैं और भारतीय हिस्सेदारों के साथ उनका अधिक हिस्सा है, ऐसी स्थिति में अधिग्रहण, अप्रत्यक्ष संचालन और पूर्ण नियंत्रण और अन्य इसी प्रकार के सभी मामले सरकार को स्पष्ट करने चाहिए।

वर्तमान स्थिति में जबकि निवेशक का विश्वास डाँवाडोल हो रहा हो, तो व्यापक सांविधिक संहिता होना आवश्यक है। स्वत: विनियमन वाले संवैधानिक संहिताकरण का मिश्रण अनिवार्य है। केवल निगमित शासन ही नहीं अपितु निगमित-मूल्यों के बारे में नई-अवधारणा प्रचलन में आई है। क्या यह विधान यह सुनिश्चित करने में समर्थ हो सकेगा कि कंपनियाँ नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करे? अनैतिक व्यवहार जैसे बैंकों से धनराशि लेकर उसे वापिस न देना, निदेशकों को उच्च लाभांश का वायदा करके, उन्हें न देना इत्यादि चल रहे हैं। कुछ समय के बाद ऐसी कंपनियाँ परिदृश्य से गायब हो जाती हैं। यह स्वतंत्र अध्ययन से यह पता चला है कि 1942 से 2000 तक की अवधि के बीच निवेशक 35,000 से 38,000 करोड़ रुपये इस प्रकार गंवा चुके हैं।

डाक द्वारा मतदान एक अच्छा विचार है। परंतु यह सरकार को देखना है कि स्थिति में सुधार किस प्रकार से हो सकता है। निदेशकों की निरर्हता के संबंध में क्या इस बात की कोई सीमा है कि किसी कंपनी में कितने निदेशक हो सकते हैं। मैंने किसी कंपनी के निदेशक से पूछा कि वे इन सब चीजों को कैसे याद रखते हैं उनमें से कुछ ने कहा कि चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हस्ताक्षर करने होते हैं। यह देखना पड़ेगा कि चूककर्त्ता कंपनियों के निदेशकों को किस प्रकार अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऐसी कंपनियों के निदेशकों की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि ऐसी कंपनियाँ, जिनके निदेशक भुगतान के मामलों में चूक करते हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए। ऐसी कंपनियों को किसी भी वित्तीय संस्था को लिए गए ऋण चुकाने तक वित्तीय सहायता नहीं देनी चाहिए। मैंने इस टिप्पणी के साथ अपनी बात शुरू की थी कि यह बहुत की कम है और बहुत विलंब से हुआ है। इस देश के सैकड़ों हजार लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इसमें गंवा चुके हैं।

पूंजी-बाजारों में शायद की पारदर्शिता हो। उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। सुधारों का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई नियंत्रण ही नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उदारीकृत व्यवस्था में भी कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से भाव राशि लेने पर नियंत्रण होता है। सरकार को इस अति गंभीर स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। अभी पूंजी बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों, जो सटोरियों के रूप में कार्य कर रहे हैं, का स्वर्ग माना जा रहा है। सूचना, संचार, मनोरंजन और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में कुछके कंपनियाँ अच्छा कमा रही हैं। अन्यथा यह अच्छी स्थिति नहीं है। पूंजी बाजार में गहनता और विस्तार का अभाव है। इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है, तो वह सरकार की नीति है। सुधारों के नाम पर सरकार ने कोई नियंत्रण लगाये बिना ही अर्थव्यवस्था को खोल दिया। परिणाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वे नुकसान उठा रहे हैं।

उनका विश्वास और आत्मविश्वास डगमगा रहा है। इस विधान से लोगों में आत्मविश्वास नहीं जगेगा क्योंकि उनमें इसकी पूर्णत: कमी है।

मैं, तो यही सुझाव दूँगा कि एक व्यापक विधेयक लाकर न केवल लघु-निवेशकों अपितु अन्य सभी लोग जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपने तरीके से योगदान करना चाहते हैं, को सुरक्षा प्रदान करें। इसमें और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। ऐसी सरकार होनी चाहिए जो न केवल पूंजी बाजार बल्कि कंपनियों में होने वाले कार्यों पर भी ध्यान दें।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान (नवादा): आदरणीय उपाध्यय महोदय, कंपनीज अमेण्डमेंट बिल में जो अमेण्डमेंट आ रहा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बचपन में जब हम लोग कंपनी के बारे में सुना करते थे तो मन में भय होता था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में आकर हमे गुलाम बनाया था तो उससे भय होता था कि कंपनी क्या चीज होती है। बाद में जब कुछ बड़े हुए तो लोगों ने कहा कि किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसकी कंपनी देखो। व्यक्ति अपनी संगत को पहचाना जाता है। मन में भावना बदली कि कंपनी कुछ और है और जब कंपनी बाग में लोगों ने कंपनी के बारे में कहा तो मन में अच्छा लगा। आज मुझे यह कहने में फख्र हो रहा है कि देश की जो भी कंपनियां हैं, दुनिया में जो भी देश हैं आज कोई भी देश उनकी कंपनियों के आयाम, आकार और निगमित परिव्यय से जाना जाता है। आज सारी दुनिया में कंपीटीशन का दौर चल रहा है।

अपराह्न 5.53 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

पूरी दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है इसके कारण हमारे देश की कंपनियां जो बहुत दिनों से इस बात की लालसा में थी कार्पोरेट हैड्ज में कि जो कुछ आमूल-चूल परिवर्तन होने हैं, वह हों, बुनियादी बदलाव हो, अर्थव्यवस्था बदले, यह मांग बहुत दिनों से चल रही थी कि इसमें अमेण्डमेंट होने चाहिए। मंत्री जी इस बिल को लाए हैं, भले ही यह कॉम्प्रिहेन्सिव न हो मगर उसके बावजूद भी जो आंतरिक सुधार इससे होने वाले हैं, निश्चितरूप से इससे भारतीय कार्पोरेट लाभान्वित होने वाला है मैं कहना चाहूंगा खासकर जो इ.एस.ओ.पी. है, यह स्कीम लाकर इन्होंने जो कर्मचारी बंधु हैं, जो वर्किंग फोर्स है, उसके लिए जो ऑप्शन होता है, आज विप्रो और इनफोसिस के इम्प्लॉइज लाखों की संख्या में हैं और वे कंपनियां फ्लरिश कर रही हैं। हमारी जो गवर्नमेंट सैक्टर की कंपनियां हैं जो लगभग बंद होने के कगार पर हैं, अगर उसमें इंपलॉइज की भागीदारी बनाई जाए तो निश्चितरूप से जो ई. एस.ओ.पी. की नयी स्कीम आ रही है इसके माध्यम से हम लाभान्वित होंगे और जो कंपनियां सिक हो रही हैं, बी.आई.एफ.आर. में जा रही हैं, उसमें मौका मिलेगा कि अधिक से अधिक कर्मचारियों को उसमें शामिल करके उन कंपनियों को ठीक से चलाया जा सके। इसलिए हम चाहते हैं कि ई.एस.ओ.पी. को ठीक से डिफाइन किया जाए और इसका फायदा अधिक कंपनियों को मिले। मंत्री महोदय ने इसका प्रयास किया है और हम उसकी सराहना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक अच्छी बात हमारे शिवराज पाटील जी ने कही कि विदेशी कंपनियों के लिए प्रावधान किया गया है कि टैक्नोलॉजी के लिए, स्किलड डैवलपमेंट के लिए और जो अन्य सामाजिक क्षेत्र हैं, उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, उसका कनसैप्ट दिया गया है - कार्पोरेट सोशल रैस्पॉन्स।

अध्यक्ष महोदय, यहां के कंपनी एक्ट में, कंपनी क्लॉज में सोशल रेस्पांसिबिलिटी का क्लॉज नहीं है। हम चाहते हैं वह आना चाहिए। भले ही इस संशोधन के माध्यम से नहीं हो, लेकिन बाद में जो संशोधन आने वाले हों, उनमें निश्चिततौर पर कॉरपोरेट सोशयल रेस्पांसिबिलिटी का प्रॉविजन आना चाहिए। हमारा जो इतना बड़ा समाज है, हम चाहते हैं कि इस युग में कंपनी के आर्थिक लाभ का फायदा कुछ राज्यों को इलकों, कुछ खास लोगों, कुछ मैट्रोपोलिटन क्षेत्रों को ही हो रहा है। ऐसा न होकर हम चाहते हैं कि इसका लाभ देश के समाज के हर वर्ग को मिले। इस कोआपरेट स्फीयर में समाज के हर वर्ग के आदमी को फायदा मिले, जिसमें महिलाएं, किसान, नवयुवक, छात्र, मजदूर आदि सभी आते हैं। उन सबको इसका कुछ न कुछ लाभ मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि कोआपरेटिव सोशयल रेस्पांसिबिल्टी के क्लॉज को एक कॉम्प्रीहेन्सिव बिल लाकर यह प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात आज जो जी.डी.आर. और ए.डी.आर. की आती है, ग्लोबल डिपेजीटरी रिसीट की बात आती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट की बात आती है, इसी ढंग से हम चाहते हैं कि इंडिया डिपाजिटरी रिसीट की बात भी होनी चाहिए ताकि जो विदेशी कंपनियां कैपीटल मार्केट में आना चाह रही हों उनको परमीशन मिल सके। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं इसमें कुछ प्रावधान लाए गए हैं लेकिन और भी पुख्ता बनाने के लिए, समाजोन्मुख बनाने के लिए, सोसायटी के ओरिएंटेशन के लिए, जो कुछ बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाए और इस एक्ट का आम लोगों को लाभ मिले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, चौथी बात यह है कि जो डीमेट फॉर्म कंपलसरी किया गया है, वह भी बहुत अच्छा किया गया है यह आवश्यक था। इससे काफी लाभ मिलेगा। नहीं, तो ऐप्लीकेशन में इतनी सारी इन्फर्मेशन मांगी जाती थी जिससे काफी परेशानी होती थी। इसलिए कुछ कंपनियों के लिए डीमेंट फॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है। यह बहुत अच्छा किया गया है। इससे इन्वेस्टर को काफी फायदा होगा और निश्चिततौर से उसकी भागीदारी बढ़ेगी। हम आशावान हैं कि जहां पहले कुछ नहीं था वहां अब बोर्ड में एक डायरैक्टर बन रहा है, तो निश्चितरूप से जिस वर्ग को अभी तक कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, उस वर्ग को थोड़ा की सही, कुछ प्रतिनिधित्व तो प्राप्त हो रहा है। इससे छोटे इन्वेस्टर वर्ग को लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट के जरिये जो पॉवर सेबी को दी गई है, वह बहुत अच्छा किया गया है। यह जमाना कनवर्जन्स का है। एकरूपता का जमाना है। इसमें कनवर्जन के बारे में जो कहा गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इससे सेबी की जो शिकायत थी, वह निश्चिततौर से दूर होगी इसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं।

[डा. संजय पासवान]

अध्यक्ष महोदय, इसमें डिबेंचर ट्रस्टी की बात कही गई है। निश्चितरूप से यह आम जनता के भले की बात है। मैं इसका स्वागत करता हूं। डिबेंचर में आम लोगों का विश्वास है और भारत में शेयर के बजाय डिबेंचर में निवेश करने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। गरीब लोग अपनी रकम पर एक एश्योर्ड और एक खास परसेंटेज में ब्याज कमाना चाहते हैं। इसलिए भारत में डिबेन्चर के निवेशकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। इसलिए मंत्री महोदय ने डिबेंचर ट्रस्टी बनाकर उनके हितों का संरक्षण किया गया है यह स्वागत योग्य है। इससे भारत का जो छोटी बचत करने वाला है, उसको लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने ट्रांसपेरेंसी की भी बात कही है। ऑडिट कमेटी और बोर्ड में यदि कोई डिफरेंस होगा, तो उसे शेयर होल्डर के सामने लाया जाएगा। इस अमेंडमेंट के माध्यम से यह बहुत बड़ा काम किया गया है । यह इस बात का प्रतीक है मंत्री महोदय पारदर्शिता लाने के लिए कितने चिन्तित हैं और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वे कंपनियों में ट्रासपेरेंसी लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो इतना बड़ा बिल था, इसके तमाम ऐसे प्रावीजन थे जे कभी काम ही नहीं आते थे, जो बेकार क्लाज थे, उनको हटा कर, इकट्ठा कर के, क्लाज को, सैक्शन्स को, शेड्यूल्ड को कम किया गया है, जितने इफैक्टिव प्रॉवीजन्स थे, जितने रैलेवेंट थे, उनको रहने दिया गया है और बाकी को डिलीट किया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। यह निश्चितरूप से सराहनीय कदम है। अन्त में मैं समाज के प्रति जो कंपनियों का रोल है वह समाजोन्मुखी कैसे हो, इसके लिए मैं बार-बार कहूंगा कि कारपोरेट सोशयल रेस्पांसिबिलिटी जो दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों के क्लाजेज में है, उसको यहां भी लाया जाए। हम चाहते हैं सी.एस.आर. का जो कंसैप्ट है, वह भारत की कंपनियों में लागू किया जाए और यहां की कपनियों को समाज निर्माण में, देश निर्माण में कैसे लगाया जाए, इसके बारे में चिन्ता करना मंत्री महोदय का काम होना चाहिए।

सरकार को चिन्ता है, इसका हमें विश्वास है। इस अमैंडमैंट के बाद भी और आमैंडमैंट्स आयेंगे, कम्प्रीहैन्सिव अमैंडमैंट्स आयेंगे, उसमें निश्चित तौर से इस बात को स्थान दिया जायेगा। इस तरह जो कम्पनियां भारत में प्रमुख रोल अदा करने वाली हैं, उनके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय समाज को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अमैंडमैंट का समर्थन करता हूं और यह बिल पास हो, ऐसा कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

6.00 बजे

[अनुवाद]

डा॰ बी॰ बी॰ रमैया (एलूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक का मुख्य उद्देश्य निगमित सुशासन का विकास करने हेतु कतिपय उपाय करना, निवेशकों की रक्षा हेतु उपाय करना और कंपनी अधिनियम में कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन करना है जो वर्ष 1997 में इसके अधिनियमन के समय नहीं किये जा सके थे।

माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में जिन भी प्रमुख मदों का उल्लेख किया, उनका यहां अन्य माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया। उनमें से एक मद है धारा 205 और धारा 205क का संशोधन, जो अंतरिम लाभांश के बारे में है यह एक अच्छा सुझाव है। किसी अन्य लाभांश की भांति अंतरिम लाभांश की भी रक्षा करनी होगी। इसे कम नहीं किया जा सकता। यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है वे एक बार जो लाभांश की घोषणा कर दें, उसे सुरक्षित और क्रियान्वित करना ही होगा। उन्हें इस पहलू का ध्यान रखना चाहिए। बाद में उन्हें यह कहने का मौका ही न दिया जाये कि वे इसे कम करेंगे।

अगला मुद्दा यह है कि वे '42 दिन' में संशोधन कर उसे '30 दिन' करना चाहते हैं। मानीनीय सदस्य श्री शिवराज वी. पाटील जी ने भी इसका उल्लेख किया था। मैं यह महसूस करता हूं कि इसे 42 दिन की रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें सभी आवश्यक उपाय करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके। उन्हें क्रियान्वयन और वितरण का भी ध्यान रखना होगा। इसमें थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। मैं यह महसूस करता हू कि 42 दिन का समय भी काफी नहीं है, इसलिए यह 45 दिन होना चाहिए।

अत: मैं समझता हूं कि विद्यमान अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, इसे ऐसे ही रहने दिया जाये। मुख्य बात यही है कि अंतरिम लाभांश अनिवार्य करना होगा और बाद में इसे कम नहीं किया जाना चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण है और हमें इसका उचित रूप से ध्यान रखना चाहिए।

अगला मुद्दा खंड 7 के बारे में है जो नई धारा 17क के अंत:स्थापन के बारे में है। उसमें राज्य के भीतर परिवर्तन करने का प्रावधान है। संपूर्ण विधेयक को पढ़ने के बाद मैं यह समझता हूँ कि यदि यह राज्य के भीतर लागू किया जायेगा तो इससे वास्तव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा और तब परीक्षण आधार पर यह प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी और विद्यमान प्रणाली ही पर्याप्त संरक्षण प्रदान करेगी। इसलिए राज्य के भीतर ही परिवर्तन करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए आप जब अंतत: इसे करें तो इस बात का भी ध्यान रखें।

एक दूसरा संशोधन खंड 75 में किया गया है जो नई धारा 192 क के अंत:स्थापन के बारे में है। कुछ माननीय सदस्य मतदान के बारे में पहले ही बोल चुके हैं। मैं यह महसूस करता हूँ कि यहां इलैक्ट्रानिक पद्धति सही ढंग से कार्य कर रही है और हमें और भी कई तरह की सुरक्षा प्राप्त है। इसलिए, मेरे विचार से, डाक मतपत्र को अनिवार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा प्रावधान है जिसके परिणामस्वरूप कई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं। उन्होंने डाक मतपत्र भेजने के लिए 30 दिन की अवधि का उल्लेख किया था। मैं समझता हूं कि किसी स्थान के दूर होने या किसी और कारण से डाक में विलंब भी हो सकता है। अत: इस बात पर विचार करना होगा।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जावेगी। इस पर आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, रमैया जी। पहले ही छः बज चुके हैं। अभी और तीन सदस्यों को अपनी-अपनी बात कहनी है। यदि सभा सहमत है तो हम यह कार्य पूरा होने तक समय बढ़ा सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हमारी पार्टी से किसी भी सदस्य को अपनी बात नहीं रखनी। यदि केवल और दो या तीन वक्ता ही रह गये हैं तो हम आज ही इसे निपटा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आप आज काफी उदार हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं हमेशा ही उदार हूं। उदार अर्थव्यवस्था में सभी कुछ उदार ही होना चाहिए।

डा॰ बी॰ बी॰ रमैया: इस रजिस्ट्रीकृत डाक के बारे में, मेरे विचार से उस पर काफी पैसा लगेगा। शेयरधारकों की संख्या बढ़कर लगभग लाख तक पहुंच गई है और यह काफी मंहगा पड़ेगा। इसलिए क्या हम यहां कुछ संशोधन करें? हम कह सकते हैं कि यह उन्हीं लोगों को भेजी जायेगी जो इच्छुक होंगे अथवा जिन्होंने डाक द्वारा मतपत्र संबंधी प्रावधान चयन किया हो। इस तरह का कुछ प्रावधान होना चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो हमें काफी पैसा बचा पायेंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह अनुरोध है कि वह इस छोटे से प्रावधान का ध्यान रखें।

अगली बात यह है कि हमें सेबी को दी गई शक्तियों पर पुनः नजर डालनी चाहिए। सेबी हमेशा यही कहती रही है कि इसे संचालन और नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई हैं।

अब कंपनी कानून बोर्ड का कहना है कि आप सेबी को ज्यादा शक्तियां देना चाहते हैं और उन्हें इसका संचालन करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि सेबी यह जिम्मेदारी उठाये, तो उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि सूचीबद्ध कंपनियों के इधर उधर और कंपनी कानून बोर्ड से सेबी तक भटकना न पड़े। हमें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि इसका संचालन कौन करेगा, किसे शक्तियां दी गई हैं और उनका संचालन किस प्रकार किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से इसे पूरी तरह स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि सेबी इन सभी बातों का ध्यान रखे तो यह बिल्कुल स्पष्ट करें कि सेबी का निर्णय ही अंतिम होगा और फिर वे पुनः कंपनी कानून बोर्ड के पास नहीं जा सकते।

खंड 102 लेखापरीक्षा के बारे में है। कई माननीय सदस्य लेखापरीक्षा समिति के बारे में पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। संपरीक्षा समिति ने यह काफी स्पष्ट कर दिया था कि केवल बाहर के निदेशक समिति के सदस्य होने चाहिए। जैसा कि विधेयक में कहा गया है कि ये संपरीक्षा समिति जो कुछ भी कहेगी, बोर्ड को वह अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। समिति जो कुछ भी कहेगी, उन्हें उस पर ही विचार करना होगा। मेरे विचार से इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक संभव हो, उन्हें सभी जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए और उन्हें इसका आदर करना चाहिए। संपरीक्षा समिति में एक पूर्णकालिक निदेशक भी होना चाहिए ताकि वह संपरीक्षा समिति की बैठकों के समय उचित निर्णय भी ले सके। अब संपरीक्षा समिति में कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं है और वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी नहीं है। वे अपनी टिप्पणियां कर पायेंगे और बोर्ड को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे विचार से, हमें संपरीक्षा समिति के प्रावधानों में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि आम सभा को किसी भी मामले, किसी भी संकल्प और अपने समक्ष आने वाले किसी भी मुद्दे पर विचार करना होगा। अंतिम निर्णय यही लेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा।

इस समय, एक व्यक्ति 20 कंपनियों में बोर्ड का निदेशक हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसे घटाकर 15 कंपनियां कर दिया गया है। यह काफी अच्छी बात है यह उचित भी है। छोटे जमाकर्त्ता संरक्षण खंड बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमने यहां बहुत कड़े दंड लगाये हैं। मेरे विचार से संकट की इस घड़ी में हमें थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए और बाद में एक-एक करके इसका स्वरूप कठोर किया जा सकता है। यदि आपके पास कोई अभ्यावेदन आता है तो आप संभवतः इसमें बाद में एक-एक करके सख्ती ला सकते हैं।

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप छोटे जमाकर्त्ताओं की बात कर रहे हैं। हमें छोट जमाकर्त्ताओं को भी संरक्षण देना चाहिए। यदि छोटे जमाकर्त्ताओं को समय पर वापसी रकम नहीं मिलती है तो वे आपके पास वापस आ सके। मुझे आशा है कि छोटे जमाकर्त्ताओं की चिंताओं पर भी विचार किया जायेगा।

अधिग्रहण के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सेबी हमारे देश में प्रवेश करती बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देखते हुये अधिग्रहण की पूरी जिम्मेदारी लेगी। आप इन लोगों को किस प्रकार का संरक्षण देंगे? आप किस प्रकार के विनियम बनायेंगे? चूंकि उनके पास अत्यधिक पैसा है, उनके लिए अधिग्रहण करना बहुत आसान हो जायेगा।

अब मैं शेयरों की पुनः खरीद की बात करूंगा। हमें कुछ खंड बिल्कुल स्पष्ट कर देने चाहिए। हमें, जहां तक संभव हो शेयरों की पुनः खरीद से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करना चाहिए। लेखापरीक्षकों के लिए, मेरा यह सुझाव है कि आप कंपनी में लेखापरीक्षक के ऋणपत्रों अथवा शेयरों की संख्या सीमित कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति के पास कंपनी में ऋणपत्र अथवा शेयर हैं उसे लेखापरीक्षण कराने से रोका नहीं जाना चाहिए।

सरकारी कंपनियों के लिए निर्धारित 5 लाख रुपये की सीमा पर्याप्त नहीं है। यह न्यूनतम सीमा 10 लाख रुपये होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि रुपये की कीमत में बहुत अधिक गिरावट आ रही है। यह 10 लाख रुपये होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, कि उस व्यक्ति को पंजीकृत न किया जाये जिसके पास पर्याप्त धन नहीं है अन्यथा, कई छोटी-छोटी कंपनियों ने थोड़ी सी धनराशि के साथ स्वयं को पंजीकृत करा लिया है और अब वे जनता से भी धन जुटा रहे हैं। जनता उनकी वित्तीय और प्रबंधन क्षमताओं को समझने में असमर्थ है इसलिए, हमें उस बात पर विचार करना होगा। यह कहा जाता है कि बोर्ड में छोटे शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व निदेशक द्वारा किया जाना चाहिये। मैं नहीं जानता कि यह छोटे शेयरधारकों के लिए उपयोगी होगी अथवा नहीं क्योंकि आम सभा में उनका प्रतिनिधित्व पहले ही किया जा चुका है।

[डा. बी.बी. रमैया]

जैसाकि शिवराज पाटील जी उल्लेख कर चुके हैं, कामगार निदेशक बोर्ड में आने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि वे वचनबद्ध है। यदि एक बार वे बोर्ड में आ जाते हैं तो उन्हें दूसरों को खुश करना होगा। बाहर के आदमी होने के कारण वे अच्छी तरह विरोध कर सकते हैं और वे ज्यादा से ज्यादा अभ्यावेदन दे सकते हैं। मेरे विचार से वह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। कंपनी में उनका निदेशक होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो कुछ बताया जा रहा है, वह भी बिल्कुल स्पष्ट है यदि हम इनमें से कुछ एक बातों पर विचार कर सकें तो अच्छा होगा। निःसंदेह यह अंतिम नहीं होगा। यह तो केवल दूसरा संशोधन विधेयक है और हम अंतिम संशोधन विधेयक लाने जा रहे हैं। जिसमें उन कुछके मदों का ध्यान रखा जायेगा जिन पर इसमें विचार नहीं किया गया है।

किसी ने छोटे शेयरधारकों के लिए बीमा करने का सुझाव दिया है। मेरे विचार से यह सुझाव काफी अच्छा है। यदि ऐसा हो जाये तो इससे कई समस्याएं दूर हो जायेंगी। आज, यदि कोई व्यक्ति कठिनाई में है तो बीमा उसकी सहायता नहीं करेगा क्योंकि बड़ी संख्या में बीमा किया गया है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो कंपनियों के लिए संचालन करना बहुत आसान हो जायेगा और वे अधिक प्रभावी हो जायेंगी।

मैं माननीय मंत्री जी की यह मुद्दा उठाने के लिए सराहना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वह तीसरा संशोधन विधेयक भी लायेंगे जो अंतिम विधेयक होगा और जिसमे उन सभी बातों का ध्यान रखा जायेगा जो छोटे शेयरधारकों के संरक्षण और कंपनियों के बेहतर प्रबंधन के लिए अपेक्षित हैं। इन्हीं कुछेक शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं कंपनी लॉ में किए जाने वाले संशोधन के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर अपनी शिकायत और आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सौभाग्य से आप स्वयं पीठासीन हैं। कृपया इस स्थिति पर विचार करें।

दूसरी सभा में, एक व्यापक विधेयक पुरःस्थापित किया गया थ। यह वहाँ लंबित है। सरकार ने विधेयक के कुछ उपबंधों को लिया और उन्हें अध्यादेश में शामिल करके उसे लागू कर दिया। अब पुरःस्थापित किए गए विधेयक को विभागीय स्थायी समिति को भेजा गया है। ऐसा करके उन्होंने स्थायी समिति के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है क्योंकि जिन खंडों यह विचार किया जाना है, वे पहले से ही लागू हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मामला और आगे बढ़ गया है। सरकार ने व्यापक विधेयक के कुछके और खण्ड लेकर उन्हें कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक में शामिल कर दिया, जो अब हमारे सामने विचारार्थ हैं।

महोदय, अब हमारी ऐसी स्थिति है, व्यापक विधेयक राज्य सभा में है। साथ ही, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक हमारे पास विचारार्थ है। इस प्रकार की खामियों से बचना चाहिए। सरकार को अपनी सुरक्षा में क्या कहना है? सरकार ने कहा है कि व्यापक विधेयक के कुछ प्रावधान तुरंत लागू किए जाने चाहिए ताकि लाभ उठाया जा सके। यह अच्छी बात है परंतु-स्थिति तो देखिए। विभागीय स्थायी समिति से व्यापक विधेयक को मंजूरी दे दी है और उसकी रिपोर्ट भी 27 जुलाई, 2000 को लोक सभा में पेश की जा चुकी है। इसी प्रकार, दूसरे संशोधन विधेयक पर स्थायी समिति की रिपोर्ट को भी मंजूरी मिल गई है और 27 जुलाई, 2000 को सभा पटल पर रखी गई थी।

फिर यदि दोनों विधेयकों, व्यापक विधेयक और आपके द्वारा लाया गया संशोधन विधेयक को स्थायी समिति मंजूरी दे चुकी है और उसकी रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी है तो संशोधन विधेयक के बजाय व्यापक विधेयक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम बड़ी विचित्र स्थिति में हैं। इस विधेयक में संसक्त उद्देश्यों और कारणों से बिल्कुल विपरीत हम आज कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक पर विचार कर रहे हैं। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बारे में कहा गया है :

> "परीक्षण भी प्रक्रिया व्यापक विधेयक का परीक्षण अभी तक समाप्त नहीं हुई है और अभी कुछ और समय लगने की संभावना है। इसलिए इस विधेयक के पारित किए जाने में और विलंब होने की संभावना है।"

महोदय, यह आज की स्थिति नहीं है। व्यापक विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अतः यह बताये बिना ही व्यापक विधेयक पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है, व्यापक विधेयक के बजाय संशोधन विधेयक को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान से यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपको विधायी प्रक्रिया को इस प्रकार हल्के-फुल्के ढंग से लेने पर विचार करना चाहिए। अब स्वयं अध्यक्ष महोदय, नियम समिति और सभा को विचार करना चाहिए कि जब कोई विधेयक विशेष किसी स्थायी समिति अथवा प्रवर समिति के प्रमुख विचारार्थ हो तो क्या सरकार के लिए उसके कुछेक खंड लेकर संशोधन बनाना और अध्यादेश के माध्यम से उसे लागू करना न्यायोचित होगा? महोदय, यह असंतोषजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अतः हमें इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि सदस्यगण व्यापक विधेयक की मांग करें और स्थायी समिति की मंजूरी प्राप्त वह विधेयक पहले से ही है और उसके बावजूद सरकार एक ऐसा संशोधन विधेयक लाई है जिसमें व्यापक विधेयक के ही कतिपय उपबन्धों को समावेश किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के उपरांत मैं विधेयक के प्रावधानों पर बोलूँगा। इस विधेयक के उद्देश्य त्रि-आयामी हैं। प्रथम यह कि बेहतर निगमित शासन सुनिश्चित करना, द्वितीय कम्पनियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और तृतीय अधिनियम के उपबंधों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है। ये स्वागत योग्य उद्देश्य हैं और यह खुशी की बात है कि सरकार विधेयक के उद्देश्यों में लक्षित जरूरतों के प्रति जागरूक है। इस विशेष संदर्भ में सरकार की सराहना की जानी चाहिए।

महोदय, यहां विचाराधीन विधेयक में अनेक खामियां और त्रुटियां हैं। आमतौर पर, जैसाकि मैंने कहा है विभिन्न उद्देश्यों के प्रति सरकार की ईमानदारी स्वागत योग्य कदम है और इनके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए और सराहना की जानी चाहिए। तथापि, विधेयक में गम्भीर खामियां हैं।

महोदय, मैं विभिन्न प्राधिकरणों को दी गई शक्तियों संबंधी प्रश्न लेता हूँ। विभिन्न प्राधिकरणों को समवर्ती शक्तियां दी गई हैं। अब मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। परन्तु विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रयुक्त ये समवर्ती शक्तियां अव्यवस्था और गड़बड़ी फैला सकती हैं।

खण्ड 16 लीजिए। खण्ड 16 में कहा गया है कि कुछके धाराओं के उपबंधों को लागू करने का काम सेबी अर्थात् भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पास होगा। ये धारायें कौन सी हैं जिन्हें लागू करने का काम अब सेबी को सौंपा गया है? कुछके उदाहरण देने के लिए, मैं कुछेक धाराएं लूंगा।

मुख्य अधिनियम की धारा 60 में कहा गया है कि विवरण की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी। मुख्य अधिनियम अथवा इस संशोधन विधेयक में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि विवरण-पत्र की एक प्रति 'सेबी' के भेजी जायेगी। फिर भी, सेबी द्वारा यह धारा भी लागू करना अपेक्षित है। ऐसे कुछके तथ्य ऐसे हैं, जिन पर विचार किया जाना है।

मुख्य अधिनियम की धारा 211 लीजिए। इसमें तुलन-पत्र के प्रकार और विषय सूची तथा अर्जित लाभ और हानि का लेखा-जोखा है। धारा 227 तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा के बारे में धारा 211 के इस उपबंध के अनुपालन को लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी मानती है। साथ-ही साथ इसमें कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सेबी पर डाली गई है। यदि दो अधिकारी में तुलन पत्र और लाभ-हानि खाते में संबंधित धारा 211 के उपबंध में अनुपालन के मामले में मतवैभिन्नय हो तो क्या स्थिति होगी? यदि लेखापरीक्षक एक बात कहें और सेबी कुछ और तथा अधिनियम में यह कहा गया हो कि इस धारा विशेष के कार्यान्वयन के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, तो फिर बड़ी गड़बड़ स्थिति होगी।

इसी प्रकार से, बहीखातों की जाँच का अधिकार कंपनी-रजिस्ट्रार और केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत इसी प्रकार के अधिकारियों के पास होता है। यहाँ वर्तमान विधेयक में संशोधन के द्वारा यह अधिकार सेबी को भी दिया गया है। अत: हमारे पास समान शक्तियाँ हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सेबी की नहीं होनी चाहिए। मेरा कथन यह नहीं है। मैं केवल इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अधिकारियों के पास इस प्रकार की समान शक्तियाँ गड़बड़ी और कठिनाई का सबब बनेंगी।

खण्ड तीन न्यूनतम पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के बारे में है। किसी निजी कंपनी के पास न्यूनतम एक लाख रुपये तथा सरकारी कंपनी के पास 5 लाख रुपये की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी होना आवश्यक है। इसे पूर्व प्रभावी क्रम में लागू किया जाता है। यदि यह अपेक्षा नई कंपनियों के लिए होती, तो यह ज्यादा अच्छा होता। परंतु पूर्वगामी प्रभाव के प्रश्न पर भी मुझे कोई गंभीर आपत्ति नहीं है। मेरे विचार में बेहतर होता यदि इसे नई कम्पनियों के लिए किया जाता। लेकिन पूर्वगामी प्रभाव के प्रश्न में संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछके ऐसी बातें हैं, जिन पर यहाँ विचार करना पड़ेगा। यदि कोई मौजूदा सरकारी कंपनी इस अधिनियम के लागू किए जाने के दो वर्ष के अंदर 5 लाख रुपये की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी अर्जित करने की स्थिति में नहीं होती है तो रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जायेगा।

यहाँ सरकारी कंपनी को एक विकल्प यह दिया गया है कि रजिस्टर से नाम कटवाने के स्थान पर सरकारी कंपनी स्वयं को निजी कंपनी मान ले। अब इस अधिनियम में कुछ अन्य उपबंधों के बतौर यह विकल्प है परंतु कठिनाइयों से बचने के लिए यह विकल्प खण्ड 3 में शामिल किया जाना चाहिए था। ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो गारंटी द्वारा लिमिटेड बनाई गई हैं और उनके पास अंश-पूंजी नहीं है। उनकी इस स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कम्पनियों को न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता का अनुपालन करने हेतु दो वर्ष का समय दिया गया है। इन दो वर्षों के अंतराल के दौरान इन कम्पनियों की क्या स्थिति रहेगी? इस बात का अनुमान लगाए जाने की बजाय इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कम्पनियों को न्यूनतम प्राप्त पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से दिए गए दो वर्षों की अवधि के दौरान उनका दर्जा वही रहेगा और उन्हें वही समझा जाना चाहिए जो वे अधिनियम के लागू होने के समय थी।

महोदय, निदेशकों के मामले में यह स्वागतयोग्य प्रावधान है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में 15 कम्पनियों से अधिक कम्पनियों में निदेशक पद पर नहीं रह सकता है लेकिन फिर भी यह 15 की संख्या भी अधिक है। मुझे अपने संशोधन के बारे में कहना है कि अधिकतम संख्या सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो शेयरधारक और अन्य लोगों को यह कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति विशेष जो निदेशक बनना चाहता है वह निदेशक 15 अथवा इससे अधिक कम्पनियों में निदेशक नहीं है। अत:, यह सुनिश्चित करने हेतु, कतिपय प्रावधान होने चाहिए। उदाहरणस्वरूप, एक निदेशक इस संबंध में शपथपत्र दे कि वह 15 अथवा इससे अधिक कम्पनियों में निदेशक नहीं है। छोटे शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु निदेशक की नियुक्ति के बारे में खण्ड 122 भी है। यह बात पहले भी कही जा चुकी है और मैं इस बात पर बल देता हूं कि विधेयक में दिया गया यह विशेष प्रावधान बना रहे। मैं इस बात पर बल देता हू और मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि इसे वैकल्पिक बनाने हेतु संशोधन प्रस्तुत न करें। इससे छोटे शेयरधारकों के हितों की अनदेखी हो रही है। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से की जा चुकी है और अत:, मैं इस मुद्दे पर और अधिक नहीं बोलूंगा। लेकिन इस विशेष तथ्य का महत्व भी कम न हो कि छोटे शेयरधारकों के हित इस प्रावधान कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक होना चाहिए, के माध्यम से निदेशक मंडल में उनके हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। महोदय, छोटे शेयरधारकों को भी निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और मैं देखता हूं कि विधेयक के इस उपबंध को लागू करने में कोई व्यवहारिक कठिनाइया नहीं हैं।

डाक द्वारा मतदान के बारे में प्रश्न है। डाक मतदान की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह प्रस्ताव सरकार की ओर से आ रहा है। यह कार्यचालन और विभिन्न मुद्दों के संबंध में पारदर्शिता प्रदान करता है। लेकिन जिन मदों के लिए डाक मतदान आवश्यक होगा उसका उल्लेख विधेयक में ही होना चाहिए। यह मामला प्रत्यायोजित विधान के क्षेत्र को सौंप दिया गया है।

[श्री जी.एम. बनातवाला]

एक तरफ, यदि आप यह आश्वासन दे रहे हैं कि पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है दूसरी तरफ आप महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रत्यायोजित विधान अथवा विधि के अंतर्गत बनाए गए नियमों को सौंपते हैं तो यह एक सुखद स्थिति नहीं है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो इसके लिए "बिरला समिति" गठित की गई थी। यह बिरला समिति इस संबंध में कि डाक मतदान द्वारा क्या भेजा जाएगा कतिपय कार्यों, संकल्पों का उल्लेख कर चुकी है। उन कार्य मदों को विधेयक के संबद्ध खण्ड में ही शामिल किया जाना चाहिए। अत्यधिक प्रत्यायोजित विधान पर निर्भर रहना किसी विधान के लिए ठीक नहीं है।

डाक मतदान के मामले में दूसरी बात यह है कि किसी भी तरह के संकल्प को पारित करने के उद्देश्य से शेयर मूल्य को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। अब कम्पनी विधि में मांग किए जाने पर चुनाव कराने की अनुमति दे दी गई है। अत:, शेयरधारक अपेक्षित मतपत्र पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। डाक मतदान के मामले में भी यही बात है।

मुझे तीसरी बात यह कहनी है डाक मतदान के संबंध में नियमों को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। शायद यह प्रत्यायोजित विधान के क्षेत्र में आता है। लेकिन हमें उस रास्ते पर नहीं चलना है जहां आज अमरीका गया है। हमारे डाक मतदान, गणना आदि को ठीक से चलने दीजिए। मैं इस विशेष मामले में सरकार की सफलता की कामना करता हूं।

हम इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भी मतदान करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यह एक अच्छी और स्वागतयोग्य बात है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धति में भी हेरफेर हो सकता है और इस सबध में अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी।

छोटे जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा हेतु, जो नेक चिंता जताई गई है वह स्वागत योग्य है। तथापि, छोटे जमाकर्त्ताओं के हितों पर विचार करते हुए हमें अनावश्यक रूप से ऐसा भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। जिससे छोटे जमाकर्त्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब कोई कम्पनी भुगतान में चूक करती है तो वह चूक ही है चाहे वह छोटे जमाकर्त्ताओं के संबंध में हो अथवा अन्य जमाकर्त्ताओं के संबंध में हो। छोटे जमाकर्त्ताओं तथा अन्य जमाकर्त्ताओं दोनों के संबंध में चूक की सूचना कम्पनी विधि बोर्ड को भेजी जानी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सूचना बोर्ड में भी जा सकती है। जब कार्यचालन पूंजी आवश्यकताओं के लिए बैंक से ऋण लेने की बात आती है तो छोटे जमाकर्त्ताओं को पहले भुगतान किया जाना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह उठाया गया है लेकिन अन्य अनावश्यक उपबंधों का होना एक अलग बात है। इसलिए छोटे जमाकर्त्ताओं तथा अन्य जमाकर्त्ताओं के संबंध हुई चूक के बारे में चूक को कम्पनी विधि बोर्ड को बताना होगा। लेकिन कार्यचालन पूंजी आवश्यकताओं के लिए बैंकों से प्राप्त किए गए ऋण के भुगतान के मामले में छोटे जमाकर्त्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। यहाँ एक व्यवहारिक प्रश्न उठ सकता है। कम्पनी कार्यचालन पूंजी आवश्यकताओं के लिए ऋण हेतु बैंक के पास जाए। मान लो बैंक निधि के ऐसे उपयोग अर्थात् जमाराशि के भुगतान किए जाने पर सहमत न हो तो क्या स्थित होगी? इस बात पर विचार किया जाए; "क्या कम्पनी कार्यचालन पूंजी के आवश्यक ऋण नहीं जुटा पाएगी?"

महोदय, लेखापरीक्षक की विपरीत टिप्पणियों के मामले में खण्ड में क्या कहा गया है? संबद्ध खण्ड में कहा गया है "कि लेखापरीक्षकों के निष्कर्ष और टिप्पणियां जिनका कम्पनी के कार्यसंचालन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा है, उन्हें मोटे अक्षरों में अथवा तिरछे अक्षरों में दिया जाना चाहिए। यह एक लम्बी प्रक्रिया है जिससे समस्याएं पैदा होंगी। खण्ड में कहा गया है कि लेखापरीक्षकों की सभी विपरीत टिप्पणियां मोटे अक्षरों में नहीं लिखी जाएंगी लेकिन निदेशक यह चयन करने के लिए बैठक करेंगे कि किस विपरीत टिप्पणी का कम्पनी के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ेगा और तब उनकी पंसद के अनुसार उन टिप्पणियों को उजागर किया जाएगा। मेरे विचार से लेखापरीक्षकों की सभी विपरीत टिप्पणियों को मोटे अक्षरों में दिये जाने पर विचार करना चाहिए।

लेखापरीक्षकों के बारे में स्वागतयोग्य प्रावधान है। लेकिन यह व्यवस्था की गई है कि लेखा परीक्षक जितनी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कर सकता है उन कम्पनियों की संख्या में से प्राइवेट कम्पनी को निकाला जाए। मेरे विचार में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा कतिपय बड़ी लेखापरीक्षा फर्मों में लेखापरीक्षा का कार्य बढ़ जाएगा। यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है। धारा 224 (1) (ख) में दो अलग प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध है कि उन्हें पूर्णकालिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए जाने की इजाजत नहीं है। दूसरा प्रतिबंध यह है कि इसके अंतर्गत एक निर्दिष्ट कम्पनी से अधिक कम्पनी में लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति की मनाही है। लेकिन निजी कम्पनियों के मामले में यह दो प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। यह अनुचित है और पूर्णकालिक लेखापरीक्षक के रूप मे नियुक्ति पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षकों के पास जितनी कम्पनियाँ हो सकती हैं उनके संबध में प्रतिबंध से निजी कमपनियों का छूट दी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कतिपय कम्पनियों के पास लेखा परीक्षा का कार्य अधिक हो जाएगा।

महोदय, ऐसे अनेक अन्य मुद्दे जिन पर विचार किया जाना है। लेकिन अपकी बेचैनी को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहते हुए बात समाप्त करूंगा कि इस तथ्य के बावजूद कि इसे स्थायी समिति ने स्वीकृति दे दी है पूरे विधेयक के पुन: अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है। कतिपय संशोधनों के लिए मैंने सूचनाएं दी हैं। कतिपय अन्य संशाधनों के संबंध में मैं सूचना नहीं दे पाया। लेकिन सच्चाई यह है कि विधेयक विभिन्न मायनों में अत्यंत त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, देश के विकास के लिए कम्पनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कम्पनी में शेयर होल्डर होता है उसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं तथा अन्य विभाग भी आते हैं। इस विधेयक के बारे में बहुत कुछ सोचा गया है।

लेकिन ऐसी पहली बार किया है कि जहां कोई प्राइवेट कम्पनी या पब्लिक कम्पनी उपधारा (3) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट रीति से अपनी समादत्त पूंजी को बढ़ाने में असफल रहती है वहां ऐसी कम्पनी धारा 560 के अर्थातर्गत निष्क्रिय कम्पनी समझी जायेगी और उसका नाम रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर से काट दिया जायेगा। कई कम्पनी पहले-पहले ज्यादा

सुविधा लेती हैं और कई कम्पनी ऐसा सोचती हैं कि बंद होने से उन्हें ज्यादा लाभ मिलता है। मैं मुम्बई में देखता हूं, वहां से संसद सदस्य हैं, कई कम्पनी वाले पहले पहले सब तरह के लाभ सरकार से, शेयर होल्डर्स आदि से लेते हैं और यह कम्पनी कैसे बिगड़ जायेगी, कैसे बंद हो जायेगी, ऐसा कम्पनी के लोग सोचते हैं और इसमें भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। इसलिए इस बारे में भी मंत्री महोदय को सोचना चाहिए, यही मेरी विनती है।

[अनुवाद]

डा॰ नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री महोदय और अज्ञात सिविल अधिकारियों को बधाई देता हूं जो लम्बे समय से बिलम्बित इस संशोधनकारी विधेयक लाए हैं। हम इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद हैं जब पिछला भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 समाप्त हो रहा है। आशा है कि कल सुबह तक कम्पनी अधिनियम, 2000 बन जाए। अथवा मोटे तौर पर पुर:स्थापित की गई आधुनिक विशेषताओं को देखते हुए मैं सुझाव देता हूं कि विश्वभर में तथा भारत में मौजूदा वास्तविकता के अनुरूप इस अधिनियम का नाम पुन: निगमित शासन अधिनियम, 2000 रखा जाना चाहिए।

मैं अनेक अच्छे प्रावधानों का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से कई वक्ताओं ने एक बात नहीं कही कि 1970 में प्रबंधक एजेंसी समाप्त कर दी गई थी। जैसाकि आप जानते हैं। पिछले अधिनियम के एक तिहाई भाग में प्रबंधन एजेंसी पर विचार किया गया था। आज, अब तक, तकनीकी रूप से सभी धाराएं मौजूदा हैं यद्यपि कम्पनी अधिनियमों में धाराओं की संख्या की गड़बड़ी से इन्हें निरस्त कर दिया गया। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि वे धाराओं की पुन: गणना सहित नया अधिनियम लाए हैं जिससे आरंभ में वकीलों, लेखाकारों और निगम में कार्यरत लोगों को कुछ कठिनाई होगी लेकिन अंतत: यह सहायक सिद्ध होगा।

मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। पहला, जब आप डाक मतदान का प्रस्ताव ला रहे हैं तो आप इसे उचित ठहराने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं आपको बताऊं कि पश्चिम के देशों में टेलीफोन सम्मेलन, बैठकें अथवा वीडियो सम्मेलन और अक्सर बोर्ड बैठकें वीडियो अथवा टेलीफोन के माध्यम से होती हैं। हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। मेरे विचार से हमें इस तरह की बातों के लिए अनुमति देनी चाहिए।

अन्य मुद्दा लेखा परीक्षा का है। मैं लेखापरीक्षा समिति के उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो केडबरी समिति तथा निगमित शासन के नए प्रावधानों के अनुरूप है। मैं अपने उन सहयोगियों का समर्थन करता हूं जिन्होंने पहले कहा कि यह निदेशक मंडल के लिए यह बाध्यता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि निदेशक मंडल को कम्पनी अधिनियमक के अंतर्गत कम्पनियों के पूरे प्रबंधन पर पूर्ण प्राधिकार है। इसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए, इस पर समुचित विचार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं और सिफारिश करता हूं कि सभा इसे यथाशीघ्र पारित कर दें।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय, मैं इस सभा के उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने प्रस्तावित संशोधन विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की है। कई मूल्यवान सुझाव दिए गये हैं। मैं डा॰ नीतिश सेनगुप्ता द्वारा दिए गये सुझाव पर चर्चा करूंगा। यह निगमित प्रशासन के लिए सचमुच नया कानून है। इस कानून का उद्देश्य आधुनिक अर्थव्यवस्था, कंपनियों के कार्यकरण में पारदर्शिता, निवेशकर्त्ताओं के हितों का सरक्षण के संदर्भ में निगमित प्रशासन की व्यवस्था करना है।

यह विधेयक व्यापक या मूल विधेयक का अंग है जैसा कि तीन वर्ष पूर्व सुझाव दिया गया था, प्रथम हिस्से को पिछले वर्ष विधान बनाया था, और दूसरे विधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है और चूंकि श्री बनातवाला ने यह प्रश्न उठाया है कि व्यापक विधेयक का क्या हुआ, मैं माननीय सदस्यों को आवश्वासन देना चाहता हूँ, जहाँ तक व्यापक विधेयक का संबंध है इसके कई उपबन्धों को पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है। इसके कई उपबन्धों को वर्तमान में अधिनियमित किया जा रहा है। इसका एक विशिष्ट पहलू कंपनी कानून बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इसे कुछ समय तक रोके रखने का एक कारण है कि निगमित प्रशासन के कुछ क्षेत्रों में प्राधिकरण की बहुविधता है और यह प्रश्न जो श्रीबनातवाला ने स्वयं उठाया था ।

मेरे मित्र श्री किरीट सोमैया ने यह प्रश्न उठाया था कि छोटे निवेशक को इधर-उधर भागना पड़ता है क्योंकि कुछ कंपनियों की शक्तियां बी. आई.एफ.आर. के पास हैं, विवाद पर निर्णय से संबंधित कुछ अधिकार कंपनी कानून बोर्ड के पास हैं, छोटे निवेशकों से संबंधित कुछ अधिकार कंपनी कानून बोर्ड के पास हैं और निगम के ऋण संबंधी दिवालियापन के कुछ अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। इसलिए दिए गए सुझावों के साथ ही एक विचार भी प्रकट किया गया था कि विभिन्न मंचों, जिन पर विभिन्न निगमित विधायी मामलों जमाकर्त्ताओं, निवेशकों और शेयरधारकों के अधिकारों संबंधी मामले निपटाये जाते हैं, विविधता बनी रहे या इस पर व्यापक दृष्टिकोण संभव हो सकता है।

सरकार ने न्यायाधीश इराड़ी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति द्वारा दिए गये बहुमूल्य सुझावों पर गौर किया जा रहा है। इसलिए न्यायधीश इराड़ी समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय इस व्यापक विधेयक के इस महत्वपूर्ण पहलू पर सौहार्दपूर्ण ढंग से विचार किया जाएगा और आशा है कि जल्दी ही यह पहलू भी मूर्तरूप ले लेगा और ये दिन दूर नहीं होगा।

कई, मुद्दे उठाये गये हैं और कई मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं। कई उपबन्धों को बहुत लाभप्रद समझा गया है और अन्य उपबधों के संबध में, कुछ सुझाव दिए गये।

मुझे लगता है, श्री शिवराज पाटील ने, अपने अनुभवों के आधार पर एक मूल्यवान सुझाव यह दिया कि इस विधान के अतिरिक्त संपूर्ण निगमित ढांचे के प्रशासन और उसके प्रबंधन के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। मैंने इस सुझाव को मान लिया है और मैं माननीय मंत्री को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि आज, जब हमने निजी कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण

[श्री अरूण जेटली]

की निम्नतम सीमा को एक लाख रुपये और सार्वजनिक कंपनियों की रजिस्ट्रीकरण की सीमा को 5 लाख रुपये बढ़ाया गया है इसका कारण यह था कि हम उन कंपनियों पर अधिक भार डालना चाहते थे जिनका कंपनियों के साथ रजिस्ट्रीकरण हुआ है और संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है और जो कोई व्यवसाय नहीं कर रहीं है तथा उन को हतोत्साहित करना था ताकि वे हट जाए क्योंकि उन्होंने केवल अनावश्यक जगह घेर रखी थी।

उनमें से कई तो अपना वार्षिक विवरणी नहीं भर रही हैं। इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना एक कठिन कार्य है इसके लिए अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए, सरकार ने इस संबंध में इस वर्ष कपनी कानून परिनिर्धारण योजना शुरू की है। कंपनी कानून परिनिर्धारण योजना यह थी कि जो कंपनियाँ प्राय: मृतप्राय हैं, जो अपनी विवरणी नहीं भर रही हैं उनको हम एक निश्चत जुर्माने की राशि के साथ यह विकल्प देते हैं कि वे यह कर्य शुरू करें। इस योजना का दूसरा हिस्सा जो आज लागू है उसके अन्तर्गत उसके लिए शीघ्र समापन नियम ही बनाया गया है। यह इसलिए कि, यदि आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो बजाय, कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय पर भारी बोझ है तो, आप कंपनियों के पंजीकरण को रद्द करने का निवेदन कर सकते हैं और 37 दिनों की अवधि में ही आपका पंजीकरण रद्द हो जाएगा। इससे इकट्ठा की गई राशि नि:संदेह भारत की संचित निधि में डाल दी जाएगी और हम कुछ अनुदान को इस उद्देश्य के लिए वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आर. ओ. सी. कार्यालयों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से कार्यालय के संपूर्ण कार्य को कंप्यूटराइज्ड किया जा सके और इससे विवरणी, तुलनपत्र का निरीक्षण, कंपनियों के दस्तावेज का निरीक्षण को कम्प्यूटरों द्वारा किया जा सकता है। यह प्रक्रिया अलग से शुरू है जिससे कंपनी की कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण किया जा सके।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के संबंध में उठाया गया था। मैं इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहता हूँ। सामान्यत: कंपनी में मतदान कंपनी की आम बैठक या कंपनी की असाधारण आम बैठक में होता है मतदान करने का परंपरागत तरीका यह है कि यह तो आप स्वयं अथवा परीक्षण रूप से मतदान कर सकते हैं। अब, विशाल सार्वजनिक कंपनियों में, शेयरधारकों के लिए यह संभव नहीं होता कि वह देश के प्रत्येक कोने से केवल मतदान करने के लिए उपस्थित रहें क्योंकि आम बैठक में उपस्थित होने के लिए होना वाला खर्च उनको प्राप्त होने वाले लाभांश राशि से अधिक होता है।

इसलिए, श्री पाटील को लीगों द्वारा प्राक्सि मतदान की वर्तमान पद्धति के बारे में आशंका है।

इसे समाप्त करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि निगमित प्रशासन के कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ विशाल भागीदारी की आवश्यकता है, सरकार समय-समय पर निगमित प्रशासन के इन क्षेत्रों को जिन पर उन संकल्पों के बारे में अधिसूचित कर सकती है मतदान डाक मतदान डाक मतपत्र से होगा। स्थाई समिति ने इलेक्ट्रोनिक मतदान का सुझाव दिया है हमने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है और 'डाक मतपत्र' की परिभाषा में इलेक्ट्रोनिक मतदान को सम्मिलित करना चाहिए जिससे, शेयरधारक यह कह सके कि, "मैं कंपनी की वार्षिक आम बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता। मैं प्रोक्सि के रूप में किसी और को मतदान का अधिकार देकर मैं अपने हाथ नहीं काट सकता। मैं, डाक द्वारा, अपने घर बैठ कर, मतदान करूंगा और यह कंपनी का कर्तव्य है कि डाक- मतपत्र द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए मुझे संकल्प और सभी सुविधाएँ प्रदान करें"। इसलिए, जहाँ तक डाक मतपत्र का संबंध है, यह सही दिशा में लिया गया कदम है, जिससे शेयरधारकों को कंपनी की आम-बैठक या विशेष बैठक में लिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों मे अधिक भागीदारी मिल सके।

यह सुझाव भी दिया गया है कि क्या लाभांश का भुगतान करने की '30 दिनों' की अवधि अपर्याप्त होगी, इसलिए, कुछ निदेशक व्यवसायिक हों जिन्हें कम्पनी द्वारा लाभांश का भुगतान करने की स्थिति में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यदि हम खंड 88 का विश्लेषण करें तो, हमने जानबूझ कर "जो भी जानबूझ कर देरी करता है" शब्द का इस्तेमाल किया है। इसलिए, कानूनी अपराधी, अपराधी प्रवृत्ति शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं कि आपको 30 दिनों के भीतर लाभांश देना है। सच्चाई यह है कि इसके अतिरिक्त स्थायी समिति को "अंतरिम लाभांश के लिए, 30 दिनों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, उसे "5 दिनों के अंदर" ही दिया जाना चाहिए। यदि कम्पनी एक बार अपनी अंतरिम लाभांश घोषित कर देती है, जो कम्पनी को पता होता है कि उसे प्रत्येक शेयरधारको को लाभांश देना है और इसलिए इसे पांच दिनों का समय दिया जाना चाहिए ताकि यह लाभांश उसे मिल सके। यदि डाक विभाग की देरी के कारण किसी को लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके लिए जो उसके नियंत्रण के बाहर है वह जिम्मेदार नहीं होगा परन्तु यदि कोई जानबूझकर और जानते हुए लाभांश की अदायगी में देरी करता है या स्वयं ऐसा कोई कार्य करता है, जिससे शेयरधारकों के हितों को नुकसान पहुँचे, तो उस के लिए निदेशक को जिम्मेदार ठहराया जायेगा इसलिए जहाँ तक इस धारा का संबंध है, संपूर्ण उत्तरदायित्व को एक शब्द 'जानते हुए' में समेटा गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण निगमित प्रशासन की एक अवधारणा है जो सभी निदेशकों पर लागू होती है। इसका उद्देश्य यह है कि स्थाई लेखा मानदंड हो। श्री रूपचंद पाल ने सही कहा था कि कंपनी के लेखाओं के मामले में, जहाँ तक कंपनी का संबंध है, ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए, जिससे प्रणाली के हितों को या शेयरधारकों या निवेशकों के हितों को नुकसान पहुँचे।

वर्षों से ऐसा लेखा मानक बनाए गये हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं। इन मानकों के बारे में कम्पनी को पता है। सावधानी पूर्वक चुने गए कम्पनी के निदेशक इन मानकों को जानते हैं और जब वे कम्पनी के प्रबंधकों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, और जब वे कम्पनी के तुलपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं तो उन्हें पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए कि इन मानकों का पालन किया गया है और किसी के हितों के विरुद्ध कोई हेराफेरी तो नहीं की जा रहीं है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि कुछ निदेशकों पर तो जिम्मेदारी डाली जाए और कुछ पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जाए क्योंकि वे एक खास व्यवसाय के हैं और उन्हें इस उपबंध में छूट मिलनी चाहिए। जहां तक कम्पनी का सवाल है यह उपबंध सभी निदेशकों पर समान रूप से लागू होता है।

खण्ड 122 के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि न तो सरकार पर ही कोई दबाव है, न संसद पर और न ही स्थायी समितियों पर सभी के विचार विमर्श के बाद ही कोई उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

सायं 6.54 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब स्थायी समिति ने यह महसूस किया कि वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं है यह वाद-विवाद का ही भाग है इसके बारे में स्थाई समिति पर कोई दवाब नहीं है। जब सरकार को स्थाई समिति की सिफारिशें दोबारा प्राप्त हुई और अंतिम सिफारिशों में उसके विचारों को देखकर सरकार ने मामले पर पुन: विचार किया। जब हमने मामले पर पुनर्विचार किया तो हमने छोटे शेयरधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। दरअसल छोटे शेयरधारकों के हितों को ध्यान में दखते हुए कई कड़े उपबंधों को लाया गया है जैसे लाभांश का समय पर भुगतान करना, छोटे निवेशकों को भुगतान, उनकी राशि की वापसी, पैसा बटोरने वाली ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना जो छोटे निवेशकों का ध्यान नहीं रखती हैं इत्यादि। कंपनी अधिनियम की धारा 397 के अधीन छोटे निवेशकों को अधिकार होगा कि वे कंपनी के खराब प्रबंधन और अपने हितों की अनदेखी करने पर कार्यवाही कर सकें। इसी तरह, छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने और पारदर्शिता लाने के लिए कई कड़े उपबन्ध किए गये हैं।

इस विशेष सुझाव के बारे में दो प्रकार के दृष्टिकोण व्यक्त किए जा रहे हैं। इसके पहले कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। स्थाई समिति का भी प्रारंभिक विचार यही था कि इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार ने यह महसूस किया था कि हमें वास्तव में ऐसा करना चाहिए। क्या शुरू में ही उसे अनिवार्य उपबंध या वैकल्पिक अपबंध बनाया जाना चाहिए? ऐसे कई मामले हो सकते हैं। श्री शिवराज पाटील ने सही कहा है कि इसका दुरुपयोग होगा। इसका शेयरधारकों के हितों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे छोटे निवेशकों के प्रतिनिधि को बोलना पड़ेगा। इस उपबंध को बनाए रखने के लिए यह तर्क दिया गया। इस बात का भी भय था कि निगम क्षेत्र के प्रतिस्पर्द्धा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है या पक्षपात के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता हैं। इसलिए एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें शुरू में कम्पनियों को यह प्रयोग करने का विकल्प दिया जाए। शुरू के कुछ प्रमाण देखने के बाद संसद संशोधन के लिए तैयार है क्योंकि निगमित प्रशासन ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर अधिनियम पारित होने के बाद विचार ही न किया जाए। यह प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। अंतत: इसमें कई सुधार होने हैं। जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में विधायिका पूरी तरह जागरूक है। इसलिए सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जिसमें स्थायी समिति के सदस्यों के सुझाव, सरकार के मूल विचार, उद्योगों के विचार, निवेशकों के विचार शामिल हैं हमने यह उचित समझा है कि शुरू में इसे अनिवार्य के बजाए प्रयोग के तौर पर शुरू किया जाए।

महोदय, लेखा समिति की शक्तियों के बारे में टिप्पणी की गई है। कई सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि लेखा समिति को बोर्ड के प्रति बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। लेखा समिति बड़े महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह कम्पनी की पूरी लेखा व्यवस्था का अध्ययन करती है और अपने सुझाव देती है। ये सुझाव दोष ढूंढने या कम्पनी प्रबंधन ढांचे को खराब करने के उद्देश्य से नहीं दिए जाते किन्तु जहां कम्पनी का खाता प्रक्रिया में छेड़छाड़ की जाती है, जहां व्यापक हितों के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं वहां सुझाव दिए जाते हैं क्योंकि आज निगमित प्रशासन और कड़े लेखा मानक हैं। हमने इनको रोकने के लिए ये सुझाव व्यक्त किए हैं। इसलिए हमने यह सुझाव दिया कि लेखा समिति की प्रतिकूल टिप्पणियों को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इन पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें मोटे अक्षरों में छापना चाहिए उन्हें हस्ताक्षर करने चाहिए ताकि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में लेखा समिति की टिप्पणियों को देखकर कोई भी शेयरधारक उन टिप्पणियों पर ध्यान दे सके। लेकिन इसमें काफी अन्तर है कोई सुपर बोर्ड नहीं है। लेखा समिति के स्वतंत्र कार्य हैं कम्पनी बोर्ड इसकी नियुक्ति करता है। इसकी सिफारिशों को बोर्ड अनदेखा नहीं कर सकता है इसकी सिफारिशें बोर्ड के लिए बाध्यकारी हैं। यदि यह सुझाव देती है कि लेखा में परिवर्तन किए जायें तो बोर्ड को यह सुझाव स्वीकार करना पड़ेगा तथापि वे कम्पनी के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। यह एक सूक्ष्म भेद है। इस मामले में कंपनी की वार्षिक बैठक से तात्पर्य है। इसलिए, यदि लेखा समिति कोई सुझाव व्यक्त करती है तो सामान्यत· बोर्ड उसे स्वीकार कर लेगा किन्तु बोर्ड यह नहीं कह सकता कि वह लेखा समिति को प्रत्येक बात की उपेक्षा करता है। यदि बोर्ड किसी बात से असहमत है तो कम्पनी के शेयरधारकों को सूचित किया जाएगा। निगमित लोकतंत्र में कम्पनी के शेयरधारक को ही फर्क पड़ता है।

श्री बनातवाला, लेखा समिति लेखा प्रबंधन के बारे में जो कुछ कहेगी उसे मोटे और तिरछे अक्षरों में सूचित किया जाएगा। यदि बोर्ड असहमत है, तो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक की अंतिम निर्णय लेंगे। दरअसल यही सर्वोत्तम निगमित प्रशासन और निगमित लोकतंत्र होगा। इसलिए, ये बोर्ड के लिए ही बाध्यकारी होंगे किन्तु कम्पनी अपनी आम वार्षिक बैठक से भिन्न निर्णय भी ले सकेगी। इसका पूरा विश्वास है।

मैं एक व्यावहारिक स्थिति बताना चाहता हूं। बोर्ड यदि कुछ विपरीत कार्य करता है तो लेखा समिति उसके विरुद्ध कह सकती है। हो सकता है कि बोर्ड यह कहे कि उसे यह स्वीकार नहीं है किंतु अंत में, जिम्मेदारी शेयरधारकों की ही होगी। इसलिए, यह एक महत्वपूर्ण उपबंध है जो यह सब बातें सोचकर ही बनाया गया है।

श्री शिवराज वि॰ पाटील (लातूर): यह व्यवस्था खण्ड 138क में है। वित्तीय प्रबंधन जिसमें लेखा परीक्षा रिपोर्ट वित्तीय प्रबंधन और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट शामिल है से संबंधित विषय पर लेखा समिति की सिफारिशों को मानने के लिए बोर्ड बाध्यकारी होगा। अब, यदि लेखा समिति, कंपनी के प्रतिकूल रिपोर्ट देती है तो यह ठीक है। किंतु यदि लेखा समिति की रिपोर्ट में दूसरों के साथ पक्षपात होगा तो क्या होगा? इसमें हेरफेर की गुंजाइश है।

श्री अरूण जेटली: मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। धारा 292(क) के खण्ड 8 और खण्ड 9 को मिलाकर पढ़ना चाहिए। लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंधन से संबंधित किसी भी विषय पर लेखा समिति की सिफारिश को मानने के लिए बोर्ड बाध्य होगा। बोर्ड कहेगा कि यह मुझे स्वीकार है। उसमें तीन कमियाँ हैं, मैं इन्हें पूरा करूँगा। लेकिन बोर्ड यह भी कह सकता है कि मैं असहमत हूँ। कुछ सदस्य यह भी कह सकते हैं कि लेखा समिति और बोर्ड मिले हुए हैं तो कंपनी के हितों की रक्षा कैसे होगी।

सायं 7.00 बजे

खण्ड (9) के अनुसार, लेखा समिति का अध्यक्ष कम्पनी की आम वार्षिक बैठक में भाग लेगा ताकि वह लेखा परीक्षा से संबंधित मामलों पर स्पष्टीकरण दे सके क्योंकि इसमें ही खातों को अंतिम स्वीकृति दी जाएगी इसलिए निगमित प्रशासन और निगमित लोकतंत्र से ही ये उपबन्ध किया गया है कि भले ही यह विपरीत हो या व्यर्थ हो लेकिन अंततः हमें इन प्रश्नों को विचार के लिए अर्थात् शेयरधारकों के विवेक पर ही छोड़ना होगा।

श्री किरीट सोमैया ने छोटे निवेशकों के हित से संबंधित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। छोटे निवेशकों के समस्त आन्दोलन में वे आगे रहे है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं श्री रूपचन्द्र पाल की उस बात से भी सहमत हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ कंपनियां गायब हो गई हैं। वास्तव में गायब हो जाने वाली कंपनियों का विवरण हमने निःसंकोच दिया। ऐसा नहीं है कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। चूंकि हमने उदारीकरण के क्षेत्र को विस्तार किया है, कंपनियों को बाजार से पूंजी उगाहने की अनुमति दे दी है तथा कंपनियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो इस के साथ साथ अपराध और कदाचार के मामले भी प्रकाश में आए हैं। छोटे शेयरधारकों तथा छोटे पूंजीनिवेशकों को ठगा गया है।

जैसा कि श्री किरीट सोमैया ने इस सभा में बार बार यह मामला उठाया है कि एन॰ डी॰ एफ॰ सी॰ में अपना धन जमा करने वालों में से बहुत अधिक लोगों ने अपना धन खो दिया है। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि उन एन॰ डी॰ एफ॰ सी॰ से निपटने के लिए तथा उनमें धन जमा करने वालों के हित की रक्षा के लिए एक विशेष विधान लाने वाले हैं।

जहां तक अन्य क्षेत्रों का संबंध है, उन्होंने ठीक कहा कि आज सी॰ एल॰ बी॰ की चार क्षेत्रीय शाखाएं हैं। वास्तव में हमने यह घोषणा पहले ही कर दी है कि चैन्नई शाखा एक स्थाई शाखा है। वह सी॰ एल॰ बी॰ की एक पीठ है। इराडी समिति-जिसकी सिफारिशों पर इस समय कार्य चल रहा है-इस समय वह केवल एक सिफारिश मात्र है - ने वास्तव में यह सुझाव दिया है कि बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ से सी॰ एल॰ बी॰ से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित कारपोरेट न्याय के समस्त मुद्दों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कंपनी कानून न्यायाधिकरण होना चाहिए।

अब, यदि एक बार इस प्रकार की स्थिति बनती है तो एक अत्यन्त व्यापक संस्था का गठन होगा। यह स्पष्ट है कि इसके लिए हमें स्टाफ की जरूरत होगी, पीठों की आवश्यकता होगी इस संस्था को संचालित करना होगा क्योंकि जहाँ तक इस संस्था का संबंध है हम इसे बहुत से अधिकार दे रहे हैं। जैसा कि बहस के बीच में हस्तक्षेप करते हुए मैंने कहा था, धारा 88 (क) को संशोधित कर दिया गया है और आज संशोधन यह है कि कंपनी का यह दायित्व है कि वह सी॰ एल॰ बी॰ को सूचित करे कि वह चूमकर्त्ता हो गई है। बोर्ड को सूचना देने के बाद कंपनी का यह भी दायित्व है कि बोर्ड के निदेशों पर एक निश्चित समय सीमा के अंदर धनराशि का भुगतान करे। उसके द्वारा और अधिक धन जुटाये जाने पर रोक लगायी गयी है। यह भी उसका दायित्व कि संस्थाओं से अग्रिम लेने पर पहले वे जमाकर्त्ताओं को अग्रिम का भुगतान करें। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में तीन माह के कारावास जैसे आपराधिक दण्ड का विधान है। अब इस प्रकार के व्यापक प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि इस प्रकार के कार्यों पर रोक लगाई जा सके।

जहां तक चार्टर्ड एकाउन्टैण्ट्स से संबंधित प्रावधान का प्रश्न है, मूल अधिनियम उस पर एक प्रकार का प्रतिबंध था। उसमें सीमा थी कि कोई भी अधिक से अधिक 20 आडिट कर सकता है। यह सीमा इस आधार पर रखी गई थी कोई भी अधिक से अधिक से अधिक 20 आडिट कर सकता है, वह 20 पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित कर सकता है। आज हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को इसमें से बाहर कर रहे हैं तो अंततः चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट के व्यवसाय में लगे लोगों के लिए यह अतिरिक्त सुविधा हो जाती है। पहले तो वह केवल 20 का आडिट कर सकता था अब वह 20 अन्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का भी आडिट कर सकता है। वे कंपनियां बड़ी भी हो सकती हैं, वह कंपनियां छोटी भी हो सकती है। वास्तव में, उदारीकरण की दुनिया में इस सीमा को बढ़ाया जा रहा है।

अब मुझे इस प्रकार के सुझाव की आशा नहीं है कि केवल सीमा को समाप्त किए जाने से अपनी योग्यता से आडित करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टैंट के पास काम और बढ़ जाएगा। अंततः यह निश्चित करना उस कंपनी का काम है जिसका आडिट किया जाना है। यदि कोई बहुत अधिक व्यस्त है, उस कंपनी का आडिट करने नहीं जाता है तो कंपनी किसी और के पास जा सकती है। क्या आज के दौर में हमें इन प्रावधानों का उदारीकरण करना चाहिए या उन्हें कठोर बनाना चाहिए। यही वह मुद्दा है जिस पर इस माननीय सभा को इस विधेयक में विचार करना है। मैं इस सभा में इस बात की प्रशंसा करना चाहता हूं कि यही वह अतिरिक्त सुविधा है जो कि चार्टर्ड एकाउन्टैट को प्रदान की गई है।

श्री रूपचन्द पाल यह जानना चाहते थे कि वे उचित आदेश कौन से हैं जिसे जारी करने की शक्तियां सी॰ एल॰ बी॰ के पास है। सी॰ एल॰ बी॰ वह अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी है जिसमें सभी शक्तियां निहित की गई हैं। न्याय के हित को सुनिश्चित करने के लिए जब न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बनाए जाते हैं तो आप यह बताकर कि इन मामलों में आप इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या किसी प्रकार परिभाषित या वर्णनात्मक तरीके से उनकी शक्तियों को कम नहीं कर सकते हैं। आप लम्बे-लम्बे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं ताकि न्यायिक हित के लिए उपयुक्त अर्थ निकाले जा सकें, वही उपयुक्त आदेश होंगे। उपयुक्त आदेश वहीं होंगे जो कि अन्याय तक पहुंच सकेंगे।

'उपयुक्त आदेश' वाक्यांश का प्रयोग सोच समझकर किया गया है ताकि कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा पारित किए जाने वाले पांच या छः आदेशों से क्षेत्राधिकार को सीमित नहीं किया जा सके। चूंकि हम इसे बहुत अधिक प्राधिकार दे रहे हैं अतः हमारी यह भी आशा है कि इस प्राधिकरण के कार्यकरण में इन बातों को ध्यान में रखा जाए।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य अनेक मुद्दे हैं। हम कंपनी नियमों को और अद्यतन बनाने की प्रक्रिया में हैं। हम इसे कारपोरेट संचालन के अतिरिक्त अपनी अर्थव्यवस्था के बदलते दौर के अनुरूप बना रहे हैं।

अनेक अच्छे सुझाव दिए गए हैं। यह अन्तिम समय नहीं है जबकि कंपनी के कानून को समय के अनुरूप बनाया जा रहा है। जैसा कि डा० नीतिशसेन गुप्ता ने कहा, 'सूर्य अस्त हो रहा है।' लेकिन सूर्य यदि कहीं छिपता है तो अत्यंत उदय भी होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है इसलिए कंपनी कानून के विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। प्रतिदिन कारपोरेट संचालन की नई नई अवधारणाएं आएंगी तथा निश्चित रूप से किसी न किसी दिन दिए गए सुझावों को सरकार मानेगी। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य स्पष्टता, कारपोरेट संचालन तथा उनकी जिम्मेवारी है जिनके पास इसके संचालन के लिए सरकारी धन पड़ा है। यह विधेयक इसी इरादे से लाया गया है। इसीलिए इसका अनुमोदन सभी राजनीतिक दलों की स्थाई समिति द्वारा किया गया है।

अतः मैं सिफारिश करता हूं कि किए गए सरकारी संशोधनों सहित इस विधेयक को स्वीकार किया जाए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मैंने दो विशेष मुद्दों का उल्लेख किया है उसमें से एक छोटे निवेशकों और जमाकर्ताओं की जमा राशि पर बीमा कवरेज की आवश्यकता से संबंधित है।

दूसरा मुद्दा लागत एवं कार्य लेखा संस्थान की अनियमितता से संबंधित है जहां पर संस्थान की जांच में गंभीर अनियमिततायें तथा कदाचार पाये जाते हैं। कंपनी विधि बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं लेकिन उनकी अनेदखी कर दी गई है।

श्री अरूण जेटली: मुझे पूरा विश्वास है कि बीमा क्षेत्र के खुल जाने से तथा अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध होने से और भुगतान न करने के लिए निवारक प्रतिबंधों, जो हमने लगाये हैं से बाजार की शक्तियों द्वारा बहुत सी कंपनियों पर यह दबाव पड़ेगा कि वे सुरक्षित मार्ग चुनें, यह मार्ग बीमा का ही हो सकता है।

जहां तक आडिट एजेन्सियों की स्वतन्त्रता का सवाल है, हमने इस दिशा में शुरूआत की है। वास्तव में, कुछ सुझाव थे: क्या आप लेखापरीक्षा समिति को और अधिक शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं? हम इसे एक उचित सीमा तक शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं, इतना नहीं कि वह शेयरधारकों के हित को कुचल सके बल्कि उसे बोर्ड की तरह ही प्राधिकार हो क्योंकि हम चाहते हैं कि यह निकाय स्वायत्तशासी एवं शक्तिशाली हो ताकि जहां भी अनियमितता हो वह अपनी उंगली उठा सके। हमने इन सभी बातों को अपने ध्यान में रखा हुआ है और इसलिए हम ऐसा विधान लाये हैं जो कि कानून को और अधिक शक्तिशाली बनाता है।

श्री पी० एच० पांडियन (तिरूनेलवेली): मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। धारा 58 (क) का अभिप्रेत छोटे निवेशकों के हित की रक्षा करना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नियत समय के अन्दर इसका पालन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी या बुनियादी सुविधाएं हैं। धारा 58(क)(क) को संज्ञेय अपराध समझा जाता है, यह 621 और 624 के उपबंध के साथ है। माननीय मंत्री जी का क्या कहना है? क्या हम इसे संज्ञेय अपराध मान सकते हैं?

श्री अरूण जेटली : वास्तव में, हमने केवल दण्ड में वृद्धि ही नहीं की है, हमने इसे अधिनियम में ही संज्ञेय बना दिया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपराधों को इस अधिनियम के अधीन संज्ञेय बना दिया गया है।

दूसरे अपनी बात की पुनरावृत्ति करते हुए मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि कारपोरेट के संचालन के बारे में मैं कह चुका हूं कि कंपनी विधि बोर्ड की इन अतिरिक्त शक्तियों में शेरधारकों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है क्योंकि कुछ कानून पहले से ही लागू हैं। चाहे कंपनी विधि बोर्ड या जो भी संस्था बने, क्योंकि हमारे पास न्यायपूर्ति इराडी समिति की सिफारिशें भी हैं, एन० बी० एफ० सी० भी है जो चाहता है कि विधान पर कार्य शुरू हो तथा इसे शक्तियां दी जाएं। निश्चित इस संस्थान को न केवल कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से मजबूत बना देना अपितु उसकी पीठों को भी मजबूत बनाना होगा। इसलिए हम इस प्रकार की प्रणाली बनाना चाहते हैं। जिसमें इस संस्थान के पास बहुत अधिक शक्तियां होंगी, इनका प्रावधान कुछ प्रस्तावित कानूनों में किया गया है।

इसलिए मैं श्री पांडियन द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करता हूं। शायद यह पर्याप्त न हो क्योंकि आप इसे इतनी अधिक शक्तियां देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका निपटान 30 दिन के अंदर कर दिया जाए। लेकिन हमें उस संरचना को मजबूत बनाना है।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय मेरा स्पष्टीकरण डाक मतपत्र से संबंधित है। किसी कंपनी में बहुत से शेयरधारक होते हैं। क्या इतने अधिक लोगों को डाक मतपत्र भेजना व्यावहारिक रूप से संभव होगा। मैं इसी प्रश्न पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अरूण जेटली: महोदय, क्या मैं एक पदबन्ध का प्रयोग कर सकता हूं जिसका प्रयोग हम प्रायः कारपोरेट प्रबंधन में करते हैं वह है अल्पतन्त्र–थोड़े लोगों द्वारा शासन–यही एक प्रश्न भी है जो कि उठाया गया है, यह कुछ लोगों द्वारा किया गया शासन है क्योंकि सामान्य शेयरधारक इसमें रुचि नहीं लेता है। केवल कुछ शेयरधारक उपस्थित होते हैं और कुछ के मत एकत्रित किए जाते हैं और इसलिए केवल 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत के द्वारा ही आप ए०जी०एम० को चला सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रणाली का प्रस्ताव किया जा रहा है - कम से कम एक प्रयास किया जा रहा है-सभी शेयरधारकों के पास डाक मतपत्र भेजे जाएं, भले की शेयरधारकों की संख्या 5000 से या 20000 तथा उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया जाए। हमें अपनी प्रणाली की जानकारी है जिसमें कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन हमारे पास जो वर्तमान प्रणाली है उससे निश्चय ही सुधार होगा। वर्तमान प्रणाली में शेयरधारक को यह सुविधा है कि वह स्वयं उपस्थित हो या अपने बदले किसी को मत डालने का अधिकार दे।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न यह है :

"कि कंपनी अधिनियम 1956 मे और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडकर विचार आरंभ करेगी।

खण्ड 2

धारा 2 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 1,पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"(क) खंड (1) को खंड (1क) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड से पूर्व निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(1)"संक्षिप्त प्रास्पेक्टस" से ऐसा ज्ञापन अभिप्रेत है जिसमें प्रास्पेक्टस की ऐसी मुख्य बातें हो जो विहित की जाएं;'।

(कक) खंड (3) और खंड (4) का लोप किया जाएगा।"। (3)

पृष्ठ 1, पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"(क) खंड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(12क) "निक्षेपागार" का वही अर्थ है जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में है;

(12ख) "व्युत्पन्न" का वह अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ककक) मे हैं;।" (4)

पृष्ठ 1,पंक्ति 11 के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"(खक) खंड (15) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(15क) "कर्मचारी स्टॉक विकल्प" से ऐसा विकल्प अभिप्रेत है जो किसी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों' अधिकारियों या कर्मचारियों को दिया जाता है और जो ऐसे निदेशकों, अधिकारियों या कर्मचारियों, को, किसी भविष्यवर्ती तारीख पर कंपनी द्वारा पूर्वावधारित कीमत पर प्रस्थापित प्रतिभूतियों को क्रय करने या उसमें प्रतिश्रुत करने का फायदा या अधिकार देता है;।"

"(खख) खंड (19) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(19क) "मिश्र" से ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है जिसकी प्रकृति एक से अधिक प्रकार प्रतिभूतियों की होती है और जिसके अंतर्गत उनके व्युत्पन्न भी हैं;

(19ख) "सूचना ज्ञापन" से प्रास्पेक्टस फाइल करने से पूर्व की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के लिए मांग की जाती है और ऐसी प्रतिभूतियों के लिए निर्गमन की कीमत और निर्बंधन नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन या दस्तावेज के माध्यम से निर्धारित किया जाता है;।"

"(खग) खंड (23) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(23क) "सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी" से ऐसी पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उसकी प्रतिभूतियों में से कोई प्रतिभूति है;"। (5)

पृष्ठ 1, पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(घक) खंड (31) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(31क) "प्रतिभूति विकल्प-करार" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (घ) में है'।" (6)

पृष्ठ 1, पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(डक) खंड (45क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(45ककक) "प्रतिभूति" से ऐसी प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित हैं और इसके अन्तर्गत मिश्र भी है;'।"।

"(डख) खंड (46) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(46क) "विशेष अधिकार सहित शेयर" से ऐसा शेयर अभिप्रेत है जो धारा 86 के उपबंधों के अनुसार विशेष अधिकारों के साथ निर्गमित किया जाता है;'।"। (7)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

धारा 3 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 22, में "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 2, पंक्ति 26 में, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, " कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

"(6) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात्, धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी से, इस धारा में विनिर्दिष्ट न्यूनतम समादत्त पूंजी रखना अपेक्षित नहीं होगा।"। (10)

(श्री अरूण जेटली)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 2, पंक्ति 29, -

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए-

"अथवा यदि उसकी सदस्य संख्या पचास से कम है तो वह स्वयं को प्राइवेट कंपनी के रूप में संपरिवर्तित करेगी।" (48)

पृष्ठ 2, पंक्ति 31, -

"में विनिर्दिष्ट रीति में अपनी समादत्त पूंजी को बढ़ाने में असफल रहती है" के स्थान पर "के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है" प्रतिस्थापित किया जाए। (49)

पृष्ठ 2, -

पंक्ति 33, के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

"परंतु जहां किसी निष्क्रिय कंपनी के प्रतिभूत लेनदार हैं, वहां संबंधित निष्क्रिय कंपनी का नाम इसके प्रतिभूत लेनदारों को अपनी प्रतिभूति का प्रवर्तन करने के लिए समर्थ बनाने के सीमित प्रयोजन हेतु रजिस्ट्रर में दर्ज हुआ समझा जाएगा।" (50)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा खंड 3 के संबंध में रखे गये संशोधन सं. 48, 49, और 50 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 से 6 विधेयक मे जोड़ दिये गये।

खंड 7

नई धारा 17क का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 से पंक्ति 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, -

"राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का परिवर्तन।

"17क, (1) कोई कंपनी किसी राज्य के भीतर अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तब तक परिवर्तित नहीं करेगी जब तक कि ऐसे परिवर्तन की प्रादेशिक निदेशक द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है।

(2) कंपनी, उपधारा (1) के अधीन पुष्टि के लिए प्रादेशिक निदेशक को विहित प्ररूप में आवेदन करेगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पुष्टि, कंपनी के ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भतर संसूचित की जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के उपबंध केवल ऐसी कंपनियों को ही लागू होंगे जो उसी राज्य के भीतर एक कंपनी रजिस्ट्रार की अधिकारिता से किसी अन्य कंपनी रजिस्ट्रार की अधिकारिता में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय परिवर्तित करता है।

(4) कंपनी रजिस्ट्रार के पास इस धारा के अधीन अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए प्रादेशिक निदेशक द्वारा पुष्टि की प्रमाणित प्रति, पुष्टि की तारीख से दो मास के भीतर इस प्रकार परिवर्तित ज्ञापन की मुद्रित प्रति के साथ फाइल करेगी और

रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर करेगा तथा ऐसे दस्तावेज फाइल किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर अपने हस्ताक्षर से रजिस्ट्रीकरण को प्रमाणित करेगा।

(5) प्रमाणपत्र निश्चायक साक्ष्य होगा कि पवितंन और पुष्टि की बाबत इस अधिनियम की सभी अपेक्षाएं पूरी कर दी गई हैं और इस प्रकार परिवर्तित ज्ञापन कंपनी का ज्ञापन होगा।"। (11)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक काप अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 से खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 12

धारा 43क का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 20 से पंक्ति 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

'12. मूल अधिनियम की धारा 43क में-

(क) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(2क) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट पब्लिक कपंनी, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् प्राइवेट कंपनी हो जाती हैं, वहां ऐसी कंपनी रजिस्ट्रार को इस बारे में सूचना देगी कि वह प्राइवेट कंपनी हो गई है और उस पर रजिस्ट्रार रजिस्टर में कंपनी के नाम में "पब्लिक कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "प्राइवेट कंपनी" शब्द रखेगा और कंपनी को जारी किया गया निर्गमन प्रमाणपत्र उसके संगम ज्ञापन में कंपनी द्वारा किए गए आवेदन की तारीख' से चार सप्ताह के भीतर आवश्यक परिवर्तन भी करेगा।"

(ख) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(11) इस धारा में, उपधारा (2क) के सिवाए की कोई बात कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात लागू नहीं होगी"। (12)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 16

नई धारा 55क का अन्त:स्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 35 से पंक्ति 3 के स्थान का निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

"55क. धारा 55 से धारा 58, धारा 59 से धारा 81, धारा 108, धारा 109, धारा 110, धारा 112, धारा 113, धारा 116, धारा 117, धारा 118, धारा 119, धारा 120, धारा 121, धारा 122, धारा 206, धारा 206क धारा और 207 में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां जब तक उनका संबंध प्रतिभूतियों के निर्गमन और अंतरण तथा लाभांश के असंदाय से है;-

(क) सूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों की दशा में;

(ख) ऐसी पब्लिक कंपनियों की दशा में जो अपनी प्रतिभूतियों को भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के आशय रखता है, की दशा में,

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा प्रशासित होगी।

(ग) किसी अन्य दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित होगी।

स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि प्रास्पेक्टस, प्रास्पेक्टस के बदले विवरण, आवंटन की विवरणी, शेयरों का निर्गमन से और अमोचनीय अधिमानी शेयरों के मोचन से संबंधित विषयों सहित सभी अन्य विषयों की बावत सभी शक्तियों का प्रयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, कंपनी विधि बोर्ड या कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। (13)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधयेक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 17 और 18 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 19

नई धाराओं 58 कक और 58 ककक का अन्त:स्थापन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 4, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन सूचना मासिक तौर पर दी जाएगी।"। (14)

पृष्ठ 5, पंक्ति 35 से पंक्ति 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "छोटे निक्षेपक" से ऐसा निक्षेपक अभिप्रेत जिसने किसी कंपनी में किसी वित्तीय वर्ष में बीस हजार रुपए से अनधिक राशि का निक्षेप किया है और उसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी, नामनिर्देशिती और विधि प्रतिनिधि भी है।'।

निक्षेपों की स्वीकृतियां या उनके प्रतिदाय में व्यक्तिक्रम का संज्ञेय होना।

58 ककक. (1) 621 और धारा 624 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 58क या धारा 58कक के अधीन निक्षेपों की स्वीकृति से संबंधित या उससे उदभूत प्रत्येक अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन संज्ञेय, अपराध होगा।

(2) कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन, किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवार पर भी करेगी, अन्यथा नहीं। (15)

(श्री अरूण जेटली)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 19 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं।

पृष्ठ 4, पंक्ति 13, -

"छोटे निक्षेपकों से" का लोप किया जाए। (51)

पृष्ठ 4, पंक्ति 18, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (52)

पृष्ठ 4, पंक्ति 22, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (53)

पृष्ठ 4, पंक्ति 28, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (54)

पृष्ठ 4, पंक्ति 32, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (55)

पृष्ठ 4, पंक्ति 33, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (56)

पृष्ठ 5, पंक्ति 2, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (57)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (58)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (59)

पृष्ठ 5, पंक्ति 9, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (60)

पृष्ठ 5, पंक्ति 12, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (61)

पृष्ठ 5, पंक्ति 19, -

"छोटे" का लोप किया जाए। (62)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 51 से 62 को सभा के मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 20 से 21 विधेयक में जोड़ दिये गए।

नियम 80 के खण्ड (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है, कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है, कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 21क

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

21क. मूल अधिनियम की धारा 60 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

'60क. (1) कोई लोक वित्तीय संस्था, पब्लिक सेक्टर बैंक या अनुसूचित बैंक जिसका मुख्य उद्देश्य वित्त पोषण करना है, शेल्फ प्रास्पेक्टस फाइल करेगी।

(2) रजिस्टर के पास शेल्फ प्रास्पेक्टस फाइल करने वाली कंपनी से ऐसे शेल्फ प्रास्पेक्टस की विधिमान्यता की अवधि के भीतर उसके द्वारा प्रतिभूतियों की प्रस्थापना के प्रत्येक प्रक्रम पर नए सिरे से प्रास्पेक्टस फाइल करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) शेल्फ प्रास्पेक्टस फाइल करने वाली कंपनी से, ऐसे समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, शेल्फ प्रास्पेक्टस के अधीन प्रतिभूतियों की दूसरी या दस्तावेज प्रस्थापना करने से पूर्व नए सृजित प्रभारों, वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों जो प्रतिभूतियों की प्रथम प्रस्थापना, प्रतिभूतियों की पूर्व प्रस्थापना के बीच वे हैं, से संबंधित सभी तात्विक तथ्यों पर सूचना ज्ञापन फाइल करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) सूचना ज्ञापन प्रतिभूतियों की प्रथम प्रस्थापना के प्रक्रम पर फाइल किए गए शेल्फ प्रास्पेक्टस के साथ जनता को जारी किया जाएगा और ऐसा प्रास्पेक्टस उस प्रास्पेक्टस के अधीन प्रतिभूतियों के प्रथम निर्गमन के खुलने की तारीख से, एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा:

परंतु जहां कोई अद्यतन सूचना, ज्ञापन प्रतिभूतियों की प्रस्थापना किए जाने के समय हर बार फाइल किया जाता है वहां ऐसा ज्ञापन और शेल्फ प्रास्पेक्टस के साथ प्रास्पेक्टस का गठन करेंगे।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(क)"वित्त पोषण" अवसंरचनात्मक वित्त पोषण में लगे हुए प्राइवेट औद्योगिक उद्यम या ऐसी अन्य कंपनी का जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, उधार देना या पूंजी में प्रतिश्रुत करना अभिप्रेत है;

(ख) "शेल्फ प्रास्पेक्टस" से किसी वित्तीय संस्था या बैंक द्वारा उस प्रास्पेक्टस में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां या प्रतिभूतियों के वर्ग के एक या अधिक नर्गमनों के लिए जारी किया गया प्रास्पेक्टस अभिप्रेत है;

60ख (1) प्रतिभूतियों का निर्गमन करने वाली पब्लिक कंपनी, प्रास्पेक्टस फाइल किए जाने से पूर्व सूचना ज्ञापन परिचालित कर सकेगी।

(2) सूचना ज्ञापन के द्वारा प्रतिश्रुत आमंत्रित करने वाली कंपनी प्रतिश्रुत सूचियां खोलने से पहले प्रास्पेक्टस फाइल करने और प्रस्थापना खोलने से कम से कम तीन दिन पहले भुलावा प्रास्पेक्टस के रूप में प्रस्थापना करने के लिए आबद्ध होगी।

(3) सूचना ज्ञापन और भुलावा प्रास्पेक्टस में वही बाध्यताएं होंगी जो प्रास्पेक्टस की दशा में लागू होती हैं।

(4) सूचना ज्ञापन और भुलावा प्रास्पेक्टस के बीच किसी अंतर को निर्गमन करने वाली कंपनी द्वारा अंतरों के रूप मे उजागर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "भुलावा प्रास्पेक्टस" से ऐसा प्रास्पेक्टस अभिप्रेत है जिसमें प्रस्थापित प्रतिभूतियों की कीमत और प्रस्थापित प्रतिभूतियों की मात्रा के रूप में पूर्ण विशिष्टियां नहीं हैं।

(5) ऊपर उपधारा (4) के अनुसार किए गए और उजागर किए गए प्रत्येक अंतर को प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिए प्रतिश्रुत करने के लिए आमंत्रित अलग-अलग रूप से संसूचित किया जाएगा।

(6) निर्गमन करने वाली कंपनी या निर्गमन के हामीदार द्वारा प्रतिश्रुत आमंत्रित किए जाने या नकदी के रूप में या उत्तरदिनांकित चेकों या विनिधान के रूप में अग्रिम प्रतिश्रुत प्राप्त करने की दशा में कंपनी या ऐसे निर्गमन के हामीदार या निर्गमन करने की तारीख से पूर्व उस अंतर के भावी प्रतिश्रुत करने वालों को अलग-अलग सूचना दिए बिना और ऐसे भावी प्रतिश्रुत करने वालों को अपने आवेदन वापस लेने और अपने उत्तरदिनांकित चेकों में या स्टाक विनिधान को रद्द करने या संदत्त प्रतिश्रुत को वापस लेने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसे प्रतिश्रुत धन या उत्तरदिनांकित चेकों या स्टॉक विनिधान को भुनाएगा नहीं।

(7) आवेदक या प्रस्तावित प्रतिश्रुत करने वाला किसी अंतर की सूचना पर ऐसी सूचना की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदन से वापस होने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा।

(8) प्रतिश्रुति के लिए आवेदन जिस पर कंपनी या निर्गमन के हामीदारों या बैंककारों ने किन्हीं अंतरों की पर्याप्त सूचना दिए जाने या उत्तरदिनांकित चेकों या स्टॉक विनिधान को रद्द करने या ऐसे संदायों को रोकने के लिए अवसर की प्रतिस्थापना को वापस लेने की विशिष्टियों की पर्याप्त सूचना दिए बिना निर्गमन किया है, शून्य होगा और आवेदक अपने उत्तरदिनांकित चेकों या स्टॉक विनिधान या प्रतिश्रुति धन का वापस लेने या अपने आवेदनों को रद्द करने के लिए हकदार होंगे मानो ऐसा आवेदन कभी का ही न गया हो और आवेदक अपने मूल आवेदन और भुनाने की तारीख से वसूली की प्राप्ति तक के लिए पन्द्रह प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(9) प्रतिभूतियों की प्रस्थापना के बंद होने पर अंतिम प्रास्पेक्टस जिसमें प्राप्त मूल पूजी चाहे वह ऋण के रूप में या शेयर पूंजी के रूप में हो, और प्रतिभूतियों के बाद होने के समय कीमत और कोई अन्य विवरणों का कथन होगा जो भुलावा प्रास्पेक्टस में पूरा नहीं किया गया था, सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और रजिस्ट्रार को तथा किसी अन्य दशा में केवल रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा।"।' (16)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खण्ड 21क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 21क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 23

धारा 63 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अत:स्थापित किया जाए;-

"परंतु यह और कि प्रथम परंतुक में की कोई बात गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में विनिर्दिष्ट लोक वित्तीय संस्थाओं को लागू नहीं होगी।"(17)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।"

खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 के खण्ड (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री अरूण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है, कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 18 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है, कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा ओर जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 18 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 24 क

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 17 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए अर्थात्:

नई धारा 68ख का अंत:स्थापन

"24क. मूल अधिनियम की धारा 68क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

प्रत्याभूतियों की आरंभिक प्रतिस्थापना कतिपय मामलों में अमूर्त रूप में होगी।

"68ख. इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी दस करोड़ रुपए या इससे अधिक की राशि के लिए किसी प्रतिभूति की आरंभिक लोक प्रस्थापना करने वाली प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी उसे निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों का पालन करके केवल अमूर्त रूप में ही जारी करेगा।" (18)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खण्ड 24क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 24क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 25 से 35 विधेयक में जोड़ दिये गये।

नियम 80 के खण्ड (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री अरूण जेटली : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 35 क

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

धारा 86 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

35क. मूल अधिनियम की धारा 86 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

शेयर पूंजी के नए निर्गमन केवल दो ही

"86. शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी की शेयर पूंजी केवल दो ही प्रकार ही होगी-

(क) साधारण शेयर पूंजी-

(i) मतदान के अधिकारों के साथ ; या

(ii) ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, लाभांश मतदान या अन्य के बारे में विशेष अधिकारों के साथ;

(ख) अधिमानी शेयर पूंजी।"।' (19)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खण्ड 35क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 35क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 के खण्ड (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री अरूण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है, कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 35 ख

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:-

35ख. मूल अधिनियम की धारा 88 का लोप किया जाएगा।"'। (20)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खण्ड 35ख विधेयक में जोड़ दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 35ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 36 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80 के खण्ड (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री अरूण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 43 क

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 38 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए;-

43क. मूल अधिनियम की धारा 117 के पश्चात निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

117क. (1) किसी डिबेंचर के निर्गमन को सुनिश्चित करने के लिए कोई न्यास विलेख ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी अवधि के भीतर निष्पादित किया जाएगा जो विहित की जाएं।

(2) न्यास विलेख की एक प्रति कंपनी की किसी सदस्य या डिबेंचर धारकों के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी और वह ऐसी राशि के संदाय पर ऐसे न्यास विलेख की प्रतियां प्राप्त करने का भी हकदार होगा जो विहित की जाएं।

(3) यदि न्यास विलेख की एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं कराई जाती है या कंपनी के किसी सदस्य या डिबेंचर धारक को नहीं दी जाती है और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने ऐसा व्यतिक्रम किया है परन्तु अपराध के लिए जुर्माने से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

डिबेंचर न्यासियों की नियुक्ति और डिबेंचर न्यासियों के कर्तव्य

117ख. (1) कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर के अभिदान के लिए जनता को कोई प्रास्पेक्टस या प्रस्थापना-पत्र जारी नहीं करेगी जब तक कि कंपनी से ऐसे निर्गमन से पूर्व ऐसे डिबेंचरों के लिए एक या अधिक डिबेंचर न्यास नियुक्त न कर दिए हों और कंपनी ने प्रास्पेक्टस या प्रस्थापना-पत्र के ऊपर यह कथन नहीं कर दिया हो कि डिबेंचर न्यास या न्यासियों ने इस प्रकार नियुक्त होने के लिए कंपनी को अपनी सहमति दे दी है:

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति किसी डिबेंचर न्यास के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि-

(क) कंपनी में फायदाप्रद रूप में शेयरों को धारण करता है;

(ख) उस धन का फायदाप्रद रूप में हकदार है जो डिबेंचर न्यास को कंपनी द्वारा संदत्त किया जाना है;

(ग) डिबेंचरों या उस पर ब्याज के द्वारा प्रतिभूत मूल ऋण की बाबत किसी प्रत्याभूति के रूप में प्रविष्ट हुआ है।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, डिबेंचर न्यासियों, कृत्य, साधारणत: डिबेंचर धारकों के हित की सुरक्षा करने के लिए होंगे (जिसके अंतर्गत नियत समय के भीतर प्रतिभूतियों का सृजन भी है) और डिबेंचर धारकों की शिकायतों को प्रभारी रूप से दूर करना है।

(3) विशिष्टतया, पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई डिबेंचर न्यास ऐसे अन्य कदम उठा सकेगा जो वह उपयुक्त समझे-

(क) यह सुनिश्चित करना कि डिबेंचर का निर्गमन करने वाली कंपनी की आस्तियां और प्रत्येक प्रतिभूतिदाता सभी समय पर मूल रकम के उन्मोचन करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) स्वयं का यह समाधान करना कि प्रास्पेक्टस या प्रस्थापनापत्र में कोई ऐसा विषय नहीं है जो डिबेंचर या न्यास विलेख के निबंधनों से असंगत हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी किसी प्रसुविधा या न्यास विलेख के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती है;

(घ) न्यास विलेख की प्रसुविधाओं या डिबेंचरों के निर्गमनों के निबंधनों के किसी उल्लंघन के उपचार के लिए ऐसे युक्तियुक्त कदम उठाना;

(ङ) डिबेंचर धारकों की बैठक बुलाने के लिए जब भी ऐसी बैठक का होना अपेक्षित हो, कदम उठाना।

(4) जहां किसी समय डिबेंचर न्यासी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कंपनी की आस्तियां मूल रकम के उन्मोचन के लिए अपर्याप्त है या जिनके अपर्याप्त होने की संभावना है जब भी यह देय हो जाता है, डिबेंचर न्यासी, कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष एक याचिका फाइल कर सकेगा और कंपनी विधि बोर्ड, कंपनी और उस विषय में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के पश्चात् आदेश द्वारा दायित्वों के और आगे उपगत होने पर ऐसे निबंधन अधिरोपित कर सकेगा जो वह अधिकरण डिबेंचरों के धारकों के हित में आवश्यक समझे।

प्रतिभूति सृजित करने की डिबेंचर मोचन आरक्षण करने की कंपनी का दायित्व।

117ग. (1) जहां कोई कंपनी इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् डिबेंचर निर्गमित करती है वहां वह ऐसे डिबेंचरों के मोचन के लिए एक डिबेंचर मोचन आरक्षण सृजित करेगी जिसमें प्रत्येक वर्ष इसके लाभ में से प्राप्त रकम जमा की जाएगी जब तक कि डिबेंचरों का मोचन नहीं हो जाता है।

(2) डिबेंचरों में जमा राशि, मोचन आरक्षण का कंपनी द्वारा उपर्युक्त प्रयोजन के सिवाय किसी उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(3) उपधारा (1) मे निर्दिष्ट कंपनी उनके निगमन के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ब्याज पर संदाय और डिबेंचरों का मोचन करेगी।

(4) जहां कोई कंपनी परिपक्वता की तारीख को डिबेंचरों का मोचन करने में असफल रह जाती है वहां कंपनी बोर्ड, किसी या सभी डिबेंचरधारों के आवेदन पर संबंधित पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् कंपनी को आदेश द्वारा मूल धन और उसी पर शोध्य ब्याज का तुरन्त संदाय करके डिबेंचरों का मोचन करने का निदेश दे सकेगा।

(5) यदि उपधारा (4) के अधीन कंपनी विधि बोर्ड के आदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम होता है तो कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया है, कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच सौ रुपए से अन्यून का होगा, दंडनीय होगा। (21)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खण्ड 43क के विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 43क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 44 से 57 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 58

धारा 148 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 9 पंक्ति 4 में, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (22)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 58, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 58, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 59

धारा 149 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 9 पंक्ति 8 में, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (23)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 59, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 59, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 60 से 70 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 71

धारा 163 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 10 पंक्ति 11 में, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (24)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 71, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 71, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 72

धारा 165 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 10 पंक्ति 15 और 16 में, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (25)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 72, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 72, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 72 से 74 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 75

धारा 176 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 11 पंक्ति 1 में, "शेयर धारकों के बहुमत" के स्थान पर, "शेयर धारकों के अपेक्षित बहुमत" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

पृष्ठ 11, पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए।

"स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए "डाक मतपत्र" के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक पद्धति द्वारा मतदान भी है"। (27)

(श्री अरूण जेटली)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू।

पृष्ठ 11, पंक्ति 1, -

"शेयरधारकों के बहुमत द्वारा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के शेयरधारकों की कुल संख्या के बहुमत और उस कंपनी के शेयरों को धारण करने वाले बहुमत शेयरधारकों दोनों द्वारा।" (63)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री जी॰ एम॰ बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं॰ 63 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 75, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 75, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 76 से 86 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80 के खण्ड (i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री अरूण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 28 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 28 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 86 क

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 12, पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

धारा 205 का संशोधन

86क. मूल अधिनियम की धारा 205 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(1क) निदेशक बोर्ड, अंतरिम लाभांशों और लाभांश की रकम की घोषणा कर सकेगा जिसके अंतर्गत अंतरिम लाभांश ऐसे लाभांशों की घोषणा की तारीख से पांच दिन के भीतर एक पृथक बैंक खाता में जमा किया जाएगा;

(1ख) लाभांश की रकम का, जिसके अंतर्गत उपधारा (1क) के अधीन जमा किया गया अंतरिम लाभांश भी है, अंतरिम लाभांश के संदाय के लिए उपयोग किया जाएगा;

(1ग) धारा 205, धारा 205क, धारा 205ग, धारा 206, धारा 206क और धारा 207 के उपबंध यथासाध्य किसी अंतरिम लाभांश को लागू होंगे। (28)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक में नया खण्ड 86 क जोड़ दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 86क, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 87 से 100 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 101

धारा 127 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 14 पंक्ति 39 और पंक्ति 40 में, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (29)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 101, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 101, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 102

धारा 218 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 15 पंक्ति 3 में, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किए जाए। (30)

(श्री अरूण जेटली)

पृष्ठ, 15 पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूति" से कोई लिखित अभिप्रेत है जिसका मतदान का अधिकार है।"। (31)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 102, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 102, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 103 से 121 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 122

धारा 245 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 18, पंक्ति 6 एवं 7,-

"कम से कम एक निदेशक ऐसे छोटे अंशधारकों (शेयर धारकों) द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्वाचित होगा के स्थान पर छोटे अंशधारक (शेयर धारकों) द्वारा एक निर्देशक का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्वाचन किया जा सकता है।" प्रतिस्थापित किया जाए। (47)

(श्री अरूण जेटली)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, छोटे निवेशकों के लिए एक निदेशक अवश्य होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय इस पहलू पर पुनर्विचार करें। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने इस मुद्दे को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। कम से कम आपको उनसे सहमत होना चाहिए।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 122, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 122, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 123 से 126 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 127

धारा 251 का संशोधन

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 18, पंक्ति 39 और 40,-

"पन्द्रह कंपनियों" के स्थान पर "सात कंपनियों" प्रतिस्थापित किया जाए। (64)

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत, संशोधन संख्या 64, को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 127 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 127 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 128

धारा 252 का संशोधन

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 19, पंक्ति 2,-

"पन्द्रह" के स्थान पर "सात" प्रतिस्थापित किया जाए। (65)

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत, संशोधन संख्या 65 को, अब सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19, पंक्ति 5 में, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (32)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 128, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 128, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 129

धारा 261 का लोप

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 19, पंक्ति 8, -

"पन्द्रह कंपनियों के स्थान पर "सात कंपनियों" प्रतिस्थापित किया जाए। (66)

पृष्ठ 19, पंक्ति 18, -

"पन्द्रह" के स्थान पर "सात" प्रतिस्थापित किया जाए। (67)

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत, संशोधन संख्या 66 और 67 को, सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत हुए।

संशोधन किए गये:

पृष्ठ, 19, पंक्ति 10 और पंक्ति 11 में -

"कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (33)

पृष्ठ 19, पंक्ति 15 और पंक्ति 16 में, -

"कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (34)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 129, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 129, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 130

धारा 269 का संशोधन

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 19, पंक्ति 20,

"पन्द्रह कंपनियों" के स्थान पर "सात कंपनियों" प्रतिस्थापित किया जाए। (68)

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत, संशोधन संख्या 68 को, सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 130 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 130 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 131 से 133 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 134

धारा 276 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20, पंक्ति 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"(8क) यदि बोर्ड संपरीक्षक की समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता है तो वह उसके लिए कारणों को अभिलिखित करेगा और शेयर धारकों को ऐसे कारणों को संसूचित करेगा।"। (35)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 134, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 134, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 135 से 164 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 165

धारा 370 (क) का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 23, पंक्ति 36 और 37, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, -

"करेगी जो विहित की जाएं कि -कंपनी ने इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया या नहीं, और ऐसे प्रमाणपत्र की प्रति धारा 217 मे निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी"। (36)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 165, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 165, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 166 से 209 विधेयक में जोड़ दिए गये।

नियम 80 के खंड (i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री अरूण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 37 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 37 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 209 क

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 27, पंक्ति 7 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

नई धारा 605 का अंत:स्थापन

"209. मूल अधिनियम की धारा 605 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्-

भारतीय निक्षेपगारों की प्राप्तियों की प्रस्थापना

605क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार भारत से बाहर किसी निगमित कंपनी या निगमित की जाने वाली कंपनी द्वारा चाहे कंपनी स्थापित कर दी गई हो या नहीं अथवा भारत में कारबार के किसी स्थान पर स्थापित की जाएगी या नहीं, -

(क) भातीय निक्षेपागार प्राप्तियों की प्रस्थापना;

(ख) भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों के संबंध में निर्गमित प्रास्पेक्टस या प्रस्थापना-पत्र में प्रकट करने की अपेक्षा;

(ग) वह रीति और ढंग, जिससे भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का किसी निक्षेपागार, अभिरक्षक और हामीदारों द्वारा व्यवहार किया जाएगा;

(घ) भातीय निक्षेपागार प्राप्तियों के विक्रय, अंतरण या प्रेषण की रीति (37)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खण्ड 209क, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 209क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 210

खंड 551 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 27 पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

धारा 606 का संशोधन

210. मूल अधिनिवम की धारा 606 में-

(क) "शेयरों और डिबेंचरों के लिए आवेदन" शब्दों के पश्चात् "शेयरों, डिबेंचरों या भारतीय निक्षेपागार प्राप्त के लिए आवेदन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) और 605" शब्द और अंकों के स्थान पर, "605 और 605क" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। (38)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 210, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 210, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 211 से 213 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 214

खंड 583 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 27, पंक्ति 15 और 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं-

'214. मूल अधिनियम की धारा 621 की उपधारा (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि न्यायालय, भारतीय प्रतिभूति विक्रय बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की लिखित शिकायत पर प्रतिभूतियों के निर्गमन और अंतरण तथा लाभांश के संदाय न करने के संबंध में अपराध का संज्ञान ले सकेगा।"। (39)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 214, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 214, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 215 से 224 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 1, पंक्ति 2 में, "कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999" के स्थान पर, "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "पचासवें वर्ष" के स्थान पर "इक्यावनवें वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री अरूण जेटली)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय मैं, प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सांय 7.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 नवम्बर 2000/7 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110 008 द्वारा मुद्रित।